माला, खंड 30, अंक 5

गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007
1 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 12 Jan 2009

(खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 5, गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007/1 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 105	1–35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 106 से 120	35–75
अतारांकित प्रश्न संख्या 764 से 958	75–308
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	308–311
विशेषाधिकार समिति	
नौवां प्रतिवेदन	311
लोक लेखा समिति	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	311
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	311–312
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवें से सत्ताइसवां प्रतिवेदन	312
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	313
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें, तेईसवें और चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	313–314
श्रीमती मीरा कुमार	313–314
समिति के लिए निर्वाचन.	
केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड	314–315
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना.	
स्वास्थ्य सेवाओं की ऊंची लागत से उत्पन्न स्थिति तथा प्राइवेट नर्सिंग होमों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता	315–339
श्री गुरुदास दासगुप्त	315, 318–324
डा. अंबुमणि रामदास	316–318

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	340
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007	340–341
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007	341
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 के बारे में वक्तव्य	342
श्री विजय हान्डिक	342
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007	342
बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बारे में वक्तव्य	
श्री ऑस्कर फर्नांडीज	342–343
नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007	343
नियम 377 के अधीन मामले	343–348
(एक) केन्द्रीय पूल से मध्य प्रदेश को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
डा. सत्यनारायण जटिया	343–344
(दो) पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अविनाश राय खन्ना	344
(तीन) कालीकट (केरल) और खाड़ी देशों के बीच सीधी हवाई उड़ानों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करूणाकरन	345
(चार) एक नये राज्य "बुन्देलखंड" का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	344–346
(पांच) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम की बंद यूनिट को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन सिंह	346–347
(छह) केरल स्थित येरूमेली को राष्ट्रीय तीर्थ-स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	347
(सात) असम में गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को विशेष केन्द्रीय योजना के अधीन वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	348
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007	348–441
विचार करने के लिए प्रस्ताव	348–349

विषय **कॉलम**

डा. अंबुमणि रामदास 348–349

श्रीमती मेनका गांधी 358–377

डा. करण सिंह यादव 377–387

डा. रामचन्द्र डोम 387–392

श्री राम कृपाल यादव 392–397

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 397–404

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' 404–411

श्री शैलेन्द्र कुमार 411–413

श्री प्रबोध पाण्डा 413

प्रो. रासा सिंह रावत 413–416

श्री एस.के. खारवेनथन 416–420

श्री अनंत गंगाराम गीते 420–421

डा. आर. सेनथिल 421–423

श्री वरकला राधाकृष्णन 423–425

डा. के.एस. मनोज 425–426

खंड 3, 2 और 1 440

पारित करने के लिए प्रस्ताव 440–441

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007 441–443

विचार करने के लिए प्रस्ताव 441

श्री संतोष मोहन देव 441

श्री खारबेल स्वाईं 442

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 461

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 462–466

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 467–468

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 467–468

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 22 नवम्बर, 2007/1 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, प्रश्न काल के बाद कहिए, मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: सभा के सही संचालन के अलावा सभी कुछ महत्वपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप देखिए मैं आपको बोलने का मौका देता हूं या नहीं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 101- श्री रामपाल सिंह, चूंकि आप नये सदस्य हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं।

[हिन्दी]

नियंत्रित दवाओं की सूची में दवाइयों को शामिल करना/निकालना

***101. श्री रामपाल सिंह:**[+]
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित दवाओं की सूची में संशोधन किया है और दवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए इस सूची में कुछ दवाओं को शामिल किया है अथवा हटाया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में इस सूची में शामिल की गई दवाओं/हटाई गई दवाओं का ब्यौरा क्या है और उन दवाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दवाओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने और समाज के सभी तबकों के लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। सरकार ने पिछले कुछ समय में डीपीसीओ, 95 की प्रथम अनुसूची में बल्क औषधों की सूची में कोई संशोधन नहीं किया है।

सरकार, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य हेतु, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के माध्यम से विभिन्न उपाय कर रहा है। एनपीपीए सूचीबद्ध औषधियों के लिये डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के प्रभावी प्रबंधन तथा गैर-अनुसूचीबद्ध औषधियों के मामले में मूल्यों की प्रभावी निगरानी के माध्यम से उचित दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। दवाओं की मूल्य वृद्धि और उच्च मूल्यों पर नियंत्रण के लिए सरकार और एनपीपीसी द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं-

1. एनपीपीए द्वारा बेहतर बाजार निगरानी, पता लगाने और स्व प्रेरित जांच से डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों को अधिक बेहतर एवं प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। बेहतर निगरानी के कारण विगत वर्षों की तुलना में गत ढाई वर्षों में पहली बार किए गए मूल्य अनुमोदनों की संख्या काफी अधिक रही है। एनपीपीए द्वारा पहली बार निर्धारित कुल मूल्यों का लगभग 65% इस अवधि के दौरान रहा है।

2. बेहतर बाजार निगरानी के परिणामस्वरूप, एनपीपीए के अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामलों में बार-बार मूल्य निर्धारित किए हैं। ऐसे मूल्य निर्धारण का लगभग 80 प्रतिशत मूल्य कटौती के रूप में थे।

3. गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में मूल्य वृद्धि को ओआरजी-आईएमएस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रभावी निगरानी के माध्यम से नियंत्रित रखा जाता है। सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के पैरा 10 (ख) के अंतर्गत "जनहित" में गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों के निर्धारण हेतु राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। शक्तियों के प्रत्यायोजन के बाद, एनपीपीए ने जून, 07 से अक्टूबर, 07 के बीच डीपीसीओ, 95 के पैरा 10 (ख) के अंतर्गत 22 गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित किए हैं (सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है) इस प्रत्यायोजन ने गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मामले में निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य वृद्धि के संदर्भ में मूल्यों की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एनपीपीए द्वारा त्वरित कार्रवाई को सुकर बनाया है।

4. सरकार के प्रयासों के परिमामस्वरूप, औषध उद्योग 886 जेनरिक फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों को कम करने के लिए स्वैच्छि रूप से सहमत हो गया है।

जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए इस विभाग ने राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 का प्रारूप तैयार किया है। प्रस्तावित नीति में उचित मूल्यों पर दवाओं तक बेहतर उपलब्धता तथा बीपीएल परिवारों के सदस्यों की दवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर दिनांक 11.1.2007 को आयोजित अपनी बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह को संदर्भित कर दिया है।

सरकार ने हाल ही में "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" नामक स्वास्थ्य बीमा योजना का अनुमोदन किया है जिसके अगले पांच वर्षों में असंगठित क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवारों को कवर करने की आशा है। कुल बीमित राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपए होगी और इसमें अस्पताल में भर्ती किए जाने का खर्च भी शामिल होगा। भारत सरकार वार्षिक प्रीमियम का 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकारें शेष 25 प्रतिशत का अंशदान करेंगी।

अनुबंध

22 मामलों के ब्यौरे-हाल में डीपीसीओ, 1995 के पैरा 10 (ख) के अंतर्गत निर्धारित मूल्य

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पाद शुल्क व स्थानीय कर सहित पैरा 10 (ख) के अंतर्गत निर्धारित मूल्य	प्रतिशत कमी
1	2	3	4	5
1.	निकोलस पीरामल इंडिया लि.	फेनरगन इलीक्सर 5 मि.ग्राम 60 मि.ली.	22.96	4.32
2.	लुपिन लि./लायका लि.	रेबलेट वायल ड्राई+सोल 20 मि.ग्रा. 10 मि.ली.	57.40	9.02
3.	नोवारटिस इंडिया लि./इंडि स्विफ्ट लि.	अरकलर फिल्म सी 250 एम.जी. × 4	99.84	4.16
4.	ग्रीसा लैब्स	यूलीकिट टैब्स	43.34	5.68
5.	सिस्टोपिक लैब	नोरमेक्सिन टेबल	18.68	20.53
6.	मियर ओरगेनिक्स/मेयर हेल्थकेयर	ज्वाइन्टेस	84.84	2.87
7.	रेनबेक्सी	रोसलिन 500 मि. ग्राम	66.77	2.28
8.	यूएसवी	पिओज-जी	61.92	0.76
9.	रेनबैक्सी	रोसीसिलिन केप. 250	30.00 39.20	36.23

1	2	3	4	5
10.	रेनबेक्सी लैब्स लि.	सिलानेम 500 मि. ग्राम	1113.00	5.68
11.	डा. रेड्डीज लैब	रीलेन्ट 10 का	35.78	7.90
12.	रेनबेक्सी लैब्स लि.	केवीरटा टेब 50 मि. ग्राम	34.73	17.57
13.	ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन प्रा. लि./मेसर्स यूसीबी इंडिया प्रा.लि.	वोजेट 5 मि. ग्राम 10 का	49.00	8.71
14.	केडिला फार्मा लि.	इनवास 2.5 मि.ग्रा	26.35	7.02
15.	केडिला फार्मा लि.	इनवास 5 मि. ग्राम	42.98	6.71
16.	वेलेस फार्मा/वेलेस लैब्स	वालामाइसिन सस्पेंशन 30 मि.लि.	25.46	19.17
17.	ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइम फार्मा लि.	टीनोवेट- जीएम क्रीम 10 मि. ग्राम	20.98	21.60
18.	डीप कास्ट हेल्थ प्रा. लि./मेसर्स सनवेज (इंडिया) प्रा. लि.	लेक्रीजेल 5 ग्राम	53.66	13.45
19.	लुपिन लैब्स लि.	रिमिस्टार - ए	47.61	27.43
20.	यश फार्मा	पीएनवी टैब 25 मि. ग्राम	19.97	3.62
21.	मनीष फार्मा फाइजर	बेनाड्रिल कफ फार्मूलेशन 100 मि. ग्राम	38.61	22.78
22.	मनीष फार्मा फाइजर	केलाड्रिल 100 मि. लि.	55.91	3.73

श्री रामपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, नियंत्रित दवाओं की सूची में सरकार की तरफ से विगत तीन वर्षों से नाम जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन दवाई जोड़ी नहीं गई हैं। मंत्री जी के उत्तर में 886 दवाओं की सूची दी गई है कि उन्हें नियंत्रित दवाओं की सूची में जोड़ा जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हें नियंत्रित दवाइयों की सूची में कब तक जोड़ा जाएगा और अब तक उन दवाइयों के नाम नहीं जोड़ने के क्या कारण हैं?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन 886 दवाइयों की चर्चा कर रहे हैं, यह वह दवाइयां हैं जिनके बारे में कम्पनी ने स्वेच्छा से कहा था कि हम उनके दाम घटाएंगे। 1995 की लिस्ट के मुताबिक केवल 74 बल्क ड्रग्स नियंत्रित सूची में हैं। न्यू फार्मास्युटिकल पॉलसी अभी सरकार के विचाराधीन है है। यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने दो तीन बातें कहीं थीं। एक बात यह कही कि सरकार आम लोगों को सस्ते दर पर दवाइयां मुहैया करवाएगी और दूसरा, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा करवाएंगे। स्वास्थ्य बीमा के संबंध में सरकार ने निर्णय ले लिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सब लोगों का अगले पांच साल के अंदर हैल्थ इंश्योरेंस कर दिया जाएगा। इस साल एक करोड़ 20 लाख लोगों की हैल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान है। उसमें प्रत्येक फैमिली तीस हजार रुपए तक की राशि का स्वास्थ्य लाभ ले सकेगी जिसमें 75 प्रतिशत भाग भारत सरकार का है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का है।

जहां तक 886 दवाओं का मामला है, हमने कम्पनी को बुलाकर कहा था कि आपकी दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ी हुई है और आप चाहते हैं तो स्वेच्छा से दवाइयों की कीमत कम कीजिए। उसके बाद कम्पनी ने कहा कि हम 886 दवाइयों की कीमत कम करेंगे जिनमें से अभी तक केवल 487 दवाइयों की कीमत ही कम हो पाई है, बाकी दवाइयों की कीमत उन्होंने कम नहीं की है। लेकिन यह उनका स्वैच्छिक मामला था।

श्री रामपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, देश में दैनिक उपयोग की चीजों के रेट तो निरंतर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सरकार के बार-बार कहने के बावजूद भी जीवन रक्षक औषधियों के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में विदेशी मुद्रा की तुलना में

भारतीय मुद्रा का रेट बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में वैसे भी मूल्य कम हो जाने थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो नियंत्रित दवाओं की नीति 2006 बनाई है, उसे कब से लागू किया जाएगा, उसकी समय-सीमा बताइए जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था? आपने कई जगह असंतोष भी जाहिर किया है। आपने कम्पनियों को भी पत्रकार वार्ता में कहा कि हम रेट कम करेंगे। लेकिन आज तक रेट कम नहीं हुए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामपाल सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि आप इस नयी नीति को कब लागू करेंगे और जीवन रक्षक औषधियां देश की जनता को सस्ती कीमत पर मिले, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कामप्लीमैंट देता हूं।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि नयी फार्मास्युटिकल पालिसी का प्रारूप वर्ष 2002 में तैयार किया गया था जिसके खिलाफ कर्नाटक की हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लागू कर दिया। उसके खिलाफ डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गयी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया और कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, एसेंशियल ड्रग्स हैं, सरकार उनकी सूची तैयार करे और उसे कंट्रोल में लाए। उस आधार पर हम लोगों ने हैल्थ मिनिस्ट्री को लिखा। हैल्थ मिनिस्ट्री ने 354 दवाओं की सूची तैयार की कि ये सब एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनकों अंडर कंट्रोल में लाना चाहिए। उस सारी सूची को हमने कैबिनेट में रखा। नयी फार्मास्युटिकल पालिसी में यह शामिल है। अन्य बातों के अलावा ये जो 354 दवाएं हैं, उनको अंडर कंट्रोल में लाया जाये, जो अभी सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय: श्री हंसराज गं. अहीर—उपस्थित नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि लगभग 400 दवाओं का दाम अभी घटा नहीं है। जबकि सदन में बराबर इस प्रश्न पर चर्चा हुई है और लगातार मंत्री जी का जवाब आया है कि जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम किये जाएंगे। लेकिन अभी बीते नौ महीने में इन दवाओं के दोगुना दाम बढ़े हैं जिनमें एमरिल, लोकासार, नाइस सेलकाल, आइबूजेसिक, सेमी डायोनिल, अस्थलिन इन्हेलर और एरोकोर्ट इन्हेलर बनाने वाली दवा कम्पनियां हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन कम्पनियों के दोगुना दाम बढ़े हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। इस सदन में बराबर आपका जवाब आया है कि जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य को कम किया जाएगा जबकि दवाओं के मूल्य कम न होकर बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या कार्य योजना है?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, जहां तक दवाइयों की कीमत का सवाल है, हम लोग उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग ओआर करता है। अब हम यह नहीं कह सकते कि ओआरजी सही है या गलत है। लेकिन ओआरजी की रिपोर्ट ही औथेंटिक मानी जाती है। अभी अगस्त महीने में ओआरजी की रिपोर्ट आयी है, उसके मुताबित 99 परसेंट दवाइयों के रेट स्टेबल रहे हैं। जो हाफ परसेंट दवाइयां हैं यानी 0.13 परसेंट दवाइयों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है। आपने यह भी कहा कि कुछ दवाइयों की कीमत फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बढ़ गयी है। हमारा जो डीपीसीओ है, उसके मुताबिक कम्पनियों को 20 परसेंट तक की छूट थी कि वे साल में 20 परसेंट तक दवाई की कीमत बढ़ा सकते हैं। हमने 1 अप्रैल, 2007 से 10 (बी) के अंतर्गत यह आदेश दिया है कि उनको 20 परसेंट से घटाकर मैक्सिमम 10 परसेंट तक दाम बढ़ाने की छूट होगी। जो लोग उससे ज्यादा बढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ ओवर चार्जिंग की कार्रवाई की जाती है। अभी तक कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा का उन कम्पनियों पर जुर्माना लगा है और उनके खिलाफ ओवर चार्जिंग का केस चल रहा है, जो कोर्ट में पैंडिंग है।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष जी, हमारे देश में लाइफ सेविंग दवाइयां ही नहीं, बल्कि हर दवा का भाव पिछले दिनों बढ़ा है। मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में कहा कि उनका उद्देश्य है कि देश में जीवन रक्षक दवाइयों का भाव घटे। हमारे देश में उन दवाओं का जो भाव था, उसकी उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट और जिस भाव में दवा बेची जाती है, उसमें बहुत अंतर है।

कई दवाओं के दामों में तो 200 प्रतिशत से लेकर 500 प्रतिशत तक का अंतर है, लेकिन आज तक उनके दाम घटाने पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को लेकर पहले हाथी कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की जो रिकमंडेशंस थीं। सिफारिशों में ढील दी गई थी। उन्होंने कंट्रोल लिस्ट में जिन दवाओं को रखा था, उन्हें घटा दिया था। पिछले दिनों दवाओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कमेटी की रिकमंडेशंस भी आ गई हैं

और सदन में भी बार-बार उनके बारे में कहा गया है। यह स्वैच्छिक नहीं है कि दवा निर्माता अपनी तरफ से ही दाम घटाएं, क्योंकि देखा जाए तो उनकी तरफ से दवाओं के दाम नहीं घटाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछें।

श्री बसुदेव आचार्यः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जीवन रक्षक दवाओं के दाम घटाने के लिए और कितने दिन लगेंगे और क्या मंत्री जी इन दवाओं के दाम इस स्तर तक ले आएंगे कि गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर रहने वाले वे लोग जो दवाएं नहीं खरीद सकते हैं, दवाएं खरीद सकें?

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष महोदय, दवाएं दो तरह की होती हैं। एक कंट्रोल और दूसरी डी-कंट्रोल दवाएं। कंट्रोल दवाओं के दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और 100 प्रतिशत मार्जिन रखकर सरकार तय करती है। 74 दवाएं अंडर कंट्रोल हैं और बाकी दवाएं डी-कंट्रोल हैं। उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। कम्पनीज उनकी कीमत खुद तय कर सकती हैं और हमें सिर्फ बताती हैं। उसमें हम सिर्फ यह देखते हैं कि उन दवाओं के दाम 10 से 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े हैं या नहीं। आपका कहना सही है और मैं इससे सहमत हूं कि बहुत सी दवाओं की कीमतें अनाप-शनाप हैं। जैसे सिप्ला की सिट्राजिन टेबलेट है, वह होलसेलर को 1 रुपए 20 पैसे में दी जाती है और उसका एम.आर.पी. 37 रुपए है, जबकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुश्किल से 20 पैसे होगी। लेकिन डी-कंट्रोल दवाओं पर हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन रक्षक दवाओं को अंडर-कंट्रोल श्रेणी में लाया जाए। इसके विरोध में बड़े पूंजीपति लॉबिंग में लगे हुए हैं और वे नहीं चाहते कि इन्हें अंडर कंट्रोल श्रेणी में लाया जाए। पिछली बार 74 दवाओं को अंडर कंट्रोल श्रेणी में रखा गया था। उनका मार्केट शेयर पहले 50 प्रतिशत था जो अब घटकर 20 प्रतिशत रह गया है। ऐसा भी नहीं है कि अंडर कंट्रोल श्रेणी में लाने के बाद उनका मार्केट घट जाता है। इस बार हमने प्रस्ताव दिया है कि हम 100 प्रतिशत के बजाय 150 प्रतिशत मार्जिन देंगे। इसके अलावा रिसर्च एण्ड डवलपमेंट अगर कोई दवा कंपनी करती है तो उसे 50 प्रतिशत और देंगे। जब तक फार्मास्युटिकल पालिसी कैबिनेट से एप्रूव नहीं हो जाती, तब तक हम इन दवाओं के दामों पर लगाम नहीं लगा सकते। सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है और उसने तीन कमेटीज इस संबंध में बनाई थी। पहली कमेटी विभाग की तरफ से संधु कमेटी के रूप में घटित की गई थी, उस पर कम्पनीज की तरफ से ऐतराज हुआ। उसके बाद प्रभसेन कमेटी पीएमओ द्वारा बनाई गई। दोनों कमेटीज की रिपोर्ट के आधार पर हमने पालिसी बनाई है, जो कैबिनेट के पास है। केबिनेट ने उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास रैफर किया है, जिसके अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में थोड़ी देर हुई है, ऐसा मैं मानता हूं लेकिन हम चाहते हैं कि वह शीघ्र ही उसे देखकर वापस कैबिनेट के पास भेजें और कैबिनेट उसे एप्रूव करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झाः ये पूंजीपति किस पर लॉबिंग कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवानः ये लोग विधायकों और सांसदों के यहां घूमते रहते हैं। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी के दरवाजे इनके लिए बंद हैं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है अब और ज्यादा न बोलें। ज्यादा एक्सपोजर अच्छा नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की नीयत तो अच्छी है। ये चाहते हैं कि गरीबों को राहत मिले। लेकिन ये सिर्फ भाषण दे देते हैं, काम पर खरा नहीं उतरते हैं। ...*(व्यवधान)* ये बोलते जरूर हैं। जैसाकि इन्होंने कहा कि जो बीपीएल सूची के लोग हैं उनको राहत देने के लिए, आने वाले पांच सालों में ये उनका बीमा करवाएंगे। तब तक, पांच साल तक उनके मरने की छूट चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः सब्जैक्ट के बारे में प्रश्न कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंहः माननीय मंत्री जी ने सदन में जो कहा है, उस पर सदस्य को सप्लीमेंटरी पूछने का अधिकार है। इसलिए हम उनकी कही हुई बात में से ही जानना चाहते हैं कि पांच साल जो आपने मरने की छूट दी है कि पांच साल में हम इसे पूरा करेंगे, तो बीपीएल सूची के अलावा भी जो मरीज होते हैं जब कोई एमपी लिखता है तो प्रधान मंत्री राहत कोष से ज्यादा से ज्यादा 30 हजार रुपये या 20 हजार रुपये मिल जाते हैं। ये कहते हैं कि जिनका बीमा होगा उसे 30 हजार रुपया मिलेगा, जिसमें से 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का होगा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का होगा। राज्य सरकार का भी कोष होता है और जैसे बिहार सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल गरीबों को 1 लाख रुपया तक दिया है। ...*(व्यवधान)* हम यह जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं, इसमें आप गरीबों को राहत कैसे दे सकते हैं? आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि जिन लोगों का आप बीमा

कराएंगे, जब वे बीमार पड़ेंगे, उनको असाध्य रोग होगा, तो बीमाधारियों का मुफ्त इलाज सरकार कराएंगी या नहीं। यही हम आपसे जानना चाहते हैं। तीस हजार, बीस हजार की बात कहना आप बंद कीजिए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, 60 साल से ज्यादा आजादी मिले हो गये हैं और यदि लोग जिंदा हैं तो पांच साल में ही सभी लोग मर जाएंगे, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। सरकार काम नहीं करे तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसकी आलोचना कीजिए, लेकिन जब सरकार अच्छा काम करे तो कम से कम आपको तारीफ भी करनी चाहिए। आजादी के 60 साल के बाद सरकार पहली बार यह कदम उठा रही है कि देश में जितने बीपीएल के लोग हैं उनको मुफ्त दवाईयां मिलें, सरकार हैल्थ इंश्योरेंस कराकर मुफ्त दवाई की व्यवस्था करे। यह देश में पहली बार हो रहा है। करीब 30001 परिवार के ऊपर में 30 हजार रुपये रखा गया है और कुल मिलाकर 3500 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से जाएगा। अब कोई जादू तो नहीं है कि आप बटन दबाएंगे और सब जगह उजाला हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि यह कोई भाषण नहीं है, एक करोड़ 20 लाख लोगों के परिवार का इन्स्योरेंस इस साल, वर्ष 2007-2008 में किया जाएगा। क्रमबद्ध रूप से, पांच साल में जितने बीपीएल परिवार के लोग हैं, चाहे कोई जाति या धर्म का आदमी हो, सारे के सारे लोगों को उसमें कवर कर लिया जाएगा। उसमें डाक्टर का इलाज भी शामिल है। उनका हैल्थ कार्ड, स्मार्ट कार्ड बनेगा और डाक्टर को दिखाने से लेकर 30 हजार रुपये तक की दवाइयां वह ले सकेगा। आपने जैसे कहा कि जो राज्य सरकार की स्कीम है वह अलग से चल रही है, जो केन्द्र सरकार या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्रीशनरी पावर है, हैल्थ मिनिस्टर का डिस्क्रीशनरी पावर है वह अलग है। मैंने एक बार सुझाव भी दिया था कि एमपीज को जो दो करोड़ रुपये का फंड मिलता है उसमें से भी अगर 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत मांगते हैं तो वह रकम सिर्फ मरीज के लिए रख दी जाये, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार से आते हैं और वहां से आने वाले मरीजों का हमारे यहां तांता लगा रहता है। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि गांव में आज भी दस-बीस रुपये के कारण गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता और मर जाता है। यदि सरकार ने 30 हजार रुपये सालाना राहत देने का निर्णय लिया है तो यह स्वागत योग्य कदम है और आपको इसका स्वागत करना चाहिए।

[अनुवाद]

ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति

***102. श्री +अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विमानपत्तनों के विकास हेतु वित्तीय जिम्मेदारी निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्विकास हेतु कितने विमानपत्तनों की पहचान की गई है;

(ङ) क्या छोटे कस्बों में भी विमानपत्तनों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए एक नई ग्रीनफील्ड नीति बनाई जा रही है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों की ओर से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव इन स्थानों के लिए हैं- हासन, गुलबर्गा, बीजापुर, शिमोगा (कर्नाटक), जेवर-ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), पूणे के निकट चाकन (महाराष्ट्र), गंगटोक के निकट पाक्योंग (सिक्किम), कोहिमा के निकट चैतू (नागालैंड), इटानगर, तवांग (अरुणाचल प्रदेश), कोकराझार (असम) तथा दुर्गापुर-आसनसोल (पश्चिम बंगाल)।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना हेतु प्रस्तावित नीति बहुत सराहनीय है। परन्तु, इस महत्वाकांक्षी नीति की सफलता ऐसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है।

जैसा कि आपको ज्ञात है वर्तमान परिदृश्य में भूमि का मुद्दा अति संवेदनशील और ज्वलंत बन गया है। पश्चिम बंगाल की हाल ही की घटनाएं एक उदाहरण हैं। राज्य सरकारों के पास किसी भी प्रकार के विस्तार या विकास परियोजनाओं हेतु पर्याप्त भूमि नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को किसानों या भू-स्वामियों से भूमि अर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय किसनों में व्यापक असंतोष होता है तथा आंदोलन किया जाता है जिसके कारण राज्य सरकार परियोजना में विलंब करती है या इसे पूर्णतः समाप्त कर देती है।

ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार यह कहते हुए कि भू-अर्जन राज्यों का विषय है, मामले की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल देती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: स्वामित्व और जवाबदेही के अभाव में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं या तो स्थगित कर दी जाती हैं या पूरी तरह समाप्त कर दी जाती हैं।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन हेतु स्पष्ट नीति बनाएगी, जिसके तहत किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार उनकी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा तथा विस्थापित किसानों को आकर्षक पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न के बाहर बहुत कुछ पूछ लिया है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की परिधि के बाहर भू-अर्जन तथा अन्य मुद्दों के बारे में बहुत व्यापक मुद्दा उठाया है और मैं मुख्य प्रश्न का उत्तर देते समय इस मुद्दे का उत्तर नहीं दे सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना उत्तर हवाई अड्डों तक ही सीमित रखें।

श्री प्रफुल पटेल: तथापि, मैं मात्र इतना ही कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान हवाई अड्डों तथा अनेक स्थानों में नए हवाई अड्डों के निर्माण में एक अत्यंत कठिनाई अवसंरचना का अभाव होना है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानने के लिए अति उत्सुक हैं क्योंकि वर्तमान में पुणे में नागरिक हवाई अड्डे का अभाव है।

जहां तक सरकार का संबंध है यह सही है कि नई ग्रीनफील्ड नीति तैयार की जा रही है। तथापि, वर्तमान नीति के तहत नए हवाई अड्डों की स्थापना पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यह संघ सरकार तथा मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अध्याधीन है। इसका पालन किया जा रहा है तथा हैदराबाद और बंगलौर के लिए पूर्व में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इनका निर्माण पूरा होने को है और 2008 में निश्चित रुप से इन्हें आरंभ कर दिया जाएगा। नवी मुंबई तथा पुणे के निकट राजगुरु नगर के लिए भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का प्रस्ताव किया गया है तथा कई अन्य विमानपत्तनों का भी प्रस्ताव किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सूची पहले ही दे दी है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यहां पर मुद्दा यह है कि नए हवाई अड्डों के निर्माण हेतु विमानपत्तन प्रधिकरण ही मात्र प्राधिकारी था। इस बात को देखते हो। वह स्थिति अब बदल रही है। मात्र सरकार द्वारा ही समस्त अवसंरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, एक तरफ जहां हम विमानपत्तन प्राधिकरण को सुदृढ़ करना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ हम इनके वर्तमान हवाई अड्डों की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं। नए हवाई अड्डों का निर्माण संयुक्त उद्यम के रुप में या निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ भी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु कुछ भी किया जाए समस्या भूमि की है।

श्री प्रफुल पटेल: अंत में मैं पुन: कहूंगा कि किसी भी शहर के वर्तमान हवाई अड्डों के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। सभी हवाई अड्डों के उन्नयन की आवश्यकता होती है, अधिक लम्बी धावन पट्टी, अधिक टर्मिनल क्षमता या कार्गो या अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए, हमें अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश, केन्द्रीय सरकार का अनुभव यह है कि राज्य सरकारों द्वारा संतोषजनक रूप से भूमि की उपलब्धता नहीं कराई जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप मौजूदा विमानपत्तन इस योग्य नहीं रह गए हैं कि उनका आज की क्षमता या आवश्यकता के अनुसार उन्नयन या विकास किया जा सके। अत: मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसके लिए अपना समर्थन दें, क्योंकि अंतत: राज्यों को मदद देनी ही पड़ेगी। यह केवल केन्द्र सरकार की पहल ही नहीं, अपितु यह समान रूप से राज्यों की भी जिम्मेदारी और जरूरत है कि वे विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दें और बेहतर सम्पर्क उपलब्ध कराएं। अत: मैंने माननीय सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करें और राज्य सरकारों से आसानी से और अधिक भूमि प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। यहां तक कि नए विमानपत्तनों के लिए भी अंतत: किसी प्रकार की सहायता तो चाहिए ही। जैसा कि आपने सही ही कहा था कि विमानपत्तनों के लिए हजारों एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अत: इसके लिए राज्यों से किसी प्रकार के अर्थपूर्ण विचार-विमर्श और सहयोग की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा ३.ुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है।

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सही ही कहा है कि किसी नए विमानपत्तनों के निर्माण या महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बन रहे नए विमानपत्तन से संबंधित है। इन्होंने बताया है कि नया विमानपत्तन पुणे के निकट चाकन में बनेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विमानपत्तन चाकन में बनेगा या राजगुरु नगर में; इस नए प्रस्तावित विमानपत्तन के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इस विमानपत्तन का स्वामित्व किसके पास होगा।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक स्वामित्व का प्रश्न है तो ऐसे ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

श्री प्रफुल पटेल: मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हां, माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि एक विमानपत्तन बनाने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में इस स्थान का नाम राजगुरु नगर है। मैं सही नाम नहीं बता सकता। लेकिन पहले यह चाकन था। इसे थोड़ा सा स्थानान्तरित करके राजगुरु नगर लाया गया है, जो कि चाकन के निकट है।

वास्तव में कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और अन्य ब्यौरों के संबंध में, मैं केवल इतना कहूंगा कि अंततः राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। एम.आई.डी.सी. जो कि राज्य का औद्योगिक विकास निगम है, वह इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। जब वे भूमि का अधिग्रहण कर लेगा तो वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी और प्रतियोगी बोली के आधार पर इस विमानपत्तन का विकास किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जैसाकि अभी मंत्री जी ने बताया कि जो ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। हमें यह भी पता लगा है कि इसमें कुछ विदेशी कम्पनियां इंटरस्टिड हैं। ऐसे हालात में क्या नेविगेशन सेफ्टी के नॉर्म्स में कम्प्रोमाइज होने की स्थिति तो नहीं आएगी क्योंकि जो निजी एअरपोर्ट्स हैं वह बिजनेस प्रमोट करने के लिए बिजनेस एथिक्स फालो करना पसंद करते हैं। जैसाकि हमने इतिहास में देखा है कि जहां कहीं प्राइवेट कम्पनियां आई हैं उन्होंने सिक्योरिटी और सेफ्टी नॉर्म्स से कम्प्रोमाइज भी किया है। उसे एश्योर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दूं कि सरकार स्वयं ए.ए.आई. के माध्यम से न केवल विमानपत्तनों का संचालन कर रही है बल्कि जैसाकि आपने सही कहा है कि विमानपत्तनों का संचालन निजी क्षेत्र या संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भी किया जाता है। भविष्य में नए विमानपत्तन बनेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि यह नीति का ही एक भाग है कि देश के प्रत्येक विमानपत्तन का विमान यातायात प्रबंधन सरकार द्वारा ए.ए.आई. और विमानपत्तन प्राधिकरण के ए.टी.सी. स्कंध द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विमानपत्तन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी या तो राज्य सरकार की है या केन्द्र सरकार की। अतः हवा में या जमीन पर सुरक्षा या संरक्षा से समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक अन्य प्रश्न पूछ रहा हूं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। आपको इसे उपयुक्त तरीके से बनाना होगा।

श्रीमती के. रानी: अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद। देश में विमान सम्पर्क में सुधार की यह नीति एक अच्छी नीति है। सलेम मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है। सलेम विमानपत्तन में एक बहुत अच्छा विमानन क्षेत्र है बहुत अच्छी रनवे है और सबसे बड़ी बात यहां अत्याधुनिक अवसंरचना है, जिससे कि विमान उतारने और उसके उड़ान भरने का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। इसे सभी आवश्यक स्वीकृतियां भी प्राप्त हैं। वहां कर्मचारी भी हैं। लेकिन अभी तक यहां से किसी भी विमान को उड़ान भरने या उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि वे इस रुकावट को दूर करें, जिससे कि कम से कम घरेलू उड़ानें, इंडियन या निजी विमान कंपनियों के छोटे विमान तो यहां से उड़ान भर सकें और उतर सकें। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकती हूं कि इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर देंगे और सलेम विमानपत्तन में विमान कब तक उड़ान भरने और उतरने लगेंगे?

अध्यक्ष महोदय: नागर विमानन से संबंधित किसी भी प्रश्न का यह आशय है कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछेगा। यहां कोई प्रश्न पूछने का प्रयोजन नहीं

है। लेकिन चूंकि वे प्रश्न पूछ चुकी हैं तो इसका उत्तर दिया जा सकता है, मैंने इस पर चर्चा की अनुमति दी थी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को एक और चर्चा में भाग लेकर प्रसन्नता होगी।

श्री प्रफुल पटेल: हम पहले ही दो बड़ी चर्चाएं कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्योंकि आप एक बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं, अतः सभी आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, इस प्रशंसा के लिए मैं आपका धन्यवादी दूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस अर्थ में लोकप्रिय हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपको चाहता है...

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: प्लैन्स अक्सर लेट हो जाते हैं जिससे सभी को परेशानी होती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे अभी तक इतने लोकप्रिय नहीं हुए हैं जितने कि श्री शाहनवाज हुसैन हैं।

श्री प्रफुल पटेल: आप उनके पूर्व के कार्यों के लिए उनकी भी प्रशंसा करें।

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि वे दुष्कार्य नहीं होंगे।

श्री प्रफुल पटेल: हमेशा कूटनीतिज्ञ रहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और फिर हम अगले प्रश्न को लेंगे।

श्री प्रफुल पटेल: मेरे विचार से आपने ठीक ही इंगित किया है कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में विमान सेवाओं में वृद्धि होते देखना चाहता है। और यह ठीक भी है क्योंकि यह आज की आवश्यकता है। नागर विमानन की भूमिका अब पूर्व की अपेक्षा बहुत व्यापक हो चुकी है।

सलेम विमानपत्तन प्राधिकरण का हवाई अड्डा है। हम माननीय सदस्य औस सलेम विमानपत्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित करूंगा और समझूंगा कि क्या-क्या मुद्दे हैं। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी पूछा है, मैं उन सबका विस्तार से ब्यौरा नहीं दे सकता। हमारे पास देश में लगभग 127 विमानपत्तन हैं। इनमें से 81 विमानपत्तन कार्यशील हैं और हम यह देखना चाहेंगे कि जो विमानपत्तन बंद पड़े हैं या जिनका समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, उनका पुनरुद्धार किया जाए हालांकि इनके संबंध में कुछ शर्तें और अवरोध हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण हुआ है। वहां भूमि उपलब्ध नहीं है। चाहे यह संभव हो या नहीं, परन्तु हमारा यह प्रयास है कि इन विमानपत्तनों को कार्यशील बनाया जाए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: प्रश्न का भाग 'ख' छोटे कस्बों में नए विमानपत्तन बनाने से संबंधित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि छोटे कस्बों के साथ-साथ पर्यटन केन्द्रों को भी विमानपत्तनों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। देश के पर्यटन केन्द्रों को विमान सेवाओं से जोड़ना, पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। देश के बहुत से पर्यटन केन्द्र विमान सेवाओं से नहीं जुड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय: वे यह जानते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: जहां तक केरल का संबंध है। यह देश के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों में से एक है। केरल में इदुक्की एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र है। किसी भी निकटतम विमानपत्तन से इदुक्की पहुंचने में लगभग पांच घंटे लगते हैं।

अध्यक्ष महोदय: उनसे जाकर मिलिए और इसका कोई हल निकालने का प्रयास कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: मैंने केरल के किसी भी ऐसे स्थल का नाम नहीं देखा जहां कोई नया ग्रीनफील्ड विमानपत्तन प्रस्तावित हो। केवल पथानामथिटा जिले में एक विमानपत्तन बनाने का प्रस्ताव है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में विमानपत्तन स्थापित करते समय पर्यटन स्थलों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

श्री प्रफुल पटेल: निश्चित रूप से विमान सेवाएं प्रदान करते समय ऐसे क्षेत्रों को वरीयता दी ही जाएगी, फिर चाहे वे पर्यटन, वाणिज्य अथवा किसी अन्य कारण से ही महत्वपूर्ण क्यों न हों। वस्तुतः इस ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति के अनुसार हम यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि देश भर में बड़े पैमाने पर विमानपत्तन बनाए जाएं। प्रत्येक विमानपत्तन को दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी विमानपत्तन की भांति बहुत बड़ा बनाए जाने की आवश्यकता है। कुछ विमानपत्तन मझौले या छोटे आकार के भी हो सकते हैं। श्रेणी दो और श्रेणी तीन के कस्बों और शहरों को भी इससे जोड़े जाने की आवश्यकता है। जैसाकि आपने सही ही

कहा है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। अतः वास्तव में इसकी आवश्यकता है और इसीलिए हम यह महसूस करते हैं कि पुरानी नीति- जिसके अंतर्गत हम वर्तमान विमानपत्तन के 150 किलोमीटर के दायरे में नए विमानपत्तन की स्थापना की मंजूरी नहीं देते थे- की इस शर्त को कई बार केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से दरकिनार किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ ही हमने एक अधिक व्यापक, पारदर्शी और सरल नीति की संकल्पना तैयार की है, जिसमें निजी क्षेत्र भी सरकार से हटकर विमानपत्तनों की स्थापना करने हेतु आगे आ सकें। इससे भूमि अधिग्रहण की समस्या भी हल हो जाएगी, जो कि कई बार इसके आड़े आ जाती है। अतः एक व्यापक नीतिगत ढांचा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इसीलिए सरकार और अन्तर-मंत्रालयीय चर्चा चल रही है। मैं अभी आपको कोई सुनिश्चित उत्तर या समय-सीमा नहीं बता सकता। तथापि, जैसाकि आप जानते हैं कि केरल में राज्य सरकार ने कन्नूर विमानपत्तन का प्रस्ताव भेजा है और केन्द्र सरकार ने भी उसका सकारात्मक उत्तर दिया है। हम आशा करते हैं कि जब आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, तो हम इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेज देंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 103, संक्षेप में अपनी बात कहना एक अच्छी बात है।

तेल सुरक्षा

***103. डा. आर. सेनथिल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां, देश में तेल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत आधार पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जो निम्नानुसार हैं-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत विभिन्न दौरों के अंतर्गत प्रस्ताव हेतु अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों का निर्धारण।

(2) उत्पादन की शुरुआत कर सकने के लिए खोजे गए भंडारों का तीव्रतर विकास।

(3) वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन की वृद्धि करने के लिए उद्दीपन तकनीकों का उपयोग।

(4) वर्तमान क्षेत्रों से निकासी घटक में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(5) पुराने क्षेत्रों से ह्रास को नियंत्रित करना।

(6) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।

(7) जैव डीजल, एथेनाल आदि जैसे ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों के उपयोग के जरिए तेल का प्रतिस्थापन।

(8) क्रूड के प्रापण हेतु स्रोतों का विविधीकरण। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) लगभग 25 देशों से सावधि संविदा के आधार पर अथवा तत्स्थान खरीद के माध्यम से अब कच्चे तेल का आयात कर रही हैं।

(9) सरकार ने अल्पावधि आपूर्ति व्यवधानों, प्राकृतिक आपदाओं आदि से उत्पन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए विसाखापटनम, मंगलौर और पादुर नामक तीन स्थानों पर 5 एमएमटी क्षमता के कच्चे तेल के कार्यनीति भंडार का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल: धन्यवाद महोदय, देश विकास कर रहा है। भारत तेजी से विकास कर रहा है तथा तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसके कारण ऊर्जा और तेल की मांगों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर संतोषजनक है। परन्तु, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। हमारे देश में तेल की 75 प्रतिशत की आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। आज के समाचार पत्रों में आज के तेल का मूल्य 99 डालर बताया गया है। पिछले दो वर्षों में इसके मूल्यों में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं कि सरकार द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई तथा सरकार द्वारा इसे वहन किया गया है। परन्तु, यह स्पष्ट है कि इसे जारी नहीं रखा जा सकता। माननीय मंत्री, द्वारा इस प्रकार की हानि को रोकने हेतु कौन से ठोस उपाय किये जाने का प्रस्ताव है तथा अंतर्राष्ट्रीय

बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल कंपनियों को कितनी वित्तीय हानि हो रही है?

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

डा. आर. सेनथिलः महोदय, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि हमारे तेल की 75 प्रतिशत आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। अतः सरकार आयात पर निर्भरता कम करने हेतु कौन से ठोस उपाय करेगी तथा सरकार द्वारा विदेशों में तेल क्षेत्रों की अधिप्राप्ति हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सही कहा है कि तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष इसका मूल्य लगभग 40-45 डालर था और आज यह 99 डालर है। इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि के बावजूद सरकार ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और मिट्टी के तेल जैसे तेल उत्पादों जिनका उपयोग आम आदमी द्वारा किया जाता है के मूल्यों में एक रुपये की भी वृद्धि नहीं की है। इनके मूल्यों को यथावत रखा गया है।

श्री कीरेन रिजीजू: माननीय अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया गया है इसके बावजूद मंशा स्पष्ट कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा है और इसलिए वे बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं।

महोदय, मूल्यों को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं, पहला, विदेश में तेल क्षेत्रों की अधिप्राप्ति तथा दूसरा, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना। मैं घरेलू उत्पादन की बात करूंगा, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति-4 के तहत अनेक तेल ब्लॉक्स प्राप्त किए गए हैं। सरकार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है जिन्होंने भारी संख्या में तेल ब्लॉक्स प्राप्त किए हैं परन्तु उत्पादन आरंभ नहीं किया है जिसके कारण हमारी तेल सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है?

श्री मुरली देवराः एन.ई.एल.पी. के दौरान उन कंपनियों को जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली में तेल ब्लाक्स प्राप्त किए थे, कार्य प्रारंभ करने के लिए समय निर्धारित किया गया था निर्धारित समय पूरा हो जाने के पश्चात उन्हें शास्ति का भुगतान करना होगा तथा ब्लाक्स का आवंटन रद्द किया जा सकता है। परन्तु हमारा प्रयास है कि वे या तो अपना कार्य समय से पूरा करें या आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमें सत्तर परसैन्ट पेट्रोलियम उत्पाद इम्पोर्ट करना पड़ता है और मुश्किल से 25 या 30 परसैन्ट हम अपने घरेलू उत्पाद से पूरा करते हैं। दो साल हुये ईरान से गैस पाइप लाइन के बारे में हमारी बात चल रही है। इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार है और ईरान भी तैयार है। लेकिन भारत की तरफ से उसे अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भारत कब अपनी क्लियरेंस देगा और कब से यह काम प्रारंभ होगा।

श्री मुरली देवराः महोदय, हमारी कैबिनेट ने यह इश्यू क्लियर किया है।

[अनुवाद]

हम ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में सहभागी बनने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। कुछ छोटे मुद्दों को अभी हल किया जाना है जैसे कि परिवहन कर जो हमें पाकिस्तान सरकार को देना होगा क्योंकि पाइपलाइन पाकिस्तान के रास्ते भारत आएगी। परन्तु, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि पाइपलाइन कार्य शीघ्र आरंभ करने हेतु हम भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी.सी. थामसः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को पेट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि न करने हेतु बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय कीमतों में वृद्धि के किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

अध्यक्ष महोदयः यदि आपको वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप समस्या को समझेंगे।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, हम सब को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक तेजी आई है। इसके बावजूद मंत्री महोदय ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। हम चाहेंगे कि वे मूल्यों में वृद्धि के किसी भी प्रकार के दबाव का सामना करने तथा ऐसा ही करते रहें जैसाकि अब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः वे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री हैं।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, मैं यह प्रश्न मात्र एक अच्छे उत्तर के लिए नहीं पूछ रहा हूं।

महोदय, उनके उत्तर के बिन्दु 1 और 2 में उल्लेख है, "अन्वेषण हेतु और अधिक क्षेत्रों को शामिल करना तथा पता लगाए गए भंडारों का शीघ्र विकास"।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोचीन हाई जहां विशाल भंडारों का पता चला है तथा जहां काफी समय से अन्वेषण किया जा रहा है तथा इसके संबंध में संसद में बताया गया है कि 2008 के आरंभ में तेल के पहले कुएं से तेल निकाला जाने लगेगा। कोचीन हाई में कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे अपना वायदा पूरा करने तथा 2008 में ही कोचीन हाई से तेल के शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में मैं लम्बे अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा। अनुपूरक प्रश्न के द्वारा वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है।

श्री मुरली देवरा: माननीय सदस्य ने मूल्य वृद्धि न किए जाने की बात कही है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा भी यही प्रयास है, परन्तु संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा यह निर्देश दिया गया है—यह कोई छुपी हुई बात नहीं है—कि इसमें कोई वृद्धि न की जाए और हमें आशा है कि हम इस पर कायम रहेंगे।

जहां तक कोचीन के बारे में दिए गए सुझाव का संबंध है हम इसे करने के बाद इस पर विचार करेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, सरकार पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि न करने का श्रेय ले रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि न करने के लिए कितने मूल्य के तेल बांड जारी किए हैं? क्या ऐसा करने से भविष्य में राजकोष पर भार नहीं पड़ेगा तथा वित्तीय घाटा नहीं बढ़ेगा?

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 104

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: यह बहुत विचित्र बात है *...(व्यवधान)* मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे अपना प्रश्न पूछने को कहा है। मैंने आपको प्रश्न पूछने का एक अवसर दिया है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने एक प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: परंतु प्रश्न नहीं उठता है। यह मेरा निर्णय है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, जब यह माननीय मंत्री के लिए असुविधाजनक है *...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह अध्यक्ष पीठ का घोर अपमान है आपको एक दिन इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। श्री स्वाईं यदि इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाता है तो इससे आपको परेशानी हो सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या यह कोई तरीका है?

*...(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, इन्हें अध्यक्ष पीठ को इस प्रकार से सम्बोधित नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बताइये कि कौन यह तय करेगा। यह मेरे द्वारा तय किया जाएगा। मैंने डा. सेनथिल द्वारा पूछे गये प्रश्न को अस्वीकृत कर दिया।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं निर्णय लेता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि इस प्रकार चलता रहा तो मुझे खेद है मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको एक अवसर दिया। आपने प्रश्न पूछा जिसका मेरे अनुसार कोई औचित्य नहीं है। मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर प्रश्न करने की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ माननीय सदस्यों की यह आदत बन गयी है।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः जी हां, मुझे इसकी जानकारी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं इसका निर्णय माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं यदि आप चाहते हैं तो मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, मैं माननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे अध्यक्षपीठ को इस प्रकार से सम्बोधित न करें। ...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः यदि सभी नेता सहमत हों तो मैं यहां से चला जाता हूं। परन्तु मेरे निर्णय को चुनौती देने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैंने इसकी अनुमति इसलिए नहीं दी क्योंकि इसका प्रश्न नहीं उठता। आपका अनुपूरक प्रश्न असंगत है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या निर्णय है।

...*(व्यवधान)**

बायो-गैस और बायो-डीजल ऊर्जा अनुसंधान संस्थान

+
***104. श्री राम कृपाल यादवः**
श्री आलोक कुमार मेहताः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार की बायो गैस और बायो डीजल ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा देश की विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के जरिए बायो-डीजल और बायो गैस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, विकास और अन्य संबंधित कार्यकलाप किए जा रहे हैं।

श्री दिनशा पटेलः अध्यक्ष महोदय, प्र.सं. 104 का उत्तर मैंने सभा पटल पर रख दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न ग्रामीण मंत्रालय का है और उसी मंत्रालय से यह प्रश्न संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री राम कृपाल यादव जी, अनुपूरक प्रश्न पूछिए। मुझे खेद है कि मैं व्यवधान के कारण आपकी बात नहीं सुन सका।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह प्रश्न उनके विभाग से संबंधित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना प्रश्न पुनः दोहराइये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों ने यह एहसास किया है, पूरा देश एहसास कर रहा है और सदन एहसास कर रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उनका कहना है कि अनुसंधान के विषय दूसरे मंत्रालयों से संबंधित हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष जी, कृपया करके आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप अपना अवसर गंवा रहे हैं।

कृपया बोलिये। मैं देखता हूं सभा में कुछ भी कहा जा सकता है। कोई भी सदस्य सभा में पूरी तैयारी के साथ नहीं आता। अनुपूरक प्रश्नों के नाम पर बड़े तथा अनावश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि अध्यक्ष-पीठ इस पर टीका-टिप्पणी करती है तो सभी प्रकार के आक्षेप तथा आरोप लगाए जाते हैं। यह सभा की परम्परा बन गई है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः सर, आप उनका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्योंकि आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा आपकी बात सुनता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अच्छा ठीक है, बोलिए।

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, आप नाराज मत होइए। मैं पूछ रहा था कि पेट्रोलियम पदार्थ की जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था इसी तरह से परेशानियों में रहेगी और चूंकि हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं मगर मुझे बहुत मुश्किल से आत्मनिर्भरता की कुछ किरण दिखी है। यह बात सही है कि अभी बॉयोडीजल का उत्पादन करने के लिए जटरोपा जैसे प्लांट के माध्यम से हमें बॉयोडीजल के उत्पादन की कुछ आशा जगी है। मगर यह बात सही है कि यह पूरे तौर पर पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन किसी मंत्रालय से तो जुड़ा हुआ है और इस्तेमाल तो अन्ततोगत्वा इन्हीं को करना पड़ता है। चूंकि इसमें जो इंवेस्टमेंट आ रहा है, वह इंन्वेस्टमेंट किसान सहन नहीं कर पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन होगा कि आप किसानों को उत्साहित करने के लिए क्या इनके लिए सपोर्ट प्राइस और बढ़ा सकते हैं या कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था है कि किसान इसे उगाकर आपको सहायता देने का काम कर सकें और देश में पैट्रोलियम पदार्थों की कमी पूरी करने में सहायक भूमिका अदा करने का काम कर सकें?

श्री दिनशा पटेलः अध्यक्ष जी, जटरोपा प्लांट के लिए ये बात कर रहे हैं। जटरोपा प्लांट वेस्टलैंड में उगाया जाता है। वह एग्रीकल्चर विभाग की समस्या है। पैट्रोलियम विभाग से यह प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन जटरोपा प्लांट 1 से 3 साल में 500 ग्राम बीज देता है और 3 से 10 साल में, जब 10 साल का हो जाता है तभी 3 कि.ग्रा. उसमें से बीज मिलता है। जटरोपा प्लांट करीब 40 साल तक चलता है लेकिन वेस्टलैंड में चलता है, एग्रीकल्चर लैंड में यह प्लांट नहीं हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर विभाग यह जटरोपा प्लांट उगाए तो हो सकता है क्योंकि दोनों विभाग इसके लिए सपोर्टिंग हैं मगर आज तक कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए मैंने पहले से ही बोल दिया कि यह जटरोपा प्लांट यदि सक्सैस रहे तो अच्छा है लेकिन यह प्रश्न हमारे विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः क्या आपको कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मैंने सपोर्ट प्राइस बढ़ाकर किसानों को उत्साहित करने के बारे में पूछा था यानी किसानों को उत्साहित करने के लिए क्या पैट्रोलियम विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर कोई योजना बना रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न हो गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह एक असंगत प्रश्न है। इसका प्रश्न नहीं उठता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप अपना प्रश्न दोहरा नहीं सकते।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहताः अध्यक्ष महोदय, बॉयोगैस हो या बायोडीजल। दोनों में से कोई भी देश में हो रही ऊर्जा की कमी

को पूरा करने में इंस्टीट्यूशनेलाइज्ड रिसोर्स ऑफ एनर्जी की तरह कभी काम नहीं आ सका। और इसके रिसर्च और डैवलपमेंट का कार्य मंथर गति से चल रहा है। जिस तेजी से कनवेंशनल एनर्जी का रिसर्च चलता है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, सरकार उस पर ध्यान देती है। उसी तरह बॉयो गैस और बॉयो डीजल के प्रति कार्य, मैं समझता हूं कि प्रगति का कार्य लम्बे समय से मंथर गति से चलता रहा है और उपलब्ध स्रोतों का मात्र एक प्रतिशत उपयोग अभी तक नहीं हो सका है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल मिशन ऑफ बॉयो डीजल की तरह नेशनल मिशन ऑफ बॉयो गैस की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है और क्या इसके रिसर्च एंड डैवलपमेंट को त्वरित करने की कोई योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी का कहना है कि इसका मंत्रालय से कोई सरोकार नहीं है। वही प्रश्न बार-बार दोहराया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय हमारा सवाल गल्ती से ऐसी मिनिस्ट्री के पास चला गया है तो कनसर्ड मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अच्छा सुझाव है।

[अनुवाद]

अगली बार आप दूसरा प्रश्न पूछें। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह संबंधित मंत्रालय से पूछा जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: लेकिन यह बिल्कुल सामान्य प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप अपना उत्तर दोहरा दीजिए। "यह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है"।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने मिनिस्टर से जवाब देने के लिये कहा है, आप सुनिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: मेरा सवाल नेशनल मिशन ऑफ बॉयो गैस के बारे में है।

श्री दिनशा पटेल: अध्यक्ष जी, अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय इस संबंध में कुछ करेगा तो पैट्रोलियम मंत्रालय उसे सपोर्ट करेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही परेशानी है। हर सदस्य टिप्पणी करता है।

अब हम अगला प्रश्न-संख्या 105 लेंगे। श्री एन.एन. कृष्णदास।

रसोई गैस की कमी

***105. श्री [+] एन.एन. कृष्णदास:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सहित देश के कतिपय भागों में रसोई गैस की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ रसोई गैस एजेंसियां नए गैस कनेक्शनों के लिए आवेदनों का पंजीकरण नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केरल राज्य सहित देश में एलपीजी की कुल मिला कर कोई कमी नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल

कंपनियां (ओएमसीज) घरेलू उत्पादन और आयातों के जरिए, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति कर रही है। तथापि, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी थी कि बाढ़ आने, सड़क टूटने, पुल ढहने, कर्मचारियों द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यकलापों/हड़तालों, वाहकों और ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल आदि के कारण केरल राज्य सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कभी-कभी पिछले आर्डरों का ढेर लग गया था। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछले बकाया को निपटाने के लिए छुट्टियों में और काम के घंटे बढ़ा कर भराई संयंत्रों को प्रचालित करें।

(ग) और (घ) नए एलपीजी ग्राहकों का नामांकन करना और नए एलपीजी कनैक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। दिनांक 1.11.2007 की स्थिति के अनुसार, एलपीजी वितरकों के पास नए घरेलू एलपीजी कनैक्शन जारी करने के लिए केरल राज्य में 10861 सहित, देश में मात्र 68813 की प्रतीक्षा सूची थी। आपूर्तियों में पिछले बकाया का ढेर, सड़क टूटने, बाढ़ आने, प्राकृतिक आपदाएं और हड़तालों के कारण लगा है जो ओएमसीज के नियंत्रण से बाहर है। आशा है कि इस प्रतीक्षा सूची का 15 दिसंबर 2007 तक निपटान कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदासः महोदय, केरल के ग्राहक रसोई गैस व सिलेंडर की अत्यधिक कमी के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। कल, केरल से सभी सदस्यों ने माननीय मंत्री के साथ चर्चा की तथा उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस समस्या का जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा। केरल के ग्राहकों की समस्या के प्रति गहरी संवेदना दर्शाने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हुए मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या कम से कम मेट्रो शहरों, केरल में रसोई गैस के वितरण के लिए मंत्रालय द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है ताकि केरल में रसोई गैस की कमी को दूर किया जा सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): महोदय, गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति में अत्यधिक सुधार हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जल्द ही केरल के लोगों की समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। कल, उन्होंने मुझसे तथा इस विषय से संबद्ध अन्य लोगों के साथ बैठक की थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सब जगह है पूरे देश में शार्टेज है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह, आप भली-भांति जानते हैं कि यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो यह किस तरह की जाए।

अब, आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदासः महोदय, कल हमारी चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस समस्या का जल्द ही निवारण कर लिया जाएगा। हम एक महत्वपूर्ण मामला उनके ध्यान में लाना चाहते हैं कि आज भी कुछ गैस एजेंसियां केरल में नए रसोई गैस कनेक्शन के लिए नए आवेदन का पंजीकरण नहीं कर रही हैं ...*(व्यवधान)*

उनकी व्यावहारिक समस्या क्या है? जब हमने गैस एजेंसियों के साथ बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कम्पनियां, तेल विपणन कम्पनियों ने उन्हें किसी भी नए आवेदन को स्वीकार न करने का परामर्श दिया है। हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या यह सत्य है। यदि कुछ गैस एजेंसियां नए कनेक्शन के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं कर रही हैं तो क्या मंत्रालय ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? इस प्रकार के मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? वे यहां तक कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया इसे न दोहराएं। आप एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं। यह एक आदत बन चुकी है।

श्री मुरली देवराः महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझे शिकायत का विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। परन्तु मैं यहां अपने मित्रों को विशिष्ट रूप से सूचित करना चाहता हूं कि भारत में 1 अप्रैल, 2005 को स्थितिनुसार एल.पी.जी. ग्राहकों की संख्या 842 लाख से बढ़कर 1 अप्रैल, 2007 को 886 लाख हो गई है। यह संख्या बढ़कर 977 लाख हो सकती है।

[हिन्दी]

करीब करीब दस लाख लोगों को हम सर्व कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, अभी दीवाली और ईद के समय हार्डली एक भी जगह से कंप्लेन्ट नहीं आई। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः सारे देश में एल.पी.जी. की कमी है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवराः आप कंप्लेन्ट दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

अब, श्री एस. अजय कुमार

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्षमा कीजिए। केवल श्री एस. अजय कुमार जी के प्रश्न को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह जी, कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मल्होत्रा जी, आप जानते हैं,

[अनुवाद]

आप भली भांति जानते हैं कि यदि कोई मंत्री संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तो आपके पास उससे उत्तर पाने के तरीके भी हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है। उत्तर प्राप्त करने के अनेक रास्ते खुले हैं, परन्तु आप उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, श्री एस. अजय कुमार जी के अनुपूरक प्रश्न के अलावा किसी भी सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदासः महोदय, मुझे मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री कृष्णदास जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री कृष्णदास जी, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मुझे नियम बताइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह मेरे लिए असहनीय है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः मुझे खेद है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः केवल श्री एस. अजय कुमार जी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस. अजय कुमारः महोदय, इस मामले पर तुरंत कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है चूंकि एक वर्ष से भी अधिक समय से कुडुबश्री इकाई के हजारों ग्राहकों ने एलपीजी कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इसलिए, मैं सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आग्रह करूंगा।

श्री मुरली देवराः महोदय, यह माननीय सदस्य का सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदयः हम पांच प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरेः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राम नाइक जी के समय में गैस कनैक्शन की सारी वेटिंग लिस्ट पूरी हुई थी। मंत्री जी भी महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में बहुत एक्यूट शॉर्टेज कुकिंग गैस की हो रही है। पूरे देश में कमी है लेकिन मैं विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में पूछूंगा। 68,813 में से महाराष्ट्र की कितनी वेटिंग लिस्ट है? पहले एम.पी. को जो कोटा मिलता था, वह आप कब तक चालू करने वाले हैं? जो भी हमारे पास आता है, वह कहता है कि एजेंसी एनरोलमैंट नहीं करती है, एजेन्सी गैस नहीं देती है। पहले तो एम.पी. कोटे से हम लोग दे देते थे लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आप फिर से कोटा सिस्टम चालू करेंगे तो उससे और भी राहत लोगों को मिल सकती है। महाराष्ट्र में कितनी वेटिंग लिस्ट है, वह मुझे बताइए।

श्री मुरली देवराः हर स्टेट की फिगर्स मेरे पास नहीं हैं। महाराष्ट्र का बैकलाग कितना है, वह मैं आपको लिखकर भेज दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरेः एम.पी. का जो कोटा होता है, वह चालू करेंगे क्या? ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवराः इसके बारे में आपने जो सुझाव दिया है, हम उसको देखेंगे। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, इसे कार्यान्वित करने से पूर्व आपको अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, जबकि मंत्री महोदय ने स्थिति में सुधार हेतु कदम उठाए हैं परन्तु समस्या यह है कि वहां खामियों के मामले हैं। इसलि, इस पर विचार करते हुए तथा इसका हल खोजने के लिए क्या मंत्री महोदय केरल का दौरा करने तथा संबंधित सरकार तथा हम सबके साथ बैठक करने पर सहमत होंगे और इस सत्र के बाद समस्या को सुलझाएंगे?

श्री मुरली देवरा: केरल में दौरे के बारे में, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम वापिस आयेंगे तथा इस मुद्दे को सुलझाएंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर त्वरित कार्गो क्लियरेंस

***106. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर कार्गो की आवाजाही में अधिक विलंब और इसके परिणामस्वरूप आयातकों और निर्यातकों के सम्मुख आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विमानपत्तनों पर त्वरित कार्गो क्लियरेंस के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सामान्यतया हवाईअड्डों पर कार्गो की आवाजाही में कोई विलंब नहीं होता है। तथापि यह अनुभव किया गया है कि कभी-कभी आयातकों द्वारा निर्धारित समय के अंदर अपने सामान को क्लियर न करवा पाने के कारण देरियां हो जाती हैं।

(ग) हवाई अड्डों पर निर्यात और आयात कार्गो दोनों के विलंब समय को कम करने की दृष्टि से उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, वेब आधारित क्लियरेंस प्रणाली (ई ट्रेड) आरंभ करना, प्रेषणों की बारकोडिंग, उत्थापक परिवहन वाहनों की स्थापना और निर्यात कार्गो में वाहकपट्टियों की स्थापना, आयात कार्गो के लिए स्वचालित भंडारण और पुनः प्राप्ति आरंभ करना, आयात और निर्या कार्गो दोनों के लिए निःशुल्क अवधि को कम करना जिसे पांच कार्यशील दिनों से घटाकर 3 कार्यशील दिन कर दिया गया है।

पक्षियों के टकराने की घटनाएं

***107. श्री निखिल कुमार:**
श्री राकेश सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान देश में विमानों से पक्षियों के टकराने की हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानों से पक्षियों के टकराने की बढ़ती हुई घटनाओं के जिम्मेदार कारकों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विमानों से पक्षियों के टकराने की बढ़ती हुई घटनाओं के जिम्मेदार कारकों की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2005 के दौरान 189 पक्षी टक्कर का मामले की तुलना में वर्ष 2006 में पक्षी टक्कर के केवल 167 मामले रिपोर्ट किए गए हैं।

(ग) से (ङ) यद्यपि पक्षी टक्कर के मामलों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, फिर भी हवाई अड्डों पर पक्षियों की गतिविधियों को कम करने/समाप्त करने के लिए सरकार ने अनेक निवारक कदम उठाए हैं। ऐसे हवाई अड्डों, जहां अनुसूचित एयरलाइनें प्रचालित होती हैं, पर पक्षी आकर्षण के स्रोतों का पता लगाने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक कदम उठाने के लिए एयरफील्ड पर्यावरण प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। पक्षी टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न विशिष्ट

कदम भी उठाए गए हैं जैसे कचरे का उचित निपटान, जल भराव से बचाव, कूड़े-दानों को ढकना, आधुनिक कसाईघरों की स्थापना तथा पक्षियों को डराना व भगाना आदि।

[हिन्दी]

रेल टूरिस्ट एजेन्ट्स द्वारा रूल्स का उल्लंघन

***108. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ट्रेवलर्स सर्विस एजेन्ट्स (आर.टी.एस.ए.) रूल्स, 1985 और रेल टूरिस्ट एजेन्ट्स (आर.टी.ए.) रूल्स, 1980 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन नियमों के उल्लंघन के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) रेल यात्री सेवा अभिकर्ता नियम 1985 और रेल पर्यटक अभिकर्ता (आरटीए) नियम 1980 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (आर टी एस ए) नियम 1985

(1) आरक्षित टिकट खरीदने के लिए यात्रियों की सुविधा हेतु आर टी एस ए की नियुक्ति की जाती है। ये अभिकर्ता आरक्षण खिड़कियों पर कतार में खड़े होकर टिकट खरीदने के लिए अधिकृत हैं।

(2) आर टी एस ए यह सेवा निर्धारित सेवा शुल्क पर उपलब्ध कराते हैं जो इस समय नीचे लिखे अनुसार है:

द्वितीय श्रेणी बैठने का स्थान और स्लीपर श्रेणी	- 15 रुपए प्रति यात्री
उच्च श्रेणी	- 26 रुपये प्रति यात्री

(3) आर टी एस ए को क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवेदन आमंत्रित करके नियुक्त किया जाता है।

(4) आर टी एस ए की नियुक्ति हेतु शर्तें हैं कि:-

क. आवेदनकर्ता के पास अद्यतन आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र मौजूद होना चाहिए।

ख. आवेदनकर्ता के पास शहर में उपयुक्त सुविधाओं एवं सहूलियतों से युक्त कार्यालय और परिसर मौजूद होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहकों के आगमन को संभाला जा सके।

ग. उसे नैतिक चरित्रहीनता की संलिप्तता वाले किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए।

घ. शुल्क जिसके भुगतान पर लाइसेंस जारी या नवीनीकृत किया जाता है, 3000 रुपये है और उसी स्टेशन के लिए किसी अतिरिक्त लाइसेंस के लिये 1500 रुपये है।

ङ. प्रतिभूति निक्षेप जिसे जमा करवाए जाने पर लाइसेंस जारी या नवीनीकृत किया जाता है, 15000 रुपये नकद है और उसके अलावा 40000 रुपये की बैंक गारंटी अपेक्षित है।

च. प्रत्येक स्टेशन और रेलवे के लिए अभिकर्ताओं की संख्या का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

छ. लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है जिसका संतोषजनक निष्पादन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

ज. लाइसेंसधारी की मृत्यु को छोड़कर लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है।

(5) सक्षम प्राधिकारी के पास एक कारण बताओ नोटिस जारी करके किसी भी समय पर उल्लंघन के लिए या इन नियमों के अंतर्गत किसी शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का अधिकार है।

2. रेल पर्यटक अभिकर्ता (आर टी ए) नियम 1980 की प्रमुख विशेषताएं

आरक्षण करवाने में सहायता करने के लिए कतिपय व्यक्तियों/एजेंसियों को नियुक्त करने का पहला प्रयास आर टी ए नियम, 1980 के तहत रेल पर्यटक अभिकर्ता (आरटीए) नियुक्त करके किया गया था। इस प्रकार नियुक्त किए गए आर टी ए मुख्यत: भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को संभालते थे। ये विदेशी

पर्यटकों/अप्रवासी भारतीयों और भारत के निवासियों को इंडरैल पास, विशेष टिकट जारी करते थे। आर टी ए की नियुक्ति हेतु शर्तें नीचे लिखे अनुसार हैं:-

(1) उसके पास भारत पर्यटक अभिकर्ता का व्यवसाय करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से एक व्यापार लाइसेंस मौजूद होना चाहिए।

(2) वह वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ होना चाहिए और उसके पास भारत के आयकर प्राधिकरण से अद्यतन आयकर क्लीयरेंस प्रमाणपत्र (आई टी सी सी) मौजूद होना चाहिए।

(3) उसे सरकार से यात्रा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्राप्त की हुई होनी चाहिए।

(4) वह एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए एक यात्रा अभिकर्ता के रूप में व्यवसाय कर चुका हो।

(5) उसे भारत में विदेशी मुद्रा को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।

(6) उसके पास शहर के केन्द्रीय स्थान पर पर्याप्त सुविधाओं से युक्त उपयुक्त रखरखाव वाला एक कार्यालय और परिसर होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में ग्राहकों को संभाला जा सके और उन्हें युक्तिसंगत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए अधिकृत आर टी एस ए और आर टी ए की संख्या का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

अभिकर्ता का प्रकार	टिकटों की बिक्री में अनियमितताओं में संलिप्त पाए अधिकृत एजेंटों की संख्या		
	2005-06	2006-07	2007-08 (जुलाई, 07 तक)
आर टी एस ए	18	27	03
आर टी ए	0	0	01

(ग) 48 आर टी एस ए/आर टी ए के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की गई है जैसे जुर्माना लगाना/चेतावनी जारी करना, लाइसेंस रद्द/समाप्त करना/नवीनीकरण नहीं करना। एक आर टी एस ए को जांच के बाद निर्दोष करार दिया गया है।

[अनुवाद]

निजी कंपनियों द्वारा लग्जरी टूरिस्ट रेलगाड़ियां चलाना

***109. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में लग्जरी टूरिस्ट रेलगाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में ऐसी रेलगाड़ियां चलाने के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(घ) भारतीय रेल द्वारा ऐसी लग्जरी टूरिस्ट रेलगाड़ियां न चलाए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) जी नहीं। इस समय रेलवे की नीति सिर्फ राज्य पर्यटन विकास निगमों और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. (आई आर सी टी सी) के सहयोग के साथ लग्जरी पर्यटन गाड़ियां चलाने की है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा गैस भंडारों का पता लगाना

***110. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कितने तेल भंडारों का पता लगाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा कितने तेल भंडारों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की कीमत पर निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए गैस भंडारों का पता लगाने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ङ) गत तीन वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा प्रमाणित स्थानिक हाइड्रोकार्बन भंडार लगभग 443.88 मिलियन मीट्रीक टन आयल इक्विविलेन्ट (एमएमटीओई) था जो निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए 438.66 एमएमटीओई के भंडार प्रमाणन से मामूली अधिक है। दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार, ओएनजीसी तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेष प्राप्तियोग्य गैस भंडारों की स्थिति क्रमशः 540.44 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) और 459.39 बीसीएम है। ओएनजीसी और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्थानिक तेल तथा गैस भंडार प्रमाणन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(आंकड़े एमएमटीओई में)

	2004-05	2005-06	2006-07	योग
ओएनजीसी	137.34	137.02	169.52	443.88
निजी/संयुक्त उद्यम	178.74	66.04	193.88	438.66

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के लागू होने से अन्वेषण ब्लाकों का अवार्ड पारदर्शी पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों तथा निजी और विदेशी कंपनियों को किसी कंपनी के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह के किया जाता है। राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एनओसीज) तथा निजी क्षेत्र की भारतीय तथा विदेशी कंपनियां अन्वेषण रकबे प्राप्त करने के लिए समान आधार पर प्रतियोगिता करती हैं। इन ब्लाकों का आबंटन मोटे तौर पर अन्वेषण ब्लाकों में किए जाने वाले अन्वेषण कार्यक्रम और साथ ही बोलीदाताओं द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए वित्तीय पैकेज के आधार पर किया जाता है। अन्वेषण ब्लाकों को लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली पर आधारित पारदर्शी अवार्ड प्रणाली को देखते हुए इस मामले में जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

***111. श्री रनेन बर्मनः**
श्री सुब्रत बोसः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं का अनुमानित आवश्यकता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत की गई;

(ग) गत तीन वर्षों और इस वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने हेतु आवंटित धनराशि/अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लंबित योजनाओं अथवा क्रियान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बंद की गई इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) विजन 2015 दस्तावेज के अनुसार, देश में समग्र रूप से प्रसंस्कृत खाद्यों का अनुमानित बाजार जो कि वर्ष 2003-04 में 4,60,000 रु. था, वर्ष 2005 तक बढ़कर 13,50,000 करोड़ रु. का हो जाएगा। बागवानी उपज के उत्पादन में वर्ष 2004-05 के दौरान 9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं संबंधी अपेक्षाओं को उत्पादन/बाजार आकार में हुई उपर्युक्त वृद्धि को पूरा करना होगा।

(ख) विगत तीन वर्षों यानी 2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुदान प्रदान करने के लिए अनुमोदित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य/संघ शासित प्रदेशवार संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05 से 2007-08 (16.11.2007 तक) के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के तहत जारी अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2004-05	5.14
2005-06	69.81
2006-07	82.19
2007-08 (16.11.2007 तक)	58.88

उपर्युक्त स्कीम के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशवार जारी अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इस मंत्रालय में उपर्युक्त स्कीम के तहत विचार के विभिन्न चरणों में लंबित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवेदनों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं।

(ङ) और (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को बंद हुई यूनिटों संबंधी कोई सूचना नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन और विकास तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी एक योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण I

खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों जिन्हें पिछले तीन सालों के दौरान अनुदान अनुमोदित किया गया है, की संख्या के ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
जम्मू-कश्मीर	2	1	5
हिमाचल प्रदेश	3	4	11
पंजाब	21	14	21
उत्तराखंड	2	5	15
हरियाणा	7	3	16
दिल्ली	1	2	2
राजस्थान	3	10	26
उत्तर प्रदेश	23	21	36
बिहार	1	1	2
नागालैंड	0	1	1
मिजोरम	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	1
मेघालय	1	1	2
असम	8	4	12
प. बंगाल	13	9	22
झारखंड	2	3	1
उड़ीसा	1	4	3
छत्तीसगढ़	1	3	6
मध्य प्रदेश	4	10	8
गुजरात	7	10	15
महाराष्ट्र	24	43	83
आंध्र प्रदेश	26	24	41
कर्नाटक	15	13	26
गोवा	1	1	0
तमिलनाडु	11	23	35
पांडिचेरी	1	1	2
केरल	10	11	30
मणिपुर	0	0	4
कुल	188	222	426

विवरण II

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (16.11.07 तक)
1	2	3	4	5
जम्मू-कश्मीर	74.80	63.66	42.55	13.13
हिमाचल प्रदेश	75.51	110.10	180.74	134.32

1	2	3	4	5
पंजाब	488.38	476.62	512.89	253.40
चंडीगढ़	0	0	4.34	0.00
उत्तराखंड	50.38	160.21	313.93	23.93
हरियाणा	216.89	88.80	282.45	132.47
दिल्ली	2.50	36.77	36.59	0.00
राजस्थान	10.83	106.80	471.06	313.33
उत्तर प्रदेश	476.95	649.59	561.86	332.02
बिहार	2.50	24.51	0	7.73
नागालैंड	0	17.35	58.81	0
मणिपुर	0	11.77	68.51	0
मिजोरम	0	10.15	0	0.00
मेघालय	24.79	13.26	21.85	8.19
असम	243.75	71.94	920.49	398.48
पश्चिम बंगाल	190.62	371.33	381.06	347.48
झारखंड	22.82	48.28	25.00	4.34
उड़ीसा	50.00	22.26	25.00	11.25
छत्तीसगढ़	32.61	91.76	91.64	84.31
मध्य प्रदेश	68.30	208.81	149.24	40.17
गुजरात	217.40	282.25	422.63	125.31
महाराष्ट्र	623.02	859.72	1399.64	947.11
आंध्र प्रदेश	734.40	725.22	936.36	503.28
कर्नाटक	358.77	295.58	439.53	143.28
गोवा	25.00	47.58	22.58	0.00
केरल	102.36	327.10	614.24	465.50
तमिलनाडु	318.87	337.24	493.62	560.65
पांडिचेरी	24.54	7.17	16.30	31.30
कुल	4435.99	5465.83	8492.91	4880.98

विवरण III

विचार के लिए विभिन्न चरणों में लंबित प्रस्तावों को दर्शाने वाला राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07
1	2
जम्मू-कश्मीर	5
हिमाचल प्रदेश	6
पंजाब	8
उत्तराखंड	10
हरियाणा	7
दिल्ली	1
राजस्थान	26
उत्तर प्रदेश	18
बिहार	3
नागालैंड	17
मणिपुर	2
मिजोरम	1
मेघालय	0
असम	5
पश्चिम बंगाल	9
झारखंड	0
उड़ीसा	2
छत्तीसगढ़	4
मध्य प्रदेश	10
गुजरात	19
महाराष्ट्र	35
आंध्र प्रदेश	21
कर्नाटक	4
गोवा	0
केरल	13
तमिलनाडु	13
पांडिचेरी	0
अरुणाचल प्रदेश	4
सिक्किम	1
दमण और दीव	1
कुल	245

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

*112. **श्री रामदास आठवले:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान देश में राज्यवार प्रत्येक प्रमुख इकाई में उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इन इकाइयों से उर्वरकों के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को कोई नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान मुख्य उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) अप्रैल-सितम्बर के दौरान इन इकाइयों के माध्यम से यूरिया और डीएपी के राज्यवार आबंटन से संबंधित ब्यौरे क्रमशः विवरण संलग्न 4 और 5 में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार देश में यूरिया, डीएपी और एमओपी के संचलन और उपलब्धता की निगरानी करती है। राज्य स्तर पर इन उर्वरकों की कोई कमी नहीं हुई है। .

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान राज्यवार और इकाईवार यूरिया का वास्तविक उत्पादन

('000 मी. टन)

राज्यों/इकाइयों का नाम	उत्पादन अप्रैल-सितम्बर
1	2
आंध्र प्रदेश	
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल)-काकीनाडा-1	347.0
नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल)-काकीनाडा-2	292.5
राज्य योग	639.5
कर्नाटक	
मैंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ)-मैंगलौर	175.1
राज्य योग	175.1
तमिलनाडु	
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)-चेन्नै	174.6
साउथरन पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि. (स्पिक)-तुतीकोरिन	0.0
राज्य योग	174.6
गोवा	
जुआरी इंडस्ट्रीज लि. (जेडओईएल) गोवा	208.5
राज्य योग	208.5
मध्य प्रदेश	
नेशनल फर्टिलाजिर्स लि. (एनएफएल)-विजयपुर	448.9
नेशनल फर्टिलाजिर्स लि. (एनएफएल)-विजयपुर विस्तार	380.1
राज्य योग	829.0
महाराष्ट्र	
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ)-ट्राम्बे-5	0.0
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ)-थाल	865.4
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ)-योग	865.4
राज्य योग	865.4
गुजरात	
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाजिर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)- कलोल	270.3
कृषक भारती कॉओपरेटिव (कृभको)-हजीरा	826.1
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स काओपरेटिव लि. (जीएसएफसी)-वदोदरा	97.0
गुजरात नरमादा वैला स्टेट फर्टिलाइजर्स काओपरेटिव लि. (जीएसएफसी)-भड़ूच	332.7
राज्य योग	1526.1
राजस्थान	
श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एसएफसी)-कोटा	196.5
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एसएफसीएल)-गडेपान-1	509.1
चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल)-गडेपान-2	503.3
राज्य योग	1208.9
असम	
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाजिर्स (बीवीएफसीएल)-नामरूप-2	33.0
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाजिर्स (बीवीएफसीएल)-नामरूप-3	124.3
राज्य योग	157.3
हरियाणा	
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)-पानीपत	245.5
राज्य योग	245.5

1	2
पंजाब	
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)-नांगल-1	259.2
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल)-भटिंडा	275.0
राज्य योग	534.2
उत्तर प्रदेश	
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)-फूलपुर	321.6
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)-फलपुर विस्तार	449.5
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)-आंवला	425.5
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)-आंवला विस्तार	456.8
इंडो गल्फ फर्टिलाइजरर्स लि. (आईजीएफएल)-जगदीशपुर	335.7
टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल)-बबराला	500.4
कृभको श्याम लि. (केएसएफएल)-शाहजहांपुर	451.7
राज्य योग	2941.2
कुल योग	9505.3

विवरण II

अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान डीएपी का राज्यवार और इकाईवार वास्तविक उत्पादन

('000 मी. टन)

राज्य/इकाइयों के नाम	उत्पादन कुल अप्रैल-सितम्बर
1	2
आंध्र प्रदेश	
जीएफसीएल-काकीनाडा	337.7
राज्य कुल	337.7
कर्नाटक	
एमसीएफ-मंगलौर	105.9
राज्य कुल	105.9
तमिलनाडु	
स्पिक-तुतीकोरिन	33.7
राज्य कुल	33.7
गोवा	
जेडआईएल: गोवा	119.6
राज्य कुल	119.6
गुजरात	
इफको-कांडला	222.8
जीएसएफसी-वदोदरा	0.0
जीएसएफसी-सिक्का-1	384.5
जीएसएफसी-सिक्का-2	0.0
जीएसएफसी-सिक्का 1 और 2	384.5
हिन्दु इंड लि. दाहेज	52.1
राज्य कुल	659.4
उड़ीसा	
पीपीएल-पारादीप	456.3
इफको-पारादीप	216.5
राज्य कुल	672.8
पश्चिम बंगाल	
पश्चिम बंगाल	143.7
राज्य कुल	143.7
कुल योग	2072.8

विवरण III

अप्रैल-सितम्बर, 2007 के दौरान मिश्रित उर्वरकों का इकाईवार और उत्पादवार उत्पादन

('000 मी. टन)

राज्य/इकाइयों के नाम	उत्पाद का नाम	अप्रैल-सितम्बर
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल)-विजाग	28:28	210.2
	14:35:14	0.0
	20:20	175.7
	16:20	0.0
	10:26:26	17.1
	योग	403.0
गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएफसीएल) काकीनाडा	20:20	0.0
	14:35:14	25.4
	17:17:17	0.0
	12:32:16	50.6
	10:26:26	173.8
	योग	249.8
	राज्य योग	652.8
केरल		
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)-उद्योगमंडल	20:20	73
फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)-कोचीन	20:20	197.3
	राज्य योग	270.3
कर्नाटक		
मैंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ)-मैंगलौर	20:20	20.7
	16:20	0.0
	राज्य योग	20.7
तमिलनाडु		
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)-चेन्नै	17:17:17	35.1
	14:28:14	0.0
	19:19:19	0.0
	20:20	0.0
	योग	35.1
साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रिज कॉरपोरेशन (स्पिक)-तुतीकोरिन	20:20	1.0
	17:17:17	0.0
	योग	1.0
कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल)-एन्नौर	16:20	98.4
	20:20	33.3
	योग	131.7
	राज्य योग	167.8
गोवा		
जुआरी इंडस्ट्रीज लि. (जेडआईएल): गोवा	19:19:19	133.4
	28:28	0.0
	14:35:14	0.0
	10:26:26	59.3
	17:17:17	0.0
	20:20	0.0
	12:32:16	48.4
	योग	241.1
	राज्य योग	241.1

1	2	3
महाराष्ट्र		
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) ट्राम्बे	15:15:15	228.2
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) ट्राम्बे-4	20.8:20.8	0.0
आरसीएफ	योग	228.2
दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (डीएफपीसीएल): तलौजा		33.0
	राज्य योग	261.2
गुजरात		
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स काओपरेटिव लि. (इफको)-कांडला	10:26:26	309.0
	12:32:16	462.3
	योग	771.3
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी) वडोदरा	20:20	111.9
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि. (जीएनएफसी): भड़ूच	23:23	0.0
	20:20	85.0
	योग	85.0
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि. (जीएनएफसी) सिक्का-1	12:32:16	28.3
	10:26:26	16.4
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि. (जीएनएफसी) सिक्का-2	12:32:16	0.0
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि. (हिल): दाहेज	10:26:26	10.1
	12:32:16	8.1
	20:20	0.0
	योग	16.2
	राज्य योग	1031.1
उड़ीसा		
पारादीप फास्फेट (पीपीएल)-पारादीप	20:20	126.3
	28:28	0.0
	14:35:14	0.0
	12:32:16	27.2
	16:20	1.8
	10:26:26	64.4
	योग	219.7
इंडियन फॉमर्स फर्टिलाइजर्स कॉओपरेटिव लि. (इफको)-पारादीप	20:20	219.6
	12:32:16	0.0
	योग	219.6
	राज्य योग	439.3
पश्चिम बंगाल		
टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल)-हल्दिया	28:28	0.0
	15:15:15	0.0
	14:35:14	16.1
	12:32:16	88.2
	10:26:26	59.6
	योग	163.9
	राज्य योग	163.9
कुल योग		3248.2

विवरण IV

खरीफ 2007 के दौरान 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक स्वदेशी यूरिया के वितरण को दर्शाने वाला विवरण

खरीफ 2007 (मात्रा 000 मी. टन)

राज्य	इफको	कृभको	सीएफ सीएल	एनएफएल	आरसीएफ थाल	टीसीएल	आईजी एफएल	एनएफ	जीएन एफसी	जीएस एफसी	एसएफसी	एसपी आईसी	एमसीएफ	एमएफएल	जैडआईएल	बीवी सीएल	कुल प्रेषण 1 अप्रैल, 07 से 30 सितम्बर, 2007 तक
आंध्र प्रदेश	0.00	14.96	0.00	9.95	84.07	0.00	0.00	388.61	14.66	0.00	0.00	0.00	9.50	34.60	21.11	0.00	577.47
कर्नाटक	0.00	17.34	0.00	0.00	61.73	0.00	0.00	44.92	3.61	0.00	0.00	0.00	128.27	31.00	91.89	0.00	378.77
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.63	18.00	0.00	0.00	42.57
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	76.60	0.00	0.00	149.24
गुजरात	114.92	184.32	27.62	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00	138.04	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.78
मध्य प्रदेश	30.81	93.31	64.71	140.83	15.23	0.00	0.00	0.00	26.89	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.23
छत्तीसगढ़	19.83	0.00	42.64	124.24	22.20	0.00	0.00	19.33	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.51
महाराष्ट्र	34.85	177.81	0.00	44.18	492.33	0.00	0.00	9.96	33.56	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	84.55	0.00	889.21
राजस्थान	58.27	43.64	169.64	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	9.99	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.48
हरियाणा	90.04	115.97	235.16	190.26	7.37	47.33	0.00	0.00	13.27	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.25
पंजाब	177.88	64.63	283.52	470.82	49.28	82.50	0.00	0.00	22.48	5.31	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.22
हिमाचल प्रदेश	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
जम्मू-कश्मीर	24.77	0.00	12.40	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.84
उत्तर प्रदेश	832.18	317.69	169.74	223.28	55.72	210.54	159.51	0.00	39.68	0.00	2094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2029.29
उत्तराखंड	72.67	16.22	7.46	9.03	0.82	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60
बिहार	179.57	161.06	0.00	248.62	19.83	60.05	108.20	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.73	819.04
झारखंड	22.33	16.27	0.00	20.00	9.86	30.08	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	108.87
उड़ीसा	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.06
पश्चिम बंगाल	69.78	61.90	0.00	0.00	14.79	54.77	57.28	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39	333.09
असम	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.98	104.36
उत्तर-पूर्वी राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74	22.74
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.40	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	7.20	2.82	4.87	17.02
अखिल भारत	1917.08	1285.11	1012.89	1590.85	863.14	499.20	334.70	639.55	333.96	94.91	194.01	0.00	175.14	167.40	200.37	154.33	9462.63

विवरण V

खरीफ 2007 के दौरान 1 अप्रैल, 2007 से 30 सितम्बर, 2007 तक स्वदेशी डीएपी के वितरण को दर्शाने वाला विवरण

खरीफ 2007 (मात्रा 000 मी. टन)

उत्पादक राज्य	जीएफसीएल-काकीनाडा	जीएसएफसी-बड़ौदा	जीएसएफसी-सिक्का	इफ्को कांडला	इफ्को पारादीप	पीपीएल-पारादीप	एमसीएफ-मंगलौर	स्पिक-तूतीकोरिन	स्पिक-दाहेज	टीसीएल-हल्दिया	जैडआईएल-गोवा	कुल प्रेषण 1 अप्रैल, 07 से सितम्बर, 2007 तक
आंध्र प्रदेश	233.52	0.00	0.00	0.00	18.94	50.81	4.32	0.00	0.00	0.00	8.42	316.01
कर्नाटक	41.77	0.00	2.49	7.42	18.70	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00	62.57	214.11
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	0.00	11.46	33.23	0.00	0.00	0.00	62.04
गुजरात	0.00	0.00	144.14	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	183.27
मध्य प्रदेश	0.87	0.00	36.91	15.34	11.63	44.17	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	116.96
छत्तीसगढ़	16.61	0.00	5.17	0.00	7.16	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.26
महाराष्ट्र	44.49	0.00	60.02	4.79	4.98	43.33	2.69	0.00	14.63	0.00	45.06	219.98
राजस्थान	0.00	0.00	40.22	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.51	0.00	0.00	75.87
हरियाणा	0.00	0.00	25.17	26.42	0.00	4.91	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	62.74
पंजाब	0.00	0.00	36.61	47.13	0.00	2.40	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	92.40
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
उत्तर प्रदेश	1.12	0.00	20.04	54.06	82.56	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.80
उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42	41.13	0.00	0.00	0.00	27.22	0.00	75.77
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	18.52	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	45.90
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.45
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71	51.71	0.00	0.00	0.00	89.52	0.00	155.94
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
उत्तर-पूर्वी राज्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.10	0.00	0.00	1.30	3.89
अखिल भारत	338.38	0.00	370.76	228.43	218.78	453.76	104.92	34.33	49.68	141.14	117.35	2057.54

रेल लाइनों का विस्तार

*113. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रेल लाइन का जोन-वार कुल कितना विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त विस्तार किया जाना है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) परियोजना के वित्तपोषण के क्या स्रोत हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलग-अलग खंडों/परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य वास्तविक प्रगति, कार्य की उनकी बकाया मात्रा और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष निर्धारित किया जाता है। 2007-08 के लिए 500 किलोमीटर नई लाइनों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और रेलवे की सकल बजट सहायता से 1657 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(घ) राज्य वार फार्मूले के अनुसार रेलवे की बजट सहायता में से वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर नई लाइन परियोजनाओं के लिए निधियों का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय परियोजनाओं, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिये और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त निधियों का भी आवंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर क्षमता बढ़ाना

*114. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे संभावित यातायात वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशिष्ट भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर क्षमता बढ़ाने के लिए एक विशेष समय सीमा बताते हुए कोई योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। रेलवे विनिर्दिष्ट संतृप्त मार्गों पर क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। रेलवे ने अपने लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक 1100 मिलियन टन माल यातायात और 8400 मिलियन प्रारंभिक यात्रियों के संचलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। यात्रियों और माल यातायात का अधिकांश संचलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और चेन्नै को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज और विकर्णों पर होता है। लगभग 75 प्रतिशत कुल माल यातायात की ढुलाई 25 प्रतिशत मार्ग किलोमीटर पर होती है। ये मार्ग अपने फीडर मार्गों के साथ रेलवे का उच्च घनत्व नेटवर्क (एच डी एन) बनते हैं।

उच्च घनत्व नेटवर्क के मार्ग संतृप्त हैं जहां अनेक मार्गों पर क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक है। क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे इन उच्च घनत्व वाले मार्गों पर लगभग 10000 करोड़ रुपए की लागत पर 104 कार्य पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। इसके अलावा रेलवे ने उच्च घनत्व नेटवर्क के मार्गों पर क्षमता बढ़ाने के लिए एक खाका तैयार किया है जिसमें 14000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 124 कार्यों की पहचान की गई है और जो रेलवे को ग्यारहवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ बनाएंगे। इन चिह्नित कार्यों में दोहरीकरण, नई लाइनें, बाईपास, स्वचल सिगनल प्रणाली, क्रॉसिंग स्टेशन, मध्यवर्ती ब्लॉक, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, रेलवे दो अत्यधिक संतृप्त मार्गों अर्थात दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों को राहत प्रदान करने के लिए 28,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट-तुगलकाबाद और सोननगर-लुधियाना के बीच दो समर्पित माल गलियारों की घेषणा पहले ही कर चुकी है।

जहां अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में समय लगेगा, वहीं इस दौरान रेलवे ने समग्र थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए मालडिब्बों की वहन क्षमता बढ़ाई है और अधिक भार की ढुलाई करने के लिए विनिर्दिष्ट मार्गों को सुदृढ़ बनाने के कदम भी उठा चुकी है। इसके अलावा, 25 टन धुरा भार के क्रियान्वयन हेतु 6900 मार्ग किलोमीटरों पर 28 भारी खनिज मार्गों की अतिरिक्त रूप से पहचान की गई है।

खाके में चिह्नित कार्यों और उच्च घनत्व मार्गों पर चालू कार्यों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू कार्य और उच्च घनत्व नेटवर्क पर चिह्नित कार्य-एक सारांश

एचडीएन- पहचान	एचडीएन नाम	चालू कार्य		उच्च घनत्व नेटवर्क खाके के कार्य	
		कार्यों की संख्या	लागत (करोड़ रु. में)	कार्यों की संख्या	लागत (करोड़ रु. में)
एचडीएन 1*	दिल्ली-हवड़ा मुख्य मार्ग (बरास्ता इलाहाबाद-मुगलसराय-गया-आसनसोल-खन्ना), फीडर मार्गों सहित	18	1267	37	1873
एचडीएन 2*	मुंबई-हवड़ा मुक्य मार्ग और फीडर मार्ग	26	1076	31	5329
एचडीएन 3*	दिल्ली-मुंबई मुख्य मार्ग बरास्ता बड़ौदा, कोटा और फीडर मार्ग	16	949	17	2443
एचडीएन *4	दिल्ली-गुवाहाटी बरास्टा एम.बी.-सीतापुर-भरवल-गोरखपुर-छपरा-बरौनी-कटिहार और फीडर मार्ग	4	2783	5	455
एचडीएन 5*	दिल्ली-चेन्नै बरास्ता झांसी-बीना-इटारसी-नागपुर-बल्हारशाह-काजीपेट-विजयवाड़ा-चेन्नै और फीडर मार्ग	4	3	22	1950
एचडीएन 6*	हवड़ा-चेन्नै मुख्य मार्ग और फीडर मार्ग	15	2543	10	286
एचडीएन 7*	मुंबई-चेन्नै मुख्य मार्ग और फीडर मार्ग	13	1357	2	1850
	जोड़	104	10087	124	14185

अग्निरोधी सवारी डिब्बे

***115. श्री विजय कृष्ण:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अग्नि रोधी सवारी डिब्बे बनाने के लिए फ्रेंच रेलवे के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सवारी डिब्बों को किस सीमा अवधि के भीतर चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) रेल मंत्रालय और फ्रेंच नेशनल रेलवे (एसएनसीएफ) के बीच रेल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि इस एम ओ यू में अग्निरोधी सवारी डिब्बों के विनिर्माण हेतु तकनीकी सहायता को विशिष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया है, फिर भी एस एन सी एफ से तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु चिह्नित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र यात्री वाहक वाहनों में सिमुलेटिड अग्नि संबंधी अध्ययनों के लिए भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया कंप्यूटर साफ्टवेयर प्राप्त करना है। एस एन सी एफ से यह साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए रेल मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन (सिमरन)

***116. श्री सुरेश अंगड़ि:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ी की आवाजाही का पल-पल का ब्यौरा देने हेतु सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन (सिमरन) नामक एक प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और प्रायोगिक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली को लगाने हेतु चुनी गई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलगाड़ियों में ऐसी प्रणाली को लगाने में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी हां। रेलवे ने रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली के लिए सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेविगेशन (सिमरन) के नाम एक पायलट परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना को ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जी पी एस) का उपयोग करते हुए विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अअमासं), लखनऊ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया जा रहा है। यात्रियों के लिए रियल टाइम गाड़ी चालन सूचना उपलब्ध कराने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए यह पायलट परियोजना स्वीकृत की गई है।

सिमरन परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

* प्रत्येक गाड़ी की अवस्थिति, गति और संचलन की दिशा पर निरंतर निगरानी रखने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना।

* स्टेशनों के प्रदर्श बोर्डों, अंत:संपर्क ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआरएस), संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस) और इंटरनेट के माध्यम से यात्रियों और आम जनता को गाड़ी चालन के बारे में रियल टाइम के आधार पर सूचना का प्रसार करने के लिए तकनीकें विकसित करना।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी विकसित की जा चुकी हैं। 25.5.2007 से परियोजना के फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। इस परियोजना के उद्देश्य हासिल हो गए हैं जिनकी फील्ड परीक्षण के माध्यम से जांच की गई है।

(ग) इस पायलट परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित गाड़ियों को फील्ड परीक्षण के लिए चुना गया है:

* राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी रेक

* नई दिल्ली से प्रारंभ होने वाली शताब्दी गाड़ियों के सभी रेक

* लखनऊ और कानपुर के बीच चालित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू)

(घ) 16.11.2007 की स्थिति के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के 26 रेकों, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के 6 रेकों और ई एम यू के 7 रेकों को सिमरन गाड़ी उपस्कर से लैस किया गया है। इन गाड़ियों पर इंटरनेट और एस एम एस सेवाओं के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है।

फल गूदा उद्योग

***117. श्री जोवाकिम बखला:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में आम का गूदा या फल गूदा उद्योग को शुरू करने या निजी क्षेत्र को इसे शुरू करने हेतु सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न फल गूदा उद्योगों को कोई राजसहायता या ऋण प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आम गूदा या फल गूदा निर्माण उद्योग समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। ये स्कीमें परियोजना उन्मुखी हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33 प्रतिशत की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, सहायता

अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत संवितरण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण बैंकों के जरिए करने का निर्णय लिया है। अब आवेदक अपने पड़ोस में स्थित उन बैंकों के जरिए अनुदान/सहायता प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने परियोजना का मूल्यांकन किया है और उनको ऋण उपलब्ध कराया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में आम/फल गूदा यूनिटों समेत विभिन्न फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है जिनके पिछले तीन वर्षों से संबंधित वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए आम/फल गूदा यूनिटों समेत फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को राज्यवार जारी वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	पांडिचेरी	24.54	0.00	0.00
2.	पश्चिम बंगाल	25.00	87.14	49.58
3.	उत्तराखण्ड	50.38	41.02	182.74
4.	उत्तर प्रदेश	24.14	55.95	61.71
5.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
6.	तमिलनाडु	69.04	105.80	120.70
7.	आंध्र प्रदेश	36.27	102.17	153.93
8.	पंजाब	55.05	100.90	67.70
9.	नागालैंड	0.00	17.35	58.81
10.	मिजोरम	0.00	10.15	0.00
11.	मेघालय	24.79	0.00	0.00
12.	मणिपुर	0.00	0.00	53.74
13.	बिहार	2.50	24.51	0.00
14.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
15.	असम	69.00	0.00	692.17
16.	महाराष्ट्र	161.30	163.45	361.86
17.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
18.	गुजरात	61.71	130.22	84.79
19.	हरियाणा	25.00	9.65	29.12

1	2	3	4	5
20.	जम्मू-कश्मीर	15.16	22.07	5.49
21.	झारखंड	0.00	25.00	25.00
22.	कर्नाटक	39.63	76.25	196.33
23.	केरल	14.78	60.83	226.51
24.	मध्य प्रदेश	0.00	51.37	74.75
25.	हिमाचल प्रदेश	29.24	63.28	112.52
26.	गोवा	0.00	0.00	0.00
27.	उड़ीसा	0.00	3.96	0.00
28.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
29.	दमण एवं दीव	0.00	0.00	0.00
30.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
	कुल	727.49	1151.03	2557.42
	कुल योग		4435.94	

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार

***118. श्री हितेन बर्मन:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक लाख रोजगार सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकारी क्षेत्र तथा निजी या संगठित क्षेत्र में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) जी हां,। वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में, माननीय वित्त मंत्री ने संगठित क्षेत्र में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमित रोजगार देने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के सरकारी भाग की प्रतिपूर्ति करने की एक योजना आरंभ की है।

(ग) वर्ष 2002 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, छब्बीस प्रतिशत विकलांग व्यक्ति नियोजित थे। तथापि, सर्वेक्षण में सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र अथवा संगठित क्षेत्र में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

उर्वरकों की ढुलाई

***119. श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री एन.एस.वी चित्तन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित अवसंरचना के अभाव में जिला स्तर के गोदामों से डीलरों/ग्राहकों तक उर्वरकों को पहुंचाने में विलम्ब हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गुणवत्तापरक उर्वरकों का निर्बाध वितरण और विपणन सुनिश्चित करने के लिए गोदामों से डीलरों तक उर्वरकों की ढुलाई को सुकर बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नई नीति के अंतर्गत फैक्टरी और रेलगाड़ियों से गोदामों तक स्टॉक की ढुलाई एक जिले में केवल तीन प्राथमिक बफर तक ही सीमित है; और

(ङ) यदि हां, तो उर्वरकों के परिवहन को आसान बनाने के लिए बफर को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश के सभी हिस्सों में उर्वरकों की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) प्रत्येक राज्य को अब उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए माहवार, कंपनीवार और जिलावार प्रपत्र में एक मासिक आपूर्ति योजना तैयार करनी होती है।

(2) चूंकि राज्य के स्थान पर जिला उर्वरकों की उपलब्धता की योजना बनाने का आधार है, अतः अब उर्वरक कंपनियों को राजसहायता का भुगतान स्वीकृत आपूर्ति योजना के अनुरूप प्रत्येक जिले में उर्वरकों के पहुंचने पर ही किया जा रहा है।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूरिया की आपूर्ति करने वाली उर्वरक कंपनियों द्वारा इसे प्रत्येक जिले में पहुंचाया जाए, यूरिया उत्पादकों को भाड़े की प्रतिपूर्ति वास्तविक रेल और सड़क दूरी के आधार पर की जाती है।

(4) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जुड़ी वृद्धि के जरिए रेल/सड़क यातायात लागत में बढ़ोतरी के कारण नियंत्रणमुक्त 'पी' एण्ड 'के' उर्वरकों से संबंधित भाड़े में संशोधित किया गया है।

(5) आगामी माह के लिए न्यूनतम स्टॉक रखने सहित मासिक आपूर्ति योजना तैयार की जा रही है।

(6) स्वीकृत आपूर्ति योजना के अनुसार उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति की वेब-आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली के जरिए निगरानी की जा रही है जिसके द्वारा जिला स्तर पर उत्पादन, आयात, प्रेषण, आगमन और बिक्री की निगरानी रखी जाती है।

(7) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे (1) राज्यों की संस्थागत एजेंसियों को सुदृढ़ बनाएं जो आपूर्ति को सरल बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ समन्वय करेंगी (2) ब्लॉक स्तर पर मांग का आकलन कर ब्लॉक स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित करें (3) ब्लॉक स्तर तक पर्याप्त संख्या में डीलर उपलब्ध कराने के लिए अपने-अपने राज्यों में डीलर नेटवर्क सुनिश्चित करें। उनसे अपने-अपने राज्यों में रेलवे अवसंरचना की समीक्षा करने और राज्यों के सभी हिस्सों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाने का भी अनुरोध किया गया है।

(ङ) उर्वरकों का बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 1 अक्तूबर, 2007 को राज्यों के फेडरेशनों के पास डीएपी का 5.44 लाख मी. टन का स्टॉक था। 31 अक्तूबर, 2007 को 3.5 लाख मी टन यूरिया का बफर स्टॉक था और 30 नवम्बर, 2007 तक इसमें और 4 लाख मी. टन यूरिया की वृद्धि कर दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

***120. श्री अधीर चौधरी:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसे निवेश के प्रभाव का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग तथा अति लघु, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन/जारी प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में घरेलू निवेश में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह संबंधी आंकड़े भी दर्शाते हैं कि पिछले तीन सालों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। बड़े, मझौले और लघु क्षेत्र में निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं-

बड़े और मझौले उद्योग

वर्ष	निवेश (करोड़ रुपये में)*
2004	2047
2005	3072
2006	3355
कुल	8474

स्रोत: औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग।

*वर्ष के दौरान प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन तथा जारी आशयपत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों के अनुसार।

लघु क्षेत्र

वर्ष	पंजीकृत (करोड़ रुपये में)	अपंजीकृत (करोड़ रुपये में)	कुल (करोड़ रुपये में)
2003-04	16463	11513	27976
2004-05	17374	11990	29364
2005-06	18475	12423	30898

स्रोत: अति लघु, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय।

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी (करोड़ रु. में)
2004-05	174.00
2005-06	183.00
2006-07	441.00

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ते निवेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 10वीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औसत वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर 13.025 प्रतिशत तथा 1999-2000 की कीमतों पर 6.75 प्रतिशत है। दसवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार और निर्यात में भी नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार वृद्धि हुई है:-

10वीं योजना (2002-07) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन, रोजगार, निर्यात

(मूल्य करोड़ रु. में)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
एमएसएमई क्षेत्र *वर्तमान कीमतों पर उत्पादन	66472.05	76264.13	86128.19	94127.99	104758.54
वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पर सीएसओ डाटा*	45146.00	51846.00	55772.00	59281.00 (अनन्तिम)	
रोजगार**(व्यक्ति)	3830283	3997481	4173668	4350941	4533940
निर्यात***	4727.57	5467.06	6154.77	8634.49	8993.40 (अनन्तिम)

*औद्योगिक उत्पादन इन्डैक्स के प्रयोग द्वारा अनुमानित वृद्धि दर तथा एमएसएमइ क्षेत्र के तीसरी गणना के आधार पर संकलित आंकड़े।

*केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा उपलब्ध।

**एमएसएमइ क्षेत्र के तीसरी गणना के आधार पर आकलित।

***कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध आंकड़े।

(ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में, सरकार का प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संवर्धन के लिए योजना आयोग द्वारा अंतरिम आबंटन के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 4031 करोड़ रुपये का योजना स्कीम समर्थन देने का है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण तथा बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।

ग्यारहवीं योजना में, मंत्रालय का प्रस्ताव बुनियादी ढांचा विकास संबंधी पुन: तैयार की गई स्कीम कार्यान्वित करने का है, जिसके अंतर्गत, यह मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचा विकास, मूल्यवर्धित केन्द्रों और पैकेजिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देगा। मेगा खाद्य पार्क संबंधी स्कीम बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ-साथ विश्वसनीय और धारणीय आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराएगी। झुंड आधारित मांग प्रेरित दृष्टिकोण खेत से बाजार तक लिंकेज प्रदान करेगा जिससे उन मूल प्रसंस्करण केन्द्रों, संग्रहण केन्द्रों, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र सह शीत श्रृंखला के जरिए स्थानीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर कर लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें नियंत्रित वातावरण वाले शीतागार तथा वितरण केन्द्र होंगे जहां बड़ी मात्रा में भंडारण किया जा सकता है और उसकी सप्लाई ताजी बिक्री तथा प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण उद्योग को करने हेतु वितरण केन्द्रों को की जा सकती है। ग्यारहवीं योजना में मंत्रालय ने सहायता की उच्चतर सीमा वाली खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, एचएसीसीपी, आईएसओ, 9000, जीएचपी और जीएमपी प्रक्रियाओं जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलापों संबंधी स्कीमों को सहायता को जारी रखने का भी प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट फूड के गुणवत्ता उन्नयन संबंधी एक नई स्कीम कार्यान्वित किए जाने का भी प्रस्ताव है। अच्छी गुणवत्ता वाले बागवानी उपज की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य जोर कृषि और बागवानी के साथ सुदृढ़ लिंकेज बनाने, परियोजना कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र के निवेश को शामिल करने और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास के सृजन हेतु सहायता करने पर होगा।

राज्यों को मिट्टी के तेल और रसोई गैस का आवंटन

764. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में मिट्टी के तेल और रसोई गैस की मासिक आवश्यकता कितनी है,

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में मिट्टी के तेल और रसोई गैस की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल और गुजरात से अपने-अपने राज्यों में मिट्टी के तेल और रसोई गैस के कोटे में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) पीडीएस मिट्टी तेल एक आबंटित और राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) नेटवर्क के अंतर्गत विवरण हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन तिमाही आधार पर करता है। प्रत्येक कार्ड धारक को पीडीएस एसकेओ की दी जाने वाली मात्रा का निर्णय संबंधित राज्य सरकार/के.शा.प्र. द्वारा किया जाता है और यह मात्रा राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होती है। भारत सरकार द्वारा 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रमाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) के आबंटन में 2001-02 से लेकर 2003-04 तक प्रत्येक वर्ष राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कमी की गई। जबकि 2004-05 के लिए आरंभिक आबंटन अब तक अपनाए गए मानदंडों पर आधारित था, किन्तु तत्काल अनिवार्य मांग पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त आबंटन किए गए। वर्ष 2005-06 के लिए आबंटन 2004-05 के स्तर पर बनाए रखे गए हैं जिसमें उस वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आबंटन भी शामिल थे। वर्ष 2007-08 के प्रथम तीन तिमाहियों के लिए आबंटन 2006-07 के स्तर पर बनाए रखे गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आबंटित पीडीएस मिट्टी तेल की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

केरल राज्य सहित देश में एलपीजी की कुल मिला कर कोई कमी नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां (ओएमसीज) घरेलू उत्पादन और आयातों के जरिए, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं। तथापि, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी थी कि बाढ़ आने, सड़क टूटने, पुल ढहने, कर्मचारियों द्वारा आन्दोलनात्मक कार्यकलापों/

हड़तालों, वाहकों और ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल आदि के कारण केरल राज्य सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कभी-कभी पिछले आर्डरों का ढेर लग गया था। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछले बकाया को निपटाने के लिए छुट्टियों में और काम के घंटे बढ़ा कर भराई संयंत्रों को प्रचालित करें। गत तीन वर्षों के लिए घरेलू एलपीजी की राज्यवार खपत संलग्न विवरण-II में दी गई है।

वर्तमान में भारत की मिट्टी तेल और एलपीजी की घरेलू खपत उत्पादन से अधिक है। मिट्टी तेल और एलपीजी के घरेलू उत्पादन में कमी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

एलपीजी के आबंटन के लिए सरकार द्वारा कोई राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं है।

एसकेओ आबंटन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर भारत सरकार ने दिसंबर, 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से देश में मिट्टी तेल की मांग का विस्तृत अध्ययन कराया था। एनसीएईआर ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनसीएईआर ने अन्य बातों के साथ साथ मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित रखने की सिफारिश की। पेट्रोलियम उत्पादों की दीर्घावधिक मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित डा. रंगराजन समिति ने भी पीडीएस मिट्टी तेल (एसकेओ) राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित रखने की सिफारिश की है। सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और "सिद्धांत रूप में" निर्णय लिया है कि पीडीएस मिट्टी तेल पर राजसहायता केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित की जाए। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पद्धतियां तैयार करने के लिए और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच पीडीएस मिट्टी तेल के आबंटन को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने बाढ़, सूखा, भूकंप आदि जैसी प्राकृति आपदाओं से उत्पन्न अनिवार्य और आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए पीडीएस एसकेओ के अतिरिक्त आबंटन का अनुरोध किया है। सरकार ने इन अनुरोधों को तत्काल सुना है और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आबंटन किए हैं।

विवरण I

पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन

(मात्रा एमटी में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5725	5816	5816
आंध्र प्रदेश	505057	517158	517158
अरुणाचल प्रदेश	9257	9257	9257
असम	251714	258007	258007
बिहार	631639	647430	647430
चंडीगढ़	13067	13067	13067
छत्तीसगढ़	143354	146938	146938
दादरा और नगर हवेली	2782	2782	2782
दमन और दीव	2118	2118	2118

1	2	3	4
दिल्ली	168484	168484	168484
गोवा	19212	19212	19212
गुजरात	743759	743759	743759
हरियाणा	142068	145619	145619
हिमाचल प्रदेश	50537	50537	50537
जम्मू-कश्मीर	75487	76044	76044
झारखंड	211175	211175	211175
कर्नाटक	461478	461478	461478
केरल	211033	216308	216308
लक्षद्वीप	795	795	795
मध्य प्रदेश	476691	488609	488609
महाराष्ट्र	1253530	1276876	1276876
मणिपुर	19907	19907	19907
मेघालय	20401	20401	20401
मिजोरम	6217	6217	6217
नागालैंड	12712	13312	13312
उड़ीसा	307295	314977	314977
पांडिचेरी	12058	12257	12257
पंजाब	232813	237192	237192
राजस्थान	396500	398913	398913
सिक्किम	5283	5582	5582
तमिलनाडु	545297	558929	558929
त्रिपुरा	30093	30832	30832
उत्तर प्रदेश	1211485	1241772	1241772
उत्तराखंड	85959	89849	89849
पश्चिम बंगाल	748228	752103	752103
कुल	9013210	9163712	9163712

विवरण II

घरेलू एलपीजी की खपत

(मात्रा एमटी में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	771646	774953	783852
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4492	4789	5107
अरुणाचल प्रदेश	9704	9504	10094
असम	154494	160856	165196
बिहार	243802	242918	250676
चंडीगढ़	30009	29298	30564
छत्तीसगढ़	90711	96206	102950
दादरा और नगर हवेली	5121	4753	2947
दमण और दीव	3889	3970	4128
दिल्ली	568574	554485	564990
गोवा	37080	39693	39365
गुजरात	554508	554605	560474
हरियाणा	364989	354393	369645
हिमाचल प्रदेश	76317	76641	79260
जम्मू-कश्मीर	102955	104801	109313
झारखंड	88685	89300	91414
कर्नाटक	591859	579984	587510
केरल	442496	413624	417790
लक्षद्वीप	278	174	243
मध्य प्रदेश	377220	384593	396853
महाराष्ट्र	1352672	1356331	1373395
मणिपुर	17013	15929	15196

1	2	3	4
मेघालय	11726	12104	12612
मिजोरम	16081	17219	17790
नागालैंड	12727	12911	13546
उड़ीसा	130062	126730	130434
पांडिचेरी	22843	21852	22794
पंजाब	506718	489478	513311
राजस्थान	415370	409695	421716
सिक्किम	7619	7741	5538
तमिलनाडु	891041	879836	891570
त्रिपुरा	18069	17821	18938
उत्तर प्रदेश	1052629	1040714	1093588
उत्तराखंड	124335	124297	130335
पश्चिम बंगाल	478028	488778	518396
योग	9575762	9500976	9751530

दृष्टिहीनों के लिए स्कूल खोलना

765. **श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नि:शक्तों को रोजगार में 3 प्रतिशत आरक्षण देने तथा दृष्टिहीनों के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोलने को नि:शक्त व्यक्ति (पीडीपी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी बनाया गया है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी हां, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में सरकारों द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस अधिनियम में सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के लिए यह भी आग्रह है कि वे सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों को एकीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करे और विशेष शिक्षा के जरूरतमंदों हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र में विशेष स्कूल की स्थापना करें।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार 2005 के दौरान, 47 सरकारी मंत्रालयों/विभागों में 5600 सीधी भर्तियां की गई थी जिसमें से 389 पद विकलांग व्यक्तियों से भरे गए थे। उस वर्ष यह कुल भर्ती का 6.94 प्रतिशत (अधिनियम में किए प्रावधान 3 प्रतिशत की बजाय) बैठता है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी और निजी क्षेत्र में 400 से अधिक संस्थाएं पहले से ही दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कार्य कर रही हैं।

खाड़ी देशों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्रचालन

766. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:**
डा. रामेश्वर उरांव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया एक्सप्रेस का विचार खाड़ी देशों के लिए अपने प्रचालन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो भारत के विभिन्न स्थानों से खाड़ी देशों के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित उड़ानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्तमान में दिल्ली से खाड़ी देशों के लिए 95 उड़ानें प्रचालित कर रही है। इन्होंने हाल ही में जयपुर तथा लखनऊ से दुबई के लिए प्रचालन आरंभ किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की विमान/क्रू की उपलब्धता के मद्देनजर फरवरी, 2008 से केरल से आबुधाबी, मस्कट, शारजाह, दुबई, दोहा तथा बहरीन और अहमदाबाद व गोवा से भी दुबई के लिए उड़ानों में वृद्धि करने की योजना है।

[हिन्दी]

अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रबंध

767. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह पर आंतरिक और बाह्य प्रबंध को सुधारने हेतु एक व्यापक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अजमेर शरीफ दरगाह में आने वाले चढ़ावे का दुरुपयोग रोकने के लिए तिरूपति श्राइन बोर्ड और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर एक बोर्ड गठित करने और चढ़ावे से हुई आय को अल्पसंख्यकों में शिक्षा का प्रसार करने पर खर्च करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त दरगाह के प्रबंध में कब तक सुधार किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (घ) दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 की समीक्षा का कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

(ङ) दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार दरगाह पर प्रशासनिक नियंत्रण और उसके बंदोबस्त के लिए दरगाह समिति को शक्तियां प्रदत्त हैं। इस समिति का कार्य निष्पादन संतोषजनक न होने के कारण इसे (समिति को) अधिक्रमित कर उसका 24.8.2007 को पुनर्गठन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

औद्योगिक इकाइयों को रेलवे साइडिंग का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना

768. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादों की कंटेनर द्वारा निर्बाध आवाजाही हेतु रेलवे साइडिंग का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे साइडिंग की व्यवस्था हेतु निबंधन और शर्तें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) चूंकि कंटेनर डिपो की स्थापना करने में समय लगता है तथा बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत पड़ती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जब इसकी मांग होगी तो जोनल रेलवे रेल टर्मिनल का कंटेनर रेल टर्मिनल (सीआरटी) के रूप में अधिसूचित करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपेक्षित कंटेनर सम्हलाई कार्य से रेल माल डिब्बे के आवक अथवा जावक यातायात सम्हलाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ेगा। सभी कंटेनर परिचालक बिना भेद-भाव के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऐसे किसी सी आर टी का उपयोग कर सकेंगे। सी आर टी कंटेनर परिचालकों के द्वारा कंटेनर गाड़ी सम्हलाई के लिए सुविधाएं मुहैया करेगी। बहरहाल, रेलवे रेकों की सम्हलाई को कंटेनर गाड़ी रेक की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। किसी सी आर टी पर कोई स्थाई कंटेनर अथवा कार्गो भंडारण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

[हिन्दी]

नई रेल लाइन बिछाने की लागत

769. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों की तुलना में भारत में एक किलोमीटर रेल लाइन बिछाने की लागत कितनी है;

(ख) तत्काल रेल पथ नवीकरण हेतु कितनी लंबी पुरानी रेल लाइन की पहचान की गई है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नवीकरण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नई लाइन के निर्माण की लागत भू-भाग, भौगोलिक विशेषताओं, बनावट और रेलपथ के मानदंड, श्रम और सामग्री की लागत आदि पर आधारित है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है। भारत में नई रेल लाइन के निर्माण की लागत भूगोल के आधार पर लगभग 3 करोड़ रुपए/किमी से 40 करोड़/किमी है। अन्य देशों के आंकड़े नहीं रखे गए हैं और यह उपलब्ध भी नहीं है।

(ख) से (घ) रेल लाइनों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और प्रतिस्थापनों की योजना पहले ही बना ली जाती है। ऐसा कोई रेलपथ नहीं जिसके तत्काल (आपातकालीन) प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो, इसकी आवश्यकता तो केवल दुर्घटनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं में ही पड़ती है।

[अनुवाद]

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना

770. श्री एल. राजगोपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक भी भारत के परियोजना में शामिल होने पर सहमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में 28 और 29 अक्तूबर, 2007 को इस्लामाबाद में हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान सरकार ने तुर्कमेनिस्तान में उपलब्ध गैस भंडारों का दोहन करने के लिए एक राष्ट्रपार गैस पाइपलाइन का प्रस्ताव किया है। उन्होंने एडीबी को मुख्य विकास साझेदार के रूप में नियुक्त किया है। एडीबी ने अध्ययन संचालित किया और परियोजना में भाग लेने के लिए भारत से संपर्क किया। 14-15 फरवरी, 2006 को आयोजित तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान (टीएपी) गैस पाइपलाइन परियोजना में भाग ले रहे देशों की 9वीं संचालन समिति बैठक में एक "प्रेक्षक" के रूप में भाग लेने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री दिनशा पटेल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है। संचालन समिति ने भारत को परियोजना में एक औपचारिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालयीन चर्चाओं के बाद इस मामले को मई 2006 में मंत्रिमंडल के समक्ष रखा। मंत्रिमंडल ने दिनांक 18 मई, 2006 को आयोजित बैठक में टीएपी परियोजना में भारत के शामिल होने के प्रस्ताव को "सिद्धांत रूप" में अनुमोदन दिया। तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना में एक औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल होने का भारत सरकार का निर्णय एडीबी को जून 2006 में सूचित किया गया था। परियोजना के औपचारिक सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए अप्रैल 2007 में आयोजित तकनीकी कार्य दल की प्रथम बैठक के बाद एडीबी ने भाग ले रहे देशों के बीच, उनकी टिप्पणियों के लिए, संशोधित मसौदा ढांचा करार परिचालित किया ।

(ङ) सरकार को 28-29 अक्तूबर, 2007 को इस्लामाबाद में आयोजित टीएपी परियोजना से संबंधित चर्चा के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि, दिनांक 28-29 नवम्बर, 2007 को भाग ले रहे देशों की संचालन समिति की अगली बैठक इस्लामाबाद में आयोजित होगी।

[हिन्दी]

बिहार में संस्कृति को बढ़ावा देना

771. श्री गिरिधारी यादव: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में संस्कृति से संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक उस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे क्रासिंग पर पुल

772. **श्री मुन्शी राम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सभी रेलवे क्रासिंगों पर पुल बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मौजूदा व्यस्त समपारों पर चाहे वे जिला सड़क, न्यूनिसिपल रोड, राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हो, के स्थान पर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने की योजना पहले से ही मौजूद है बशर्ते कि समपार पर यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन यूनिट हो (गाड़ी वाहन यूनिट-समपार से 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होने वाला आंकड़ा), अन्यथा यह कार्य निक्षेप शर्तों पर किया जाता है, जिसके लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण या भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा मौजूदा नियमानुसार विधिवत कतिपय प्रारंभिक पूर्व अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किया जाना होता है। इस समय, सभी भारतीय रेलों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 319 कार्य स्वीकृत/प्रगति पर है (एनएचएआई द्वारा 225, लागत में भागीदारी के आधार पर 64, निर्माण, परिचालन तथा स्थानांतरण के आधार पर 225 तता निक्षेप शर्तों पर 22 हैं) इनमें से 49 कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। एन एच ए आई द्वारा 42 स्थानों पर कार्य किया जा रहा है, एक कार्य निक्षेप शर्तों पर तथा 6 कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

असम में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन

773. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में राज्य में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उनके उत्पादन के लिए सहयोग की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त खोज में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) राज्य के कितने तेल संभावित क्षेत्रों में अभी तक खोज नहीं हुई है/उनका दोहन नहीं हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। आयल इंडिया लिमिटेड ने भारत सरकार के अनुमोदन के लंबित रहते असम में 2 नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) ब्लाकों नामत: एएओएनएन-2004/1 और एए-ओएनएन-2004/2 में अपने हिस्से में से 10 प्रतिशत भागीदारी हित (पीआई) असम राज्य सरकार के एक उपक्रम मैसर्स असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया है। प्रचालक के रूप में ओआईएल ने असम में इन एनईएलपी ब्लाकों में प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण क्रियाकलाप आरंभ कर दिए हैं।

(ग) असम राज्य ऊपर असम और असम-अराकान बेसिन के दोनों बेसिनों में पड़ता है। ऊपरी असम और असम-अराकान बोसिनों के तेल और गैस दोनों के लिए पूर्वानुमानित संसाधन 5040 एमएमटी पर आकलित किए गए हैं जिनमें से 1666 एमएमटी स्थानिक भंडार आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। शेष स्रोतों का अभी पता/खोज की जानी है।

[हिन्दी]

आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण प्रभार

774. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण प्रभार दुगुने से भी अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आरक्षित टिकटों के रद्दकरण से रेलवे को हुई आय तथा चालू वर्ष के दौरान होने वाली आय का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

775. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी कुछ वार्षिक रिपोर्टों में पुलिस तथा अर्द्ध-सैनिक बलों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सिफारिशें की हैं।

उन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित ऐसी सिफारिशों वाली आयोग की वर्ष 1997-98, 1998-99, 2002-03 और 2003-04 की वार्षिक रिपोर्टें, संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई हैं।

विमानन संग्रहालय

776. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों को विमानन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए देश में विमानन संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना किन स्थानों पर किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस कार्य में निजी एयरलाइनों को भी शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय देश में विमानन संग्रहालय बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

777. **श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी उपक्रम के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इनके कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 10 (दस) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो इस प्रकार हैं (1) इरकॉन इंटरनैशनल लिमिटेड, (2) राइट्स लिमिटेड, (3) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, (4) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, (5) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, (6) मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, (7) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, (8) भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड, (9) रेल विकास निगम लिमिटेड और (10) समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
(i) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड				
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	4.94	9.89	9.871
	(ii) अन्य	0.01	0.03	0.027
2.	शुद्ध मूल्य	777.71	829.29	874.48
3.	कुल आमदनी	1014.39	1112.79	1543.21
4.	कर पूर्व लाभ	107.75	110.88	110.99
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	20.23	25.73	25.73
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.61	0.64	0.84
(ii) राइट्स लिमिटेड				
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	4.00	4.00	4.00
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	310.91	387.26	460.00
3.	कुल आमदनी	240.30	426.42	566.00
4.	कर पूर्व लाभ	67.60	132.97	171.00
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	12.00	20.00	40.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.09	0.16	0.20
(iii) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड				
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	232.00	232.00	500.00
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	2392.91	2095.76	2121.25
3.	कुल आमदनी	1958.97	2019.69	2284.03
4.	कर पूर्व लाभ	503.36	503.98	611.74

1	2	3	4	5
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	115.00	150.00	160.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	130.60	100.98	20.98
(iv)	**भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	41.00	41.00	41.00
	(ii) अन्य	23.99	23.99	23.99
2.	शुद्ध मूल्य	1698.76	2091.17	2629.83
3.	कुल आमदनी	2043.33	2489.16	3121.89
4.	कर पूर्व लाभ	609.60	670.13	882.25
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	59.25	73.80	90.20
6.	प्रति कर्मचारी आय	2.01	2.34	2.89
(v)	**कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी (राज्य सरकारों सहित)	789.92	803.06	803.07
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	-1859.18	-2080.31	-2313.60
3.	कुल आमदनी	425.82	630.23	668.68
4.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(305.47)	(241.85)	(232.29)
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.07	0.08	0.04
(vi)	**मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी (राज्य सरकार सहित)	25.00	25.00	25.00
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	42.11	56.23	66.22
3.	कुल आमदनी	10.94	19.99	17.03
4.	कर पूर्व लाभ	6.66	14.16	9.94

1	2	3	4	5
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.08	0.10	0.07
(vii)	**भारतीय रेल खान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	20.00	20.00	20.00
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	31.78	47.22	62.96
3.	कुल आय	127.09	267.98	433.54
4.	कर पूर्व लाभ	7.94	31.63	30.00
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	1.00	4.00	4.00
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.05	0.04	8.26
(viii)	**भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	234.40	234.40	320.94
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	270.12	234.40	314.91
3.	कुल आय	32.86	60.44	116.59
4.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(19.50)	(10.27)	41.08
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.22	0.23	0.096
(ix)	**रेल विकास निगम लिमिटेड**			
1.	प्रदत्त पूंजी			
	(i) सरकारी	977.35	1150.02	1665.02
	(ii) अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	शुद्ध मूल्य	977.35	1194.24	1665.26
3.	कुल आय (वर्ष के दौरान चालू कार्यों की पूंजी शामिल है)	691.54	843.35	1236.24
4.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(0.65)	1.89	3.59
5.	लाभांश भुगतान-सरकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	प्रति कर्मचारी आय	0.09	0.08	7.72

(x) भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड

भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा निगम लिमिटेड को हाल ही में दिनांक 30.10.2006 को शामिल किया गया है।

यह देखा गया है कि टर्न ओवर और लाभ की दृष्टि से रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन में सुधार हुआ है।

कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड निर्माण कार्यों के दौरान निगम द्वारा लिये गए ऋण के कारण घाटे पर चल रहा है। बहरहाल, परिचालनिक खर्चों और मूल्यह्रास को पूरा करने के लिए संसाधनों का सृजन करने के लिए निगम समर्थ है। निगम की वित्तीय पुनः संरचना से संबंधित प्रस्ताव को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और बोर्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए कैबिनेट की मंजूरी हेतु सिफारिश की है।

भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड को सितंबर, 2000 में शामिल किया गया है।

कंपनी का शुरुआती दौर होने के कारण कंपनी द्वारा वर्ष 2005-06 तक घाटा दर्शाया गया है। वित्त वर्ष (2006-07) में, परिचालनिक प्रतिफलों में सुधार होने और "मार्गाधिकार" प्रभारों के करार में आशोधन के प्रभाव के कारण कंपनी का कायाकल्प हुआ है और लाभ हुआ है।

(ग) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की उच्चतम स्तर अर्थात रेलवे बोर्ड के संबंधित सदस्यों द्वारा नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

रेल मंत्रालय अपने सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यकता पड़ने पर यथासंभव अद्यतन तकनीक और जनशक्ति मुहैया कराता है।

[हिन्दी]

मुस्लिम बाहुल्य जिलों का सर्वेक्षण

778. **श्री कीरेन रिजीजू:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को देश के 90 मुस्लिम बाहुल्य जिलों के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिषद को सर्वेक्षण के लिए क्या विषय दिए गए हैं; और

(घ) उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (घ) देश के अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने और कम विकास वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए जरूरी आधारभूत सर्वेक्षण का कार्य भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद को सौंपा गया है। परिषद ने एक जिले में आधारभूत सर्वेक्षण कार्य के लिए 6 माह का समय मांगा है।

[अनुवाद]

एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर्स की भर्ती और प्रशिक्षण

779. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री राकेश सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलरों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं और अधिक एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर्स की भर्ती के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या एयर ट्रैफिक कन्ट्रोलर को संचार हेतु विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है जिसके परिणामस्वरूप विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों को खतरा उत्पन्न होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में देश में एटीसी की कार्य-कुशलता में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। आजकल एयर ट्रैफिक कन्ट्रोल अधिकारियों (एटीसीओ) की कुछ कमी है।

(ख) 1707 की स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 1504 एटीओ हैं। इसके अतिरिक्त हैदराबाद और बंगलौर के नए हवाई

अड्डों जो अगले वर्ष मार्च महीने से प्रचालन में आने के लिए निर्धारित किए गए हैं, के लिए 167 और 156 एटीओ की आवश्यकता होगी। यह कमी हाल ही के वर्षों में हवाई यातायात की अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि के कारण और बढ़ गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही 383 एटीओ की भर्ती कर दी है और 148 की और भर्ती करने की प्रक्रिया में है। भा.वि.प्रा. की भर्ती योजना के अनुसार एटीओ की कमी पर वर्ष 2009 के मध्य तक काबू पा लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए रेलपथों के निर्माण हेतु मानदंड

780. **श्री सुभाष महरिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए रेल पथों के निर्माण हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण किए जाने वाले नए रेल पथों का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रेल पथों में से किसी रेल पथ का निर्माण शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नई लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नीति को राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 द्वारा प्रतिपादित किया गया था और निम्नलिखित मानदंडों को निर्धारित किया गया था:-

* खनिज और अन्य संसाधनों को निकालने के लिए नए उद्योगों के प्रयोग हेतु परियोजना उन्मुख लाइनें;
* मौजूदा संतृप्त मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों को पूरा करने हेतु मिसिंग लिंक।
* कार्यनीति कारणों हेतु आवश्यक लाइनें; और
* नए विकास केन्द्रों की स्थापना अथवा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लाइनें।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई रेल लाइनों का जोनवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	रेलवे जोन	परियोजना का नाम
1.	पूर्व मध्य	छपरा-मुजफ्फरपुर
2.	पूर्व मध्य	मोतीहारी-सीतामढ़ी
3.	पूर्व मध्य	दरभंगा-कुशेश्वर स्थान
4.	पूर्वोत्तर	हथुआ-भटनी
5.	पूर्वोत्तर	छितौनी-तुमकुही रोड
6.	पूर्वोत्तर सीमा	अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज)
7.	पूर्वोत्तर सीमा	दीमापुर-कोहीमा (जूबजा)
8.	पूर्वोत्तर सीमा	अजरा-बिरनीहाट
9.	दक्षिण मध्य	मनोहराबाद-कोटापल्ली
10.	दक्षिण मध्य	विष्णुपुरम-जनपहाड़
11.	दक्षिण मध्य	ओबुलेवरैपल्लै-कृष्णापट्टनम
12.	दक्षिण मध्य	जगयापेट-मेल्लाचुरूवू
13.	दक्षिण	टिंडीवनम-जिंजी-तिरुवन्नमलई
14.	दक्षिण	टिंडीवनम-नगरी

(ग) से (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान शुरू की गई नई लाइन परियोजनाओं के संबंध में प्रारंभिक गतिविधियां जैसे अंतिम स्थान सर्वेक्षण, विस्तृत अनुमान तैयार करना, यार्ड योजनाएं आदि शुरू कर दी गई हैं/पूरी कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

शिमोगा-तालागुप्पा रेल लाइन हेतु आमान परिवर्तन

781. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने शिमोगा-तालागुप्पा ब्राडगेज आमान परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए 140 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और राज्य सरकार शिमोगा-तालागुप्पा के बीच आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित लागत का पचास प्रतिशत देने पर सहमत हो गई है;

(ग) क्या रेलवे ने वर्ष 2007-08 में इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा तैयार किए गए संशोधित अनुमान, शिमोगा-तालागुप्पा के आमान परिवर्तन की लागत 165 करोड़ रुपए आंकी गई है। कर्नाटक राज्य सरकार परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने पर सहमत हो गई है।

(ग) जी हां।

(घ) कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है। शिमोगा-आनंदपुरम खंड (56 किमी.) के आमान परिवर्तन कार्य को 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है तथा शेष भाग आर्थात आनंदपुरम-तालागुप्पा (41 किमी.) के आमान परिवर्तन के कार्य को 2008-09 के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

उर्वरक कंपनियों द्वारा अनधिकृत राजसहायता का आहरण

782. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को उर्वरक कंपनियों द्वारा नकली बिल पेश करके अनधिकृत राजसहाबता के आहरण के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा ऋण की कम वसूली

783. श्री के.एस. राव: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा ऋण की कम वसूली के कारणों के बारे में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में परियोजना स्थापित करने में अल्पसंख्यक समुदाय की सहायता करने के लिए उन्हें राजसहायता प्राप्त ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमियों की परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण का संवितरण करने का कार्य निजी क्षेत्रों के बैंकों को सौंपने का है और चूक हो जाने की दशा में इन बैंकों के ऋणों की वापस करने की जमानत दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) अधिकांश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की वसूली का स्तर असंतोषजनक नहीं है। तथापि इन एजेंसियों के कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण कुछ राज्यों से वसूली संतोषजनक नहीं है। एससीए को सुदृढ़ करने की एक योजना हाल ही में मंजूर की गई है।

(ग) एनएमडीएफसी, दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार एवं आय सृजन करने वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए रियायती दरों पर आवधिक ऋण प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बरवाडीह और भावनाथपुर के बीच यात्री (पैसेंजर) गाड़ी

784. श्री घूरन राम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड राज्य में बरवाडीह जंक्शन से भावनाथपुर तक यात्री (पैसेंजर)गाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) इस मामले की जांच की गई थी परंतु व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि भवनाथपुर एक गुड्स साइडिंग है और मेरलग्राम-भवनाथपुर खंड यात्री सेवा चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

भिवानी और हिसार से शिरडी तक रेल संपर्क

785. **श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास भिवानी और हिसार से शिरडी तक सीधा संपर्क प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) भिवानी, हिसार और पुंतम्बा पहले ही बड़े आमान के रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पुंतम्बा से शिरडी तक नई लाइन का कार्य शुरू हो गया है जिसे 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

यात्री रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों से रेलवे को अर्जित आय

786. **श्री पंकज चौधरी** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे को यात्री रेलगाड़ियों और मालगाड़ियों से कितनी आय अर्जित हुई;

(ख) क्या रेलवे उक्त आय को बढ़ाने हेतु एक योजना तैयार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के क्रियान्वयन के पश्चात आय किस हद तक बढ़ने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विगत तीन वर्षों में रेलवे द्वारा यात्री एवं माल यातायात से आमदनी निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	यात्री	माल
2004-05	14112.54	30778.40
2005-06	15126.00	36286.97
2006-07	17224.56	41716.50

(ख) से (घ) जी हां, रेलवे ने कई योजनाओं की शुरुआत की है जैसे अधिक रेल यातायात को आकर्षित करने के लिए माल प्रोत्साहन योजनाएं इस वर्ष शुरू की गई हैं ये योजनाएं हैं:-

किसी दिशा में परम्परागत तरीके से खाली चलने वाली माल गाड़ियों के लिए (30 प्रतिशत की छूट), बॉक्स एन में लोडिंग बैग्ड परेषण (40 प्रतिशत की छूट), दीर्घकालीन विशेष प्रोत्साहन योजना (20 प्रतिशत की छूट), वृद्धिपरक यातायात (15 प्रतिशत की छूट) एक मुश्त विशेष दरें और सेवा स्तरीय समझौता, माल अग्रेषक, टू लेग मालभाड़ा छूट (व्यस्त समय में 15 प्रतिशत तथा गैर व्यस्त समय में 20 प्रतिशत की छूट)।

इसके अलावा, यातायात को बढ़ाने के लिए मालभाड़ा दरों में फ्रेट छूट देने के लिए रेल मंत्रालय एक व्यक्तिगत प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कुछ प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:-

लौह अयस्क की बुकिंग पर 30 प्रतिशत की छूट, चावल के यातायात हेतु 50 प्रतिशत की छूट, लकड़ी के स्क्रेप पर 15 प्रतिशत की छूट और टाट की गठरी अथवा जूट यातायात पर 13 प्रतिशत की छूट।

यात्री यातायात से आय में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

नई गाड़ियां चलाकर गाड़ियों में अतिरिक्त बैठने की क्षमता का सृजन, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित के किरायों में कमी करना, प्रतीक्षा सूची के यात्रियों के लिए गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाकर प्रतीक्षा सूची को समाप्त करना, पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को अगली उच्च श्रेणी में जगह उपलब्ध होने पर इस श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए अपग्रेडेशन योजना शुरू करना।

उपर्युक्त योजनाओं के परिणामस्वरूप चालू वर्ष अर्थात 2007-08 के दौरान माल और यात्री आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

दिल्ली और जम्मू/उधमपुर के बीच गरीब रथ ट्रेन चलाना

787. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली से जम्मू/उधमपुर के बीच गरीब रथ ट्रेन चलाने की कोई योजना रेलवे के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रॉरिक आर्ट गैलरी

788. प्रो. प्रेम कुमार धूमल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नगर में लगभग एक सौ पच्चीस वर्ष पूर्व रूसी चित्रकार द्वारा विकसित की गई रॉरिक आर्ट गैलरी का विकास एवं प्रसार करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) रॉरिक कला वीथि का प्रबंधन, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकरा के तहत एक न्यास द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष हैं। ''क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण'' की स्कीम के तहत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 में संग्रहालय के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक स्मारक न्यास (आईआरएमटी) को 2 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी।

[अनुवाद]

नागपुर विमानपत्तन

789. श्री मिलिन्द देवरा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर विमानपत्तन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संयुक्त उद्यम कंपनी तथा महाराष्ट्र विमानपत्तन विकास कंपनी लिमिटेड को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब में विकसित करने के लिए नागपुर हवाईअड्डे को एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित करने के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा.) तथा महाराष्ट्र सरकार/महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) के बीच दिनांक 18.12.2006 को एक समझौती ज्ञापन हुआ है। जैसाकि समझौता ज्ञापन में निर्धारित है, जेवीसी की स्थापना भा.वि.प्रा. तथा एमएडीसी की इक्विटी भागीदारी से की जाएगी।

(ग) से (ङ) मामला सक्षम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त करने के लिए विचाराधीन है।

चंद्रपुर इकाई में मरम्मत कार्य

790. श्रीमती निवेदिता माने: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंद्रपुर 500 मेगावाट इकाई, जिसका मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पास मरम्मत कार्य चल रहा था, की समय पर मरम्मत कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक उक्त इकाई का मरम्मत कार्य पूरा कर दिया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) की चन्द्रपुर यूनिट-5 (500 मेगावाट) का मरम्मत कार्य भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया गया तथा यूनिट को निर्धारित तिथि से पहले 14 दिसम्बर, 2006 को पुन: चालू किया गया। यह संतोषजनक रूप से चल रही है तथा पुन: चालू करने के बाद से यह पूर्ण लोड का सृजन कर रही है।

[हिन्दी]

ग्राम पर्यटन परियोजना

791. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में ग्राम पर्यटन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में लागू की जा रही ग्राम पर्यटन परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि तथा इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत, पर्यटन संभावना वाले ग्रामीण स्थलों में अवसंरचना विकास के लिए, महाराष्ट्र सहित, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जीओआई-यूएनडीपी अंतर्जात पर्यटन परियोजना द्वारा और सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता-निर्माण (सीबीएसपी) की योजना के अंतर्गत, क्षमता निर्माण का समर्थन किया जाता है। ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य उन ग्रामीण स्थलों और ग्रामों में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और प्रदर्शित करना है, जिनमें कला/हथकरघा/संस्कति/वस्त्र आदि की शर्तों में कोर कम्पीटेंसी है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों में ऐसे ग्रामीण पर्यटन स्थलों के लिए महाराष्ट्र सहित, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति को मॉनिटर करता है।

विवरण

ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्य		क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि	अवमुक्त राशि
1		2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.	पुट्टापार्थी, अनंतपुर जिला	2004-05	49.50	49.50
		2.	चिनचिनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला	2004-05	50.00	40.00
		3.	श्रीकलाहस्ती, चित्तूर जिला	2004-05	70.00	56.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.	रेंगो ग्राम, पूर्वी सियांग जिला	2005-06	49.62	39.69
		5.	लिगू ग्राम, अपर सुबांसिरी जिला	2006-07	66.00	52.80
		6.	ईगो-निकते ग्राम, पश्चिमी सियांग जिला	2006-07	66.50	53.20

1		2	3	4	5	6
3.	असम	7.	दे.हेंग पट्टाकाई क्षेत्र, तिनसुखिया जिला	2004-05	44.33	35.46
		8.	सुआलकुची, कामरूप जिला	2004-05	69.95	55.96
		9.	अशारीकांडी ग्राम, धुबरी जिला	2005-06	48.97	39.17
4.	बिहार	10.	नेपूरा ग्राम, नालंदा जिला	2003-04 2004-05	70.00	56.00
5.	छत्तीसगढ़	11.	कोंडा गांव, जिला बस्तर	2005-06	50.00	40.00
		12.	माना-टूटा, जिला रायपुर	2006-07	70.00	56.00
		13.	चिल्पी ग्राम, जिला कबीरधाम	2006-07	68.75	55.00
		14.	ओध ग्राम, जिला रायपुर	2007-08	62.05	49.64
6.	गुजरात	15.	नागेश्वर, जिला जामनगर	2007-08	69.84	55.87
		16.	दांडी ग्राम, जिला नवसारी	2006-07	70.00	56.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.	बरोह ग्राम, जिला कांगड़ा	2006-07	50.00	40.00
8.	जम्मू-कश्मीर	18.	डूंग गांव, जिला बारामुल्ला	2005-06	50.00	40.00
		19.	सुरिनसर, जिला जम्मू	2005-06	69.00	55.20
		20.	गगनगीर, जिला श्रीनगर	2005-06	50.00	40.00
		21.	ग्राम पहलगांव, जिला अनंतनाग	2005-06	50.00	40.00
		22.	झेरी गांव, जिला जम्मू	2005-06 2006-07	69.00	55.20
		23.	अकिंगाम ग्राम, जिला अनंतनाग	2006-07	64.26	51.40
		24.	डोरी डेगेर ग्राम	2006-07 2007-08	70.00	56.00
9.	झारखंड	25.	अमाडूबी	2007-08	66.44	53.91
		26.	डेयूरीडीह, जिला सरायकेला खरसावन	2007-08	67.38	53.95
10.	केरल	27.	बलरामपुर, जिला तिरूवनन्तपुरम	2004-05	50.00	40.00
		28.	स्पाइस परिपथ के लिए गांव कलाड़े, जिला एर्णाकुलम	2006-07	67.20	53.76
		29.	स्पाइस सर्किट के लिए अनाकारा ग्राम जिला इडुकी	2006-07	70.00	56.00
11.	मध्य प्रदेश	30..	ओरछा, जिला टीकमगढ़	2005-06	50.00	40.00

1		2	3	4	5	6
		31.	आमला, जिला उज्जैन	2006-07	68.69	55.95
		32.	ग्राम देवपुर, जिला विदिशा का ग्रामीण पर्यटन	2007-08	60.34	48.27
12.	महाराष्ट्र	33.	सुलीभंजन-खुलताबाद	2003-04 2004-05	70.00	70.00
		34.	मोराची चिनचौली	2006-07	70.00	56.00
13.	मणिपुर	35.	खोंगियन, जिला थोबल	2006-07	49.75	39.80
		36.	नोने ग्राम, जिला तमेंगलांग	2006-07	50.00	40.00
		37.	एंड्रो, जिला पूर्वी इम्फाल	2006-07	50.00	40.00
14.	मेघालय	38.	लालोंग ग्राम, जिला जयंतियाहिल्स	2006-07	64.80	51.84
		39.	ससातग्रे ग्राम, पश्चिमी दारोहिल्स	2006-07	58.49	46.79
15.	नागालैंड	40.	अवाचेखा, जिला जूनेहबोटो	2007-08	70.00	56.00
		41.	चंगतोंगिया, जिला मोकोकचुंग	2007-08	70.00	56.00
		42.	ग्राम लेशुमी, जिला फेक	2007-08	70.00	56.00
		43.	ग्राम तेतसुमी	2007-08	61.24	48.91
16.	उड़ीसा	44.	पिपली, जिला पुरी	2004-05	70.00	56.00
		45.	किचिंग, जिला मयूरभंज	2005-06	50.00	40.00
		46.	बारपाली, जिला बारगढ़	2006-07	63.00	50.80
		47.	हीरापुर जिला खुर्दा	2006-07	50.00	40.00
		48.	पदमानवपुर, जिला गंजम	2006-07	50.00	40.00
		49.	देयोलझारी, जिला अंगुल	2006-07	50.00	40.00
		50.	कोणार्क नाट्य मंडप का गुरुकुल	2007-08	70.00	56.00
17.	पंजाब	51.	बूथगढ़, जिला होशियारपुर	2006-07	50.00	40.00
		52.	राजासांसी, जिला अमृतसर	2004-05	20.00	16.00
		53.	चमकौर साहिब, जिला रोपड़	2006-07	46.00	36.80
		54.	जयंती माझरी, जिला मोहाली	2006-07	50.00	10.00
		55.	छट ग्राम	2006-07	45.46	36.44
18.	राजस्थान	56.	हल्दीघाटी, जिला राजसमंद	2006-07	69.32	55.45

1		2	3	4	5	6
19.	सिक्किम	57.	उत्तरी जिले में लाचेन	2004-05	70.00	56.00
		58.	ग्राम चंगबंग, जिला पश्चिमी सिक्किम	2007-08	69.96	55.96
		59.	ग्राम तिंगचिम	2007-08	68.71	54.97
20.	तमिलनाडु	60.	देवीपट्टीनम नवभाषणम, जिला रामनाथपुरम	2005-06	50.00	40.00
		61.	थिरूकुरूंगगुड्डी जिला तिरूनेलवेल्ली	2005-06	50.00	40.00
		62.	तिरूपुड्डामोरथूर, जिला तिरूनेलवेल्ली	2005-06	49.55	39.64
		63.	कोम्बईग्राम, जिला थेनी, स्पाइस परिपथ के लिए	2006-07	70.00	56.00
		64.	थडयांगकुडीसाई, जिला डिंडीगुल, स्पाइस परिपथ के लिए	2006-07	70.00	56.00
21.	त्रिपुरा	65.	जायचन्द्रपुर ग्राम, जिला दक्षिणी त्रिपुरा	2005-06	50.00	40.00
		66.	दुर्गाबाड़ी, जिला पश्चिमी त्रिपुरा	2007-08	54.68	43.74
		67.	देवीपुर जिला पश्चिमी त्रिपुरा	2007-08	68.55	54.84
		68.	मालयानगर, जिला पश्चिमी त्रिपुरा	2007-08	59.68	47.47
22.	उत्तराखंड	69.	अगोरा ग्राम, (डोडीताल) उत्तरकाशी जिला	2005-06	48.50	38.80
		70.	मोटाड तथा इसके सेटालइट स्टेशन	2005-06	48.05	38.44
		71.	चिखोनी बोरा, जिला चंपावत	2005-06	44.20	35.28
		72.	कोटी, इंदरोली	2005-06	47.10	37.68
		73.	माना, जिला चमोली	2005-06	70.00	56.00
		74.	विलेज सारी, जिला रूद्रप्रयाग	2005-06	45.14	36.00
		75.	आदि कैलाश ग्राम, जिला नैनीताल	2006-07	70.00	56.00
		76.	पदमापुरी, जिला नैनीताल	2006-07	70.00	56.00
		77.	नानकमट्टा, जिला यूएस नगर	2006-07	68.82	55.00
		78.	त्रियोगीनारायण	2006-07	70.00	56.00
23.	उत्तर प्रदेश	79.	भीतर ग्राम, जिला रायबरेली	2005-06	49.52	39.62
		80.	मुखराय, जिला मथुरा	2005-06	45.89	36.00
		81.	भगुवाला, जिला सहारनपुर	2004-05 2007-08	70.00	56.00
24.	पश्चिम बंगाल	82.	सोनाडा ग्राम, जिला दार्जिलिंग	2004-05	50.00	40.00
		83.	मुकुटमनिपुर, जिला बांकुरा	2006-07	70.00	56.00
		84.	अनंतपुर ग्राम, जिला हुगली	2006-07	50.00	40.00
		85.	कमारपुकुर ग्राम	2006-07	68.30	54.64

दलितों तथा अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन

792. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 31,000 करोड़ रुपये के प्रावधान से दलितों तथा अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन तथा प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर झारखण्ड में कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस, 2007 को दिए अपने भाषण में घोषणा की कि सरकार, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के बारे में एक मिशन चलाएगी।

(ख) और (ग) योजना आयोग, रूपरेखा को प्राथमिकता आधार पर तैयार कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निकट होटलों का निर्माण

793. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी नागरिकों के आराम हेतु देश में सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के निकट विलासिता होटल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, होटलों का निर्माण करना मुख्यतः निजी क्षेत्र का कार्य है। पर्यटन मंत्रालय अतिरिक्त होटल स्थलों की पहचान के लिए नागर विमानन मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय और राज्य भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों आदि जैसी विभिन्न भूमि-स्वामित्व एजेंसियों से नियमित रूप से सम्पर्क कर रहा है।

[अनुवाद]

कैंसर औषधियों का मूल्य

794. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर की उपचार लागत बहुत अधिक है तथा आम आदमी की पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार औषधि निर्माताओं को प्रोत्साहन देकर तथा कैंसर औषधियों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क माफ करके इन औषधियों की कीमतों में कमी लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) अधिकांश कैंसररोधी दवाओं के मूल्य काफी अधिक हैं। कैंसर दवाओं के मूल्यों को घटाने के लिए सरकार ने सभी कैंसररोधी दवाओं पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क की छूट देने की सिफारिश राजस्व विभाग से की है। इसके अलावा, प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव किया गया है कि सरकार, सभी कैंसररोधी दवाओं (बल्क एवं फार्मूलेशनों) को सभी प्रकार के केन्द्रीय करों, उत्पाद शुल्क, आयात प्रभार आदि से पूर्ण छूट देगी और इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। उद्योग एवं ट्रेड से उनके अपने मार्जिन को घटाकर कम से कम करने और इसका लाभ उपभोक्ता को देने का अनुरोध किया जाएगा। कैंसर अस्पतालों के माध्यम से रोगियों को अपेक्षाकृत सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी मॉडल के रूप में कैंसर औषध सहायता योजना का प्रस्ताव भी किया गया है।

राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर 11.01.2007 को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार किया गया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पास संदर्भित कर दिया है। जीओएम की पहली बैठक 10.04.2007 और दूसरी बैठक 12.09.2007 को हुई थी। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

सस्ती आयरन टेबलेटों का विनिर्माण

795. श्री महावीर भगोरा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपलब्ध आयरन टेबलेट तुलनात्मक रूप में महंगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में विनिर्मित सस्ती आयरन टेबलेट प्राप्त कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

नारखेड़ रेल लाइन पर पुलों की स्थिति

796. श्री अनंत गुढ़े: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य रेल के भुसावल जोन में नारखेड़ रेल लाइन पर रेल उपरि पुलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अमरावती-नरखेड़ नई बड़ी आमान लाइन खंड पर पांच ऊपरी सड़क पुलों (आर ओ बी) का कार्य रेलवे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। राज्य सरकार से सलाह करके दो कार्यों के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था (जी ए डी) की तैयारी की जा रही है तथा तीन ऊपरी सड़क पुलों (आर ओ बी) का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। अमरावती-नरखेड़ बड़ी आमान लाइन के साथ इन ऊपरी सड़क पुलों को पूरा किया जाएगा। कार्य निर्बाध रूप से चल रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटन का विकास

797. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य में पर्यटन के विकास के कुछ प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन अभिरुचि के स्थानों/स्थलों का विकास एवं संवर्धन मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर परियोजना प्रस्तावों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान केरल सरकार से 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों पर पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है एवं संबंधित शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध होने पर अवमुक्त की जाती हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, केरल सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव पहले से ही मंजूर किए जा चुके हैं:-

1. वायानाद के गंतव्य विकास हेतु 201.72 लाख रुपए।
2. कोडुनगालुर विरासत पर्यटक परिपथ के विकास हेतु 361.75 लाख रुपए।
3. पाथिरमानल जैव उद्यान के विकास हेतु 499.61 लाख रुपए।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

1. कलामंडलम का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास
2. कासरागोड एवं बेकल का विकास
3. कोजीकोड का एक गंतव्य-सरोवर वेटलैंड प्राकृतिक उद्यान के रूप में विकास
4. एस्टेट्स ऑफ प्लांटेशन कारपोरेशन ऑफ केरल लि. में फार्म पर्यटन का विकास

5. ओणम एवं निशागंधा उत्सव

6. पुरम उत्सव

7. पुन्नाथूर में एलिफेंट पार्क का गंतव्य विकास (अतिरिक्त कार्य)

8. मंगलम बांध का पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास

9. मलाप्पुरम में कोट्टककुन्नू का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास

10. केरल में वायानाद का विकास

11. कोडुनगल्लूर विरासत परिपथ, केरल का विकास

12. पाथिरमानल जैव उद्यान, केरल का विकास

पार्सल वैगनों के जरिए सोने तथा चांदी की तस्करी

798. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में पार्सल वैगनों के जरिए सोने तथा चांदी की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का राज्य-वार/जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तस्करी के ऐसे मामलों में रेलवे के कुछ अधिकारी तथा रेलवे पुलिस भी लिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के लिए ऐसे मामलों का जोन-वार सारांश नीचे दिए गए अनुसार है:-

रेलवे	2004	2005	2006	2007(सितंबर तक)
उत्तर	06	01	-	-
पश्चिम	01	01	-	-

पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का विवरण नीचे दिए गए अनुसार है:-

1. 03.03.2004 को आर्मी इंटेलीजेंस से प्राप्त एक सूचना के आधार पर, 2916 आश्रम एक्सप्रेस की लीज्ड फ्रंट ब्रेक वेन की दिल्ली मेन स्टेशन पर जांच की गई। रेल सुरक्षा बल की सहायता से दिल्ली पुलिस विशेष शाखा द्वारा 886 किलोग्राम चांदी, 7.3 किलोग्राम सोना और नकद 55,03,255/- रुपए (कुल मूल्य लगभग 1.77 करोड़ रु.) जब्त किए गए। मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उन्होंने मामला आगे आयकर विभाग को भेज दिया है।

2. दूसरे मामले में 03.4.2004 को रेल सुरक्षा बल और रेल सतर्कता स्टाफ ने लगभग 1(एक) करोड़ रुपए मूल्य की 614 किलोग्राम चांदी का पता लगाया था, जिसे सामान्य माल के रूप में बुक किया गया था और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नं. 2724 आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस के पीछे की ब्रेक वैन में लादा जाना था। प्रभावित पार्टियों ने दिल्ली न्यायालय में मामला दायर किया था और आयकर विभाग से क्लीयरेंस के बाद, रेल अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त जुर्माना लगाने के पश्चात माल पार्टियों को दिया जा रहा है।

3. तीसरे मामले में, 02.7.2004 को रेल सतर्कता द्वारा प्राप्त एक सूचना पर, संदिग्ध पैकेटों को गाड़ी सं. 2916 आश्रम एक्सप्रेस के फ्रंट ब्रेक वेन से दिल्ली मेन स्टेशन पर उतार दिया गया था और 600 किलोग्राम चांदी, 11 किलोग्राम सोना, नकद 41,68,300/- और 65000/- रुपए कीमत के बहुमूल्य रत्न, जिनका कुल मूल्य 1.5 करोड़ रुपए है, जब्त किया गया था। मामले को राजकीय रेल पुलिस/दिल्ली मेन को सौंप दिया गया था जिन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार करके भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 34 और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 163 के अंतर्गत अपराध सं 38/04 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की सुनवाई चल रही है।

4. चौथे मामले पर, 01.8.2004 को 2952 मुंबी राजधानी एक्सप्रेस की लीज्ड ब्रेक वैन को रेल सुरक्षा बल/नई दिल्ली द्वारा जांच की गई थी और 605 किलोग्राम वजन का सोना और चांदी और 1000 रुपए के करेंसी नोट जिनका कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए था, जब्त किए गए थे।

5. उपर्युक्त गाड़ी से, 02.8.2004 को मुंबई सैंट्रल पहुंचने पर लगभग 250 किलोग्राम चांदी वाले 02 और पैकेट, जो लगभग 12,10,000/- मूल्य के थे, को जब्त किया

गया था। इन सभी मूल्यवान मदों को सामान्य माल के रूप में घोषित किया गया था। रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों को नई दिल्ली स्टेशन पर 03 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था और उन पर जुर्माना लगाया गया था। मुंबई में रेल अधिनियम के अंतर्गत दर्ज 02 आरोपियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई चल रही है।

6. 18.9.2004 को रेल सुरक्षा बल/दिल्ली मेन ने दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी सं. 9105 अहमदाबाद मेल के लीज्ड फ्रैंट एस एल आर से 3,90,000/- रुपए मूल्य के सोने और चांदी के गहने जब्त किए थे और एक लीज्ड होल्डर और उनके पांच सहायकों को गिरफ्तार किया था इस संबंध में रेल सुरक्षा बल/दिल्ली मेन ने उपर्युक्त आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 19.9.2004 के रेल अधिनियम के अपराध सं. 59/04 यू/एस 163 के तहत एक मामला दर्ज किया था। पांच सहायकों पर 500/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जुर्माना किया गया था और जब्त की गई संपत्ति को न्यायालय के आदेशानुसार 5.11.2004 को उसके स्वामी को सौंप दिया गया था।

7. 18.12.2004 को रेल सुरक्षा बल/नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी सं. 2724 ए.पी. एक्प्रेस के पिछले लीज्ड एस एल आर से 15,00,000/- रुपए मूल्य के 212 किलोग्राम सोने और चांदी के गहने जब्त किए थे और एक लीज होल्डर और उसके दो साथियों को गिरफ्ता किया था। इस संबंध में रेल सुरक्षा बल/नई दिल्ली ने उपर्युक्त आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध 18.12.2004 के रेल अधिनियम के अपराध सं. 297/04 यू/एस 163 के तहत एक मामला दर्ज किया था।

8. 19.10.2005 को मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक/इंदौर ने रिटर्न मेमों द्वारा निरीक्षक/रेल सुरक्षा बल/इंदौर को सूचित किया था कि रेल मार्का 384337/05 गनी पैक कार्टू संदेहास्पद है। मेमो प्राप्त होने के बाद उप निरीक्षक/ रेल सुरक्षा बल, मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक, पार्टी की उपस्थिति में और दो पंचों के समक्ष, सभी गनी पैक कार्टूनों को खोला गया और कार्टूनों से 225.4 किलोग्राम चांदी प्राप्त हुई। यह गलत घोषणा का मामला है। 19.10.2005 के रेल अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत अपराध सं. 01/05 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था और आरोपी को माननीय रेल न्यायालय/ इंदौर के समक्ष पेश किया गया था जहां आरोपी पर 1500/- रुपए का जुर्माना किया गया।

9. 19.12.2005 को रेल सुरक्षा बल/नई दिल्ली ने नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी सं. 2615 जी टी एक्सप्रेस के एक पिछले लीज्ड एस एल आर से 45,00,000/- मूल्य के 285 किलोग्राम सोने और चांदी के गहने जब्त किए थे और लीज होल्डर को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में रेल सुरक्षा बल/नई दिल्ली ने एक आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध 19.12.2005 को रेल अधिनियम के अपराध सं. 1029/05 यू/एस 163 के तहत एक मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई चल रही है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित मामलों में से किसी में भी रेलवे के अधिकारियों और रेल पुलिस के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला।

(ङ) रेलवे को निम्नलिखित निवारक उपाय करने के लिए कहा गया है:-

1. लीज होल्डरों को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि लीज्ड दूसरे दर्जे के लगेज ब्रेक वैन में कोई अवैध माल नहीं ढोया जा रहा है।

2. राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी), रेल सुरक्षा बल और वाणिज्यिक स्टाफ को समन्वित तरीके से खुफिया गतिविधियों में तेजी लाने और स्टेशन क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर गहन निगरानी रखने की सलाह दी गई है।

3. इस प्रकार की घटनाओं के बार-बार होने से बचने के लिए, रेलों द्वारा औचक जांचे आयोजित की जाएं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

799. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को माननीय संसद सदस्यों अथवा सामाजिक संगठनों से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सख्त अनुपालन हेतु लोक प्रतिनिधियों की भूमिका निर्धारित करने के संबंध में तथा उक्त समुदायों के लोगों की भारी संख्या में हत्या अथवा उनकी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाने के संबंध में और संबद्ध जिलाधीश तथा पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा ऐसे मामलों में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) हाल ही में ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 16 और 17 में राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः सतर्कता और मॉनीटरिंग समितियों के गठन का प्रावधान है जिसके सदस्य संसद, राज्य विधान सभा और विधान-परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जहां तक लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई का संबंध है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 10 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 4 में किसी अपराध के लिए उकसाने/कर्तव्य की उपेक्षा करने के लिए दण्ड का प्रावधान पहले से ही है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को गैस की अपर्याप्त आपूर्ति

800. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश गैस की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है तथा कई विद्युत संयंत्रों को गैस की अपर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या के.जी. बेसिन में उत्पादन शुरू हो जाने के बाद गैस की कमी नहीं रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो केजी बेसिन से गैस की आपूर्ति कब तक शुरू हो सकेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) देश में, विद्युत क्षेत्र की मांग प्राकृतिक गैस की वर्तमान उपलब्धता से अधिक है।

(ग) और (घ) वर्ष 2008 के दौरान केजी बेसिन से प्रतिदिन लगभग 40 मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएमडी) की उपलब्धता से प्राकृतिक गैस की कमी कम हो जाएगी, जो वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक 80 एमएमएससीएमडी तक हो जाने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

801. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि का भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस स्थिति से निपटने तथा घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान धन की दृष्टि से देश के आयात बिल में कुल कितनी वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) विश्व में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें वर्ष 2004 से ऊंची और उतार-चढ़ाव वाली रहीं। भारतीय बास्किट कच्चे तेल ने 7.11.2007 को 91.12 अमरीकी डालर प्रति बैरल के सर्वथा उच्च मूल्य को छू दिया।

चूंकि तेल मूल्यों में ऊर्ध्वगामी वृद्धि के संपूर्ण बोझ को उपभोक्ताओं पर डालने के परिणामस्वरूप आम आदमी को कठिनाई हुई होती इसलिए सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हित का संरक्षण करने के लिए तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सरकार के बीच समान बोझ हिस्सेदारी के सिद्धांत को अपनाया। पेट्रोल और डीजल पर करों और शुल्कों को युक्तियुक्त बनाने के लिए भी सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना जारी रखेगी।

पिछले तीन वर्ष के दौरान देश के तेल आयात बिल में मुद्रा के रूप में कुल वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आयात बिल

व्यापार	2004-05			2005-06			2006-07 अनंतिम		
	मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य		मात्रा	मूल्य	
	टीएमटी	करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	टीएमटी	करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर	टीएमटी	करोड़ रु.	मिलियन अमरीकी डालर
कच्चे तेल का आयात	95,861	117,003	25,990	99,409	171,702	38,776	111,502	219,029	48,389
पेट्रोलियम उत्पादों का आयात	8,828	14,887	3,277	13,441	27,971	6,302	16,967	40,389	8,891
कुल आयात	104,689	131,891	29,266	112,850	199,673	45,078	128,469	259,418	57,280
कुल उत्पाद निर्यात	18,211	29,928	6,659	23,460	49,974	11,232	32,737	80,898	17,814
निवल आयात	86,478	101,963	22,607	89,391	149,699	33,845	95,732	178,521	39,466

तेल की कीमतें

802. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने आर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशन्स (ओपेक) से कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने तथा तेजी से बढ़ रही कीमतों में कमी लाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ओपेक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, वियना, आस्ट्रिया में सितंबर 2006 में आयोजित ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने तेजी से बढ़ती हुई तेल कीमत का मुद्दा उठाया था। मंत्री ने इस ओर संकेत दिया कि तेल सुरक्षा मात्र आपूर्ति सुरक्षा नहीं है। तेल आपूर्ति को सुरक्षित करने के बावजूद एक विकासशील देश तब तक पर्याप्त तेल प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि मूल्य उचित न हों। अत: मूल्य स्थिरता तेल सुरक्षा का एक महत्वपूर्म घटक बन गया है। आम आदमी के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में ऊर्जा मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उचित मूल्यों पर तेल उपलब्ध कराना अनिवार्य हो गया है और वर्तमान तेल मूल्य परिदृश्य में यह लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों से तेल की चोरी

803. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा रेलवे कर्मचारियों की सांठगांठ से रेलगाड़ियों से रास्ते में लाखों लीटर पेट्रोल/डीजल की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों से तेल की चोरी के ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(ग) ऐसे प्रत्येक मामले में पकड़े गए तेल कंपनियों के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आबंटन

804. **श्री अनंत नायक:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में उर्वरकों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें उर्वरकों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्य सरकारों ने उर्वरकों, विशेषकर यूरिया का आवंटन बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है, जिसका संचलन और वितरण वर्तमान में भारत सरकार के आंशिक नियंत्रण में है। राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है और अन्य सभी उर्वरक यथा डीएपी और एमओपी आदि नियंत्रणमुक्त हैं और इन उर्वरकों की उपलब्धता, मांग और आपूर्ति बाजार शक्तियों पर निर्भर होती है। 2007 (खरीफ मौसम) में उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी नहीं। उर्वरक विभाग द्वारा राज्य स्तर पर खरीफ और रबी 2007-08 के प्रत्येक माह में सतत बिक्री द्वारा उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी।

विवरण

सितम्बर 2007 तक उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टाक

दिनांक: 30 सितम्बर, 2007

(मात्रा 000' मी. टन में

खरीफ: 2007

राज्य का नाम	यूरिया				डीएपी				एमओपी			
	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	1400.00	1379.99	1209.82	170.18	424.00	382.37	377.22	5.15	235.00	231.70	206.35	25.35
कर्नाटक	780.00	788.94	747.47	41.47	380.00	292.04	285.57	6.47	200.00	221.79	207.99	13.80
केरल	75.00	79.71	67.18	12.54	18.00	11.10	9.11	1.99	70.00	58.97	58.44	0.53
तनिलनाडु	435.00	363.71	318.16	45.56	200.00	156.09	151.97	4.12	230.00	235.28	206.73	28.55
गुजरात	850.00	961.90	927.38	34.52	280.00	333.25	290.99	42.27	70.00	93.05	80.25	12.80
मध्य प्रदेश	475.00	606.04	572.82	33.22	350.00	331.53	293.93	37.60	50.00	47.91	41.81	6.10
छत्तीसगढ़	480.00	432.22	399.83	32.39	115.00	100.21	97.78	2.43	54.00	53.06	50.22	2.85
महाराष्ट्र	1250.00	1415.65	1334.81	80.83	425.00	335.97	335.14	0.84	125.00	161.53	154.56	6.98
राजस्थान	520.00	564.86	506.96	57.90	280.00	228.53	207.69	20.84	8.00	13.65	9.13	4.52
हरियाणा	775.00	898.22	842.06	56.16	185.00	273.32	255.91	17.41	25.00	22.99	18.92	4.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	1250.00	1366.10	1312.69	53.41	250.00	452.69	403.43	49.25	60.00	46.40	40.87	5.54
जम्मू-कश्मीर	80.62	71.60	60.08	11.52	49.20	14.89	13.28	1.61	16.66	3.69	3.09	0.60
उत्तर प्रदेश	2500.00	2512.68	2229.44	283.24	500.00	499.16	438.20	60.96	150.00	91.79	84.86	6.93
बिहार	900.00	894.94	786.59	108.34	175.00	114.83	100.42	14.41	75.00	41.49	36.20	5.29
झारखंड	145.00	113.99	111.22	2.77	60.00	51.56	50.96	0.60	8.00	5.49	4.49	1.00
उड़ीसा	375.00	380.89	313.95	66.94	75.00	115.80	106.85	8.95	70.00	75.87	58.73	17.14
पश्चिम बंगाल	520.00	475.73	417.47	58.26	185.00	198.55	179.57	18.99	150.00	137.57	123.98	13.59
असम	110.00	115.77	99.45	16.32	25.00	4.40	4.33	0.07	35.00	28.57	23.53	5.04
अखिल भारत	13168.70	13640.82	12458.43	1182.39	4008.30	3908.73	3613.48	295.25	1652.26	1577.67	1417.99	159.67

विदेशी पर्यटकों को प्रताड़ित किया जाना

805. **श्री एम. अप्पादुरई:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य विदेशी पर्यटकों के साथ प्रताड़ना, धोखेबाजी, छेड़खानी तथा बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण केन्द्र सरकार ने महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को विशेष पर्यटक पुलिस लगाने के लिए कहा है तथा अब तक केवल 10 राज्यों ने ही पर्यटक पुलिस लगाई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक केन्द्र सरकार के निदेश पर विचार नहीं किया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न पर्यटन स्थलों पर राज्य सरकारों द्वारा पर्यटक पुलिस बल कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) निम्नलिखित दस राज्यों:- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली ने एक या किसी अन्य रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है। सुरक्षा एवं बचाव, राज्य का विषय है और पर्यटक पुलिस तैनात करने के संबंध में निर्णय, संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। पर्यटन मंत्रालय, विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की सुरक्षा एवं उनके बचाव हेतु पर्यटक पुलिस तैनात करने के लिए सभी राज्य सरकारों को सलाह देता रहा है।

आई एस ओ प्रमाणित रेलगाड़ियां तथा ऐसी रेलगाड़ियों में उपलब्ध करायी गई सुविधाएं

806. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन (आई एस ओ) प्रमामित रेलगाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत तथा विदेशों में रेलगाड़ियों में उपलब्ध करायी गई सुविधाओं को अलग रेटिंग दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो आई एस ओ प्रमाणित रेलगाड़ियों में उपलब्ध कराए गए वातानुकूलित डिब्बों की सेवा गुणवत्ता विनिर्दिष्ट मानदंडों से कहीं कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आई एस ओ रेलगाड़ियों की सेवाओं में सुधार करने के लिए किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) संपूर्ण विश्व में रेलों पर रेल गाड़ियों में यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं का मानक एवं मापदंड भौगोलिक, जलवायु, आर्थिक, यात्री प्रोफाइल इत्यादि के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है तथा तदनुसार भारतीय

रेलों पर गाड़ियों के आई एस ओ प्रमाण पत्र का सार्वभौम रूप से लागू गुणवत्ता मानक का संबंध नहीं है बल्कि प्रत्येक गाड़ी के लिए निर्धारित विशेष गुणवत्ता मानक से है। यह लगातार प्रयास किया जाता है कि आई एस ओ प्रमाणित गाड़ियों में, इस प्रकार की गाड़ियों के वातानुकूलित डिब्बों सहित, निर्धारित गुणवत्ता मानक हासिल किया जाए तथा उसे बनाए रखा जाए।

विवरण

देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा प्रमाणित गाड़ियों का जोनवार विवरण

क्र.सं.	रेलवे	गाड़ी संख्या (जोड़ी)	गाड़ी का नाम
1	2	3	4
1	मध्य रेलवे	2123/24	डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस
		2137/38	पंजाब मेल
		2051/52	जनशताब्दी एक्सप्रेस दादर-मडगांव
		2109/10	पंटवटी एक्सप्रेस
2.	उत्तर रेलवे	2057/58	जनशताब्दी नई दिल्ली-चंडीगढ़
		2413/14	पूजा एक्सप्रेस
		2055/56	जनशताब्दी नई दिल्ली-देहरादून
		4257/58	काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
3.	पूर्वोत्तर रेलवे	2559/60	शिवगंगा एक्सप्रेस
4.	दक्षिण रेलवे	2007/08	शताब्दी एक्सप्रेस चेन्नै-मैसूर
5.	दक्षिण मध्य रेलवे	2706/05	इंटरसिटी एक्सप्रेस गुंटूर-सिकंदराबाद
		2717/18	रतनाचल एक्सप्रेस
		2715/16	सचखंड एक्सप्रेस
		2797/98	वेंकटाद्री एक्सप्रेस
		2733/34	नरायणाद्री एक्सप्रेस
		2747/48	पालनाडु एक्सप्रेस
6.	पश्चिम रेलवे	2971/72	भावनगर-बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस
		2957/58	अहमदाबाद नई दिल्ली स्वर्णजयंती राजधानी एक्सप्रेस
		2901/02	गुजरात मेल

1	2	3	4
		2915/16	आश्रम एक्सप्रेस
		9309/10	इंदौर-गांधीनगर शांति एक्सप्रेस
		2925/26	पश्चिम एक्सप्रेस
		2907/08	महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बांद्रा (ट) हजरत निजामुद्दीन
		2951/52	मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
		2953/54	अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल-निजामुद्दीन
		2009/10	शताब्दी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद
7.	पश्चिम मध्य रेलवे	2155/56	भोपाल एक्सप्रेस हबीबगंज निजामुद्दीन
		2185/86	भोपाल रीवा रीवाचल एक्सप्रेस
		2187/88	भोपाल रीवा रीवाचल एक्सप्रेस
		2059/60	जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटा निजामुद्दीन
		1471/72	भोपाल-जबलपुर ओवरनाईट एक्सप्रेस
8.	उत्तर मध्य रेलवे	2417/18	प्रयागराज एक्सप्रेस
9.	अन्य सभी क्षेत्रीय रेलें	कोई नहीं।	

बंगलौर और विजयवाड़ा के बीच नई रेलगाड़ी

807. श्री ए. साई प्रताप: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बंगलौर और विजयवाड़ा के बीच बरास्ता गुंतकल-कडपा रेनिगुण्टा एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एच.पी.वी. का पुनरुद्धार

808. श्री एम. जगन्नाथ: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रुग्ण भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड (बी.एच.पी.वी.) को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बी.एच.पी.वी. के पुनरुद्धार और पुनर्वास के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड ने बीएचपीवी के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर विचार किया है।

(ख) बीएचपीवी को बीएचईएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहण कर इसका पुनरुद्धार किए जाने का प्रस्ताव है। बीएचईएल ने बीएचपीवी के पुनरुद्धार के लिए कुछ रियायतों की मांग की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बीएचईएल द्वारा अधिग्रहण करने पर बीएचपीवी को भूमि के अंतरित करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। बीएचपीवी के बैंकर पूर्ण मूलधन के एकमुश्त भुगतान के बदले ब्याज माफ करने पर सहमत हो गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार भी मांगी गई सभी रियायतों पर सहमत हो गई है। बीएचपीवी के वित्तीय पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) को भेजा गया था जिसमें भारत सरकार के ऋण एवं ब्याज की माफी, बैंकरों तथा अन्यों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा निधियों का निवेश, बीएचपीवी में बीएचईएल द्वारा निधियों का निवेश तथा बीएचईएल द्वारा बीएचपीवी का अधिग्रहण शामिल है।

बीआरपीएसई ने दिनांक 02.07.2007 को प्रस्ताव पर विचार किया तथा बीएचपीवी के वित्तीय पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण की सिफारिश की। बीआरपीएसई की सिफारिशों के साथ-साथ सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

किसान सहायक केन्द्र योजना

809. श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री वी.के. ठुम्मरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा "किसान सहायक केन्द्र योजना" (किसान सहायता केन्द्र योजना) के अंतर्गत अनेक पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत आज तक राज्यवार कितने पेट्रोल पंप स्वीकृत किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मात्र पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है और किसानों को कोई अन्य सहायता नहीं दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, कृषकों और पेट्रोल एवं डीजल के अन्य उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए देशभर में ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्र (जैसे कि किसान सेवा केन्द्र हमारा पंप इत्यादि) स्थापित कर रही हैं। ऐसा ग्रामीण खेतीबाड़ी की मांग पूरी करने के लिए उत्पाद प्रमुखतः डीजल पहुंचाने और दूरदराज के क्षेत्रों में सही मूल्य पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से किया गया है। जहां कहीं आवश्यकता हो, पेट्रोल और डीजल के अलावा बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, औजारों आदि जैसी अन्य मदों का स्टाक किया जाता है उनकी बिक्री इन ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों से कृषकों को की जाती है। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना पहचान किए गए ऐसे ग्रामीण स्थानों पर की जाती है जिनमें पर्याप्त संभाव्यता हो और जो सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता अध्ययनों द्वारा यथा स्थापित आर्थिक व्यवहार्यता रखते हों। 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार ओएमसीज द्वारा आबंटित ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

30.9.2007 को स्थिति के अनुसार ओएमसीज द्वारा आबंटित ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों (किसान सेवा केन्द्र, हमारा पंप आदि) की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	केएसके आरओज की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	284
2.	असम	59
3.	बिहार	264
4.	छत्तीसगढ़	125
5.	गोवा	22
6.	गुजरात	214

1	2	3
7.	हरियाणा	231
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	जम्मू-कश्मीर	71
10.	झारखंड	59
11.	कर्नाटक	262
12.	केरल	215
13	मध्य प्रदेश	328
14.	महाराष्ट्र	544
15.	मणिपुर	9
16.	मेघालय	11
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा	166
19.	पंजाब	609
20.	राजस्थान	352
21.	सिक्किम	2
22.	त्रिपुरा	3
23.	तमिलनाडु	336
24.	उत्तरांचल	39
25.	उत्तर प्रदेश	601
26.	पश्चिम बंगाल	211
27.	पांडिचेरी	17
	योग	5047

[अनुवाद]

बीसीपीएल द्वारा गैस क्रैकर परियोजना शुरू किया जाना

810. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पालिमर लि. (बीसीपीएल) द्वारा गैस क्रैकर परियोजना शुरू करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादों और सम्बद्ध उद्योगों (डाउन स्ट्रीम इन्डस्ट्रीज) के लिए किन-किन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्पर्कों की परिकल्पना की गई है;

(ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसरों के लिए चरणों में उद्यमियों को जागरुक बनाने और उनके प्रशिक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पहले ही से ही चलाए गए और भविष्य के लिए निर्धारित किए गए भर्ती अभियान का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) बीसीपीएल द्वारा गैस क्रैकर परियोजना की पूर्णता की निर्धारित तिथि वित्तीय समापन की तिथि से 60 महीने है। प्रस्तावित चरण-वार क्रियान्वयन अनुसूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) घरेलू बाजार में पॉलीमर सामग्रियों की मांग व आपूर्ति के बीच अंतर है और ऐसी संकल्पना है कि इस उत्पाद का उपभोग घरेलू पॉलीमर प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

(ग) असम सरकार द्वारा प्रशिक्षणों और कौशल विकास का आयोजन राज्य के चिन्हित आईटीआईज के माध्यम से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेकनोलॉजी (सिपेट), गुवाहाटी की मदद से किया जा रहा है।

(घ) परियोजना क्रियान्वयन की आरंभिक अवस्था में प्रोमोटरों (गेल) की मदद से जन शक्ति की व्यवस्था स्थानांतरण द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनशक्ति को कभी भी निर्माण, चालू करने और परियोजना प्रचालन हेतु आवश्यकता पड़ने पर सुदृढ़ किया जा सकता है।

विवरण

परियोजना समय सारणी (माह में)

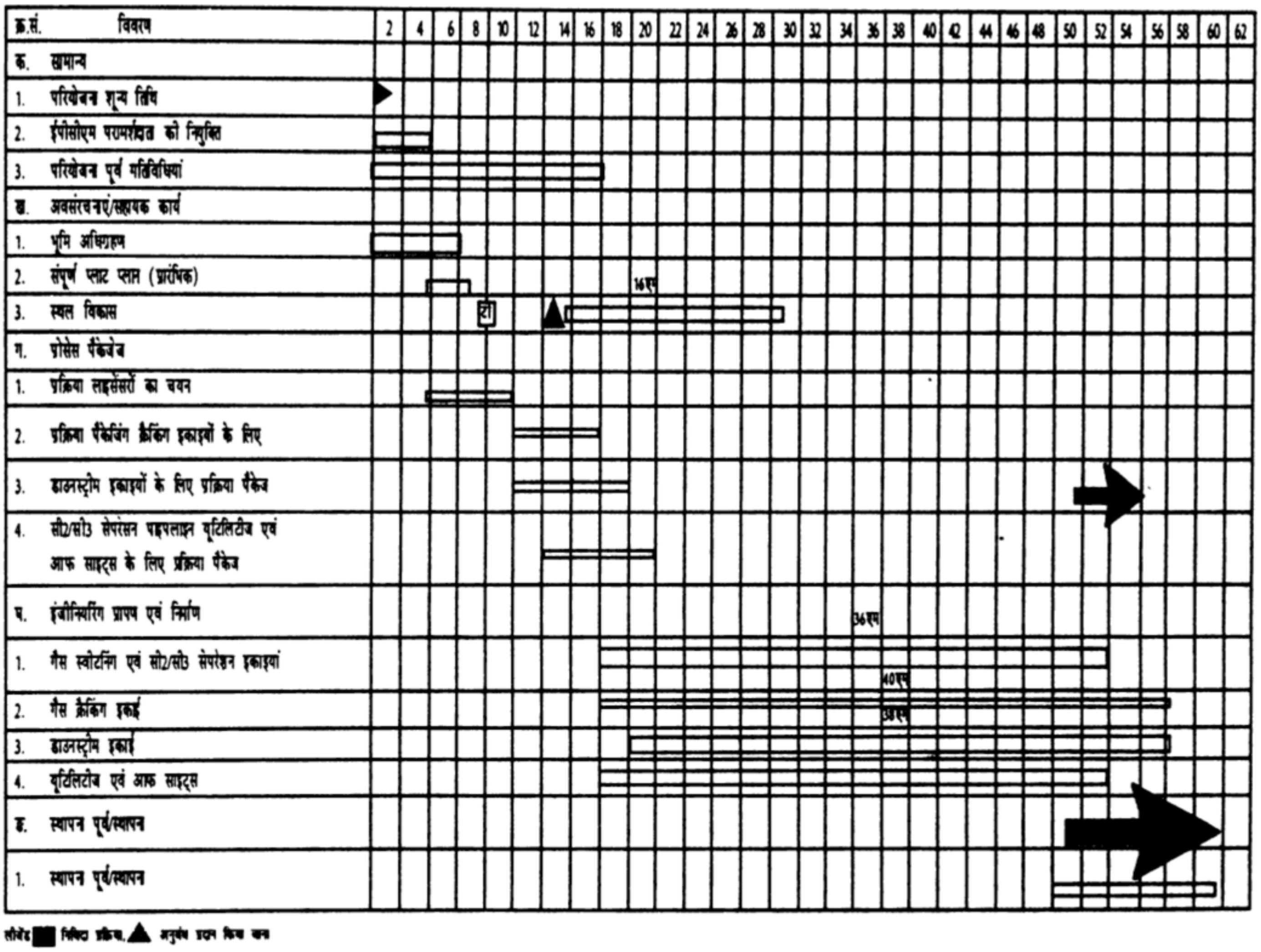

तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से विमान को आपातकाल में उतारा जाना

811. श्री मदन लाल शर्मा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस (आईए) अथवा इसकी सहायक विमान कम्पनी एलायंस एयरलाइंस के विमानों को विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कितनी बार जमीन पर खड़ा करना पड़ा अथवा आपातकाल में उतारना पड़ा;

(ख) उक्त विमानों को आपातकाल में उतारे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमानों को आपातकाल में उतारे जाने के कारणों की कोई गहन जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस और इसकी सहायक विमान कंपनियों को अपनी उड़ानों को आपातकाल में उतारे जाने की वजह से कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007) के दौरान तकनीकी कमियों के कारण कोई आपातकालीन

लैंडिंग नहीं हुई थी। उपरोक्त अवधि के दौरान तकनीकी कारणों से ग्राउंडिंग का विवरण निम्न प्रकार से है:

विमान का प्रकार	तकनीकी कारणों से भूमि पर खड़े हुए विमानों की संख्या	प्रति 100 टेकआफ पर तकनीकी कारणों से भूमि पर खड़े हुए विमान
ए-319	04	0.03
ए-320	719	0.27
ए-300	17	0.14
डीओ-228	17	1.82
बी-737	96	0.21

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फास्ट पैसेन्जर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में बदला जाना

812. **श्री रशीद मसूदः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर और देहरादून के बीच चलने वाली फास्ट पैसेंजर ट्रेन सं. 329/330 को एक्सप्रेस ट्रेन में बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सहारनपुर में सरसावा रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को ठहराव दिया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस ट्रेन को सरसावा रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने के लिए कोई सार्वजनिक मांग प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 1.8.2007 से पैसेंजर गाड़ी 329/330 को एक्सप्रेस गाड़ी (4631/4632) में अपग्रेड किया गया है। सि अपग्रेडेशन के बाद, अमृतसर से देहरादून तक के चालन समय में 2 घंटे 35 मिनट और देहरादून से अमृतसर तक 2 घंटे 30 मिनट तक की कटौती हुई है। इसके अलावा, इस गाड़ी के साथ 22.2.2006 से शयनयान श्रेणी के 6 अतिरिक्त सवारी डिब्बे (जीएससीएन) और 15.4.2006 से 1 ए सी सी एन (ए सी 3 टायर) सवारी डिब्बा जोड़ा गया है।

(ग) और (घ) कम लोकप्रियता के कारण सरसावा से इस गाड़ी का ठहराव समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां। इस अनुरोध की जांच की गई है लेकिन सरसावा में इस गाड़ी को ठहराव देना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

निर्माण के मौजूदा नियमों में संशोधन

813. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारीतय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण निषेध करने वाले मौजूदा नियमों में संशोधन करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नियमों का ब्यौरा क्या है और क्या संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) विगत के अनुभव तथा समसामयिक आधारभूत वास्तविकताओं के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्तल और अवशेष नियम, 1956 के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है ताकि संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों का बेहतर प्रबंधन किया जा सके।

बंद पड़ी/रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

814. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
योगी आदित्यनाथ:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बंद पड़ी अथवा रुग्ण रासायनिक उर्वरक इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन्हें बंद किए जाने/उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी/रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो ने रिपोर्ट अनुमोदित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बंद पड़ी/रुग्ण इकाइयों की पुनरुद्धार प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत देश में बंद पड़ी हुई या रुग्ण रासायनिक उर्वरक इकाइयों और उनके बंद होने/रुग्ण होने के कारणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 12.4.2007 को लिए गए निर्णय के अनुसरण में सरकार ने गैस की सुनिश्चित उपलब्धता अध्यधीन बंद पड़ी हुई/रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार की संभावना की जांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ग) संभाव्यता रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) बंद पड़ी हुई/रुग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया जांच/संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने के चरण में है। आरसीएफ और एनएफएल जैसी बेहतर स्थिति में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहु-राज्य उर्वरक सहकारी समिति, नामतः कृभको ने बंद पड़ी हुई इकाइयों के पुनरुद्धार में रुचि दिखाई है। राज्य सरकारों द्वारा निवेश सहित अन्य विकल्पों का भी पता लगाया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी हुई/रुग्ण रासायनिक उर्वरक इकाइयों और उनके बंद होने/रुग्ण होने के कारणों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	कंपनी का नाम	इकाई का नाम और जिस राज्य में स्थित है, उसका नाम	बंद होने की तारीख	बंद/रुग्ण होने का कारण
1.	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफसीआईएल)	सिन्दरी इकाई (झारखंड)	सरकार द्वारा 5.9.2002 को बंद करने का निर्णय लिया गया	आर्थिक अव्यवहार्यता, बृहत संचयी हानि के परिणामस्वरूप निवल मूल्य ऋणात्मक होना और प्रौद्योगिकी का पुराना होना
		तलचर इकाई (उड़ीसा)	-तदैव-	-तदैव-
		रामागुंडम इकाई (आंध्र प्रदेश)	-तदैव-	-तदैव-
		गोरखपुर इकाई (उत्तर प्रदेश)	-तदैव-	-तदैव-
		कोरबा परियोजना (छत्तीसगढ़)	-तदैव-	-तदैव-
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि. (एचएफसीएल)	बरौनी इकाई (बिहार)	सरकार द्वारा 5.9.2002 को बंद करने का निर्णय लिया गया	आर्थिक अव्यवहार्यता, बृहत संचयी हानि के परिणामस्वरूप निवल मूल्य ऋणात्मक होना और प्रौद्योगिकी का पुराना होना
		दुर्गापुर इकाई (पश्चिम बंगाल)	-तदैव-	-तदैव-
		हल्दिया इकाई (पश्चिम बंगाल)	-तदैव-	-तदैव-
3.	पाइराईट्स फॉस्फेट एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल)	अमझोर इकाई (बिहार)	सरकार द्वारा 5.6.2003 को बंद करने का निर्णय लिया गया	आर्थिक अव्यवहार्यता, बृहत संचयी हानि के परिणामस्वरूप निवल मूल्य ऋणात्मक होना और प्रौद्योगिकी का पुराना होना
		सलादीपुरा (राजस्थान)	सरकार द्वारा 5.9.2002 को बंद करने का निर्णय लिया गया	-तदैव-
		देहरादून (उत्तराखंड)	-तदैव-	-तदैव-

[हिन्दी]

पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड में घोटाला

815. श्री मोहन रावले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन हंस हेलीकॉप्टरों के उन्नयन में व्यापक स्तर पर घोटाला और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कौन-कौन से अधिकारी और एजेंसियां दोषी पाई गई हैं; और

(घ) उनके खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 31.07.2007 को सीबीआई ने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्व महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग) एवं अन्य 3 अधिकारियों तथा मैसर्स यूरोकॉप्टर एवं मैसर्स सोफेमा (एसओएफईएमए) के विरुद्ध एक नियमित मामला रजिस्टर किया है, जो डॉफिन हेलीकॉप्टर्स में 66 करोड़ रुपए की लागत पर सीवीएफडीआर, एडीईएलटी, रेडियो ऑल्टीमीटर, अपर टोर्सो रिस्ट्रेन्ट्स सीट बैल्ट्स, लाइफ राफ्ट्स, पॉप आउट विंडोज तथा मिनि-हम्स आदि की रिट्रोफिटमैंट के लिए कान्ट्रैक्ट दिए जाने से संबंधित है।

(ग) और (घ) इस मामले में सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अमृतसर और फिरोजपुर के बीच सीधा रेल संपर्क

816. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अमृतसर और फिरोजपुर छावनी के बीच सीधे रेल संपर्क के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। अमृतसर और फिरोजपुर से बीच सीधा संपर्क मुहैया कराने के लिए खेमकरम से फिरोजपुर तक नई रेल लाइन के लिए पंजाब राज्य सरकार और चयनित प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नई लाइन के लिए 3.75 लाख रुपए की लागत से सर्वेक्षण कार्य स्वीकृत किया गया है।

नारखेड़ और अमरावती के बीच नई रेल लाइन

817. श्री प्रकाश बी. जाधव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 115 करोड़ से भी अधिक खर्च किए जाने के बावजूद मध्य रेल के अमरावती-नारखेड़ मार्ग पर कार्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की मूल लागत कितनी है और अभी तक लागत में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) बड़नेरा से चंदुरबाजार (44 किमी.) तक खंड का कार्य पूरा हो चुका है। चंदुरबाजार-नरखेड़ खंड (94 किमी.) में भूमि संबंधी, पुल संबंधी कार्य और गिट्टी संग्रहण का कार्य शुरु हो गया है।

(ग) इस कार्य को 1993-94 के बजट में 120.90 करोड़ रुपये की लागत से शामिल किया गया था। 284.27 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान स्वीकृत किया गया है।

जैव डीजल संबंधी नीति

818. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जैव डीजल संबंधी नीति ने वांछनीय परिणाम नहीं दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने अब तक कितनी मात्रा में जैव डीजल की खरीद की है;

(घ) इस नीति में व्यापक बदलाव करने के लिए सरकार ने क्या-क्या नए कदम उठाए हैं; और

(ङ) "ग्रीन फ्यूल" के व्यापक उपयोग हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जैव डीजल के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 1.1.2006 से जैव डीजल क्रय नीति की घोषणा की है। नीति के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पूरे देश में स्थित 20 अभिज्ञात क्रय केन्द्रों से 5 प्रतिशत उच्च गति डीजल (एचएसडी) में मिलाने के लिए जैव डीजल की खरीद करेंगी। ओएमसीज जैव डीजल की खरीद ऐसी एक समान उतराई कीमत पर करेंगी जिसकी हर छह माह बाद समीक्षा की जाएगी। इस समय जैव डीजल की खरीद कीमत 26.50 रुपए प्रति लीटर है। तथापि किसी भी आपूर्तिकर्ता ने इस कीमत पर जैव डीजल की ओपूर्ति करने के प्रति रुचि नहीं दर्शाई है। ओएमसीज जैव डीजल की खरीद अभी तक अभिज्ञात क्रय केन्द्रों से नहीं कर पाई है।

जटरोफा जैसे पौधों के बीजों से जैव डीजल का उत्पादन नवजात चरण में है।

(घ) और (ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रीन फ्यूल के व्यापक इस्तेमाल के लिए नीतियां बनाने की प्रक्रिया में है।

तलचर-विमलागढ़ रेल परियोजना

819. श्री मोहन जेना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तलचर-विमलागढ़ रेल परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी और इसको पूरा करने की शुरुआती लक्षित तारीख क्या थी;

(ख) उड़ीसा की उक्त रेल परियोजना में कितना अधिक समय लग गया है और इसकी लागत में और कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और पैसेंजर यातायात के लिए खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तलचेर विमलागढ़ (154 किमी.) नई लाइन परियोजना को 2003-04 के पूरक बजट में शामिल किया गया था। प्रारंभिक कार्य जैसे अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण संरेखण सहित भूमि जांच सर्वेक्षण, सुरंगों और पुलों का भू-तकनीकी अन्वेषण, विस्तृत लागत अनुमानों को तैयार करना आदि कार्य तत्पश्चात शुरू किए जाने थे। इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) इस परियोजना को वर्ष 2003-04 के पूरक बजट में 726.96 करोड़ रुपए की लागत पर शामिल किया गया था। इस परियोजना के विस्तृत अनुमानों को हाल ही में 810.78 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) अभी तक इस परियोजना को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आने वाले वर्षों में इस कार्य की प्रगति की जाएगी और इसे पूरा किया जाएगा।

केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रा के लिए रेल सुविधाएं

820. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रविन्द्रन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने विशेष रेल सेवा, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव, अतिरिक्त डिब्बों की पर्याप्त संख्या, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 24 घंटे कार्यरत रहने वाले सूचना केन्द्र के लिए विशेष अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे सबरीमाला तीर्थयात्रा सीजन के लिए तमिल, कन्नड़, तेलगु और अन्य भाषा में समय-सारणी जारी करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे सबरीमाला से होकर जाने वाली प्रस्तावित रेल लाइनों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए भी कदम उठाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रेलवे द्वारा केरल में आगामी सबरीमाला तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व भीड़-भाड़ से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अंगामली-सबरीमाला नई लाइन को पहले ही 1997-1998 के बजट में शामिल किया जा चुका है। बहरहाल सबरीमाला सिरे पर, इस नई लाइन को आरक्षित वन क्षेत्र से थोड़ा पहले, अजुथा स्टेशन पर समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस नई लाइन के निर्माण कार्य पर भूमि मालिकों के ऐतराज के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अभी तक राज्य सरकार द्वारा रेलवे को 516.42 हेक्टेयर में से केवल 68.60 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।

(छ) रेलवे ने सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए चेन्नै सेन्ट्रल और कोट्टयम के बीच 13 जोड़ी विशेष गाड़ियां और चेन्नै एग्मबूर तथा तिरुअनन्तपुरम के बीच 29 जोड़ी विशेष गाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, 2695/2696 चेन्नै सेन्ट्रल-तिरुअनन्तपुरम सेन्ट्रल एक्सप्रेस के साथ जो कोट्टयम से होकर गुजरती है, 5 डिब्बे स्थाई आधार पर और लगा दिए गए हैं।

डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और केरोसीन की कीमतें

821. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और केरोसिन की वर्तमान दरें क्या हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में विद्यमान दरों में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य में इन्हें एक समान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) राज्य की राजधानियों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस का वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण-I में दिया गया है। महानगरों में पीडीएस तेल का खुदरा बिक्री मूल्य निम्नवत् है:

		रु./लीटर
दिल्ली	-	9.09
मुंबई	-	9.05
कोलकाता	-	9.40
चेन्नई	-	8.40

(ख) से (च) यद्यपि इन पेट्रोलियम उत्पादों का मूल एक्स-भंडारण स्थल मूल्य देश भर में एक समान है, खुदरा बिक्री मूल्य निम्नलिखित कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है:

- निकटतम रिफाइनरी से बाजार तक भाड़ा
- राज्य बिक्री कर/वैट
- अन्य स्थानीय वसूलियां जैसे मार्ग कर, चुंगी, प्रवेश शुल्क, सुपुर्दगी प्रभार आदि।

विभिन्न राज्यों में बिक्री कर/वैट संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 1.11.2007 को पेट्रोलियम उत्पादों का खुदरा बिक्री मूल्य

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राजधानी	डीजल रु./लीटर	पेट्रोल रु./लीटर	घरेलू पैक्ड एलपीजी रु./14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	मुंबई	34.94	48.38	297.95
दिल्ली	दिल्ली	30.48	43.52	294.75
तमिलनाडु	चेन्नई	33.30	47.44	288.10

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	32.87	46.86	300.50
मध्य प्रदेश	भोपाल	34.78	46.95	328.75
गुजरात	गांधीनगर	35.21	47.74	312.10
गोवा	पणजीम	33.17	44.33	307.95
छत्तीसगढ़	रायपुर	34.11	44.79	301.80
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	33.63	46.37	294.85
हिमाचल प्रदेश	शिमला	31.37	45.65	294.70
चंडीगढ़	चंडीगढ़	30.63	44.09	303.25
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	31.94	46.11	303.55
उत्तरांचल	देहरादून	32.69	44.55	293.60
राजस्थान	जयपुर	33.05	46.45	297.50
हरियाणा	अम्बाला	30.55	43.47	298.90
पंजाब	जालंधर	30.23	47.85	296.50
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	33.80	48.79	302.85
केरल	त्रिवेन्द्रम	33.71	46.01	302.10
कर्नाटक	बंगलौर	35.23	50.58	306.85
पांडिचेरी	पांडिचेरी	31.60	41.70	265.40
झारखंड	रांची	32.99	43.94	305.20
बिहार	पटना	32.96	46.45	302.65
उड़ीसा	भुवनेश्वर	33.49	44.53	305.40
असम	गोवाहाटी	31.38	45.48	286.60

नोट: उक्त आंकड़े एचपीसीएल द्वारा तैयार किये गए हैं।

विवरण II

दिनांक 1.11.2007 को राज्यवार वैट/बिक्री कर दरें

राज्य	एमएस	एचएसडी	एसकेओ (पीडीएस)	एलपीजी (घरेलू)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र (मुंबई)	28% + रु. 1000/केएल	28%	4	4
दिल्ली	20%	12.50%	4	4

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	30%	23.43%	4	4
पश्चिम बंगाल	25% + रु. 1000/केएल	17% + रु. 1000/केएल	4	4
मध्य प्रदेश	28.75% + 1% प्रवेश शुल्क	26% + 1% प्रवेश शुल्क	4	4% + 9.5% प्रवेश शुल्क
गुजरात	26% + 2% उपकर	24% + 3% उपकर	शून्य	4
गोवा	22%	21%	4	4
छत्तीसगढ़	25%	25%	4	4% + 1% प्रवेश शुल्क
उत्तर प्रदेश	25% + 1% एसडीटी	21% + 1% एसडीटी	10% + 1% एसडीटी	4
हिमाचल प्रदेश	25%	14%	0	4
चंडीगढ़	22% + रु. 10/केएल	12.5% + रु. 10/केएल	4	4
जम्मू-कश्मीर	20% + रु. 1000/केएल	12%	4	4
उत्तरांचल	25% + रु. 780/केएल	21% + रु. 380/केएल	12.5	4
राजस्थान	28% + रु. 500/केएल	20% + रु. 500/केएल	4	4
हरियाणा	20%	12%	4	4
पंजाब	27.5% + रु. 1000/केएल	8.8%	4	4
आंध्र प्रदेश	33%	22.25%	4	4
केरल	29.01%	24.69%	4	4
कर्नाटक	28% + 5% प्रवेश शुल्क	28% + 5% प्रवेश शुल्क	4	4
झारखंड	20%	20%	4	4
बिहार	27%	20%	12.5	4
उड़ीसा	20% + 1% प्रवेश शुल्क	20% + 1% प्रवेश शुल्क	4% + 1% प्रवेश शुल्क	4% + 1% प्रवेश शुल्क
असम	25.75%	15.5%	2	4

नोटः उक्त आंकड़े एचपीसीएल द्वारा तैयार किये गए हैं।

संयुक्त उद्यम कंपनी

822. **श्री पी. करुणाकरनः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे और स्टील इंडस्ट्रीज केरल लि. के बीच केरल के अलेप्पी में स्थापित की जाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी का सृजन वर्तमान में किस चरण में है, जिसकी घोषणा वर्ष 2006-07 के रेल बजट में की गई थी और जिसके लिए अलग से 83 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के कब तक अपना कार्य शुरू करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के संबंध में केरल सरकार और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौता ज्ञापन मसौदा को संयुक्त कार्य दल जिसमें रेलवे और केरल सरकार के अधिकारी शामिल हैं, के गठन सहित केरल सरकार के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद समझौते ज्ञापन को विधिक समाशोधन के लिये कानून एवं विधि मंत्रालय को क्लीयरेंस के लिए भेजा जाएगा तथा उसके बाद हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ख) इस स्थिति में संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) के कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

उड़ानों के विलंब होने/रद्द होने पर जुर्माना

823. श्री मनोरंजन भक्त: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान कंपनियों पर उड़ानों में विलंब/उन्हें रद्द किए जाने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार, एयरलाइन प्रचालनों की नियमितता की सतत निगरानी कर रही है। यद्यपि खराब मौसम, तकनीकी खामियां हवाई ट्रैफिक भीड़भाड़ इत्यादि जैसे अनेकों घटक हैं जो एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं परन्तु विलम्ब के कुछ कारण एयरलाइन उद्योग के कारण ठहराए जा सकते हैं। सररकार अनुमोदित अनुसूचियों को बनाए रखने की आवश्यकता पर, एयरलाइन सुविधाकरण समिति, इंडियन एयरलाइंस संघ आदि जैसे फोरा (Fora) के माध्यम से एयरलाइन उद्योग के साथ पहले से ही कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता

824. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों की राज्य-वार और उर्वरक-वार मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) देश में उर्वरकों की मांग के अनुपात में किसानों के लिए सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) किसानों की मांगानुसार उनके लिए सुगम स्थानों पर उर्वकर उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) 2007-08 (खरीफ, 07) और (रबी-1.10.2007 से 31.10.2007) के दौरान देश के प्रमुख कृषि राज्यों में यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार मांग, उपलब्धता और बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2007 को अनुमोदित की गई यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना, के अंतर्गत

1. राज्य कृषि विभागों को उर्वरक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के परामर्श से माह-वार, जिला-वार और कंपनी-वार आपूर्ति योजना तैयार करना अपेक्षित होता है।
2. अनुमोदित आपूर्ति योजना के अनुरूप उर्वरक जिले में पहुंच जाने के पश्चात ही राजसहायता का भुगतान किया जाएगा।
3. एनपीएस-3 के अंतर्गत यूरिया के संचलन पर भाड़े का भुगतान अब वास्तविक रेल और सड़क दूरी पर किया जाएगा। नई वितरण व्यवस्था के अंतर्गत रेल भाड़ा का भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा। सड़क भाड़ा को समेकित सड़क परिवहन सूचकांक के आधार पर बढ़ाया जाएगा।
4. किसानों की आपात जरूरत को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में यूरिया की बफर स्टॉक प्रणाली शुरू की गई है।
5. रेल/सड़क भाड़ा में वृद्धि के मद्देनजर नियंत्रणमुक्त 'पी एण्ड के' उर्वरकों के लिए देय भाड़ा को भी युक्तिसंगत किया गया है।

विवरण I

सितम्बर 2007 तक उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टाक

दिनांक: 30 सितम्बर, 2007
मात्रा (000) मी. टन में

खरीफ: 2007

राज्य का नाम	यूरिया				डीएपी				एमओपी			
	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक	सितम्बर, 2007 तक आवश्यकता	30 सितम्बर, 2007 को संचयी उपलब्धता	30 सितम्बर, 2007 तक संचयी बिक्री	30 सितम्बर, 2007 को अंतिम स्टाक
आंध्र प्रदेश	1400.00	1379.99	1209.82	170.18	424.00	382.37	377.22	5.15	235.00	231.70	206.35	25.35
कर्नाटक	780.00	788.94	747.47	41.47	380.00	292.04	285.57	6.47	200.00	221.79	207.99	13.80
केरल	75.00	79.71	67.18	12.54	18.00	11.10	9.11	1.99	70.00	58.97	58.44	0.53
तमिलनाडु	435.00	363.71	318.16	45.56	200.00	156.09	151.97	4.12	230.00	235.28	206.73	28.55
गुजरात	850.00	961.90	927.38	34.52	280.00	333.25	290.99	42.27	70.00	93.05	80.25	12.80
मध्य प्रदेश	475.00	606.04	572.82	33.22	350.00	331.53	293.93	37.60	50.00	47.91	41.81	6.10
छत्तीसगढ़	480.00	432.22	399.83	32.39	115.00	100.21	97.78	2.43	54.00	53.06	50.22	2.85
महाराष्ट्र	1250.00	1415.65	1334.81	80.83	425.00	335.97	335.14	0.84	125.00	161.53	154.56	6.98
राजस्थान	520.00	564.86	506.96	57.90	280.00	228.53	207.69	20.84	8.00	13.65	9.13	4.52
हरियाणा	775.00	898.22	842.06	56.16	185.00	273.32	255.91	17.41	25.00	22.99	18.92	4.07
पंजाब	1250.00	1366.10	1312.69	53.41	250.00	452.69	403.43	49.25	60.00	46.40	40.87	5.54
जम्मू-कश्मीर	80.62	71.60	60.08	11.52	49.20	14.89	13.28	1.61	16.66	3.69	3.09	0.60
उत्तर प्रदेश	2500.00	2512.68	2229.44	283.24	500.00	499.16	438.20	60.96	150.00	91.79	84.86	6.93
बिहार	900.00	894.94	786.59	108.34	175.00	114.83	100.42	14.41	75.00	41.49	36.20	5.29
झारखंड	145.00	113.99	111.22	2.77	60.00	51.56	50.96	0.60	8.00	5.49	4.49	1.00
उड़ीसा	375.00	380.89	313.95	66.94	75.00	115.80	106.85	8.95	70.00	75.87	58.73	17.14
पश्चिम बंगाल	520.00	475.73	417.47	58.26	185.00	198.55	179.57	18.99	150.00	137.57	123.98	13.59
असम	110.00	115.77	99.45	16.32	25.00	4.40	4.33	0.07	35.00	28.57	23.53	5.04
अखिल भारत	13168.70	13640.82	12458.43	1182.39	4008.30	3908.73	3613.48	295.25	1652.26	1577.67	1417.99	159.67

विवरण II

अक्तूबर 2007 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टाक

दिनांक: 30 अक्तूबर, 2007
मात्रा (000) मी. टन में

रबी: 2007-08

राज्य का नाम	यूरिया				डीएपी				एमओपी			
	अक्तूबर, 2007 की आवश्यकता	31 अक्तूबर, 2007 को संचयी उपलब्धता	31 अक्तूबर, 2007 तक संचयी बिक्री	31 अक्तूबर, 2007 को अंतिम स्टाक	अक्तूबर, 2007 तक आवश्यकता	31 अक्तूबर, 2007 को संचयी उपलब्धता	31 अक्तूबर, 2007 तक संचयी बिक्री	31 अक्तूबर, 2007 को अंतिम स्टाक	अक्तूबर, 2007 तक आवश्यकता	31 अक्तूबर, 2007 को संचयी उपलब्धता	31 अक्तूबर, 2007 तक संचयी बिक्री	31 अक्तूबर, 2007 को अंतिम स्टाक
आंध्र प्रदेश	265.00	441.13	183.54	257.59	70.00	86.73	78.49	8.24	90.00	70.93	46.82	24.11
कर्नाटक	130.00	155.39	94.63	60.76	32.00	42.37	42.31	0.06	46.50	37.86	23.54	14.32
केरल	19.00	19.21	10.65	8.56	3.00	4.50	2.74	1.76	18.75	9.66	9.66	0.00
तमिलनाडु	110.00	163.63	119.69	43.94	45.00	44.22	40.20	4.02	52.00	63.77	48.04	15.73
गुजरात	125.00	186.48	45.75	140.73	80.00	105.74	59.83	45.91	24.00	28.26	16.94	11.32
मध्य प्रदेश	129.82	235.19	166.17	69.02	247.13	165.72	90.41	75.31	30.00	15.52	12.40	3.12
छत्तीसगढ़	15.70	49.32	5.68	43.64	5.00	4.56	3.84	0.72	0.40	2.97	0.67	2.30
महाराष्ट्र	131.00	243.80	68.30	175.50	31.00	53.18	50.14	3.04	24.00	25.24	19.53	5.71
राजस्थान	140.00	194.99	118.56	76.43	160.00	165.06	133.13	31.93	6.00	4.82	2.26	2.56
हरियाणा	140.00	243.16	148.32	94.84	220.00	162.83	145.65	17.18	10.00	11.44	4.94	6.50
पंजाब	200.00	281.51	165.34	116.17	300.00	181.38	169.05	12.33	15.00	13.67	7.22	6.45
हिमाचल प्रदेश	2.00	3.05	0.08	2.97	0.05	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
जम्मू-कश्मीर	4.00	14.03	0.87	13.16	5.00	1.61	1.54	0.07	1.00	0.60	0.19	0.41
उत्तर प्रदेश	275.00	772.51	314.54	457.97	330.00	301.49	193.31	108.18	40.00	8.10	7.39	0.71
उत्तरांचल	2.20	18.05	6.33	11.72	4.00	3.44	2.56	0.88	2.00	0.96	0.96	0.00
बिहार	178.00	226.61	84.62	141.99	50.00	36.08	14.13	21.95	15.00	21.13	11.40	9.73
झारखंड	10.50	17.73	4.54	13.19	6.90	4.01	3.49	0.52	0.90	1.86	1.38	0.48
उड़ीसा	20.00	89.46	13.17	76.29	1.40	11.28	3.17	8.11	2.60	26.33	5.09	21.24
पश्चिम बंगाल	78.00	152.85	66.66	86.19	51.00	45.98	27.49	18.49	34.00	28.71	22.44	6.27
असम	10.80	38.09	4.68	33.41	4.05	0.07	0.00	0.07	4.50	5.04	0.00	5.04
अखिल भारत	1996.05	3564.17	1626.76	1937.41	1648.81	1421.41	1062.12	359.29	420.00	380.61	242.10	138.51

[अनुवाद]

एलपीजी की कालाबाजारी

825. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एलपीजी एजेंसियों की सांठ-गांठ से एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी बढ़ रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को एलपीजी एजेंसियों के खिलाफ ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली असंतोषजनक सेवाओं के खिलाफ उनकी शिकायतों से निपटने के लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) एलपीजी एजेंसियों के खिलाफ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी को रोकने और एलपीजी एजेंसियों को ग्राहक हितैषी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं। तथापि, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज-सहायता प्राप्त और गैर-राजसहायता प्राप्त एलपीजी के मूल्यों में बहुत अंतर है।

(ख) सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने की शिकायतों के 226 पुष्ट मामलों की रिपोर्ट दी है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) से अनुसार कार्रवाई की गई।

(ग) ओएमसीज द्वारा ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ (सीएससी) चलाये जा रहे हैं ताकि संतोषजनक सेवाओं के लिए ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके। ग्राहक स्वयं इन सीएससीज में जा सकता है, टेलीफोन अथवा डाक द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है ताकि शिकायतें दूर की जा सकें। इन एनएससीज के पते और टेलीफोन नम्बर देश में ओएमसीज द्वारा नियुक्त सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के शो रूम में प्रदर्शित किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- पहले अपराध पर 20,000 रुपए का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध पर 50,000 रुपए का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तौल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर सावधान किया गया है।

सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं जिनमें जनता को सावधान किया गया है कि घरेलू एलपीजी का गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता का सहयोग मांगा जाता है कि वे ओएमसीज को किसी अनियमितता/कालाबाजारी की रिपोर्ट करें।

इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को भी निदेश दिए जाते हैं कि वे ग्राहकों के घरों पर सुपुर्दगी से पहले अपने गोदाम पर सिलिंडरों का 100 प्रतिशत वजन सुनिश्चित कर लें। ग्राहकों को अधिक संतुष्ट करने के उद्देश्य से, चुने हुए बाजारों में ओएमसीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरों को सलाह दी गई है कि एक स्प्रिंग तराजू दिया जो ताकि ग्राहक सिलिण्डर में एलपीजी के वजन की सत्यता की जांच कर सकें। ओएमसीज ने देश के प्रमुख बाजारों में यह योजना आरंभ कर दी है।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों, और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों के सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों पर सिलिंडरों की वजन की जांच के लिए कड़े अनुदेश दिए गए हैं और केवल निर्धारित वजन वाले सिलिंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किये जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश भी दिए गए हैं कि सीलों की जांच की जाती है और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को दिखाई जाती है। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा लगाये गए किसी प्रभार के बिना नया भरा हुआ सिलिंडर दिया जाता है।

निजी क्षेत्र में ट्रेन विनिर्माण

826. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल की यात्री और माल यातायात दोनों के लिए ट्रेनों के विनिर्माण से जुड़ने हेतु निजी कंपनियों को आमंत्रित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल ने इस प्रयोजनार्थ निजी कंपनियों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल मंत्रालय निम्नलिखित निर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम की व्यावहारिकता की तलाश कर रही है।

1. मरोहरा, बिहार में डीजल इंजन कारखाना
2. मधेपुरा, बिहार में विद्युत इंजन कारखाना
3. राय बरेली, उत्तर प्रदेश में सवारी डिब्बा कारखाना

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केदारनाथ और बद्रीनाथ को ऋषिकेष से जोड़ना

827. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीर्थों को ऋषिकेष से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन की शुरुआत की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और चालू परियोजनाओं के हैवी थ्रोफारवर्ड को देखते हुए, वर्तमान में बताई गई लाइन पर निर्माण करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

आईओसी द्वारा तुर्की में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

828. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) का विचार इंडियन आयल और टर्किस केलिक एनर्जी के संयुक्त उद्यम के रूप में तुर्की में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सेहान, तुर्की में एक रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) तुर्की के केलिक एनर्जी के साथ परामर्श/चर्चा कर रहा है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्थलों के बारे में यूनेस्को की चिन्ता

829. श्री वी.के. ठुम्मर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने भारत के अनेक ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों के संरक्षण कार्य के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) अजन्ता गुफाओं में प्रस्तावित कुछेक संरक्षण/जीर्णोद्धार कार्यों के बारे में यूनेस्को ने हाल ही में चिन्ता व्यक्त की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को को सूचित किया है कि संरक्षण कार्यों के निष्पादन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात ही अजन्ता में संरक्षण कार्य करते समय उपयुक्त एहतियात बरते जाएंगे।

[अनुवाद]

घरेलू विमान कंपनी विनियामक

830. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू विमान कंपनियों के विरुद्ध बढ़ती शिकायतों के कारण घरेलू विमान कंपनी विनियामक की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता है जैसाकि दिनांक 25 अक्तूबर, 2007 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू विमान कंपनियों को स्वतंत्र उद्योग विनियामक स्थापित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर घरेलू एयरलाइनों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार घरेलू विमान कंपनियों द्वारा सरकारी अनुदेशों का पालन न किए जाने की स्थिति में वैकल्पिक तंत्र पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) टिकटों की पुनर्वापसी, व्हील चेयर पर लगाए जा रहे प्रभारों आदि के संबंध में यात्रियों की शिकायतों के संदर्भ में निजी एयरलाइनों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों पर, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली बैठकों के दौरान स्वतः नियंत्रण के लिए एक विश्वसनीय तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उद्योग से निर्धारित अवधि में इसका जवाब मिलने की आशा है। चूंकि स्वतः नियंत्रण तंत्र को अभी स्थापित किया जाना शेष है। अतः इस स्थिति में वैकल्पिक तंत्र के प्रश्न पर विचार ही नहीं किया जा रहा है।

ऐतिहासिक स्मारक-कैप अर्बेरटेज शासन का परिरक्षण

831. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बदामी में दूसरे पुलकेसकी सहित चालुक्य की समृद्धि के संबंध में पांचवीं और छठी सदी के कैप अर्बेरटेज शालन जिसका चीन के ह्वेन स्यांग द्वारा भली भांति उल्लेख किया गया है, की सुरक्षा नहीं की जाती है और इस प्रकार वह विनाश के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्मारक के परिरक्षण और सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) बदामी में कप्पे अराबेट्टेडा उत्कीर्ण लेख भूतनाथ मंदिर समूह के संरक्षित क्षेत्र में हैं जिन्हें दिनांक 10.01.1930 की अधिसूचना सं. 6305 द्वारा राष्ट्रीय महत्व से स्मारकों के रूप में संरक्षित घोषित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन स्मारकों के आस-पास के विकास तथा भूदृश्य निर्माण के अलावा इन स्मारकों का नियमित संरक्षण तथा रखरखाव कर रहा है। इन स्मारकों पर निम्नलिखित व्यय किया गया है:

2003-04	7,51,639/-रुपये
2004-05	6,55,897/-रुपये
2005-06	76,344/-रुपये
2006-07	95,182/-रुपये

तमिलनाडु में मुस्लिमों/ईसाइयों हेतु आरक्षण

832. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों हेतु निर्धारित 30 प्रतिशत कोटे में सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में मुस्लिमों और ईसाइयों हेतु विशेष आरक्षण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी नीति की घोषणा करने से पूर्व तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को विश्वास में लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह घोषणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार है; और

(च) यदि हां, तो संविधान से संबंधित विधिक सलाह के प्रश्न से संबंधित ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (च) तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग क्रिश्चियन और पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (निजी शैक्षिक संस्थानों सहित शैक्षिक संस्थानों में स्थानों तथा राज्य के अंतर्गत सेवाओं में नियुक्ति पद या पद का आरक्षण) अधिनियम, 2007 (तमिनाडु अधिनियम 33/2007) को अधिनियमित कर दिया है जिसके तहत राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान में से सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्ग के ईसाइयों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण और पिछड़े वर्ग मुस्लिमों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम 15 सितम्बर, 2007 से प्रभावी माना गया है।

पिछड़े वर्ग के ईसाइयों और पिछड़े वर्ग के मुस्लिमों को तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया था।

रोड रेलर्स हेतु किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स

833. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रोड रेलर्स हेतु किर्लोस्कर न्यूमैटिक्स के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से रेलवे को कितना लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 19.07.2007 को रेल मंत्रालय और मैसर्स किलोसकर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड (के पी सी एल) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ में दिल्ली चेन्नै सेक्टर पर रोड रेलर गाड़ी चलाने के बारे में है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। बहरहाल, समझौता ज्ञापन के रूप में, भारतीय रेल लाइन कर्षण सेवा प्रदान करेगा जिसका इंजन रोड रेलर गाड़ियां परिचालित करेगा। मैसर्स के पी सी एल रोड रेलर उपस्कर से इंटर मोडल फ्रेट सेवा परिचालित करेगा। इसके अंतर्गत फ्रेट संगठन, सड़क पर फ्रेट एकत्रित करना, सड़क पर पटरियों के अंतिम छोर तथा फ्रेट की सुपुर्दगी के बीच लम्बी दूरी का लाइन कर्षण शामिल है। मैसर्स के पी सी एल इंटर मोडल परिचालन के लिए रोड रेलर इकाइयों सहित सभी अपेक्षित उपस्कर प्रदान करेंगे जो विपणन, फ्रेट संघटन, एकत्रित करने तथा सड़क पर फ्रेट की सुपुर्दगी, टर्मिनल पर रोड रेलर इकाइयों की कपलिंग तथा डी-कपलिंग के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ग) हल्के वजन, उच्च मूल्य, व्हाइट गुड्स यातायात जिसे सामान्यतः सड़क द्वारा ही वहन किया जाता है, आकर्षित करके, नये परिवर्तनशील मल्टी-मोडल वैगनों सहित चल स्टॉक के पूल मं वृद्धि करके भारतीय रेल लाभान्वित होगी। ऐसे वैगन जो पटरियों के साथ-साथ सड़क पर भी चलते हैं। इस समय भारतीय रेल पर उपलब्ध नहीं हैं। इस पायलट परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल ऐसे वैगनों की सक्षमता का निर्धारण कर सकेगी।

[हिन्दी]

द्वारका नगर

834. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय नौसेना संयुक्त सर्वेक्षण करके गुजरात तट के निकट समुद्र में डूबे द्वारका नगर के अवशेषों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डूबे हुए नगर से जुटाए गए अवशेषों से कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) क्या ऐसे अवशेषों के नमूनों को उनके बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु विदेशी प्रयोगशालाओं को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी सूचना के आधार पर अब तक क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भारतीय नौ सेना के सहयोग से पुरावस्तु तथा डूबे हुए अवशेषों की प्रकृति के अध्ययन के प्रयोजन से जनवरी-फरवरी, 2007 में द्वारका के आस-पास अन्तर्जलीय उत्खनन किया है। समुद्र-नारायण मन्दिर के समीप अरब सागर के किनारे से 200 मीटर की दूरी तक गोताखोरी की गई। समुद्रतल पर पड़े प्रस्तर खंडों तथा संरचनाओं के अवशेषों की सफाई तथा प्रलेखन किया गया। जलमग्न ये अवशेष टुकड़ों के रूप में हैं तथा समुद्रतल पर बिखरे हुए हैं। इसलिए इनका उद्गम स्थान निर्धारित करना कठिन है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत से विनिर्माण और अनुसंधान की आउटसोर्सिंग

835. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैश्विक भेषज कंपनियां भारत से विनिर्माण और अनुसंधान को आउटसोर्स करने को उत्सुक हैं;

(ख) यदि हां, तो आउटसोर्सिंग अनुमानतः कितने मूल्य की है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के लाभ हेतु इस अवसर को किस प्रकार से प्राप्त करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) फार्मास्युटिकल उद्योग के स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार फार्मा उद्योग में विनिर्माण संबंधी क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग सामान्य रूप में की जा रही है। इसका उपयोग क्षमता संबंधी अल्पावधि आवश्यकताओं, विशेष विनियामक अपेक्षाओं तथा उत्पाद विशिष्ट प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जो छोटी इकाइयों को उनकी बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करके उन्हें आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाकर लाभ पहुंचाती हैं। लागत लाभ के कारण बहुत सी अग्रणी विदेशी कंपनियां कुछ कान्ट्रैक्ट रिसर्च आर्गेनाइजेशन (सीआरओज) तथा विभिन्न भारतीय फार्मा कम्पनियों द्वारा परिचालित की जा रही इन-हाउस आर एंड डी इकाइयों के माध्यम से अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को आउटसोर्स करवा रही हैं। सरकार द्वारा मौद्रिक रूप से ऐसे क्रियाकलापों के आकार के बारे में सटीक आंकड़ों की निगरानी नहीं की जाती है।

(ग) सरकार, इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को कई प्रकार के राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। ये प्रोत्साहन ग्लोबल फार्मा कंपनियों के लिए कान्ट्रैक्ट रिसर्च कार्य में लगी कंपनियों के साथ-साथ डीएसआरआई अनुमोदित आर एंड डी इकाइयों को प्रदान किए जा रहे हैं।

तेल बॉण्ड

836. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बहाल करने हेतु तेल बॉण्ड जारी करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय प्रतिभूतियों के माध्यम से लगभग कितनी धनराशि जुटाए जाने का लक्ष्य है; और

(घ) तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की कुल अल्प वसूलियों का 42.7 प्रतिशत भाग आयल बाण्डों के रूप में सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) लक्षित राशि वित्तीय प्रतिभूतियों द्वारा प्राप्त की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रेट्रोलियम उत्पादों तथा कच्चे तेल की कीमतों, जो प्रतिदिन आधार पर परिवर्तित होती रहती है, पर निर्भर करेगी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी अस्थिरता है।

[हिन्दी]

नियंत्रित औषधियों की सूची में औषधियों को सम्मिलित किया जाना

837. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित औषधि योजना की सूची में और औषधियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं और उनके मूल्यों का निर्धारण/संशोधन राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने निकट अतीत में डीपीसीओ, 95 की पहली अनुसूची में दर्ज बल्क औषधों की सूची में कोई संशोधन नहीं किया है।

मंत्रिमंडल ने 11.01.2007 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर विचार किया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। जीओएम की पहली बैठक 10.04.2007 को और दूसरी बैठक 12.09.2007 को हुई। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गैस ढुलाई लागत का निर्धारण

838. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में गैस ढुलाई की लागत तय करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार ने वर्तमान नीति में परिवर्तन की मांग की है और पश्चभूमि राज्यों की तुलना में थोड़ी दूरी तक गैस की ढुलाई हेतु कम लागत के कारण कुछ लाभ देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) किसी नेटवर्क का प्रेषण प्रशुल्क या ग्राहक को उपलब्ध कराई गई स्पर लाइन के प्रभार का परिकलन उसमें किए गए निवेश के आधार पर किया जाता है। तथापि, ट्रंक लाइनों यथा हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एचवीजे) पाइपलाइन तथा दहेज विजयपुर पाइपलाइन (डीवीपीएल) के मामले में दिनांक 1.6.2006 से वृद्धि की गुंजाइश के साथ 831 रु./एमएससीएम के संयुक्त एकल प्रशुल्क को अपनाया गया है। तथापि, गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसीएल) के अनुरोध पर तथा गुजरात राज्य में ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) को डीवीपीएल के साथ जोड़ने के लिए प्रशुल्क 280 रु/एमएससीएम रखा गया है।

(ख) से (घ) ऐसी मांग उठी है कि उन ग्राहकों से कम परिवहन लागत ली जानी चाहिए, जो गैस को स्रोत स्थल से कम दूरी पर हैं। गुजरात के ग्राहकों को डीवीपीएल के साथ जोड़ने के लिए बहुत कम प्रशुल्क देना होगा।

[हिन्दी]

मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का प्रबंधन

839. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अजमेर (राजस्थान) स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की पवित्र दरगाह के प्रबंधन हेतु वर्ष 1954 में कोई अधिनियम पारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दरगाह अधिनियम में संशोधन करने हेतु समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 का अधिनियमन अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के बंदोबस्त और उस पर समुचित प्रशासन के लिए किया गया था।

(ग) से (ङ) इस अधिनियम की समीक्षा का कार्य हाल ही में शुरू हुआ है।

छत्तीसगढ़ में रेलवे का विकास

840. श्री पुन्नुलाल मोहले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ से राज्य में रेलवे के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सामान्यत: किसी राज्य में पड़ने वाली नई परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रत्येक मांग का विस्तृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है। बहरहाल, विगत में बरवाडीह-चिरमिरी, बिलासपुर-मंडला-जबलपुर नई लाइन और रायपुर-धमतरी आमान परिवर्तन के लिए राज्य सरकार और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से मांगें प्राप्त हुई हैं। बरवाडीह-चिरमिरी और बिलासपुर-मंडला-जबलपुर नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण विगत में किए गए थे लेकिन परियोजनाओं को शुरू नहीं किया गया था। रायपुर-धमतरी आमान परिवर्तन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण किया गया है और अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही इस प्रस्ताव के संबंध में आगे विचार करना व्यावहारिक होगा।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु नया कार्यक्रम

841. श्री एस. के. खारवेनथन: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कोई नया कार्यक्रम चलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को कोई अनुदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में अल्पसंख्यकों को समुचित हिस्सा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून 2006 में हुई थी। कार्यक्रम का विवरण वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के तहत शामिल की गई योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से 15 प्रतिशत निर्धारण की परिकल्पना की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्ग तक पहुंचे। कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं के लिए लक्ष्यों का निर्धारण यथासंभव किया गया है तथा मंत्रालय द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ शासित राज्य प्रशासन को इसकी सूचना भेज दी गई है।

(ङ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को 08.01.2007 को दिशानिर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और रेलवे सहित सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को समुचित स्थान दिया जाए।

पूर्वोत्तर में तेल और गैस की खोज हेतु विदेशी तेल कंपनियों के साथ समझौता

842. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में तेल और गैस की खोज हेतु विदेशी तेल कंपनियों के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों और तेल क्षेत्रों में अभी तक खोज नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस समझौते की शर्तें क्या हैं और खोज के लिए कौन से क्षेत्र आवंटित किए गए हैं; और

(च) इन खोज कार्यों से तेल और गैस का कुल कितना उत्पादन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत भारत सरकार ने खुली अंतर्राष्ट्रीय

बोली के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय निजी कंपनियों/राष्ट्रीय तेल कंपनियों और विदेशी कंपनियों को 25 अन्वेषण ब्लाकों/क्षेत्रों की संविदाएं कारित की हैं। 25 ब्लाकों में से 12 ब्लाकों में 9 विदेशी कंपनियां परिसंघ भागीदार हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्वेषण के लिए रकबों का प्रस्तावित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) संविदाओं की शर्तें नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) और एनईएलपी-पूर्व के विभिन्न दौरों के तहत उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार हैं।

(च) पीएससी व्यवस्था के तहत 1100 बैरल तेल प्रतिदिन (बीओपीडी) और 0.013 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस का उत्पादन अरुणाचल प्रदेश में खरसांग क्षेत्र से किया जाता है। इसके अतिरिक्त 180 बीओपीडी तेल और 0.056 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस का उत्पादन असम में आमगुड़ी क्षेत्र से किया जाता है।

भारतीय विमान कंपनियों में विदेशी पायलट

843. श्री नवीन जिन्दल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भारतीय कंपनियों ने विदेशी पायलटों को भाड़े पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) टाइप रेटिड पायलटों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय वाहकों द्वारा विदेशी पायलटों को नियुक्त किया गया है। अब तक नागर विमानन महानिदेशालय ने 804 विदेशी पायलटों को स्वीकृति प्रदान की है। इसका एयर लाइन-वार ब्यौरा है- इंडीगो-66, पैरामाउंट एयरवेज-21, ब्ल्यू डार्ट-10, स्पाइस जेट-42, एयर डैक्कन-149, एलाइंस एयर-20, गो एयर-13, किंगफिशर एयरलाइंस-95, जेट एयरवेज-271 तथा एअर इंडिया-117।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने कुशल पायलटों की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसमें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत वाणिज्यिक परिवहन प्रचालकों के लिए उनके लाइसेंसों के विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए पायलटों की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्रुआ) की प्रशिक्षण अवसंरचना का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण करके इसकी प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना, गोंदिया, महाराष्ट्र में एक विश्व स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा नागर विमानन महानिदेशालय/एयरो क्लब ऑफ इंडिया के जरिए प्रशिक्षण विमान आवंटित करके उड़ान क्लबों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

सीपीएसई में सीआरआर योजना

844. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में सीपीएसई (केन्द्रीय सरकार उद्यम) के कितने कर्मचारियों ने वीआरएस/वीएसएस को चुना है;

(ख) मध्य, निम्न प्रबंधन, पर्यवेक्षक और श्रमिक स्तर के उन कार्मिकों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वीआरएस/वीएसएस को चुना है और इनमें से प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक को अदा की गई वीआरएस की देय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) वीआरएस/वीएसएस चुनने वाले कितने कार्मिकों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती (सीआरआर) योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है;

(घ) सीआरआर के कितने लाभार्थियों को पुनः रोजगार दिया गया है;

(ङ) क्या वीआरएस/वीएसएस चुनने वाले व्यक्तियों और सी आर आर लाभार्थियों तथा वास्तव में पुनः रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में अंतर है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सीआरआर योजना के अंतर्गत कवरेज में सुधार करने तथा इसे लाभार्थियों के पुनः रोजगार के अनुपात के संबंध में और प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 45125, 22698 तथा 13661 थी।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीआरएस/वीएसएस) का विकल्प चुनने वाले कार्मिकों का श्रेणी-वार ब्यौरा तथा उन कर्मचारियों को वीआरएस क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदत्त राशि का विवरण संबंधित सरकारी उद्यमों में रखा जाता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण तथा उनके पुनर्नियोजन का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत है:-

वर्ष	वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वालों की संख्या	
	प्रशिक्षित	पुनर्नियोजित
2004-05	28003	11917
2005-06	32158	15488
2006-07	34398	15621

(ङ) और (च) वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुनने वाले तथा वास्तव में प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या में अंतर मौजूद है। इस अंतर का कारण स्वयं का व्यापार प्रारंभ कर देना, वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर लेना तथा पृथक्करण के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों का दूसरे स्थान पर चले जाना आदि है।

(छ) योजना की व्याप्ति (कवरेज) में सुधार लाने तथा इसे अधिक कारगर बनाने के लिए इस योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:-

1. जिन मामलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला कर्मचारी स्वयं रुचि न ले उनमें उसके एक आश्रित पर विचार करना।

2. प्रशिक्षण की अवधि 20/30/40 दिनों से बढ़ाकर 30/45/60 दिनों की कर दी गई है तथा व्यय मानदण्डों में भी संशोधन कर उसे 5300/- रुपए, 6600/- रुपे तथा 7900/- रुपए से बढ़ाकर क्रमशः 7000/- रुपए, 9000/- रुपए तथा 11000/- रुपए कर दिया गया है।

3. अनुवर्ती कार्रवाई हेतु व्यय मानदण्ड में पृथक राशि निर्धारित की गई है।

4. कारगर लक्ष्य निर्धारण, अणुवीक्षण तथा पुनर्नियोजन।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना

845. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेल अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

846. श्री के.एस. राव: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संविधान में उल्लिखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार आयोग को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते समय सभी मामलों की जांच और निगरानी करने की शक्ति देने हेतु संविधान में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए शक्तियों का अभाव, आयोग को अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से करने में रोकने का एक कारण माना गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2004 लोक सभा में दिसम्बर 2004 में पेश किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, जिसने इस विधेयक की जांच की थी, ने अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिश की है कि इस विधेयक में आयोग को जांच और निगरानी करने की शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। विधेयक में अभी शासकीय संशोधन पेश नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

ऑटीस्टिक/मंदबुद्धि यात्री

847. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटीस्टिक/मंदबुद्धि व्यक्तियों को भारत में विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में नियम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मानसिक असंतुलन अथवा एपीलेप्सी से पीड़ित व्यक्तियों को विमान पर सवार होने की तब तक अनुमति नहीं होती जब तक कि उसे किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अन्य यात्रियों अथवा विमान को किसी तरह का जोखिम उत्पन्न किए बगैर हवाई यात्रा के लिए उपयुक्त होने का प्रमाणपत्र न दिया गया हो, और इसके अतिरिक्त:-

(1) उसने उड़ान आरम्भ होने से पहले के 12 घंटे के भीतर कोई अल्कोहलयुक्त पेय अथवा दवा न ली हो या प्रयोग की हो,

(2) उत्तेजना की स्थिति में, उड़ान के दौरान तथा मार्ग के ठहरावों पर नींद की दवा देकर रखा गया है, तथा

(3) उसके साथ कोई परिचारक हो, बशर्ते यदि उड़ान के आरम्भ होने की तिथि के पहले के दो सप्ताहों के भीतर वह उत्तेजना की स्थिति में रहा हो जिसके लिए नींद की दवा की आवश्यकता रही हो, तो उसके साथ एक पंजीकृत चिकित्सक तथा पर्याप्त सुरक्षा होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए वैयक्तिक रूप से तथा संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे कि उनके प्रभाराधीन व्यक्ति ने कोई अल्कोहलयुक्त पेय अथवा दवा नहीं ली है और इस व्यक्ति को उड़ान तथा मार्ग के ठहरावों के दौरान उपयुक्त रूप से नींद की दवा के असर में रखा गया है।

सीएनजी बिक्री केन्द्रों को खोला जाना

848. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश में विशेषकर उड़ीसा में राज्य-वार कितने संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) भराई केन्द्र खोले गए;

(ख) क्या सीएनजी भराई केन्द्रों की वर्तमान संख्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भविष्य में और सीएनजी भराई केन्द्रों को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में राज्यवार अब कुल कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) आस-पास पाइपलाइन और गैस स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण, उड़ीसा में सीएनजी भरण स्टेशन नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2005-06 से अब तक के दौरान, विभिन्न राज्यों में खोले गए सीएनजी बिक्री केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों में खोले गए सीएनजी स्टेशन	कुल सीएनजी बिक्री केन्द्र
दिल्ली	18	153
महाराष्ट्र	22	127
आंध्र प्रदेश	09	09
उत्तर प्रदेश	12	12
त्रिपुरा	01	01
गुजरात	53	71

(ख) और (ग) देश में विभिन्न नगरों में सीएनजी सुविधाओं का विस्तार क्रमिक ढंग से किया जा रहा है। देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें बिछाने और नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ''पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006'' कानून बनाया है और ''प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति'' अधिसूचित की है। सीएनजी सुविधाएं मुहैया कराने, गैस की उपलब्धता, आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(घ) भारत सरकार इस प्रयोजनार्थ धन आबंटित नहीं करती। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संयुक्त उद्यम कंपनियों, योजनाओं और अपनी परियोजनाओं के अनुसार, धन का आबंटन करते हैं और खर्च करते हैं।

[अनुवाद]

नवी मुंबई में विमानपत्तन

849. श्री मिलिन्द देवराः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पनवेल में नवी मुंबई विमानपत्तन परियोजना मुश्किल से फंस गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिटी एंड इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नागर विमानन की जानकारी में यह बात लायी है कि इस परियोजना हेतु निर्धारित 1100 हेक्टेयर में से 25 प्रतिशत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) के अंतर्गत आता है और इसे गैर-अधिसूचित करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय एक अधिसूचना जारी करवाने हेतु इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास ले गया है; जो प्रभावित नवी मुंबई स्थल को गैर-अधिसूचित करती हो ताकि वी.सी.आर.जेड. क्षेत्र न बना रहे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) एयरपोर्ट के लिए निर्धारित क्षेत्र लगभग 1142 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत भाग सी.आर.जेड-1 के अंतर्गत आता है।

(ग) और (घ) इस मामले पर दिनांक 13.11.2007 को हुई महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (एम.सी.जेड.एम.ए.) की बैठक में तथा इससे पहले दिनांक 30.10.2007 को हुई नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी/(एम.सी.जेड.एम.ए.) की बैठक में विचार किया गया था। एम.सी.जेड.एम. तथा एन.सी.जेड.एम.ए. दोनों ने ही एयरपोर्ट के विकास में सुविधाकरण के लिए कोस्टल जोन अधिसूचना में संशोधन किए जाने की सिफारिश की थी। इस संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों हेतु छात्रावास सुविधाएं

850. श्री रामदास आठवलेः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं हेतु पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं मुहैया कराने हेतु एक प्रभावी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में अब तक कोई अनुरोध अथवा सुझाव भी प्राप्त हुये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित लड़के और लड़कियों को छात्रावास सुविधा प्रदान करने के लिए विद्यमान योजना में संशोधन की अनुमति दे दी है। संशोधित योजना में योजना के कार्यान्वयन को तेज करने और योजना में सुधार लाने की दृष्टि से लड़कियों के छात्रावासों के लिए केन्द्रीय वित्तपोषण को 50% से बढ़ाकर 100% करने और लड़के और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण को पूरा करने की अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

विमुक्त, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु जनजातियों का कल्याण

851. श्री हरिभाऊ राठौड़ः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में योजना आयोग में 22 मई, 2006 को हुई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों के मंच की बैठक में विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के मुद्दों पर चर्चा की गई और उनके उत्थान की आवश्यकता महसूस की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध-घुमन्तु जनजातियों और बंजारों के कल्याण के लिए एक पृथक उपयोजना का प्रावधान करने के अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार को डीएनटी के उत्थान और कल्याण के लिए पृथक बजट प्रावधान करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी हां। बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में, विमुक्त जनजातियों को पेश आई समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था।

(ग) से (च) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विमुक्त जनजातियों, घुमन्तु और अर्ध-घुमन्तु जनजातियों के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है।

रेलवे का विकास

852. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विकास में भूमि की उपलब्धता प्रमुख समस्या है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में भूमि की अनुपलब्धता की वजह से बाधित रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने राज्यों से अपने राज्यों में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रेल परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन और रेलवे के त्वरित विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी/निजी कोचिंग संस्थाओं हेतु अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का चयन

853. श्री के. एस. राव: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु व्यावसायिक कोचिंग मुहैया कराने के लिए सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र की कोचिंग संस्थाओं की पहचान करने तथा इन कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के चयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने तथा प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमक्ति की मांग वाले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पाने हेतु सरकारी और निजी कोचिंग संस्थाओं/केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों का वित्तपोषण करने हेतु अलग निधि बनाने/सृजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिये निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना इस वर्ष शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की नौकरियों तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित परीक्षाओं की

तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षण/कोचिंग देने के लिए सरकारी और निजी कोचिंग संस्थानों को सहायता दी जाती है। संस्थानों तथा छात्रों से संबंधित पात्रता मानदण्ड के ब्यौरे योजना-विवरण में दिए गए हैं, ये ब्यौरे वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) यह योजना केन्द्र स्तर की है, जिसके लिए इस वर्ष 10.00 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

विदेशों में सेवाओं हेतु आवेदन

854. श्री निखिल कुमारः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमानन उद्योग सरकार के एकसमान घरेलू उड़ान अनुभव की ओर ध्यान देने के स्थान पर मामला-दर-मामला आधार पर विदेशों में सेवाओं हेतु आवेदनों की जांच के प्रस्ताव से असंतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल बड़ी निजी विमान कंपनियों को ही इसका लाभ मिला है और छोटी निजी विमान कंपनियों को नजरअंदाज कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस मामले को प्रस्तावित राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के अंतर्गत उठाया गया है, जो वर्तमान में मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

855. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री जीवाभाई ए. पटेलः
श्री वी.के. ठुम्मरः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज की तिथि तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) राज्यवार कितने आवेदन स्वीकृत हुए/विचारार्थ हैं;

(ग) इन आवेदनों को अनुमोदन देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त, अनुमोदित और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अधीन आवेदनों का राज्यवार संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा अनुदानों की स्वीकृति पर कार्रवाई वाणिज्यिक उत्पादन, नये संयंत्र और मशीनरी की स्थापना से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने, परियोजना का किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्थान से उसकी वित्तीय या तकनीकी व्यवहार्यता के मूल्यांकन तथा संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी मानदण्डों के आधार पर करता है।

(घ) कार्रवाई के विकेन्द्रीकरण और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए अनुदान के वितरण के फलस्वरूप लम्बित आवेदन उन संबंधित बैंकों को भेजे जा रहे हैं जहां से यूनिटों ने इस स्कीम के तहत अनुदान की स्वीकृति और वितरण के लिए आवधिक ऋण लिया है। इन यूनिटों को अनुदान के वितरण के लिए बैंकों को आवश्यक निधि भी उपलब्ध कराई जा रही है। निधियों की उपलब्धता के आधार पर काफी समय से लम्बित आवेदनों को क्लीयर करने के यथाशीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) राज्य सरकारों जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और उद्यमियों के बीच संपर्क उपलब्ध कराने के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के रूप में काम कर रही हैं, को वार्षिक आवर्ती अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये और पांच वर्ष की अवधि के लिए गैर-आवर्ती अनुदान के रूप में 5 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (16.11.07 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए प्राप्त और अनुमोदित आवेदनों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संशोधित (2004-05 से 2007-08, 16.11.07 तक)	अनुमोदित (2004-05 से 2007-08, 16.11.07 तक)	विचार के लिए विभिन्न स्तरों पर लम्बित आवेदन
1	2	3	4	5
1.	जम्मू-कश्मीर	27	12	16
2.	हिमाचल प्रदेश	36	21	13
3.	पंजाब	49	62	16
4.	चंडीगढ़	1	0	0
5.	उत्तराखंड	41	24	14
6.	हरियाणा	52	30	15
7.	दिल्ली	11	6	3
8.	राजस्थान	110	45	51
9.	उत्तर प्रदेश	117	96	37
10.	बिहार	10	5	4
11.	सिक्किम	1	0	1
12.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	4
13.	नागालैंड	23	3	17
14.	मणिपुर	11	4	5
15.	मिजोरम	3	0	1
16.	त्रिपुरा	1	1	0
17.	मेघालय	6	4	2
18.	असम	42	29	19
19.	पश्चिम बंगाल	86	51	31
20.	झारखंड	7	6	2
21.	उड़ीसा	36	8	8
22.	छत्तीसगढ़	18	11	7

1	2	3	4	5
23.	मध्य प्रदेश	54	25	26
24.	गुजरात	93	37	47
25.	दमण एवं दीव	1	0	1
26.	महाराष्ट्र	308	165	157
27.	आंध्र प्रदेश	189	105	79
28.	कर्नाटक	90	61	40
29.	गोवा	8	2	5
30.	केरल	79	60	30
31.	तमिलनाडु	125	84	43
32.	पांडिचेरी	1	5	0

[हिन्दी]

निजी विमान कंपनियों के किराये

856. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक ही क्षेत्र के लिए विभिन्न निजी विमान कंपनियों और सरकारी विमान कंपनियों के किराये अलग-अलग हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई नियंत्रण नहीं है और क्षेत्र-वार निम्नतम किराया निर्धारित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) घरेलू हवाई किराए सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। घरेलू एयरलाइनें बाजार शक्ति के अनुसार अपने संबंधित हवाई किरायों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एकल रेल लाइन

857. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेलवे मंडल में एकल रेल लाइन की वजह से यातायात प्रभावित होता है;

(ख) क्या रेलवे का विचार बढ़ते हुए रेलवे यातायात को ध्यान में रखते हुए लाइनों का दोहरीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के जिन रेल मंडलों में इकहरे रेल पथ के कारण यातायात प्रभावित होते हैं। वे निम्नानुसार हैं:-

मध्य प्रदेश

(1) भोपाल मंडल का बीना-गुना-रुठियाई-धर्मादा खण्ड;

छत्तीसगढ़

(2) बिलासपुर मंडल का बिलासपुर-वेंकटनगर खण्ड;

(3) वाल्टेयर मंडल का किरन्डूल-जगदलपुर खण्ड;

(4) संबलपुर मंडल का रायपुर-खरियार खण्ड।

(ख) जी, हां।

(ग) भोपाल मंडल पर, गुना-रुठियाई खण्ड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण पूरा किया गया था तथा रिपोर्ट रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। बिलासपुर मंडल पर, बिलासपुर-अनूपपुर खण्ड के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है।

वाल्टेयर मंडल पर, कोट्टवलासा-किरुन्डूल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

संबलपुर मंडल पर रायपुर-खरियार के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन

858. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन अल्पसंख्यकों के लिये विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के कार्यकरण क्षेत्र में विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हुई है। विवरण/ब्यौरे प्रतिष्ठान के वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2006-07 में प्रतिष्ठान की संचित निधि को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

पटरी की क्षति का पता लगाने वाला उपकरण

859. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई आई टी कानपुर के साथ रेलवे का विचार पटरियों पर हुई क्षति विशेषकर पटरियों के उखड़ने के पता लगाने वाला उपकरण विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) रेल प्रणाली में यह उपकरण कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण अनुकूल पर्यटन

860. श्री सुरेश अंगडि: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने और इसे बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ आबंटित बजट सहित पर्यटकों की इन सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थलों सहित पर्यटन परिपथों/गंतव्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों में अभी तक पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों से अब तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

राज्य	क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	1.	भवानी द्वीप समूह, कृष्णा जिले का विकास	2004-05	500.00	400.00
	2.	वारांगल जिले में लकनावरम झील का ईको टूरिज्म के रूप में विकास	2006-07	468.63	337.90
2. अरुणाचल प्रदेश	3.	अरुणाचल प्रदेश में ईको टूरिज्म परियोजना	2004-05	83.29	83.29
3. असम	4.	मजूली में हैरिटेज तथा ईको टूरिज्म रिजार्ट का विकास	2002-03	382.25	325.21
	5.	अगरतोली रेंज काजीरंगा में पर्यटक परिसर का एकीकृत विकास	2003-04	158.00	158.00
	6.	कुकराझार में ईको टूरिज्म का विकास	2005-06	460.00	368.00
	7.	मानस-गुवाहाटी-काजीरंगा का परिपथ विकास	2005-06	781.00	624.80
	8.	हैफलांग में ईको टूरिज्म का विकास	2007-08	63.47	50.77
4. बिहार	9.	भीमबांध (मुंगेर) में ईको टूरिज्म का विकास	2004-05	427.07	313.12
	10.	बाल्मिकी नगर (पश्चिमी चम्पारण) का ईको टूरिज्म विकास	2004-05	300.06	240.00
5. छत्तीसगढ़	11.	छत्तीसगढ़ राज्य में ईको टूरिज्म परिपथ का विकास	2004-05	648.35	518.68
6. कर्नाटक	12.	चिकमंगलूर वाइल्डरनैस का विकास	2004-05	202.48	161.98
	13.	ईको टूरिज्म कार्यकलाप-साध्यता रिपोर्ट का विस्तार	2004-05	15.00	7.50
	14.	वाइल्डरनैस पर्यटन परिपथ का विकास	2006-07	226.88	204.20
	15.	बांदीपुर टाइगर रिजर्व का गंतव्य विकास	2004-05	195.70	156.56
	16.	मैसर्स जंगल लाज एण्ड रिजार्ट द्वारा ईको टूरिज्म के लिए आईटी अवसंरचना	2005-06	53.29	26.64
	17.	बिजापुर-बिदर-गुलबर्गा परिपथ	2007-08	640.97	512.78

1	2	3	4	5	6
7. केरल	18.	थ्रीसूर जिले के पुन्नाथुर कोटा, गुरुव्यूर में ऐलीफेंट पार्क का विकास	2005-06	349.50	279.80
	19.	रानीपुरम का ईको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास	2006-07	357.01	285.60
8. मणिपुर	20.	इम्फाल में ईको टूरिज्म पार्क का विकास	2006-07	345.29	172.64
9. मध्य प्रदेश	21.	पन्ना का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	2006-07	421.66	337.00
10. पांडिचेरी	22.	भारती पार्क का विकास	2003-04	245.17	196.13
11. नागालैंड	23.	फिफीमा में ईको टूरिज्म सेंटर	2004-05	351.00	351.00
12. उड़ीसा	24.	भीतरकनिका में ईको टूरिज्म का विकास	2006-07	383.22	191.61
	25.	मयूरभंज जिले में सिमलीपाल का विकास	2006-07	297.12	237.70
13. सिक्किम	26.	चीमची में साहसिक तथा ईको टूरिज्म के लिए इंडियन हिमालयन सेंटर का निर्माण	2007-08	389.54	311.63
14. तमिलनाडु	27.	मुत्थुपेट के प्वाइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचयूरी में ईको टूरिज्म का एकीकृत विकास	2004-05	368.00	294.40
15. उत्तरांचल	28.	सारी गांव में देवरीयाताल में ग्रामीण पर्यटन (ईको टूरिज्म) का विकास	2005-06	45.14	36.00
	29.	कारबैट नेशनल पार्क का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	2007-08	602.00	481.60
16. उत्तर प्रदेश	30.	दुधवा नेशनल पार्क में गंतव्य विकास	2005-06	312.60	250.08
	31.	बेहराइच जिले में कतरनियाघाट पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचयूरी का विकास	2005-06	105.00	84.00

तेल एवं गैस की खोज

861. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल एवं गैस की खोज के लिए निदर्श उत्पादन, हिस्सेदारी अनुबंध में बदलाव करने और कानूनों को कड़ा बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनईएलपी-7 के सातवें दौर के प्रावधानों के अंतर्गत कितने ब्लाक आबंटित किए जायेंगे और किन-किन कंपनियों को इन्हें सौंपा जाएगा; और

(घ) एनईएलपी-7 में ब्लाकों के आबंटन की वजह से तेल एवं गैस के उत्पादन में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के हर दौर को आरंभ करने से पहले सुझाव देने एवं

सुधार समाविष्ट करने हेतु सभी पणधारकों के साथ परामर्श किए जाते हैं। एनईएलपी के आने वाले सातवें दौर (एनईएलपी-7) के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

एनईएलपी-7 के तहत प्रस्तावित किए जाने वाले ब्लाकों की संख्या उन ब्लाकों पर निर्भर करेगी, जिनके लिए आंकड़ा पैकेज उपलब्ध हों एवं यह आंकड़ा संभावनापूर्ण पूर्वेक्षण स्थल दर्शाते हों, जो अन्वेषण एवं उत्पादन कंपनियों को आकर्षित कर सकती हैं।

ब्लाकों का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाएगा।

प्रदान किए गए संबंधित ब्लाकों में अन्वेषण क्रियाकलाप तेल एवं गैस की खोज में परिणामित हो सकते हैं। उत्पादन की सही मात्रा उसकी वाणिज्यिकता एवं अनुवर्ती विकास योजनाओं पर निर्भर करेगी।

रेलवे भूमि का अधिग्रहण

862. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा अपने समर्पित रेल भाड़ा गलियारे के लिए अब तक अधिग्रहित भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार भूमि अधिग्रहण को त्वरित करने के लिए रेल अधिनियम में संशोधन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) अंतिम स्थान निर्धारण के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(ख) से (घ) समर्पित रेल माल गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए रेलवे भूमि अधिनियम में संशोधन हेतु एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु मूल्य निर्धारण एवं प्रशुल्क संरचना

863. श्री उदय सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण और प्रशुल्क संरचना संबंधी रंगराजन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है और क्या इस संबंध में आगे कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी हां। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण और कर निर्धारण के संबंध में रंगराजन समिति की रिपोर्ट सरकार को 17.2.2006 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है:-

1. पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण:

(1) रिफाइनरी गेट और साथ ही खुदरा मूल्यों के निर्धारण को व्यापार समता मूल्य निर्धारण फार्मूले में बदलना;

(2) सरकार को मूल्य निर्धारण से दूर रहना चाहिए और तेल कंपनियों को प्रस्तावित फार्मूले के अंतर्गत खुदरा मूल्य निश्चित करने के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देनी चाहिए; तथा

(3) पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत कम करके प्रभावी संरक्षण कम करना चाहिए।

2. घरेलू एल पी जी तथा पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्य निर्धारण-

(1) राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल को केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित रखना;

(2) घरेलू एल पी जी के मूल्य में 75 प्रति सिलेंडर तक वृद्धि करना;

(3) अपस्ट्रीम कंपनियों को अपस्ट्रीम सहायता प्रदान करने के लिए कहने की परम्परा समाप्त करना लेकिन उसकी बजाए ओ आई डी बी उपकर को 1,800 रुपए/मी. टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4,800 रुपये/मी. टन करके उनका अंशदान एकत्र करना; तथा

(4) सरकार को बजट से राजसहायता की शेष लागत पूरी करनी चाहिए।

3. उत्पादन शुल्कों की पुनर्संरचना करना:

वर्तमान विशिष्ट और मूल्यानुसार के मिश्रण को शुद्ध विशिष्ट लेवी में बदलना तथा डीजल की 5.00 रुपए/लीटर और पेट्रोल की 14.75 रुपए/लीटर की लेवी को आंशिक रूप में संशोधित करना।

समिति ने सिफारिश की थी कि इन सिफारिशों के प्रत्येक पहले दो सेटों को एकीकृत पैकेजों के रूप में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं:-

(1) पेट्रोल और डीजल के लिए व्यापार समता आधार पर मूल्य निर्धारण करना जिसमें 80:20 के अनुपात में आयात समता और निर्यात समता मूल्यों का भारित औसत होगा।

(2) पेट्रोल और डीजल पर सीमा सुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करना।

(3) राजसहायता प्राप्त पी डी एस मिट्टी तेल को केवल बी पी एल परिवारों के लिए सीमित रखने में सैद्धांतिक संशोधन।

तदनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण को आयात समता से व्यापार समता (80:20 के अनुपात में आयात और निर्यात समता का भारित औसत) में बदल दिया गया था। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को 16.6.06 से 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल के एनजीओ को अनुदान सहायता

864. श्री सनत कुमार मंडल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्वयंसेवी संगठनों (वीओ) को कुल कितनी अनुदान सहायता जारी की गई;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्गों और शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों संबंधी योजनाओं हेतु इन एनजीओ/वीओ द्वारा अनुदानों के समुचित उपयोग की निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) गत दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुदान के उपयोग की निगरानी राज्य सरकारों/मंत्रालय के अधिकारियों/निर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्टों और वार्षिक निरीक्षण के माध्यम से की जाती है।

विवरण

(लाख रुपए में)

योजना के नाम	जारी की गई राशि	
	2005-06	2006-07
अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	-	17.68
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों की सहायता	116.34	166.57
दीनदयाल नि:शक्त व्यक्ति पुनर्वास योजना	541.62	383.68
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	4.86	9.05
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	198.58	304.96
जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता पोकेटों में शैक्षिक परिसर	24.56	58.62

[हिन्दी]

एथेनोल का उत्पादन

865. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एथेनोल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सीधे गन्ने से ही एथेनोल के उत्पादन को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में इसके बिक्री मूल्य को देखते हुए गन्ने से सीधे ही एथेनोल का उत्पादन लाभप्रद होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग को इससे अनुमानतः कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने चीनी मिलों को इस बात की इजाजत देने का अनुमोदन कर किया है कि वे चीनी की अधिक आपूर्ति को कम करने तथा एथेनोल की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से गन्ने के रस से सीधे एथेनोल का उत्पादन करें।

(ख) से (घ) चीनी उद्योग द्वारा दिए गए अनुमानों के अनुसार, एथेनोल के लिए गन्ने के रस से विपथन द्वारा चीनी के एक टन की कमी से 600 लीटर एथेनोल का उत्पादन होगा। गन्ने से सीधे एथेनोल उत्पादन की लाभप्रदता चीनी और एथेनोल के सापेक्ष मूल्यों पर निर्भर करेगी।

गन्ने के रस से सीधे एथेनोल उत्पादन के कारण उद्योग द्वारा अर्जित किए जाने वाले संभावित लाभ की राशि के संबंध में सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है क्योंकि यह चीनी उत्पादन, चीनी मूल्यों के साथ-साथ गन्नों के मूल्यों पर निर्भर करेगी।

तीर्थाटन विभाग की स्थापना

866. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पौराणिक और धार्मिक महत्ता के तीर्थस्थलों की सुरक्षा और इनको बढ़ावा देने के लिए एक पृथक विभाग 'तीर्थाटन'' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के सभी तीर्थस्थलों को लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय गंतव्यों एवं परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास की योजना के अंतर्गत, धार्मिक और धार्मिक महत्व के स्थलों सहित, पर्यटक स्थलों में अवसंरचना विकास के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एएआई/आईएएफ द्वारा संचालित विमानपत्तन

867. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायुसेना द्वारा देश में पृथक-पृथक ऐसे कितने विमानपत्तन संचालित किये जा रहे हैं जहां वाणिज्यिक एवं निजी विमानों के संचालन की अनुमति है;

(ख) क्या यह संख्या यात्री कार्गो यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले ठोस कदम क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 66 हवाई अड्डों का प्रचालन कर रहा है जिसमें से 2 वे हवाई अड्डे भी शामिल हैं जिनका प्रचालन संयुक्त उद्यम के अधीन है। इसके अतिरिक्त 19 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के हैं जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरम के सिविल एन्कलेव हैं।

(ख) और (ग) बढ़ते हुए यात्री तथा कार्गो यातायात मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गैर प्रचालनात्मक हवाई अड्डों के लिए प्रचालनात्मकता के लिए कई वर्तमान हवाई अड्डों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के रूप में विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप आरंभ किए हैं।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का लाभ

868. **श्री अनन्त नायक:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे इस्पात संयंत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनके पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) इस समय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले इस्पात संयंत्रों और उनके द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित कुल लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अप्रैल से सितंबर)
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)— (कर-पश्चात लाभ)	6817	4013	6202	3225
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)— (कर-पश्चात लाभ)	2008	1252	1363	785

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे भूमि का अतिक्रमण

869. **श्री एम. अप्पादुरई:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे भूमि का व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार अतिक्रमण करने वाले कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया और कितनों को बेदखल किया गया;

(ग) क्या कुछ अधिकारियों को अतिक्रमण से निपटने के कर्तव्यों की अवहेलना करने के लिए दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। 31.03.2007 के अनुसार, कुल लगभग 4.31 लाख हेक्टेयर भूमि में से केवल लगभग 1910 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है।

(ख) संलग्न विवरण में जोनवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) से (ङ) 31.03.2007 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण से संबंधित कार्रवाई करने में एक वरिष्ठ खंड अभियंता (निर्माण) को कर्त्तव्य की अवहेलना करने का दोषी पाया गया। उसे वार्षिक वेतनवृद्धि रोककर दण्डित किया गया।

विवरण

31.03.2007 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान दण्डित किए गए तथा रेल भूमि से बेदखल किए गए अक्रिमणकर्ताओं का जोनवार विवरण

जोन	दण्डित/बेदखल किए गए अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या
1	2
मध्य	18525
पूर्व	15826
पूर्व मध्य	976
पूर्व तट	75
उत्तर	1903
उत्तर मध्य	34
पूर्वोत्तर	45
पूर्वोत्तर सीमा	3160
उत्तर पश्चिम	113
दक्षिण	1575

1	2
दक्षिण मध्य	2549
दक्षिण पूर्व	2004
दक्षिण पूर्व मध्य	1735
दक्षिण पश्चिम	203
पश्चिम	8452
पश्चिम मध्य	210
जोड़	57385

एलपीजी की कमी

870. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एलपीजी और तेल के अवैध भण्डारण की वजह से एल पी जी की कमी की समस्या उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने तथा इनके अवैध भण्डारण को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं। ओ एम सीज ने देश में एल पी जी के गैर कानूनी ढंग से भंडारण का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) उक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि फिलहाल देश में कुल मिलाकर एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार देशी उत्पादन और आयातों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्तियां की जा रही हैं। तथापि, ओ एम सीज ने कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सड़क टूटने, पुल टूटने, विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों द्वारा कामबंदी, परिवहनकर्ताओं तथा ठेका श्रमिकों की हड़तालों आदि के कारण यदा-कदा बैकलॉग के बार में रिपोर्ट दी थी। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि छुट्टी के दिनों तथा कार्य समय के विस्तारित घंटों में भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बैकलॉग को समाप्त किया जाए।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की अन्वेषण कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी का बेचा जाना

871. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवलीः
श्री संजय धोत्रेः
श्री बापू हरी चौरेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की अन्वेषण कंपनी आयल इंडिया लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है और तत्संबंधी स्वीकृति दी है तथा इसके आई पी ओ जारी करने हेतु भी स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) का आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के द्वारा अपने निर्गम बाद चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत का नया समांशता निर्गम लाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ताकि कंपनी को स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जा सके। ओआईएल के कर्मचारियों को निर्गम बाद चुकता पूंजी के अतिरिक्त 1 प्रतिशत के निर्गम के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि ओआईएल की निर्गम पूर्व चुकता पूंजी का 10 प्रतिशत तीन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात आईओसी, एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के पक्ष में क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में कम किया जाए। ओएमसीज के पक्ष में इस विनिवेश से न केवल विद्यमान सहयोग सुदृढ़ होगा अपितु उन्हें अपनी कम प्राप्तियों से उबरने के लिए उपयुक्त समय में खुले बाजार में इन शेयरों को बेचकर साधन जुटाने में मदद भी मिलेगी। इस विनिवेश की आय से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिये सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एससीएसपी के अंतर्गत धनराशि आबंटन

872. डा. एम. जगन्नाथः क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा धनराशि का आबंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ राज्य एससीएसपी के अंतर्गत की धनराशि का अनुसूचित जाति के कल्याण/विकास क्रियाकलापों से अलग क्रियाकलापों पर व्यय कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा एससीएसपी की धनराशि का गैर-एससीएसपी क्रियाकलापों पर व्यय को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) चौदह मंत्रालय/विभाग, योजना मंत्रालय परामर्श के अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत निधियां आबंटित कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) निधियां अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं और इन्हें अपवर्तित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

ओएनजीसी उत्पादन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं

873. **श्री हरिकेवल प्रसादः**
डा. धीरेंद्र अग्रवालः
श्री संतोष गंगवारः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओएनजीसी के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से आग लगने की घटनाओं की खबरें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है तथा उपर्युक्त प्रत्येक घटना में जान-माल को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त घटनाओं के लिए कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के उत्पादन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्ष में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार छह घटनाओं की सूचना दी गई हैः-

क्र.सं.	घटना	तारीख	संपत्ति की क्षति	जीवन क्षति
1.	जोताना जी जी एस से सोभासन सी टी एफ (अम्बासन ग्राम) तक 8'' गैस पाइप लाइन में आग	31.1.05	नगण्य	संविदात्मक 2
2.	सागर लक्ष्मी, नीलम और हीरा क्षेत्र, मुंबई सैक्टर	18.5.05	नगण्य	संविदात्मक 2
3.	बी एच एन प्लेटफार्म, मुंबई हाई मुंबई सैक्टर में भारी अग्नि दुर्घटना	27.7.05	406.248 मिलियन अमरीकी डालर	जानों की क्षति—22 (ओएनजीसी—15, संविदात्मक—7)
4.	वेधन रिग ई-1400-20 राजामुंदरी में भारी अग्नि दुर्घटना (अग्नि विस्फोट)	8.9.05	12.2 करोड़ रुपये	जानों की क्षति—शून्य
5.	सी एफ यू-2 उरण संयंत्र	3.4.06	नगण्य	संविदात्मक''
6.	सीपीएफ गांधार में सीएफ	18.10.07	अनुमानितः	15 जानों की क्षति

(ग) सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई थी। जांच समितियों की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षा पद्धति में खामियों का पता लगाया गया और जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयां की गई हैं।

सुरक्षा प्रबंधन पद्धति में और सुधार करने के लिए सभी ओएनजीसी प्रचालन ओएचएसएएस-18001 मानक के आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अधिप्रमाणित हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मानक है।

एसएसपी उर्वरकों का उत्पादन

874. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगल सुपर फास्फेट जो दलहन की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे उर्वरकों का उत्पादन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दलहन के न्यून उत्पादन का यह एक प्रमुख कारण है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी नहीं, वर्ष 2006-07 और 2007-08 (अप्रैल से अक्तूबर 2007) के दौरान एसएसपी का उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	एसएसपी का उत्पादन लाख मीट्रिक टन में
2006-07	29.73
2007-08 (अप्रैल से अक्तूबर 2007)	11.50*

*अंनतिम

(ग) वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के लिए दालों का उत्पादन (अनुमानित) निम्न प्रकार है:

वर्ष	दालों का उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में
2006-07	14.23 (अनुमानित)
2007-08	15.50 (लक्ष्य)

(घ) और (ङ) एसएसपी उद्योग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और देश में एसएसपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग ने 975/- रुपए की मौजूदा तदर्थ राजसहायता के अलावा 1.4.2007 से 150/- रुपए प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त भाड़ा उपलब्ध कराया है। इसलिए 1.4.2007 से एसएसपी पर राजसहायता 1125/- रुपए प्रति मी.टन है।

[अनुवाद]

दवा नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

875. श्री मदन लाल शर्मा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दवा नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन कराया है ताकि दवा विनिर्माता कंपनियों द्वारा नाजायज लाभ कमाने पर रोक लगायी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दवा नीति तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली का कितना क्रियान्वयन किया गया है और इसमें क्या खामियां हैं; और

(ग) जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्हें सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध एवं उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रणाधीन हैं एवं उनके मूल्य, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा डीपीसीओ 95

के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। अति प्रभार के मामले में अतिप्रभार राशि की वसूली के लिए एनपीपीए द्वारा कार्रवाई की जाती है। अतः मूल्य नियंत्रणाधीन दवाओं की कीमतें प्रभावी रूप से नियंत्रित और कम रखी गई हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पादन नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। इन औषधों की कीमतों की नियमित निगरानी की जाती है तथा जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक व अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं करता है। ऐसे कोई विशिष्ट मानक अथवा दिशा-निर्देश नहीं हैं जिससे यह तय किया जा सके कि किस दवा को जीवनरक्षक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक दवा को जीवन की रक्षा करने और दीर्घायु बनाने में उपयोगी समझा जाता है।

समय-समय पर घोषित की जाने वाली औषध नीतियों का लक्ष्य गरीबों को उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।

आईए तथा एआई का विलय

876. श्री रशीद मसूदः
श्री मंजुनाथ कुन्नुरः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इंडियन एयरलाइंस (आईए) तथा एअर इंडिया (एआई) के विलय हेतु अब तक पूरी की गई तकनीकी और प्रक्रियागत औपचारिकताएं क्या हैं;

(ख) यह विलय सरकार तथा नागर विमानन के लिए कितना लाभकारी होगा;

(ग) विलय के पश्चात दोनों एयर लाइनों के कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी; और

(घ) विमानन क्षेत्र में निजी प्रतिस्पर्धियों द्वारा दी जा रही चुनौती का सामना प्रभावी ढंग से करने हेतु क्या रणनीति अपनायी जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड का नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) नामक एक नई कम्पनी में विलय की वैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई है तथा दिनांक 18.9.2007 को एनएसीआईएल के नए बोर्ड का गठन भी हो गया है।

(ख) और (घ) दो एयरलाइनों के एकीकरण से क्षेत्रीय प्रचालनों, अल्प से मध्यम वहन ट्रंक प्रचालनों तथा दीर्घ वहन प्रचालनों के सुगम सम्पर्कता नेटवर्क को विकसित किया जा सकेगा जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नेटवर्क कवरेज से माध्यम से उपलब्ध उत्पादों में सुधार होगा। विलय समान संपत्तियों के उत्तोलन के लिए अवसर का उपयोग करने के अतिरिक्त प्रापण, बिक्री तथा वितरण के लिए व्यापक सहक्रियता भी उपलब्ध कराएगा। अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू क्षेत्र में मुकाम प्राप्त 112 के अधिक विमानों वाली यह नई एयरलाइन कुशलता तथा विश्वसनीयता के लिए नए मानक स्थापित करेगी जिससे देश में विशेष रूप से यात्रा करने वाली जनता को नागर विमानन क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा।

(ग) सहकारिता कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत आमेलन की योजना के माध्यम से कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस लि. तथा एयर इंडिया लि. के सभी कर्मचारी बिना किसी सेवा भंग या व्यवधान के तथा आमेलन की तारीख को उन पर लागू निबंधन और शर्तों से अधिक अनुकूलन के आधार पर वे एनएसीआईएल के कर्मचारी हो गए हैं। किसी कर्मचारी की शिकायतों के निपटान के लिए एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है।

निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति में दलितों और मुस्लिमों के साथ भेदभाव

877. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दलितों और मुस्लिमों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में केवल अपने नाम के आधार पर ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हानि/लाभ में चल रहे विमानपत्तन

878. श्री बाडिगा रामकृष्ण: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में व्यावसायिक संचालन हेतु इस्तेमाल हो रहे लगभग 90 विमानपत्तनों में से मात्र कुछ विमानपत्तन ही लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा शेष घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राशि-वार लाभ/घाटे में चल रहे विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे में चल रहे विमानपत्तनों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 127 हवाई अड्डों में से, वर्ष 2006 के दौरान (सिविल एन्क्लेवों सहित) केवल 15 अड्डों पर लाभ अर्जित हुआ। इनके प्रचालनिक परिणामों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य हवाई अड्डों पर हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जहां अधिकतर हानिप्रद हवाई अड्डों का अनुरक्षण सामाजिक, आर्थिक कारणों से किया जा रहा है, भारतीय विमाानपत्तन प्राधिकरण व्यावसायिक अवसरों के बेहतर दोहन के द्वारा हवाई अड्डों पर गैर यातायात राजस्व में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है। आधुनिकीकरण के लिए 35 में चुने हुए 24 गैर महानगरीय हवाई अड्डों के सिटी साइड का विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी से किया जा रहा है ताकि गैर यातायात राजस्व का अधिकतम उत्सर्जन किया जा सके।

विवरण I

एयरपोर्टों के पिछले 3 वर्षों के प्रचालन परिणाम जिन्होंने वर्ष 2006-07 के दौरान लाभ अर्जित किया

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एयरपोर्ट/राज्य का नाम	2004-05 के दौरान प्रचालन परिणाम	2005-06 के दौरान प्रचालन परिणाम	2006-07 के दौरान प्रचालन परिणाम
1	2	3	4	5
1.	आईजीआई एयरपोर्ट (दिल्ली)	34491.29	51453.27	48234.41
2.	मुंबई एयरपोर्ट (महाराष्ट्र)	31552.33	49537.72	47521.43
3.	पुणे (महाराष्ट्र)	639.94	1477.87	1992.58
4.	जुहू (महाराष्ट्र)	874.52	1043.86	1196.17
5.	बैंगलोर (कर्नाटक)	6204.53	12105.57	16282.02
6.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	2665.34	7327.25	16151.79
7.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	7482.47	5215.92	8079.93
8.	गोवा (गोवा)	1326.64	2328.74	3735.60
9.	अहमदाबाद (गुजरात)	-196.37	1200.43	2496.13
10.	कालीकट (केरल)	496.17	1404.09	1879.34

1	2	3	4	5
11.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	-439.79	265.60	2361.15
12.	चेन्नै (तमिलनाडु)	14930.94	19161.08	30632.88
13.	कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	-21.07	-20.10	627.92
14.	जम्मू (जम्मू-कश्मीर)	-519.51	-351.70	115.96
15.	पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान एण्ड निकोबार)	-357.43	-284.88	252.91

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाई अड्डों द्वारा उठाए गए घाटे का हवाईअड्डा-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	हवाई अड्डे का नाम	2004-05 घाटा	2005-06 घाटा	2006-07 घाटा
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा #	-8.06	-11.66	-10.47
2.		वोनाकोंडा #	0.00	0.00	0.00
3.		नादिर गुल फ्लाइंग क्लब #	0.00	0.00	0.00
4.		राजमुन्दरी	-137.78	-62.38	-189.17
5.		तिरूपती	-401.34	-407.57	-328.64
6.		विजयवाड़ा	-332-48	-376.56	-339.06
7.		विशाखापत्तनम सीई	-270.79	-298.31	-306.95
8.		वारंगल #	0.00	0.00	0.00
9.	अरुणाचल प्रदेश	खिलांग # सीई	0.00	0.00	0.00
10.		डापोरिजाओ सीई #	0.00	0.00	0.00
11.		पासीघाट #	-4.09	0.00	0.00
12.		तेजू सीई	-19.02	-19.72	-20.14
13.		जीसेसीई #	0.00	0.00	0.00
14.	असम	डिब्रूगढ़ (मोहनवाड़ी)	-412.79	-546.84	-770.63
15.		गुवाहाटी	-5109.67	-3711.61	-2874.31
16.		जोरहाट सीई	-172.37	-181.60	-203.03

1	2	3	4	5	6
17.		लीलावाड़ी, उत्तरी लक्षद्वीप	-203.27	-290.09	-343.25
18.		रूपसी #	-2.15	0.00	0.00
19.		शीला #	0.00	0.00	0.00
20.		सिलचर (कुम्भग्राम) (सीई)	-149.48	-189.60	-339.78
21.		तेजपुर (सीई)	-61.73	-100.83	-182.89
22.	बिहार	गया	-642.23	-823.82	-1114.22
23.		जोगबानी #	0.00	0.00	0.00
24.		मुजफ्फरपुर #	0.00	0.00	0.00
25.		पटना	-1193.64	-1239.63	-1076.63
26.		रक्सौल #	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (सीई)	-279.75	-258.84	-228.24
28.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर #	0.00	0.00	0.00
29.		रायपुर (गन्ना कैंप)	-362.31	-311.76	-77.01
30.	दिल्ली	दिल्ली (सफदरजंग)	-702.07	-1050.21	-1013.66
31.	गुजरात	भावनगर	-356.32	-439.32	-374.99
32.		भुज (सीई)	-132.61	-326.12	-322.19
33.		डीसा (पालमपुर) #	0.00	0.00	0.00
34.		जामनगर (सीई)	-77.73	-32.68	-48.74
35.		कांडला	-56.78	-89.86	-145.42
36.		केशोड (जूनागढ़)	-62.13	-109.26	-85.85
37.		पोरबन्दर	-190.57	-207.84	-313.24
38.		सूरत	-28.77	-37.67	-74.67
39.		राजकोट	-307.32	-539.28	-458.09
40.		बड़ोदरा (बड़ौदा)	-199.60	-563.40	-406.11
41.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (धधल)	-196.10	-380.96	-285.41
42.		कुल्लू (भुसर)	-298.67	-362.29	-417.79
43.		शिमला	-267.04	-312.95	-245.57

1	2	3	4	5	6
44.	जम्मू-कश्मीर	लेह (सीई)	-10.83	-166.49	-121.63
45		श्रीनगर (सीई)	-34.53	-116.86	-114.91
46.	झारखंड	बाकुलिया #	0.00	0.00	0.00
47.		रांची	-665.90	-769.10	-737.72
48.	कर्नाटक	बेलगाम	-158.65	-223.65	-823.72
49.		हासन #	0.00	0.00	0.00
50.		हुबली	-130.81	-128.88	-79.83
51.		मंगलौर	-636.40	-1114.18	-891.03
52.		मैसूर #	0.00	0.00	0.00
53.	केरल	कोचीन (सीई) #	0.00	0.00	0.00
54.	लक्षद्वीप	अगाती	-130.04	-173.66	-182.55
55.	मध्य प्रदेश	भोपाल	-888.40	-1060.24	-1015.32
56.		ग्वालियर (सीई)	-205.85	-245.27	-262.04
57.		इन्दौर	-315.87	-436.25	-225.48
58.		जबलपुर	-370.19	-404.94	-297.16
59.		खजुराहो	-673.28	-821.25	-672.06
60.		खंडवा #	0.00	0.00	0.00
61.		पन्ना #	0.00	0.00	0.00
62.		सतना #	0.00	0.00	0.00
63.	महाराष्ट्र	अकोला #	0.00	0.00	0.00
64.		औरंगाबाद	-362.33	-431.62	-485.73
65.		गोंदिया	0.00	-3.24	0.00
66.		हदपरार #	0.00	0.00	0.00
67.		कोल्हापुर (एसजी) #	-0.06	-5.12	-6.12
68.		नागपुर (सोनेगांव)	-2918.72	-2439.54	-1348.28
69.		शोलापुर (एसजी) #	0.00	0.00	0.00
70.	मणिपुर	इम्फाल	-275.38	-262.82	-749.50

1	2	3	4	5	6
71.	मेघालय	शिलांग (बारापानी)	-115.59	-123.26	-139.53
72.	मिजोरम	लेंगलुई (एजवाल)	-61.22	-72.83	-115.91
73.		तुरियल (एजवाल) #	0.00	0.00	0.00
74.	नागालैंड	दीमापुर	-266.79	-357.77	-572.70
75.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	-1470.95	-1357.11	-1038.48
76.		झारसुगुड़ा	-50.56	-74.28	-78.11
77.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	-29.86	-42.56	-46.14
78.	पंजाब	अमृतसर	-755.58	-500.93	-405.12
79.		लुधियाना	-142.91	-124.33	-198.96
80.		पठानकोट	-170.30	-288.31	-264.32
81.	राजस्थान	जयपुर	-1275.75	-1195.91	-111.81
82.		जैसलमेर (सीई)	-45.70	-26.15	-34.46
83.		जोधपुर (सीई)	-248.89	-292.37	-278.91
84.		कोटा	-11.89	-43.80	-61.57
85.		नाल (बीकानेर) (सीई) #	-115.39	-94.70	-99.73
86.		उदयपुर	-408.44	-592.81	-434.42
87.	तमिलनाडु	मदुरै	-399.34	-454.72	-299.86
88.		सलेम	-22.48	-25.08	-29.56
89.		त्रिचिरापल्ली	-498.77	-457.27	-549.80
90.		तूतीकोरिन	-28.08	-31.69	-57.60
91.		वेल्लोर	-5.39	-6.88	-6.93
92.	त्रिपुरा	अगरतला	-848.77	-688.22	-1171.11
93.		कैलाशहर #	-11.71	-1.81	-1.24
94.		कमलपुर #	0.00	0.00	0.00
95.		खोवाई #	0.00	0.00	0.00
96.	उत्तर प्रदेश	आगरा (सीई)	-466.45	-414.26	-467.07
97.		इलाहाबाद (सीई)	-1613.44	-192.38	-104.78

1	2	3	4	5	6
98.		गोरखपुर (सीई)	-3.37	-4.28	-34.00
99.		झांसी #	0.00	0.00	0.00
100.		कानपुर	-173.90	-205.43	-324.08
101.		कानपुर (पकेरी) (सीई) #	0.00	0.00	0.00
102.		ललितपुर #	0.00	0.00	0.00
103.		लखनऊ	-1080.06	-1491.36	-1059.84
104.		वाराणसी	-1455.74	-1491.49	-1145.75
105.	उत्तरांचल	देहरादून	-126.78	-144.72	-173.27
106.		पंतनगर	-89.58	-103.98	-110.95
107.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल #	0.00	0.00	0.00
108.		बागडोगरा (सीई)	-129.12	-23.61	-355.21
109.		बलूरघाट	-4.07	-5.89	-4.51
110.		बेहला	-20.30	-21.87	-24.88
111.		कूच विहार	-12.30	-23.05	-60.72
112.		माल्दा	-6.38	-18.55	-22.76

(सीई): सिविल इन्क्लेव

#गैर प्रचालनिक हवाई अड्डा

एआई की सीधी उड़ानें

879. श्री मोहन रावले: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (एआई) का विचार यू.एस., कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षेस एवं अन्य क्षेत्रों के और गंतव्यों के लिए और अधिक सीधी उड़ानें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एअर इंडिया ने इस वर्ष मुंबई-न्यूयार्क सेक्टर पर दैनिक अविराम उड़ानें प्रारंभ की हैं। इसकी योजना वर्ष 2008 के प्रारंभ में दिल्ली-न्यूयार्क सेक्टर के बीच अविराम उड़ानें प्रचालित करने की हैं। आगे, नए गन्तव्यों के लिए सेवाएं आरम्भ करने की सम्भाव्यता की खोज करने के लिए नियमित बाजार अध्ययन किए जाते हैं, और अविराम सेवायें चालू करने का निर्णय ऐसी सेवा की वाणिज्यिक साध्यता तथा विमान क्षमता की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है।

अकेले यात्रा कर रहे रेल यात्री हेतु सुविधाएं

880. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अकेले यात्रा करने वाले औसत रेल यात्री के लिए जरूरी रेल विशिष्ट अवसंरचना/सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वरिष्ठ नागरिकों, अकेली महिला यात्री तथा कतिपय अन्य श्रेणियों के यात्रियों जो सामान्यत: रेलगाड़ियों में चढ़ते-उतरते समय संबंधियों या दोस्तों पर निर्भर करते हैं, उनकी चिन्ताओं व जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुख सुविधाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जाता रहता है। वर्ष 2006-07 के दौरान रेलवे ने इन सुविधा कार्यों पर 407.9 करोड़ रु. खर्च किए हैं। चालू वर्ष के दौरान यात्री सुविधायें शीर्ष के अंतर्गत 493 करोड़ रु. की बजटीय व्यवस्था की गई है।

(ख) रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों/एकल महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की गई विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाएं निम्नलिखित हैं:-

1. वरिष्ठ नागरिकों/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट।

2. खास तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष डिजाइन वाले एस एल आर डी सवारी डिब्बों को लगाना।

3. शयनयान श्रेणी, वातानुकूलित 3 टीयर और वातानुकूलित 2 टीयर श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिला यदि वह अकेली यात्रा कर रही हो, के लिए दो निचली सीटें निर्धारित की गई हैं।

4. विशेष रुप से महिलाओं के लिए उनकी आयु पर ध्यान दिए बिना यदि वह अकेली अथवा समूह में यात्रा कर रही हैं तो ऐसी महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में 6 बर्थों का निर्धारण किया गया है।

5. विभिन्न गाड़ियों (उप नगरीय तथा गैर उपनगरीय) में महिलाओं के लिए अनारक्षित जगह की व्यवस्था की गई है।

6. व्हील चेयर।

7. प्रथक बुकिंग काउंटर।

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स संबंधी अन्तरमंत्रालयीय समूह

881. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए सिद्धांत, दिशानिर्देश और लाइसेंस शर्तों की सिफारिश करने के लिए गठित अन्तरमंत्रालयीय समूह ने सिफारिश की है कि विशेष मामलों को छोड़कर ऐसे एयरपोर्ट्स के लिए अनिवार्य स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो समिति का ब्यौरा और मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारें स्वयं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना करना चाहती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने देश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए दिशानिर्देश और लाइसेंस शर्तों मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए नई नीति का प्रतिपादन तथा चर्चा की जा रही है।

[हिन्दी]

जम्मूतवी एक्सप्रेस में विद्यार्थियों की पिटाई

882. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि रेल यात्रा के दौरान हाल में सुरक्षा की कमी तथा भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं जैसाकि विद्यार्थियों की पिटाई, टिकट निरीक्षक को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने तथा यात्रियों के थैलों की जांच करते समय पुलिसकर्मियों द्वारा घूस लेना जैसी घटनाओं से स्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को जम्मू तवी एक्सप्रेस में विद्यार्थियों की पिटाई की घटना की जानकारी है जैसाकि 7 नवम्बर, 2007 के दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। वर्ष 2007 के दौरान (सितंबर तक) रेलवे की ओर से सुरक्षा में कमी और चलती गाड़ियों से गाड़ी परीक्षकों को बाहर धक्का

देने का कोई मामला नहीं सूचित किया गया है। बहरहाल, 06.11.2007 को 3152 जम्मूतवी एक्सप्रेस में छात्रों की पिटाई करने का एक मामला सूचित किया गया है। जहां तक पुलिस कार्मिकों द्वारा यात्रियों के सामान की जांच करते समय पुलिस कार्मिकों द्वारा रिश्वत लेने का प्रश्न है, वर्ष 2007 के दौरान सुरक्षा कार्मिकों द्वारा भ्रष्टाचार के 2 मामले सूचित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, दिनांक 06.11.2007 को बंगावासी कॉलेज कोलकाता के लगभग 80 छात्र शैक्षणिक दौरा पूरा करने के बाद गाड़ी सं. 3152 जम्मूतवी एक्सप्रेस द्वारा जम्मू से सियालदाह लौट रहे थे। एक सेना कार्मिक उक्त गाड़ी में यात्रा कर रहा था, गोमो स्टेशन के समीप रास्ते में उसके साथ उनकी कहा-सुनी हो गई। गोमो स्टेशन पर सेना कार्मिक ने कुछ स्थानीय लोगों को बुला लिया और विद्यार्थियों की पिटाई की।

(घ) दिनांक 06.11.2007 के अपराध सं. की धारा 12/07 के तहत भा.दं.सं. 314, 323, 504, 526, 34 के अधीन सेना कार्मिक एवं अन्यों के विरुद्ध राजकीय रेल पुलिस/गोमो द्वारा मामला दर्ज किया गया है।

[अनुवाद]

भीमपुर-नागभीड रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन

883. श्री प्रकाश बी. जाधवः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रैलवे ने भीमपुर-नागभीड, महाराष्ट्र रेललाइन का आमान परिवर्तन करने हेतु किसी धनराशि का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भीमपुर नाम का ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। नागपुर-नागभीर छोटी रेल लाइन खंड पर बीवापुर एक मौजूदा स्टेशन है। इस लाइन के आमान परिवर्तन की स्वीकृति नहीं मिली है।

जेनेरिक दवाओं के मूल्य

884. श्री रायापति सांबासिवा रावः
श्री मंजुनाथ कुन्नुरः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई भेषज नीति के क्रियान्वयन के पश्चात कई जेनेरिक दवाओं की कीमतों में भारी कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी कीमतें घटेंगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) मंत्रिमंडल ने 11.01.2007 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय औषध नीति के प्रारूप पर विचार किया था। मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंत्रियों के समूह (जीओएम) को संदर्भित कर दिया है। जीओएम की पहली बैठक 10.04.2007 को और दूसरी बैठक 12.09.2007 को हुई। राष्ट्रीय औषध नीति को अंतिम रूप दिए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चूंकि राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः फिलहाल औषधों पर मूल्य नियंत्रण के प्रभाव का आकलन कर पाना संभव नहीं होगा।

विदेशी सहायता

885. श्री एन.एस.वी. चित्तनः क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विरासत स्मारकों के जीर्णोद्धार तथा रख-रखाव के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गयी है;

(ख) इस सहायता में कितने स्मारक शामिल हैं तथा अब तक प्रत्येक स्मारक पर कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे स्मारकों का अपने संसाधनों से संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोआपरेशन (जे बी आई सी) ने अजंता-एलोरा के आस-पास के चुनिंदा स्मारकों के संरक्षण के लिए सुलभ ऋण (सॉफ्ट लोन) दिया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जैसलमेर किले के संरक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इन स्मारकों का नेमी अनुरक्षण तथा अन्य लघु मरम्मत कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

अजंता-एलोरा के लिए जेबीआईसी परियोजना और जैसलमेर किला के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फण्ड के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	कार्य-उपघटक	2004-05	2005-06	2006-07
	जेबीआईसी परियोजनाएं			
1.	अजंता गुफाएं	2.16	2.42	35.89
2.	एलोरा गुफाएं	53.16	40.12	33.79
3.	औरंगाबाद गुफा समूह	16.82	3.70	18.23
4.	बीबी-का-मकबरा	15.73	15.44	29.45
5.	पीतलखोरा गुफा समूह	-	-	2.87
6.	पटनादेवी का मंदिर	-	-	11.98
7.	दौलताबाद किला	20.23	35.05	85.93
8.	लोनार स्मारक समूह	-	-	1.81
	वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फण्ड परियोजना			
9.	जैसलमेर किला	34.54	33.30	12.56

विवरण II

अजंता-एलोरा के आस पास के स्मारकों और जैसलमेर किला पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	कार्य-उपघटक	2004-05	2005-06	2006-07
1.	अजंता गुफाएं	64.63	59.54	31.64
2.	एलोरा गुफाएं	11.23	9.95	10.03
3.	औरंगाबाद गुफा समूह	5.84	2.32	3.60
4.	बीबी-का-मकबरा	11.59	14.54	14.78
5.	पीतलखोरा गुफा समूह	0.10	0.43	0.32
6.	पटनादेवी का मंदिर	0.09	0.09	0.45
7.	दौलताबाद किला	25.90	13.53	15.13
8.	लोनार स्मारक समूह	0.56	1.18	4.23
9.	जैसलमेर किला	18.06	28.90	12.21

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

886. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित योजनाओं/परियोजनाओं के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को यथाशीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं। राज्य सरकारों से प्राप्त कोई योजना/परियोजना इस मंत्रालय के अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दवाओं का एक समान मूल्य

887. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लाभार्थ दवाओं के पैकेट पर स्थानीय कर सहित दवाओं का एक समान मूल्य मुद्रित कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों के बीच स्थानीय कर अलग-अलग होते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझाएगी;

(ङ) क्या अलग-अलग दरों के मद्देनजर दवा की कीमत तथा उस पर बिक्री कर को अलग-अलग मुद्रित करने का भी निर्णय लिया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में स्थानीय लेवी को शामिल किए जाने के मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (छ) 26 जून, 2006 के का.आ.सं. 945 (अ) के तहत सभी करों सहित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी कर दिया गया है। 2 अक्तूबर, 2006 के पश्चात विनिर्मित बैचों पर सभी करों सहित एमआरपी लिखा जाना अपेक्षित है। तथापि, आयातित फार्मूलेशनों के लिए सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य को दिनांक 01.03.2007 से लागू किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अब उच्चतम मूल्य (उत्पाद शुल्क और वैट सहित) तथा समानुपाती एमआरपी (उत्पाद शुल्क और वैट सहित) अधिसूचित करना शुरू कर दिया है।

पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधनों के उपयोग में बढ़ोतरी

888. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने परिवहन ईंधन का 10 प्रतिशत पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन से प्रतिस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान प्रतिस्थापित पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर देश में एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) के तहत पेट्रोल के साथ 10 प्रतिशत एथेनोल सम्मिश्रण ऐच्छिक बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान पेट्रोल और डीजल की खपत का ब्यौरा निम्नवत है:-

(1) पेट्रोल - 9295000 मीट्रिक टन (अनन्तिम)

(2) डीजल - 42884000 मीट्रिक टन (अनन्तिम)

(घ) देश में वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जैवानुकूल ईंधन अर्थात एथेनोल द्वारा 0.64 प्रतिशत खपत प्रतिस्थापित कर दी गई है।

(ङ) पर्यावरणानुकूल जैव-ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं-

(1) एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 सितम्बर 2006 की अधिसूचना के द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को 1 नवम्बर, 2006 से प्रभावी करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन 5 प्रतिशत एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) का विक्रय करने का निर्देश दिया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में 5 प्रतिशत ईबीपी कार्यक्रम को अधिदेशात्मक बनाने का निर्णय लिया है। 10 प्रतिशत एथेनोल सम्मिश्रण करने का ऐच्छिक बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है।

(2) जैव-डीजल खरीद नीति-1.1.2006 से जैव-डीजल खरीद नीति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश भर में 20 पहचान किए गए खरीद केन्द्रों पर 5 प्रतिशत की सीमा तक हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के साथ सम्मिश्रित करने के लिए जैव डीजल की खरीद करेंगी। ओ एम सीज एक समान उतराई मूल्य पर जैव-डीजल खरीदेंगी जिसकी हर छह महीने पर पुनरीक्षा की जाएगी।

समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना

889. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना हेतु वित्तपोषण योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कंपनियों ने उक्त परियोजना में भाग लेने में अपनी रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त परियोजना का आरंभिक सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और यह कार्य पूरा हो गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उद्देश्य हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) समर्पित माल गलियारा परियोजना का वित्त पोषण आंतरिक स्रोतों, बाजार से ऋण, बजटीय तथा गैर बजटीय संसाधनों के मिश्रण से किए जाने का प्रस्ताव है तथा इसमें बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वित्त पोषण जैसे आर्थिक भागीदारी योजना की विशेष शर्तों (स्टेप) के तहत जापान सरकार द्वारा वित्त पोषण शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) जनवरी 2007 में दोनों गलियारों के लिए 15.28 करोड़ रु. की लागत पर एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण (पेट्स) का कार्य पूरा हो गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन (मुंबई) से तुगलकाबाद/दादरी तक 1483 किमी लंबा पश्चिमी गलियारा और लुधियाना से सोननगर तक 1279 किमी. लंबे पूर्वी गलियारे की लागत 28,000 करोड़ रु. रहने का अनुमान है। राइट्स लिमिटेड द्वारा नक्शे एवं ड्राइंग बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

झारखंड में रसोई गैस एजेंसियां खोला जाना

890. श्री घूरन राम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में जिले-वार विशेषतः पलामू और गढ़वा जिले में नई रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रसोई गैस की कमी को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट की है कि एक स्वतंत्र एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिये पलामू जिले में दालतोनगंज स्थल को पहले ही औद्योगिक विपणन योजना 2004-07 के तहत सूचीबद्ध कर दिया गया है जिसके लिए 18.10.2007 को विज्ञापन दिया गया था। तथापि, झारखंड राज्य में गोढ़वा स्थल को औद्योगिक विपणन योजना 2004-07 में नहीं रखा गया क्योंकि इस स्तर पर एक स्वतंत्र एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को खोलने/स्थापित करने के लिए स्थल को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

ओएमसीज ने झारखंड राज्य में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 13 स्थलों को शामिल करते हुए एक सामान्य औद्योगिक विपणन योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है।

(ग) और (घ) झारखंड राज्य सहित देश में एलपीजी की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) घरेलू उत्पादन और आयातों के जरिए, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की मांग के अनुसार एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं। तथापि, ओएमसीज ने रिपोर्ट दी थी कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़ आने, सड़क टूटने, पुल ढहने, कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों द्वारा कामबंदी, वाहकों और ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल आदि के कारण झारखंड राज्य सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कभी-कभी पिछले आर्डरों का ढेर लग गया था। सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछले बकाया को निपटाने के लिए छुट्टियों

में और काम के घंटे बढ़ा कर तथा सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर भराई संयंत्रों को प्रचालित करें।

[अनुवाद]

लघु विमानपत्तनों की स्थापना

891. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय विमान कम्पनियों के विकास को सुकर बनाने और भावी घरेलू विमानन उद्योग हेतु देश में कम से कम 500 लघु विमानपत्तनों का एक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। इस नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ छोटे शहरों/नगरों में अनेक एयरपोर्टों का निर्माण करने पर अपेक्षित जोर देना है।

बड़ी संख्या में अनुप्रयुक्त हवाईपट्टियों का व्यावसायिक उपयोग के लिए विकास किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयास में निजी क्षेत्र भी शामिल होगा।

पर्यटक स्थलों का संरक्षण

892. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए देश के पर्यटक स्थलों के संरक्षण हेतु कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण, संरचनात्मक मरम्मत, पर्यावरणीय विकास और पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटक स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना के उन्नयन और साथ ही स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में चल रहे एकीकृत अभियान के माध्यम से कूड़े-करकट और विकृतियों से स्मारकों और पर्यटक स्थलों के परिरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरुकता उत्पन्न करता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें

893. श्री बापू हरी चौरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र में धुले और नरदाला तथा मनमाड और इंदौर के बीच नई रेल लाइनें बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रेल लाइनों को बिछाने में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) धूले-नरदाना-शिरपुर के रास्ते मनमाड से इंदौर (350 किमी.) तक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस लाइन की निर्माण लागत 1001.16 करोड़ रु. आंकी गई है और प्रतिफल की दर ऋणात्मक है। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना के बारे में विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार से इस परियोजना की लागत में कम से कम 50 प्रतिशत की भागीदारी करने की संभावना की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

नई नागर विमानन नीति

894. श्री सुभाष महरिया:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई नागर विमानन नीति की अधिसूचना जारी होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति में एट्रोपोजिस की स्थापना का प्रस्ताव भी सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अंतर्गत किन-किन शहरों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने तथा क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) नई नागर विमानन नीति इस समय मंत्रियों के समूह (जीओएम) के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन

895. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या नागर विमानन मंत्री ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन के बारे में 16 अगस्त, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमानपत्तन को कब तक पूरा तथा चालू किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे दिल्ली विमानपत्तन पर भीड़-भाड़ के कितना कम हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। यह मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

गुजरात हेतु विमानन मास्टर प्लान

896. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से विमानन मास्टर प्लान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात में अहमदाबाद, भुज, भावनगर, जामनगर, कांडला, राजकोट, सूरत तथा वड़ोदरा में हवाईअड्डों के लिए विकास किए हैं या विकास की योजनाएं हैं।

विज्ञापनों हेतु स्थान बेचने से प्राप्त राजस्व

897. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विज्ञापनों के लिए स्थान बेचकर भारी राजस्व अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मंडलों ने विज्ञापनों हेतु स्थान बेचकर और अधिक राजस्व जुटाने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष तथा आगामी वर्षों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 तथा 2006-06) के दौरान विज्ञापन के माध्यम से रेलों (जोनवार) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। आमदनी का मंडलवार ब्यौरा नहीं रखा जाता, आमदनी का जोनवार ब्यौरा रखा जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) रेलवे को वाणिज्यिक प्रचार के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के लिए कहा गया है, बहरहाल, मंडलों के लिए केन्द्रीकृत रूप से कोई निजी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 तथा 2006-07) के दौरान रेलों (जोनवार) पर विज्ञापन द्वारा अर्जित राजस्व

(हजार रु. में)

	2004-05	2005-06	2006-07
मध्य रेलवे	55844	130301	237165
पूर्व रेलवे	25216	35888	53052
पूर्व मध्य रेलवे	5992	4589	4338
पूर्व तट रेलवे	6792	6960	9012
उत्तर रेलवे	96562	104483	53769
उत्तर मध्य रेलवे	4644	3528	15869
पूर्वोत्तर रेलवे	5716	7757	8732
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1032	4072	12647
उत्तर पश्चिम रेलवे	16514	21924	28649
दक्षिण रेलवे	32367	61760	124054
दक्षिण मध्य रेलवे	16220	27240	32658
दक्षिण पूर्व रेलवे	6892	9144	11997
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	12131	4515	4257
दक्षिण पश्चिम रेलवे	16523	26622	29342
पश्चिम रेलवे	144778	256622	262019
पश्चिम मध्य रेलवे	4217	9395	12911
मेट्रो रेलवे, कोलकाता	50662	66052	104538
कुल	502102	780852	1005009

चंदुब झील, गुवाहाटी का विकास

898. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम सरकार से हफलोंग तथा चंबुड झील का पर्यटन गंतव्य के रूप में विकास करने हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्थलों पर वर्तमान पर्यटन अवसंरचना किस प्रकार की है; और

(घ) इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में असम में टूरिस्ट

सर्किट बराक तथा टू हिल डिस्ट्रक (दक्षिण असम परिपथ) की एक परियोजना विकास के लिये 605.:2 लाख रुपए की कुल राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के एक घटक के रूप में हफलोंग में इको-टूरिज्म परियोजना के विकास के लिए 63.47 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। चंडुबी झील के संबंध में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) हफलोंग में पर्यटन विभाग असम सरकार के पास 6 कमरों वाला एक पर्यटक लॉज तथा एक पर्यटक संवर्धन कार्यालय है। चंडुबी में 4 कमरों वाला एक पिकनिक कॉटेज है।

(घ) (क) और (ख) में दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्वालियर-श्योपुरकला का आमान परिवर्तन

899. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में विशेषकर ग्वालियर श्योपुरकला से कोटा रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली आमान परिवर्तन संबंधी तीन परियोजनाओं को बजट में शामिल किया गया है। एक परियोजना पूरी हो चुकी है और अन्य दो परियोजनाओं के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान 155 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अन्य दो परियोजनाओं के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जहां तक ग्वालियर-शिवपुर कलां के आमान परिवर्तन और कोटा (200 किमी) तक उसका विस्तार करने का संबंध है, इस संबंध में अद्यतन सर्वेक्षण की मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही परियोजना पर विचार करना संभव हो पाएगा।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार में पर्यटन को बढ़ावा

900. श्री मिलिन्द देवरा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 2004 में आए सुनामी के कारण अंडमान द्वीपसमूह में पर्यटन उद्योग कितना प्रभावित हुआ; और

(ङ) पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अब तक इसमें कितनी सफलता मिली है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। दिसंबर 2004 में, सुनामी के पश्चात इस बढ़ावा को और सुदृढ़ किया गया। इन द्वीपसमूहों में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रव्यापी प्रिंट और इलेक्ट्रानिक घरेलू मीडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वितरण हेतु अंडमान और निकोबार पर विवरणिका एवं काम्पैक्ट डिस्क तैयार किये गये और घरेलू टूअर ऑपरेटरों एवं पत्रकारों हेतु परिचायक दौरों का आयोजन किया गया।

सुनामी के पूर्व व बाद में, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में, पर्यटकों के आगमन के ब्यौरे का विवरण निम्नलिखित है:-

2004	1,09,582
2005	32,381
2006	1,27,631
2007, (अक्तूबर 2007 तक)	1,08,688

ओ एन जी सी द्वारा मुंबई का पुनः विकास

901. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने पुराने क्षेत्रों में कम हो रहे उत्पादन के मद्देनजर अपने प्रमुख मुंबई हाई तेल क्षेत्रों के पुनः विकास की अपनी योजना के अगले चरण को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में अब तक कितना निवेश किया गया है; और

(ग) पुनः विकास के कारण कितने अतिरिक्त तेल का उत्पादन होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) ओ एन जी सी के बोर्ड ने 5713.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदन की तिथि से 31.5 महीनों के समापन कार्यक्रम के साथ दिनांक 3 अक्तूबर, 2007 को मुंबई हाई दक्षिणी क्षेत्र के पुनः विकास के द्वितीय चरण को अनुमोदन दिया है।

(ग) इस परियोजना से वर्ष 2030 तक 20.7 एम एम टी तेल और 3.32 बी सी एम गैस की बर्धमान प्राप्ति होने की परिकल्पना की गई है।

इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का विलय

902. **श्री एन.एन. कृष्णदासः** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को अपनी सक्रिय उत्पादन इकाई बनाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ विलय का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपेक्षित उद्यम किया है। बीएचईएल से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, बीएचईएल की रुचि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की केवल पलक्कड़ यूनिट में ही है क्योंकि वाल्व्स तथा संबद्ध उत्पादों से संबंधित इसकी सक्रिय उत्पादन यूनिट बीएचईएल की उत्पाद श्रेणी की पूरक है।

विमान दुर्घटना होते-होते बचना

903. **श्री निखिल कुमारः**
श्री अधीर चौधरीः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने यूपीए अध्यक्षा को ले जा रहे विशेष विमान तथा वर्जित अटलांटिक फ्लाइट की दुर्घटना होते-होते बचने के मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि भविष्य में कोई विमान दुर्घटना न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। मामले की जांच की गई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि यह घटना मानक पृथक्करण के उल्लंघन की घटना थी ना कि हवाई दुर्घटना होते-होते बचने की।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं जिसमें जनवरी, 2003 से विमान पर एयरबोर्न कुलीजन एवॉइडेंस सिस्टम (एसीएएस) की संस्थापना, अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पायलट अपने आस-पास के क्षेत्र में सभी विमानों, उनकी संदर्भ ऊंचाई तथा उसके विमान से दूरी की स्थिति की तस्वीर प्राप्त होगी। यह पायलट को जब भी कोई विमान उसके विमान के समीप आता है, तो टकराव होने से बचने के लिए, बचाव कार्रवाई करने में भी सक्षम बनाता हैं। तब से देश के मुख्य हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रकों को ऊंचाई की सूचना प्रदान करने के लिए मोनो प्लस सेकेण्डरी सर्विलेंस रेडार संस्थापित किए गए हैं जिससे अधिक उन्नत हवाई यातायात प्रबंधक तथा सर्विलेंस हो सकेगा। प्रणाली में हवाई यातायात टकराव चेतावनी को शामिल करने के लिए हवाई यातायात प्रबंधन सेवा को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। आरवीएसएम हवाई सेवा (29,000 फुट से ऊपर) में उड़ान के लिए गैस आरवीएसएम विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हवाई क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए हवाई क्षेत्र लचीला उपयोग क्रियान्वित किया गया है। आगे, रिपोर्ट की गई हवाई निकटता की घटनाओं में की गई जांचों के आधार पर, निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं:-

(1) हवाई यातायात नियंत्रकों तथा पायलटों के लिये नियमित दक्षता जांच;

(2) यातायात को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में स्थानान्तरित करने के लिए विनिर्दिष्ट समन्वय प्रक्रियाएं, जिनकी आवधिक समीक्षा की जाती है;

(3) जब भी आवश्यकता होती है, हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है;

(4) जब कभी आवश्यकता होती है, तो जांच के आधार पर मानक प्रचालनिक प्रक्रिया/समन्वय प्रक्रिया में संशोधन/परिवर्तन किया जाता है।

स्क्रैप की बिक्री में पारदर्शिता

904. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार स्क्रैप की बिक्री में पारदर्शिता लाने का है;

(ख) क्या भारतीय रेल द्वारा इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) माफिया को स्क्रैप के व्यापार से बाहर रखने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) स्क्रैप का निपटान भारीतय रेल पर सुस्थापित तथा पारदर्शी प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है॥

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्क्रैप के निपटान के क्षेत्र में माफिया के प्रभाव की जांच करने और रोकने के लिए भारतीय रेलों पर पहले ही उपाय कार्यान्वित किए गए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा गैस का उत्पादन

905. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की वर्ष-वार गैस उत्पादन हेतु स्थापित क्षमता कितनी रही तथा उनके द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया गया;

(ख) एक किलोग्राम गैस के उत्पादन की निर्धारित लागत कितनी है तथा गैस के उत्पादन की कंपनी-वार लागत कितनी रही; और

(ग) उक्त लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस लि. (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के बारे में प्राकृतिक गैस के वर्षवार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हैं:-

(आंकड़े एम एम एस सी एम में)

	ओएनजीसी		ओआईएल	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2004-05	22127	22970	2059	2009
2005-06	21406	22574	2076	2270
2006-07	21966	22442	2365	2265

(ख) और (ग) प्राकृतिक गैस की उत्पादन लागत अनेक कारकों पर निर्भर होती है। इनमें भंडार के आकार, क्षेत्र के स्थल, सतही सुविधाओं की उपलब्धता कंपनियों द्वारा अपनाई गई लेखाकार प्रक्रियाएं आदि शामिल हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का संबंध है, ओ एन जी सी की वर्ष 2006-07 के दौरान उत्पादन लागत 3490/-रुपए प्रति हजार घन मीटर थी। वर्ष 2006-07 के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन लागत सांविधिक करों को छोड़कर 1629.30 प्रति हजार घन मीटर थी। यह उल्लेखनीय है कि ओएनजीसी का अधिकांश गैस उत्पादन अपतट से होता है और ओआईएल का गैस उत्पादन जमीनी क्षेत्र से होता है।

उत्पादन लागत पर निगरानी संबंधित कंपनियों के बोर्डों द्वारा की जाती है। ये दोनों कंपनियां उत्पादन लागत घटाने के लिए अपने प्रचालन क्षेत्रों में कड़े आर्थिक उपाय अपनाती हैं।

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

906. **श्री रामदास आठवले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों सहित महाराष्ट्र में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अब तक कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ विशेषकर पश्चिम रेलवे को कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा स्टेशन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में रेलवे स्टेशनों पर पेय जल की भारी किल्लत है तथा जल की गुणवत्ता भी निचले स्तर की है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में देश में विशेषकर पश्चिम रेलवे में सर्वेक्षण कराया है/कराने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे स्टेशनों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में यात्रियों को पेयजल सुविधा प्रादन करने तथा देश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2006-07 के दौरान, भारीतय रेलों पर आधुनिकीकरण के लिए 337 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी और 2007-08 के दौरान 303 और रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई है जिनमें महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के स्टेशन भी शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान योजना शीर्ष-रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए यात्री सुविधाएं जिसमें रेलवे स्टेशनों के सुधार/आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए धनराशि भी शामिल है, के अधीन क्रमशः 253.03 करोड़ रु., 401.01 करोड़ रु. और 493.30 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। उपर्युक्त वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे को क्रमशः 25.37 करोड़ रु., 28.48 करोड़ रु. (संशोधित) और 41.77 करोड़ रु. आबंटित किए गए धनराशि आबंटन का स्टेशनवार विवरण नहीं रखा जाता है।

(ग) कुछ स्टेशनों पर ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान पानी की उपलब्धता व गुणवत्ता की समस्या होती है। ऐसी स्थिति में पानी की सप्लाई, सामान्य पानी की सप्लाई की व्यवस्था के अलावा रेलपथ या सड़क के टैंकरों के द्वारा की जाती है।

(घ) और (ङ) पानी की कमी की स्थिति की पहचान के लिए तथा निवारात्मक कार्रवाई की योजना बनाने के लिए स्टेशन पर पानी की उपलब्धता की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(च) अतिरिक्त बोर, हैंड पंप मुहैया करके पानी की सप्लाई के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने और जहां कहीं आवश्यक हो, स्टेशनों पर ठेके के जरिए पानी की सप्लाई के लिए प्रयास किये गए हैं। वाटर हट्स/वाटर कूलर/वाटर हाइडरेंट्स के जरिए प्लेटफार्मों पर उपलब्धत कराए जाने वाले पानी की सप्लाई को क्लोरीनेट किया जाता है ताकि इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाया जा सके और चिकित्सा विभाग द्वारा पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाती है।

[अनुवाद]

पर्यटन के साथ जनजातीय कला एवं संस्कृति का समेकन

907. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रकार की लोक तथा जनजातीय कला एवं संस्कृति के न केवल प्रलेखन बल्कि इनके संरक्षण, प्रोत्साहन सहित पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों के साथ इनका समेकन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन उत्पादों सहित पर्यटक अवसंरचना के विकास और पर्यटन के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गंतव्यों और परिपथों के लिये उत्पाद/अवसंरचना की योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उपलब्धता की शर्त पर धनराशि अवमुक्त की जाती है। ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य उन ग्रामीण स्थानों और गांवों में ग्राम्य जीवन, कला, संस्कृति, विरासत आदि को प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिल्पकला/हथकरघा/संस्कृति/वस्त्र आदि के क्षेत्र में दक्षता हासिल है।

दसवीं योजना के दौरान, देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए 6212.32 लाख रुपए की लागत की 106 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

रेल सुरक्षा हेतु समर्पित सुरक्षा बल

908. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की एक समर्पित सुरक्षा बल गठित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों में विद्यमान प्रणाली को अपनाने हेतु रेलवे की क्या कार्य-योजना है, जिसमें एक ही सुरक्षा एजेंसी रेलगाड़ियों में अपराधों को रोकती है और यह तरीका काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय रेल का अपना इतिहास है तथा देस के कोने-कोने से यात्रियों और माल का वहन सुनिश्चित करने में इसकी अद्वितीय भूमिका है। भारतीय रेल के सुरक्षा पहलू की देख-रेख रेल मंत्रालय के अधीन रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा की जाती है जो संबंधित राज्य सरकार का एक विंग है। आकस्मिकताओं के आधार पर जिला पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भी सहायता ली जाती है। समय-समय पर प्रणाली की समीक्षा की जाती है और तदनुसार अपेक्षित निवारक उपाय किए जाते हैं। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, रेल सुरक्षा बल, जिसकी रेलों पर शुरूआत वॉच एंड वार्ड संगठन के रूप में हुई थी, रेल सुरक्षा बल अधिनियम, रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम तथा रेल अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों के तहत संघ का सशस्त्र बल हो गया है। इस समय यात्रियों की सुरक्षा की देखरेख रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा समन्वित रूप से की जा रही है।

मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर भगदड़

909. **श्री नवीन जिन्दलः**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः
श्री संतोष गंगवारः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हाल ही में भगदड़ की एक दुर्घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस दुर्घटना में मारे गए तथा घायल हुए यात्रियों का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ितों को कितना मुआवजा/अनुग्रह राहत दी गई;

(घ) इस त्रासदी के संबंध में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, 03.10.2007 को, लगभग 12.30 बजे गाड़ी संख्या 53 अप बक्सर-मुगलसराय पैसेंजर प्लेटफार्म सं. 5 पर पहुंची और लगभग 12.45 बजे गाड़ी सं. 709 अप गया-मुगलसराय पैसेंजर मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफार्म सं 6 पर पहुंची। इस बीच लगभग 12.45 बजे गाड़ी सं. 2 एफ.एम (फैजाबाद-मुगलसराय पैसेंजर) भी मुगलसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 4 पर पहुंची। बड़ी संख्या में वाराणसी की ओर जा रही महिला श्रद्धालु जीतिया के मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए 531 अप बक्सर-मुगलसराय पैसेंजर और 709 अप गया-मुगलसराय स्टेशन पर उतर गई। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में यात्री गया, बक्सर और वाराणसी की तरफ जा रही गाड़ियों को पकड़ने के लिए इन प्लेटफार्मों पर एकत्रित हो गए थे।

गाड़ी सं. 2 एफ.एम (फैजाबाद-मुगलसराय पैसेंजर) को प्लेटफार्म सं. 4 पर पहुंचते हुए देखकर, उन महिलाओं ने जिन्हें वाराणसी जाना था, प्लेटफार्म सं. 4 पर पहुंचने के लिए ऊपरी पैदल पुल (दिल्ली छोर) की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ, उन यात्रियों ने जिन्हें मुगलसराय-गया, मुगलसराय-बक्सर पैसेंजर गाड़ियां पकड़नी थी, उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरना शुरू कर दिया, इससे प्लेटफार्म सं. 5 एवं 6 को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुल की सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ हो गई। यात्रियों के बीच इससे उत्पन्न उलझन से ऊपरी पैदल पुल की सीढ़ियों पर भगदड़ मच गई। परिणामस्वरूप, 62 महिलाएं और 03 बच्चे दम घुटने और चोटों के कारण बेहोश हो गए।

3 अक्टूबर, 2007 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की इस घटना में 15 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 12 व्यक्तियों को गंभीर चोटें लगी और 39 व्यक्तियों को साधारण चोटें लगीं।

(ग) क्षतिपूर्ति तभी दी जाती है जब इस संबंध में रेल दावा अधिकरण में दायर दावे पर आदेश पारित किया जाता है। अभी तक, कोई दावा दायर नहीं किया गया। बहरहाल, रेल प्रशासन द्वारा घटना के पीड़ितों को निम्नलिखित अनुग्रह राशि दी गई हैः-

(1) पोस्टमार्टम के बाद प्रत्येक मृतक के संबंधियों को 15000 रु. का भुगतान किया गया।

(2) गंभीर रूप से घायल 12 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 5000 रु. का भुगतान किया गया है।

(3) साधारण रूप से घायल 39 व्यक्तियों में से प्रत्येक को 500 रु. का भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय रेल मंत्री जी ने मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि को 2 लाख रु. प्रति व्यक्ति तक बढ़ा दिया है।

(घ) एक समिति को, जिसमें मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीएस), मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूर्व मध्य रेलवे और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल, मुगलसराय/पूर्व मध्य रेलवे शामिल हैं, घटना की जांच आयोजित करने हेतु गठित किया गया है। उपर्युक्त समिति द्वारा की जा रही जांच प्रगति पर है।

(ङ) अत्यधिक भीड़ और भगदड़ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

* भीड़ को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली और इलेक्ट्रानिक निगरानी प्रणाली (जहां भी उपलब्ध हो) आदि जैसे तरीकों का प्रभावी उपयोग।

* वाणिज्यिक गतिविधियों को कॉनकोर्स क्षेत्र में स्थानांतरित करके प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करना।

* प्लेटफार्म टिकटों को बन्द करना ताकि विशेषकर त्यौहार अवधियों के दौरान यात्री क्षेत्र में अचानक उत्पन्न होने वाली भीड़ और भगदड़ को रोका जा सके।

* त्यौहारों के दौरान अलग-अलग स्टेशनों से विशेषकर महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और आदि में विशेष गाड़ियां चलाना।

* महत्वपूर्ण गाड़ियों के लिए विशेषकर आरंभिक स्टेशनों पर, विशिष्ट प्लेटफार्मों को नामित करना।

* भीड़भाड़ के प्रबंधन में रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस की सहायता के लिए व्यस्ततम भीड़भाड़ की अवधि के दौरान होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों, सिविल डिफेंस कार्मिकों, स्काउट्स एवं गाइड्स आदि को तैनात करना।

रेलवे में विकलांग लोगों हेतु रियायत नीति

910. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग लोगों की कुछ श्रेणियों के लिए अपने साथ किसी को ले जाना तथा एक अतिरिक्त टिकट खरीदना अनिवार्य है, जबकि विकलांग लोगों की कुछ श्रेणियों को इस उपबंध से छूट प्राप्त है और वे अकेले ही यात्रा कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे का विचार विकलांग लोगों हेतु रियायत की अपनी नीति की समीक्षा करने तथा रेल किराए में रियायत देने के संदर्भ में सभी विकलांग लोगों को एक समान लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) उन शारीरिक रूप से विकलांग/अधरांगघात तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को रियायत अनुमेय है जो बिना मार्गरक्षी के यात्रा नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें संरक्षक के लिए भी टिकट खरीदने की आवश्यकता होती है। बहरहाल, अंधे और बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को भी अकेला यात्रा करने की अनुमति है।

(घ) से (च) इस समय रियायत नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तरलीकृत गैस आधारित रासायनिक संयंत्रों की स्थापना

911. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तरलीकृत गैस आधारित रसायनिक संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संयंत्रों ने अपने यहां एलएनजी हेतु टर्मिनल की स्थापना कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संयंत्रों की अनुमानित लागत कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के अर्थक्षम उपक्रमों का पुनरुद्धार

912. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर सरकारी क्षेत्र की अर्थक्षम इकाइयों का पुनरुद्धार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो पुनरुद्धार हेतु चयनित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को दिए जाने हेतु प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित है कि सरकारी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों का आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन करने तथा रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार करने की हरसंभव चेष्टा की जाएगी तथापि लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा या उन्हें बन्द कर दिया जाएगा, परन्तु ऐसा करने के पूर्व उनके कामगारों की सभी वैध देनदारियों एवं क्षति पूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। जिन कंपनियों का पुनरुद्धार करना संभव होगा उनके मामले में उनके कायाकल्प हेतु निजी उद्योग को शामिल किया जाएगा। तदनुसार, सरकार ने दिसम्बर, 2004 में अंशकालिक परामर्शी निकाय के रूप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) की स्थापना की थी जो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन से संबंधित रणनीति एवं उपायों के बारे में सरकार को परामर्श देने का कार्य करेगा।

(ख) और (ग) बीआरपीएसई की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 26 उद्यमों के पुनरुद्धार का अनुमोदन किया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.10.2007 की स्थिति के अनुसार बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित पुनरुद्धार प्रस्तावों के संबंध में अनुमोदित नकद तथा गैर-नकद सहायता

क्र.सं.	सरकारी उद्यम का नाम	सहायता (करोड़ रुपये में)		
		नकद #	गैर-नकद @	कुल
1	2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	4.28	73.30	77.58
2.	एनटीसी एवं इसकी सहायक कंपनियां	39.23	-	39.23
3.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लि.	60.00	42.92	102.92
4.	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि.	-	54.61	54.61
5.	एचएमटी बियरिंग्स लि.	7.40	43.97	51.37
6.	प्रागा टूल्स लि.	5.00	209.71	214.71
7.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि.	4.00	280.21	284.21
8.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि.	47.35	-	47.35
9.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	73.60	280.00	353.60
10.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	102.00	1116.30	1218.30

1	2	3	4	5
11.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	184.29	1267.95	1452.24
12.	रिजर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	-	-	-
13.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि.	137.59	267.57	405.16
14.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	250.00	अनुपलब्ध	250.00
15.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	-	670.37	670.37
16.	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लि.	-	-	-
17.	हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि.	-	267.29	267.29
18.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि.	-	104.64	104.64
19.	सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि.	-	6.02	6.02
20.	ईस्टर्न कोलफील्डस लि.	-*	-*	-*
21.	भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.	3.37$	153.15	156.52
22.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	207.19	233.41	440.60
23.	एच एम टी मशीन टूल्स लि.	723.00	157.80	880.80
24.	मेकान लि.	93.00**	23.08	116.08
25.	एन्ड्रू यूले एण्ड कंपनी लि.	-	457.14	457.14
26.	हिन्दुस्तान कापर लि.	-	612.94	612.94
	कुल	1941.30	6322.38	8263.68

#नकद सहायता में इक्विटी/ऋण/अनुदान द्वारा बजटीय सहायता शामिल हो सकती है।

@गैर नकद सहायता में भारत सरकार के ऋण पर ब्याज, गारंटी शुल्क में छूट, ऋणों का इक्विटी/ऋण पत्रों में परिवर्तन आदि शामिल हो सकता है।

*सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में अन्य बातों के अलावा 2470.77 करोड़ रुपए की गैर नकद सहायता तथा कोल इण्डिया लिमिटेड से वर्ष 2004-05 से प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपए के सेवा प्रभार की छूट सामिल है।

$इसके अलावा ओएनजीसी और बीएचईएल क्रमशः 150 करोड़ रुपए तथा 20 करोड़ रुपए की नकद सहायता प्रदान करेंगे।

**बी आर एस ऋणों पर प्रति वर्ष 6.50 करोड़ रुपए से अनधिक 50 प्रतिशत ब्याज जारी रखने को छोड़कर।

नई उर्वरक निवेश नीति

913. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक नई उर्वरक निवेश नीति पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत उर्वरक क्षेत्र मे निवेश आकर्षित करने हेतु भारी कर छूट दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नई नीति से पेट्रो केन्द्र की तरह क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने में गति आने की उम्मीद है;

(घ) यदि हां, तो इस नई नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस नीति से उपभोग और घरेलू उत्पादन के बीच अंतर कम करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) सरकार द्वारा यूरिया क्षेत्र में नई और विस्तार परियोजनाओं के

लिए मूल्य निर्धारण नीति जनवरी 2004 में अधिसूचित की गई है। पिछले 8 वर्षों में यूरिया क्षेत्र में कोई निवेश नहीं हुआ है। यूरिया के उत्पादन में गैस महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है लेकिन इसकी उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में एक बड़ी बाधा रही है।

भविष्य में गैस की उपलब्धता में अनुमानित सुधार को देखते हुए, यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई नीति को अंतिम रूप देने हेतु सरकार सभी विकल्पों की जांच कर रही है, जिससे देश के सभी भागों में यूरिया क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा अर्जित लाभ

914. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति बैरल 77 अमरीकी डालर लाभ अर्जित कर रही है जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ से 16 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कंपनी द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी नहीं।

वित्त वर्ष 2006-07 तता वित्त वर्ष 2005-06 के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) में कच्चे तेल के प्रति बैरल लाभ अंश के ब्यौरे इस प्रकार हैं-

कच्चे तेल पर लाभ

	2006-07		2005-06	
	भारतीय रुपए में	अमरीकी डालर में	भारतीय रुपए में	अमरीकी डालर में
प्रति बैरल लाभ	846.95	18.70	852.40	19.25
नैगम कर 33.66% की दर से	285.08	6.29	286.92	6.48
प्रति बैरल कर पश्चात लाभ	561.87	12.41	565.48	12.77

नोट: औसत अमरीकी डालर विनिमय दर वित्त वर्ष 2006-07 के लिए 45.29 रुपए तथा वित्त वर्ष 2005-06 के लिए 44.28 रुपए है।

(ग) ओएनजीसी का वर्ष 2006-07 (अप्रैल-सितम्बर) और वर्ष 2007-08 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन इस प्रकार है:-

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (मि. मी. टन)
2006-07 (अप्रैल-सितम्बर)	12.863
2007-08 (अप्रैल-सितम्बर)	12.875

नोट: उपर्युक्त आंकड़ों में संयुक्त उद्यमों (जेवीस) द्वारा प्रचालित क्षेत्रों का भाग शामिल नहीं है। इसमें प्रतिशत वृद्धि लगभग 0.09 प्रतिशत है।

महिला सवारी डिब्बों में पुरुष यात्रियों का प्रवेश

915. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ी में पृथक महिला सवारी डिब्बों की व्यवस्था के बावजूद पुरुष यात्री उक्त डिब्बों में बिना किसी रूकावट के चढ़ रहे हैं तथा महिला यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान महिला सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले कितने पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया;

(ग) ऐसे यात्रियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महिला सवारी डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए रेलवे के पास कोई सख्त कार्ययोजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) इस प्रकार के कुछ मामले नोटिस में आते रहते हैं, बहरहाल, रेलवे ऐसे मामलों पर काबू पाने के लिए नियमित रूप से प्रयास करती है। वर्ष 2005-06 के दौरान महिला सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए 48084 पुरुष यात्री पकड़े गए और उनसे 62.72 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। इसी प्रकार, 2006-07 के दौरान 50472 पुरुष यात्री पकड़े गए और उनसे जुर्माने के तौर पर 77.91 लाख रुपए की राशि वसूल की गई।

(घ) और (ङ) महिला सवारी डिब्बों में पुरुष यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए नियमित जांच की जाती है और पकड़े गए दोषी यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम 1989 की धारा 162 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और जुर्माना किया जाता है। इसके अलावा, महिला यात्रियों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेल पर महिला दस्ते का गठन किया गया है जिसमें महिला चल टिकट परीक्षक और महिला कांस्टेबल शामिल होती हैं।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर रात्रि में उतारने तथा उड़ान भरने की सुविधा

916. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां रात्रि में विमान उतारने तथा उड़ान भरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उड़ानों की संख्या में निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतारने तथा उड़ान भरने की सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो अगले दो वर्षों के दौरान किन विमानपत्तनों पर ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी; और

(घ) सभी विमानपत्तनों पर रात्रि में विमान उतारने/उड़ान भरने की सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) देश में रात में लैंडिंग/टेक-ऑफ सुविधाओं वाले 60 एयरपोर्ट हैं। ये अगरतला, आगरा, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बागडोगरा, बंगलौर, बेलगांव, भावनगर, भुवनेश्वर, भुज, भोपाल, कालीकट, चन्डीगढ़, कोचीन, चेन्नै, कोयम्बतूर, दिल्ली, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गया, गोरखपुर, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, जयपुर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, जोरहाट, खजुराहो, कोलकाता, लेंगपुई, लीलाबाड़ी, लखनऊ, मंगलौर, मदुरै, मुम्बई, नागपुर, पटना, पुणे, पोर्टब्लेयर, रांची, रायपुर, राजकोट, श्रीनगर, सूरत, तेजपुर, तिरूपति, त्रिची, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, विशाखापत्तनम, एवं विजयवाड़ा में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना के अनुसार, ऐसी सुविधाएं वर्ष 2008 तक शेष एयरपोर्टों में भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना

917. श्री अनन्त नायक: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान किसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना के लिए किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) ये प्रस्ताव किन चरणों पर लंबित है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा स्वयं अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किसी नए अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की स्थापना की कोई योजना नहीं है। तथापि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) निजी क्षेत्र एवं राज्य क्षेत्र में ऐसे एयरपोर्टों का संवर्धन करना चाहेगी। बंगलौर एवं हैदराबाद में ऐसे दो एयरपोर्ट अगले वर्ष के आरम्भ में ही आरम्भ किए जा रहे हैं। मोपा (गोआ) एवं नवी मुंबई (महाराष्ट्र) में सार्वजनिक निजी भागीदारी से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों के लिये सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी गई है।

पर्यटन को प्रोत्साहन

918. श्री एम. अप्पादुरई:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार हेतु राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक राज्य-वार योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों के साथ समन्वय पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) पर्यटन के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की 20-वर्षीय भावी योजनाओं को बनाने में सहायता की है। ताकि एकीकृत विकास और पर्यटन के संवर्धन को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार सहित पर्यटन के संवर्धन और विकास के लिए 1160 परियोजनाओं के लिए 2012.02 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। परियोजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार समय-समय पर अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता के कार्यान्वयन की प्रगति और उपयोगिता की मॉनिटरिंग करता है।

अल्प दृश्यता वाली कोहरे की स्थितियों के लिए प्रशिक्षित पायलट

919. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन विमान कंपनियों के पास अल्प दृश्यता वाली कोहरे की स्थितियों में उड़ान के लिए प्रशिक्षित पायलट नहीं हैं;

(ख) ऐसी स्थितियों के लिए उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इन विमान कंपनियों को जाड़े के मौसम के पूर्व ऐसी दशाओं का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले में उन्हें क्या सख्त संदेश दिया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड, एयरलाइंस एयर, ब्ल्यू डार्ट एविएशन लिमिटेड तथा पैरामाउंट एयरवेज के पास निम्न दृश्यता धुंध वाली परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित पायलट नहीं हैं।

(ख) और (ग) एयर इंडिया चार्टर लिमिटेड, एलायंस एयर, ब्ल्यू डार्ट एविएशन लिमिटेड तथा पैरामाउंट एयरवेज को उनके विमानों का ग्रेडोन्नयन तथा निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालनों के लिए अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने को कहा गया है। उनकी उड़ान अनुसूचियों को निम्न दृश्यता प्रचालनों के लिए प्रचालकों द्वारा प्रशिक्षित पायलटों की संख्या तथा ऐसे प्रचालनों के लिए विमानों की उपयुक्तता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। ऐसी एयरलाइनों, जिनके पास केट-2/3 प्रचालनों के लिए अपने प्रशिक्षित पायलट नहीं है को शीत ऋतु के दौरान आई जी आई हवाई अड्डे से/के लिए प्रचालन हेतु अनुसूचित नहीं किया जाता है जब निम्न दृश्यता का अनुभव किया जाता है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

920. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) उन देशों, जहां से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया जाता है, ने उक्त उत्पादों की दरों में कितनी बार बढ़ोतरी की है;

(ग) उक्त देशों द्वारा किन-किन तिथियों को पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि की गई तथा प्रत्येक बार उक्त मूल्य वृद्धि किस हद तक की गई; और

(घ) उक्त पेट्रोलियम निर्यातक देशों में मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और देश में तदनुसार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की विश्वव्यापी कीमतें 2004 से उच्च और अस्थिर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में घट बढ़ दैनिक आधार पर होती है। कच्चे तेल की भारतीय बास्केट ने 7.11.2007 को अब तक की अधिकतम ऊंचाई 91.12 अमरीकी डालर प्रति बैरल छू ली थी। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता और तेजी से हुई वृद्धि का प्रभाव अति संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू खुदरा बिक्री कीमतों में भी दर्शाए जाने की जरूरत है। तथापि, आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए, तेल की अंतर्राष्ट्रीय ऊंची कीमतों का भार, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों और सरकार में बांटा जा रहा है। पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की कीमतें विगत तीन वर्षों में अपरिवर्तित रही हैं और चालू वर्ष के दौरान, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का अप्रैल, 2007 से अक्तूबर, 2007 तक का रुख नीचे दिया गया है:-

अवधि	पेट्रोल अमरीकी डालर/बीबीएल	डीजल अमरीकी डालर/बीबीएल
अप्रैल, 2007	82.69	77.50
मई, 2007	87.96	78.79
जून, 2007	83.82	79.09
जुलाई, 2007	84.36	82.86
अगस्त, 2007	76.05	79.95
सितम्बर, 2007	81.35	88.02
अक्तूबर, 2007	87.46	92.62

[अनुवाद]

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

921. डा. एम. जगन्नाथ
श्री हितेन बर्मन:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में संयुक्त रूप से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए संयुक्त राज्य (यू.एस) तथा यूरोपीय संघ (ई.यू) के देशों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे आई हैं; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों अथवा गैर सरकारी संस्थाओं अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुदान प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) देश में मौजूदा खाद्य परीक्षण बुनियादी सुविधा के उन्नयन के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ विचार विमर्श के लिए जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र इन देशों द्वारा भारत में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को चिन्हित करना/प्रमाणित करने की संभावनाएं हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/खाद्य उत्पादों के निर्यातक, आयातकर्ता देशों के अपेक्षित मानकों का पालन कर सकें और इन देशों द्वारा खाद्य उत्पादों के परेषण को स्वीकार किया जा सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य उतापदों संबंधी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपनी 10वीं योजना स्कीम के तहत केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों को वित्तीय सहायता दे रहा है। केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों की समग्र लागत सहायता अनुदान के रूप में पाने के पात्र हैं। सभी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां जैसे कि गैर सरकारी निकाय और निजी क्षेत्र के संगठन सामान्य क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों की लागत का 33 प्रतिशत और दुर्गम क्षेत्रों में 50 प्रतिशत सहायता अनुदान पाने के पात्र हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वित्तीय सहायता से स्थापित खाद्य परीक्षण सुविधाओं को आस-पास के क्षेत्रों में स्थित खाद्य परीक्षण यूनिटों के उपयोग हेतु सामान्य सुविधाएं समझा जाता है।

इस मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी क्षेत्र के संगठनों या गैस सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले संपूर्ण प्रस्ताव राज्य-सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा संतुत होने चाहिए। वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदन हेतु इन प्रस्तावों की जांच और विचार परीक्षण किए जा रहे गुणवत्ता मानदंडों जैसी विशिष्ट अपेक्षाओं, इन मानदंडों की जांच के लिए अपेक्षित प्रयोगशाला उपकरणों, उस क्षेत्र के आस-पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा अन्य पणधारियों की परीक्षण अपेक्षाओं तथा इन प्रयोगशालाओं का

प्रबंधन करने की आवेदक की क्षमता के आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

922. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृति कोष की स्थापना के समय से देश में स्मारकों के पुनरुद्धार के संबंध में शुरू किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त कार्य को करने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है तथा वर्ष-वार अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) उक्त कोष की स्थापना के समय से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निगमित घरानों द्वारा किए गए अंशदान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना निगरानी समिति के माध्यम से उक्त कोष की राशि को क्रियान्वित करने के लिए विकसित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ऐसी परियोजनाएं, भागीदारी एजेंसियों के साथ समझौता-ज्ञापन की व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ऐसे समझौता-ज्ञापन में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना, दानकर्त्ता एजेंसी द्वारा दिये जाने वाले अंशदान, विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी के ब्यौरों का विशेष उल्लेख किया जाता है और परियोजना कार्यान्वयन समिति के ढांचे का निर्धारण किया जाता है, जो मुख्यत: परियोजना के कार्यान्वयन, निगरानी तथा निधियों को जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।

विवरण

क्र.सं.	स्मारक का नाम और राज्य	एनसीएफ परियोजनाओं में अंशदान करने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निगमित प्रतिष्ठानों के ब्यौरे	संस्वीकृत/अंशदानशुदा राशि: सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति	संस्वीकृत/अंशदानशुदा राशि: निगमित/निजी क्षेत्र द्वारा किया गया अंशदान	संस्वीकृत/अंशदानशुदा राशि: कुल	वर्षवार किया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	शनिवारवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र	अंशदान करने वाला ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है। इस परियोजना को सरकारी एजेंसी ही निष्पादित कर रही है।	शून्य	60.51 लाख रु.		2000-01 - 3,512,614.00 रु. 2001-02 - 204,473.00 रु. 2002-03 - 303,764.00 रु. 2003-04 - 399,883.00 रु. 2004-05 - 831,556.00 रु. 2005-06 - 798,535.00 रु. 2006-07 - शून्य
2.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली	(i) भारत-ब्रिटेन 50वीं वर्षगांठ न्यास, 29, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110003 (ii) द ओबेराय ग्रुप आफ होटेल्स ओबेराय मेडेन्स, 7, श्याम नाथ मार्ग, नई दिल्ली-110054 (iii) द आगा खां ट्रस्ट फार कल्चर, 1-3 एच डी ला पैक्स, जेनेवा 1202, स्विट्जरलैंड	शून्य	500,000 डालर	500,000 डालर	2000-01 - 997,803.00 रु. 2001-02 - शून्य 2002-03 - 1,605,018.00 रु. 2003-04 - शून्य 2004-05 - शून्य 2005-06 - शून्य 2006-07 - शून्य - शून्य

1	2	3	4	5	6	7
3.	कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा	भारतीय तेल प्रतिष्ठान, स्कोप काम्प्लेक्स, कोर-27, इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	शून्य	26 करोड़ रु.	26 करोड़ रु.	2001-02 - 260,000,000.00 रु.* 2002-03 - शून्य 2003-04 - शून्य 2004-05 - शून्य 2005-06 - शून्य 2006-07 - शून्य
4.	ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश	मैसर्स इंडियन होटेल्स कंपनी लिमिटेड, ताज पैलेस होटेल्स, नई दिल्ली सरदार पटेल मार्ग, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव, नई दिल्ली-110021	शून्य	1.87 करोड़ रु.	1.87 करोड़ रु.	2001-02 - शून्य 2002-03 - 678,898.00 रु. 2003-04 - 1,257,619.00 रु. 2004-05 - 4,000,000.00 रु. 2005-06 - 4,366,508.00 रु. 2006-07 - 876,073.00 रु.
5.	जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली	मैसर्स एपीजे सुरेन्द्र होटेल्स प्रा. लिमिटेड, प्रगति भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001	शून्य	10 लाख रु.	10 लाख रु.	2001-02 - शून्य 2002-03 - शून्य 2003-04 - 103,020.00 रु. 2004-05 - शून्य 2005-06 - 204,977.00 रु. 2006-07 - 221,043.00 रु.
6.	जैसलरमेर का किला, जयपुर, राजस्थान	विश्व स्मारक निधि, न्यूयार्क	4 करोड़ रु.	500,000 डालर	4 करोड़ रु. एवं 500,000 डालर	2003-04 - शून्य 2004-05 - 1,415,784.00 रु. 2005-06 - शून्य 2006-07 - 8,165,024.00 रु. 2007-08 - 3,124,791.00 रु.
7.	परदेसी सायनागॉग क्लाक टावर, कोचीन, केरल	विश्व स्मारक निधि	शून्य	15.23 लाख रु.	15.23 लाख रु.	2001-02 - शून्य 2002-03 - 398,722.00 रु. 2003-04 - 933,907.00 रु. 2004-05 - 100,000.00 रु. 2005-06 - 90,000.00 रु. 2006-07 - शून्य
8.	लोधी का मकबरा, नई दिल्ली	मैसर्स स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात भवन, लोधी रोड, पो.बा. 3049, नई दिल्ली-110003	शून्य	1 करोड़ रु.	1 करोड़ रु.	2006-07 - शून्य 2007-08 - 200,000.00 रु.

*भारतीय तेल प्रतिष्ठान द्वारा दी गई इस राशि को, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उन्हें लौटा दिया गया था।

मॉरीशस के साथ समझौता

923. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉरीशस के साथ 2 बिलियन डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) एम आर पी एल, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है ने दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, मॉरीशस के साथ अगस्त, 2007 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि की संविदा की है जो लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के एक मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक आपूर्ति करेगी।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की रुकी हुई रेल परियोजनाएं

924. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यह स्वीकार किया है कि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 80 रेल परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि ये परियोजनाएं अधिकांशत: ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में हैं तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी परियोजनाओं को सामाजिक-आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि के आबंटन के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित कुछ परियोजनाओं को छोड़कर अधिकांश नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का उद्देश्य है पिछड़े, आदिवासी, दूरस्थ तथा देश के अविकसित क्षेत्रों से संपर्क में सुधार करना ताकि जहां से रेलवे लाइन गुजरती हैं वहां के क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। बहरहाल, रेलों के पास परियोजनाओं का भारी बकाया है जिसे पूरा करने के लिए 61.000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। धन सीमित होने के कारण, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं पर प्रगति की जा रही है। परिचालनिक आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नई लाइन तथा आमान परिवर्तन के अधीन रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित कोटियों में किया गया था।

कोटि (1) - जिन परियोजनाओं पर 60 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है तथा थ्रो फार्वर्ड 100 करोड़ रुपये से कम है।

कोटि (2) - व्यावहारिक/परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित परियोजनाएं।

कोटि (3) - राष्ट्रीय परियोजनाएं, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं राज्य सरकार से लागत में भागीदारी के आधार पर, रक्षा द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाएं।

कोटि (4) - कोटि (1, 2 एवं 3) में शामिल नहीं की गई अन्य चालू परियोजनायें।

(ग) इन चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कई नये कदम उठाए गए हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रेल मंत्रालय ने चालू नई लाइन तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं को लागत में 50 प्रतिशत या अधिक की भागीदारी पर विचार करने के लिए भी लिखा है।

[हिन्दी]

विशेष रेलगाड़ियां

925. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक देश के प्रत्येक राज्य में त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे द्वारा कुल कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं;

(ख) इन विशेष रेलगाड़ियों को चलाने से यात्रियों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है तथा रेलवे को इससे कितना लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या रेलवे इससे अवगत है कि इन विशेष रेलगाड़ियों का कार्यनिष्पादन परिचालन तथा सारणी में विसंगता के कारण संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (सितंबर, 2007 तक) के दौरान चलाई गई विशेष गाड़ियों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	चलाई गई विशेष गाड़ियों के फेरों की संख्या
2004-05	5432
2005-06	13902
2006-07	15432
2007-08 (सितम्बर, 2007 तक)	2822

बहरहाल, विशेष गाड़ियों की योजना राज्यवार नहीं बनाई जाती है। यह यातायात के पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता और कोचिंग स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय रेलों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं ताकि वे विशेष गाड़ियों सहित सभी सेवाओं का समय पालन सुनिश्चित करें और उन पर नजर रखें। बहरहाल, अलार्म चेन पुलिंग, आंदोलनों, खराब मौसम और अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कुछ विशिष्ट अवसरों पर इन गाड़ियों का समयपालन प्रभावित होता है। बहरहाल, विशेष गाड़ियों का समग्र समयपालन संतोषजनक है।

[अनुवाद]

कला और संस्कृति में गिरावट

926. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कला और संस्कृति में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सांस्कृतिक कला प्रस्तुतियां, प्रदर्शनियां तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप, संस्कृति मंत्रालय के अधीन विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों और भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद (आईसीसीआर) आदि जैसे अन्य संगठनों द्वारा किए जाते हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

2004-05	2005-06	2006-07
600.20	670.90	715.58

पर्यटकों के लिए सुविधाएं

927. **श्री के.एस. राव:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों में विभिन्न धार्मिक तथा भक्ति स्थलों का दौरा करने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन स्थलों पर कैसी आतिथ्य तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उचित मूल्य पर आवास सुविधा सहित आतिथ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसमें निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) घरेलू और विदेशी पर्यटकों पर आंकड़े एकत्रित करने की वर्तमान प्रणाली विभिन्न राज्यों में, विभिन्न धार्मिक तथा भक्ति स्थलों में आने वाले ऐसे आगन्तुकों की संख्या पर सूचना प्रदान नहीं करती।

आतिथ्य एवं स्वास्थ्य देखरेख सहित, पर्यटक गंतव्यों में पर्यटकों हेतु सुविधाओं के विकास और रख-रखाव की जिम्मेदारी मुख्यतया संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) एम आर पी एल, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है ने दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, मॉरीशस के साथ अगस्त, 2007 से प्रभावी, तीन वर्ष की अवधि की संविदा की है जो लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के एक मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पाद प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक आपूर्ति करेगी।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की रुकी हुई रेल परियोजनाएं

924. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यह स्वीकार किया है कि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 80 रेल परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं क्योंकि ये परियोजनाएं अधिकांशत: ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में हैं तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी परियोजनाओं को सामाजिक-आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि के आबंटन के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित कुछ परियोजनाओं को छोड़कर अधिकांश नई लाइन और आमान परिवर्तन परियोजनाओं का उद्देश्य है पिछड़े, आदिवासी, दूरस्थ तथा देश के अविकसित क्षेत्रों से संपर्क में सुधार करना ताकि जहां से रेलवे लाइन गुजरती हैं वहां के क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। बहरहाल, रेलों के पास परियोजनाओं का भारी बकाया है जिसे पूरा करने के लिए 61.000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि की आवश्यकता है। धन सीमित होने के कारण, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजनाओं पर प्रगति की जा रही है। परिचालनिक आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, नई लाइन तथा आमान परिवर्तन के अधीन रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित कोटियों में किया गया था।

कोटि (1) - जिन परियोजनाओं पर 60 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुका है तथा थ्रो फार्वर्ड 100 करोड़ रुपये से कम है।

कोटि (2) - व्यावहारिक/परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित परियोजनाएं।

कोटि (3) - राष्ट्रीय परियोजनाएं, असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं राज्य सरकार से लागत में भागीदारी के आधार पर, रक्षा द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाएं।

कोटि (4) - कोटि (1, 2 एवं 3) में शामिल नहीं की गई अन्य चालू परियोजनायें।

(ग) इन चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कई नये कदम उठाए गए हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी रेल मंत्रालय ने चालू नई लाइन तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं को लागत में 50 प्रतिशत या अधिक की भागीदारी पर विचार करने के लिए भी लिखा है।

[हिन्दी]

विशेष रेलगाड़ियां

925. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक देश के प्रत्येक राज्य में त्यौहारों तथा अन्य अवसरों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे द्वारा कुल कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई;

(ख) इन विशेष रेलगाड़ियों को चलाने से यात्रियों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है तथा रेलवे को इससे कितना लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या रेलवे इससे अवगत है कि इन विशेष रेलगाड़ियों का कार्यनिष्पादन परिचालन तथा सारणी में विसंगता के कारण संतोषजनक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (सितंबर, 2007 तक) के दौरान चलाई गई विशेष गाड़ियों की संख्या नीचे दिए अनुसार हैं:-

उचित कीमत पर आवास सहित, आतिथ्य सेवाओं का प्रावधान करना मुख्यतया एक निजी क्षेत्र का कार्यकलाप है। पर्यटकों के लिए बजट श्रेणी आवास में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए सरकार ने सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारतीय रेलवे सहित, अन्य भू-स्वामित्व एजेंसियों से कहा है कि वे विशेषतया बजट श्रेणी में होटलों के निर्माण के लिए भूमि आबंटित करें। उन्हें भू-मैत्रीय नीतियों का अनुपालन करने, होटल परियोजनाओं का संवर्धन करने के लिए सिंगल विंडो एप्रोच अपनाने, राजस्व शेयरिंग आधार पर स्थल आवंटित करने, होटलों के लिए अतिरिक्त एफएआर/एफएसआई प्रदान करने, होटलों में अतिरिक्त वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने की भी सलाह दी गई है, ताकि बजट होटलों का संवर्धन हो सके। इसके अलावा, बजट श्रेणी में कमरों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि गृहों और इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेक फास्ट स्थापनाओं के अनुमोदन हेतु योजनाएं प्रारंभ की हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज/ड्रिलिंग/शोधन

928. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज, ड्रिलिंग तथा शोधन के संबंध में क्या प्रयास किए गए;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) देश में तेल तथा गैस की आवश्यकता का कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा होता है तथा कितनी तेल और गैस की मात्रा आयात की जाती है तथा वे कौन-कौन से देश हैं जहां से यह आयात होता है;

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज में अद्यतन उपलब्धि क्या है तथा खोज से भविष्य में कितनी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) राजस्थान में तेल और गैस की खोज तथा ड्रिलिंग की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) इससे कब तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) विगत पांच वर्षों (2002-07) के दौरान, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा इसके प्रचालनात्मक क्षेत्रों में किए गए अन्वेषणात्मक निवेशों की कुल मात्रा में 2 डी भूकंपीय के 11,698 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) और जमीन में 10899 वर्ग कि.मी. 3डी भूकंपीय आंकड़े और अपतटीय क्षेत्रों में 2डी भूकंपीय की 47985 लाइन किलोमीटर (एल के) और 3 डी भूकंपीय आंकड़ों के 82,091 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं। उसी अवधि में ओएनजीसी ने 576 अन्वेषणात्मक कुओं का भी वेधन किया जिनमें से 439 जमीनी थे और अपतटीय क्षेत्रों में 137 थे।

विगत पांच वर्षों के दौरान, आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने 2 डी भूकंपीय के 7574.51 जी एल के सर्वेक्षण और 3 डी भूकंपी के 3404.25 वर्ग किलोमीटर सर्वेक्षण किए हैं। उक्त अवधि में ओ आई एल द्वारा अन्वेषणात्मक वेधन 2,19,227 मीटर था और विकास वेधन 4,12,914 मीटर था।

जहां तक निजी कंपनियों का संबंध है, 2 डी के 111174 एल के का कुल भूकंपी और 3 डी भूकंपीय के 98400 वर्ग किलोमीटर सर्वेक्षण किया गया। निजी कंपनियों द्वारा कुल 305 अन्वेषणात्मक कुओं का वेधन किया गया।

देश में रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता के संबंध में यह 2002-03 में 118.37 एमएमटी (मिलियन मीटरी टन) थी जो वर्ष 2006-07 में बढ़कर 148.97 एम एम टी हो गई है।

(ख) विगत पांच वर्षों में ओ एन जीसी द्वारा अन्वेषणात्मक कार्यकलापों पर किया गया कुल व्यय 17428.55 करोड़ रुपये है और 9823.68 करोड़ रुपये विकास वेधन पर व्यय किए गए। ओ आई एल द्वारा विगत पांच वर्षों में सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक और विकास वेधन प्रयासों पर किया गया व्यय 2446.42 करोड़ रुपये था। गत पांच वर्षों में निजी कंपनियों द्वारा किया गया अन्वेषी व्यय 3272.5 (मिलियन) अमरीकी डालर था।

(ग) देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात निर्भरता लगभग 70 प्रतिशत है। गत वर्ष 2006-07 में जिन देशों से कच्चे तेल का आयात किया गया था उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) गत पांच वर्षों (2002-07) के दौरान, ओ एन जी सी ने अपने तटीय तथा अपतटीय प्रचालनीय क्षेत्रों में 676.76 मि.मी.ट. स्थानिक भंडारों की वृद्धि की है। गत पांच वर्षों के दौरान ओ आई एल द्वारा तेल और गैस स्थानिक भंडारों में 105.74 मि.मी. टन की वृद्धि की गई है। निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियों ने स्थानिक तेल और तेल समतुल्य गैस भंडारों में 909.43 मि. मी. टन की वृद्धि की है।

हाइड्रोकार्बन के लिए अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है और प्रकृति में निश्चित होने के बजाए यह संभावित है। किसी क्षेत्र की पूर्ण संभावना का पता केवल खोज होने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ओ एन जी सी, राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में दो पी ई एल अर्थात मियाजलार पूर्व तथा

दक्षिण खारतार में प्रचालन कर रही है। इसने दिलांक 1.10.2007 तक द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण का 20570.43 जी एल के 432.11 वर्ग कि.मी. का त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा 71 अन्वेषी कूपों का वेधन कार्य किया है। आज की तारीख तक इसने सात गैस खोजें नामतः मानहेरा, टिब्बा, घोटारू, खारतार, छिनेवाला टिब्बा, बांकिया, बाखरी टिब्बा तथा साडेवाला की हैं। 1.4.2007 तक ओ एन जी सी द्वारा जैसलमेर मे गैस की कुल प्रमाणित प्रमात्रा 3.35 बी सी एम है जबकि चरम घटक 1.76 बी सी एम है।

ओ आई एल द्वारा राजस्थान में प्राकृतिक गैस का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। वर्तमान में यह विद्युत तैयार करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 295 मिलियन मानक घन मीटर की आपूर्ति कर रही है।

मैसर्स कैर्न इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान राज्य में बाड़मेर सांचोर बेसिन में आर जे-ओ-एन-90/1 ब्लाक में कई तेल खोजें भी की हैं। इनमें से छः खोजों नामतः मांगला, सरस्वती, रागेश्वरी, ऐश्वर्या, भाग्यम तथा शक्ति की वाणिज्यिकता के संबंध में प्रचालक द्वारा घोषणा कर दी गई है। छः तेल खोजों में कुल मिलाकर 46.8 मि.मी. टन के चरम तेल भंडार हैं। ओ एन जी सी इस ब्लॉक में एक लाइसेंसधारक है और उक्त कथित खोजों सहित विकास क्षेत्रों में इसके 30 प्रतिशत भागीदारी हित हैं।

ब्लाक आर जे-ओ एन-90/1 में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत वर्ष 2009 में होने की संभावना है।

विवरण

देश-वार कच्चा तेल आयात

(मात्रा एमएमटी में)

			2006-07
मध्य पूर्व क्षेत्र	1.	ईरान	14.701
	2.	ईराक	13.449
	3.	कुवैत	11.382
	4.	तटस्थ क्षेत्र	1.632
	5.	कतर	1.727
	6.	सऊदी अरब	24.626
	7.	संयुक्त अरब अमीरात	8.755
	8.	यमन	4.543
		उप योग	80.815
अन्य क्षेत्र	9.	अल्जीरिया	0.646
	10.	अंगोला	2.609
	11.	आस्ट्रेलिया	
	12.	अजरबजान	0.709
	13.	ब्राजील	0.422
	14.	ब्रूनी	0.634
	15.	कैमरून	
	16.	मिस्र	1.930
	17.	इक्वाडोर	
	18.	भूमध्यरेखी गुआना	0.409
	19.	आइवोरी तट	0.145
	20.	लीबिया	0.130
	21.	मलेशिया	4.731
	22.	मैक्सिको	1.949
	23.	नइजीरिया	13.067
	24.	रसिया	0.400
	25.	सूडान	0.156
	26.	वेनेजुएला	2.317
		उप योग	30.687
योग			111.502

[अनुवाद]

रेल यात्रियों तथा संपत्ति की सुरक्षा

929. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल यात्रियों तथा उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी) तथा रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) की संबंधित जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं; और

(ख) आर.पी.एफ. तथा जी.आर.पी. तथा राज्य सरकारों के बीच समुचित समन्वय तथा रेल यात्रियों तथा उनकी संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलों पर कानून एवं व्यवस्था से संबंधित मामलों को निपटाना राज्य का विषय है जिसे संबंधित राज्य सरकारें, राजकीय रेल पुलिस के नाम से एक पृथक विंग द्वारा सुनिश्चित करती हैं। अतैव यात्रियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा राजकीय रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है।

बहरहाल, रेल सुरक्षा बल अधिनियम और रेल अधिनियम वर्ष 2003 में संशोधित किया गया है जिसके अंतर्गत यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में रेल सुरक्षा बल की भूमिका का विस्तार किया गया है। इस समय, रेलवे रेल सुरक्षा बल, यात्री सुरक्षा के क्षेत्र में गाड़ियों का मार्गरक्षण करके, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित करके, रेल अधिनियम के विभिन्न खंडों के अंतर्गत गैर-सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करके राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रही है।

(ख) रेल सुरक्षा बल के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे क्षेत्रीय स्तर पर, मंडल तथा जोनल स्तर पर आवधिक बैठकें आयोजित करके बैठकों में समन्वय सुनिश्चित करें। इन बैठकों के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं तथा अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

930. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को आबंटित किए गए पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों के वितरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को 236 खुदरा बिक्री केन्द्र और 43 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित किए हैं।

(ख) से (घ) ओएमसीज ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन के विरुद्ध 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नीति/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में जब कभी शिकायतें मिलती हैं तो उनकी जांच ओएमसीज की शिकायत निवारण व्यवस्था के अनुसार की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारों के पास बकाया राशि

931. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाईंस तथा इसकी अनुषंगी एयरलाइनों की राज्य सरकारों के पास उधार के आधार पर जारी किए गए टिकटों तथा एजेंटों के माध्यम से भी जारी किए गए टिकटों की कुल कितनी बकाया राशि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाईंस तथा इसकी अनुषंगी एयरलाइनों ने राज्य सरकारों को उधार के आधार पर टिकट जारी करना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन एयरलाईंस द्वारा संबंधित राज्य सरकारों से बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पूर्व के इंडियन एयरलाइंस तथा इसकी सहायता कंपनी, एयरलाइंस एअर द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 तक क्रेडिट आधार पर टिकट जारी करने के लिए, विभागों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से लगभग 2.37 करोड़ रुपये की कुल राशि प्राप्त करनी शेष है।

(ख) राज्य सरकारों के पास बकाया राशि इस प्रकार है:- बिहार-1.04 लाख रुपये, त्रिपुरा-6.5 लाख रुपए, उड़ीसा-0.10

लाख रुपये, मणिपुर-0.03 लाख रुपये, पश्चिमी बंगाल-1.09 लाख रुपये, मेघालय- 0.05 लाख रुपये, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह-0.81 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश -0.27 लाख रुपये (31 मई, 2007 तक), तमिलनाडु -152.50 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश-14.17 लाख रुपये, केरल-32.70 लाख रुपये, गोवा-4.32 लाख रुपये, गुजरात-0.20 लाख रुपये, महाराष्ट्र-20.17 लाख रुपये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संबद्ध एयरलाइन अधिकारियों द्वारा क्रेडिट नीति के अनुसार बकाया राशि को वसूलने के सभी संभव प्रयास किए गए थे।

उड़ीसा खान निगम का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ विलय

932. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा खान निगम (ओ.एम.सी) का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल) तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उड़ीसा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उड़ीसा खान निगम में उड़ीसा सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) उड़ीसा माइंस कार्पोरेशन (ओएमसी) का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और नेशनल मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम

933. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल) के विस्तार के संबंध में किसी विलंब के प्रति चिंतित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की विस्तार योजनाओं को उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्रमशः वर्ष 2010-2011 तथा वर्ष 2008-09 तक पूरा करने की योजना है। दोनों विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन की उनके संबंधित बोर्डों तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और निगरानी की जाती है तथा विलंब होने की स्थिति में इसमें कमी करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में नई रेल लाइन

934. **श्री घुरन रामः** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार झारखंड में बरबाडिह को छत्तीसगढ़ में चिरमिरी के साथ रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) चिरीमिरी और बरवाड़ीह के बीच, चिरीमिरी-विश्रामपुर (129 कि.मी.) खंड 1962 से परिचालन में है और विश्रामपुर-अंबिकापुर (19.80 कि.मी.)

नई लाइन का कार्य समाप्त हो चुका है और 03.06.2006 से यातायात चालू हो चुका है।

अंबिकापुर और बरवाडीह (182.20 कि.मी.) के बीच एक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 2003-04 में पूरा हो गया था। इस 182.20 कि.मी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत मात्र 4.85 प्रतिशत के प्रतिफल की दर के साथ 406.86 करोड़ रु. आकलित की गई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की गई थी और परियोजना को बिना किसी परिचालनिक लाभ के इसे वित्तीय रूप से अलाभप्रद पाया गया।

परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति, जारी परियोजनाओं का भारी थ्रो-फारवर्ड और संसाधन की अत्यधिक कमी को देखते हुए, अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन खंड के निर्माण को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

रेल कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार

935. **श्री सुभाष महरिया:**
श्री कीरेन रिजीजू:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जोनवार इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शिकायतों के आधार पर कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई; और

(घ) रेल यात्रियों के साथ रेल कर्मचारियों द्वारा बढ़ते दुर्व्यवहार को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। अप्रैल से सितंबर, 2007 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 4 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कमी आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोनवार रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	रेलवे	2005-06	2006-07	2007-08 (सितंबर, 2007 तक)
1.	मध्य	360	412	275
2.	पूर्व	84	73	41
3.	उत्तर	357	361	185
4.	पूर्वोत्तर	36	35	10
5.	पूर्वोत्तर सीमा	9	26	5
6.	दक्षिण	247	278	122
7.	दक्षिण मध्य	115	134	66
8.	दक्षिण पूर्व	142	96	16
9.	पश्चिम	143	178	70
10.	पूर्व मध्य	78	165	77
11.	पूर्व तट	77	86	37
12.	उत्तर मध्य	115	109	47
13.	उत्तर पश्चिम	97	84	36
14.	दक्षिण पश्चिम	57	48	25
15.	दक्षिण पूर्व मध्य	48	32	21
16.	पश्चिम मध्य	60	65	29

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन कर्मचारियों की संख्या, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2005-06	2524
2006-07	2359
2007-08 (सितंबर तक)	1162

(घ) विस्तृत ब्यौरा सहित प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और जहां कहीं कर्मचारियों को दोषी पाया जाता है, उनके विरुद्ध अनुशासन नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। वे कर्मचारी, जो जनता के संपर्क में आते हैं, को भी ग्राहक केयर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने की योजना

936. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ एयरलाइनें दिल्ली हवाईअड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने की योजना का पालन नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइनों को स्लाट आवंटन उनके टर्मिनल/टर्मिनलों तथा रनवे की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। सभी एयरलाइनें उन्हें आवंटित किए स्लाट्स के अनुसार पालन करने के लिए बाध्य हैं।

(ग) आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली पर भावी मांग को पूरा करने के लिए, मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए एल) जो हवाई अड्डा प्रचालक है एक नया अंतर्देशीय टर्मिनल तथा एक नया रनवे निर्मित कर रहा है। अगले वर्ष के मध्य तक इन दो परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद, हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ की समस्या पर संतोषजनक रूप से ध्यान दिया जाएगा।

क्षेत्रीय एयरलाइनों को प्रोत्साहन

937. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परिचालन कर रही विभिन्न क्षेत्रीय एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का ऐसी क्षेत्रीय एयरलाइनों को और ज्यादा प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है जो छोटे नगरों को वायु संपर्क प्रदान करती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षेत्रीय एयरलाइनों को मेट्रो नगरों में भी परिचालन की अनुमति प्राप्त है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय देश में कोई क्षेत्रीय एयरलाइन प्रचालन नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने पहले ही क्षेत्रीय एयरलाइनों के लिए दिशानिर्देश जारी कर रखे हैं जिनके अनुसार एयरलाइनें 3 विमानों तक 12 करोड़ रुपये की कम इक्विटी आवश्यकता के साथ 40,000 किलोग्राम से कम टेक ऑफ मास वाले विमानों का प्रचालन कर सकती हैं।

(घ) से (च) क्षेत्रीय एयरलाइनों की अवधारणा एक क्षेत्र के भीतर हवाई सम्पर्कता को बढ़ावा देने, श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 शहरों के लिये तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के बीच हवाईयात्रा सेवाओं में वृद्धि करने के लिए आरंभ की गई हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित उड़ान सूचना क्षेत्रों के अनुरूप उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व/पूर्वोत्तर के रूप में चार क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। क्षेत्रीय एयरलाइनों को श्रेणी-1 मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति नहीं है जिनमें महानगर शामिल हैं। तथापि, दक्षिण क्षेत्रीय एयरलाइनों को दक्षिणी क्षेत्र के भीतर महानगरों के लिए/के बीच प्रचालन की अनुमति है।

आई.डी.पी.एल. तथा एच.ए.एल का पुनरुद्धार

938. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख भेषज कंपनियों, यथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आइ.डी.पी.एल.) तथा हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कंपनियों में उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इससे सस्ते दर पर दवाई उपलब्ध कराने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) मार्च 2006, में सरकार ने एचएएल के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास योजना अनुमोदित की। कम्पनी का पुनरुद्धार किया जा रहा है।

आईडीपीएल के पुनरुद्धार हेतु पुनर्वास योजना मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मंत्रिमंडल ने आईडीपीएल की पुनरुद्धार योजना को प्रारंभिक तौर पर विचारार्थ मंत्रियों के समूह को संदर्भित किया है। अब मंत्रियों के समूह का गठन किया जा चुका है।

(ग) चालू वर्ष (2007-08) के पहले छह माह (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान एचएएल का उत्पादन मूल्य गत वर्ष की संगत अवधि के दौरान 23.85 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 50.58 करोड़ रुपए हो गया है।

अक्तूबर 2007 (2007-08) तक की अवधि के दौरान आईडीपीएल का उत्पादन मूल्य वर्ष (2006-07) के 18 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 24 करोड़ रुपए हो गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में ए.टी.एम. स्थापित करना

939. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार बैंकों को चुनिंदा रेलगाड़ियों में ए.टी.एम. स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या को नजर में रखते हुए एक रेलगाड़ी में कितने ए.टी.एम. स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) रेलागाड़ियों में ए.टी.एम. स्थापित करते समय आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों से गुजर रही रेलगाड़ी में क्या विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) बैंक से ऐसा कोई प्रस्ताव आने पर जांच की जाएगी।

रेल नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पादों की ढुलाई

940. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गैर मैट्रो-स्टेशनों पर कृषि उत्पादों की ढुलाई रेल नेटवर्क से करने की सुविधा प्रदान करने तथा स्थानीय स्तर पर इनकी बिक्री की भी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) कब तक उक्त योजना कार्यान्वित कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) एग्री-रिटेल लाजिस्टिकस के लिए गैर-महानगरीय स्टेशनों पर फालतू भूमि का इस्तेमाल करने के संबंध में इच्छुक उद्यमियों की रुचि के मामले में अनिवार्य सूचना हासिल करने के लिए उनकी अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। फिलहाल, किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही कोई समय सीमा निर्धारित की गई है।

कालीकट से उड़ानों को रद्द किया जाना

941. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में कालीकट के कारीपुर विमानपत्तन पर बिना किसी पूर्व सूचना के इसकी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अचानक रद्द किए जाने व समय परिवर्तन संबंधी विद्यमान संकटपूर्ण स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस स्थिति को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या हाल ही में एयर इंडिया के अधिकारियों ने पूरे मुद्दे का तद्स्थानिक अध्ययन करने हेतु कालीकट का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम निकले तथा क्या उपचारात्मक उपाय सुझाए गए और क्या उपचारात्मक उपाय क्रियान्वित किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान, कालीकट से 2 उड़ानों को छोड़कर, जो अक्तूबर, 2007 में रद्द हो गईं थी,

एअर इंडिया की सभी उड़ानें प्रचालित की गई थीं। आगे, प्रचालनिक बाध्यताओं की वजह से, प्रति सप्ताह 2 उड़ानों को 3 महीने की अवधि के लिए पुनः अनुसूचित किया गया था। तथापि, शीतकालीन अनुसूची से सभी उड़ानों को मूल अनुसूची के अनुसार कर दिया गया है।

जहां तक एअर इंडिया एक्सप्रेस तथा पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, खराब मौसम आदि जैसे कारणों से कुछ पुनः अनुसूचीकरण हुए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यकारी निदेशक-दक्षिण भारत तथा कार्यकारी निदेशक निगमित संचार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए कालीकट का दौरा किया। समयबद्ध प्रस्थान सुनिश्चित करने के लिए, 10 नवम्बर, 2007 तक एअर इंडिया का एक अतिरिक्त विमान कालीकट में स्टैण्डबार्ड के रूप में खड़ा करने का निर्णय किया गया। इस समय, कोच्चि तथा मुंबई में एक विमान स्टैण्डबाई खड़ा है जिसे लंबे विलंब की स्थिति में कालीकट भेजा जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारी कालीकट से सभी आने तथा जाने वाली उड़ानों की निकटता से निगरानी कर रहे हैं तथा उन्हें किसी आपात स्थिति में उपचारात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है।

देश में लौह अयस्क खानों को जोड़ा जाना

942. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने देश में विभिन्न लौह अयस्क खानों को जोड़ने हेतु भारतीय रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें देश में रेल से जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त परियोजना में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कितना व्यय शेयर किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) दिल्ली-राजहरा-रोघाट-जगदलपुर नई लाइन परियोजना को लागत में साझेदारी के आधार पर निर्माण करने के लिए रेल मंत्रालय, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) राष्ट्रीय खदान विकास निगम (एनएमडीसी) तथा मध्य प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार के बीच 02.04.1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। यह नई लाइन बैलाडिला लौह अयस्क खान को जोड़ेगी तथा सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र को निरंतर लौह अयस्क की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। बहरहाल, इस कार्य को अभी प्रारंभ नहीं किया गया है क्योंकि सेल ने अभी दिल्ली-राजहरा-रोघाट (95 किमी.) खंड के निर्माण की लागत जमा नहीं की है। रेल मंत्रालय, सेल, एनएमडीसी तता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाने के लिए इस परियोजना पर एक संशोधित समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) दिल्ली-राजहरा-रोघाट-जगदलपुर नई लाइन परियोजना की संशोधित लागत 968.60 करोड़ रु. (2004-05 मूल्य स्तर पर) है।

(घ) 968.60 करोड़ रु. (2004-05 के मूल्य स्तर पर) की अद्यतन लागत में सेल के लिए 445.60 करोड़ रुपये, एनएमडीसी के लिए 70.70 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए 76.30 करोड़ रुपये तथा रेलों के लिए 376 करोड़ रुपये की साझेदारी का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

तेल और गैस निकालने के बाद परिवारों को तेल कुएं वापस देना

943. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने तेल कुओं से तेल और गैस निकालने के बाद इन कुओं को उन परिवारों को वापस कर दिया है जिनसे ये कुएं लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ओएनजीसी भूमि अधिग्रहण अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अपने अन्वेषण कार्यकलापों के लिए

भूमि अधिगृहीत करती है। यदि कोई खोज नहीं की जाती है तो स्थान भूस्वामियों को वापस सौंप दिया जाता है। अन्वेषण करने पर यदि यह पाया जाता है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस है, तो वह स्थान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भूस्वामियों को मुआवजा दे कर स्थायी तौर पर अधिगृहीत कर लिया जाता है।

गुजरात वित्त एवं विकास निगम से परियोजनाएं/प्रस्ताव

944. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा गुजरात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से कुछ परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और उनके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता आबंटित तथा जारी कर दी गई है; और

(घ) राज्य की शेष परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.एज) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या		राशि (रुपए करोड़ में)	
	प्राप्त	मंजूर	मंजूर	जारी
2004-05	8	8	8.96	0.13
2005-06	5	5.	4.96	12.54
2006-07	8	7	8.19	7.80

गुजरात अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (जी.एस.सी.डी.सी.) से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 2006-07 में प्राप्त हुए एक प्रस्ताव को बन्द कर दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.)

2004-05 और 2005-06 के दौरान कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। 2006-07 के दौरान, जी.टी.डी.सी. के प्रस्ताव के आधार पर 14.35 करोड़ रु. की राशि आबंटित हुई और उक्त राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम वित्त वर्ष की शुरुआत में राज्यवार आबंटन करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एस.सी.एज) आबंटन के सामने निधि को उपयोग करने की आवश्यकता के अनुसार निधियां आहरित करती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा किया गया आबंटन और गुजरात अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (जी.एम.एफ.डी.सी.) को जारी निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)	
	आबंटित	निर्मुक्त
2004-05	9.25	1.00
2005-06	7.25	शून्य
2006-07	4.25	2.95

राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) के आहरण प्रस्तावों के अनुसार निधियों की और निर्मुक्ति पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक विमानपत्तन

945. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में वाणिज्यिक विमानपत्तन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वाणिज्यिक विमानपत्तनों की स्थापना के लिए राज्य-वार किन-किन शहरों की पहचान की गई है; और

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय अवधि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नयी नीति तैयार की जा रही है तथा इस पर विचार चल रहा है।

विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना

946. श्री नवीन जिन्दल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता हेतु बात की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार तेजी से बढ़ रहे विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोलने हेतु अन्य राज्यों को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) पंजाब सरकार की ओर से विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पाठ्यक्रम तथा कार्यकलापों आदि के लिए आवश्यक तकनीकी सुझावों आदि की जब कभी भी आवश्यकता होगी, नागर विमानन महानिदेशालय के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

947. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री पी.सी. गद्दीगौडर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान आज की तारीख तक इस संबंध में जोन-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन शिकायतों पर रेलवे द्वारा जोन-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिये किसी निगरानी प्राधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) रेलगाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन मुहैया कराने की व्यवस्था की जाती है। रेलों की खानपान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेल की खानपान सेवाओं को बेहतर और व्यावसायिक बनाने के लिए इन्हें भारतीय रेल की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को चरणबद्ध तरीके से अंतरित किया जा रहा है। भारतीय रेल की महत्वपूर्ण खानपान सेवाओं को आईआरसीटीसी को पहले ही अंतरित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या और सितंबर, 2007 तक भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम द्वारा उन पर की गई कार्रवाई को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय रेलों और भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम के अधिकारियों द्वारा नियमित और औचक जांचें की जाती हैं। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम द्वारा अप्रैल 2007 से सितंबर 2007 तक की अवधि के दौरान 11925 निरीक्षण किए गए और 656 मामलों में लाइसेंस धारकों पर निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के लिए जुर्माना किया गया है।

(च) भारतीय रेल की खानपान सेवाओं पर भारतीय रेल पर्यटन निगम और क्षेत्रीय रेलों द्वारा निरंतर ध्यान दिया जाता है। रेलों और भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम के अधिकारियों द्वारा खानपान सेवाओं की नियमित निगरानी की जा रही है।

भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम द्वारा स्वतंत्र खाद्य लेखा-परीक्षा एजेंसी की सेवाएं ली जा रही हैं ताकि भारतीय रेल के यात्रियों के परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, भोजन की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखने के लिए समर्पित गुणवत्ता निरीक्षकों की भी व्यवस्था की गई है।

विवरण

2006-07 के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा प्राप्त शिकायतें और तदनुसार सितंबर 2007 तक उन पर की गई कार्रवाई

रेलवे	शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई
1	2	3
मध्य	106	41 को चेतावनी दी गई, 47 को जुर्माना किया गया, 8 को उपयुक्त सलाह दी गई, 10 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
उत्तर पश्चिम	12	2 को चेतावनी दी गई, 7 को जुर्माना किया गया, 3 को उपयुक्त सलाह दी गई।
पश्चिम	302	157 को चेतावनी दी गई, 41 को जुर्माना किया गया, 4 के ठेके रद्द कर दिये गए, 67 को उपयुक्त सलाह दी गई, 33 का दोष प्रमाणित नहीं हुआ।
पश्चिम मध्य	22	14 को चेतावनी दी गई, 5 को जुर्माना किया गया, 2 को उपयुक्त सलाह दी गई, 1 का दोष प्रमाणित नहीं हुए।
दक्षिण पूर्व	64	33 को चेतावनी दी गई, 12 को जुर्माना किया गया, 1 का ठेका रद्द किया गया, 17 को उपयुक्त सलाह दी गई, 1 का दोष प्रमाणित नहीं हुआ।
दक्षिण पूर्व मध्य	18	16 को चेतावनी दी गई, 1 को जुर्माना किया गया, 1 को उपयुक्त सलाह दी गई।
पूर्व	249	8-लंबित, 111 को चेतावनी दी गई, 14 को जुर्माना किया गया, 1 का ठेका रद्द कर दिया गया, 9 को उपयुक्त सलाह दी गई, 25 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
पूर्व मध्य	42	15 को चेतावनी दी गई, 20 को जुर्माना किया गया, 5 को उपयुक्त सलाह दी गई, 2 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
पूर्व तट	45	18 को चेतावनी दी गई, 8 को जुर्माना किया गया, 10 को उपयुक्त सलाह दी गई, 9 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
पूर्वोत्तर सीमा	10	2 को चेतावनी दी गई, 4 को जुर्माना किया गया, 4 को उपयुक्त सलाह दी गई।
पूर्वोत्तर	21	3 को चेतावनी दी गई, 12 को जुर्माना किया गया, 1 का ठेका रद्द कर दिया गया, 5 को उपयुक्त सलाह दी गई।
उत्तर	615	119 को चेतावनी दी गई, 114 को जुर्माना किया गया, 30 के ठेके रद्द कर दिए गए, 249 को उपयुक्त सलाह दी गई, 23 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
उत्तर मध्य	42	11 को चेतावनी दी गई, 9 को जुर्माना किया गया, 10 को उपयुक्त सलाह दी गई, 12 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
दक्षिण मध्य	491	97 को चेतावनी दी गई, 128 को जुर्माना किया गया, 261 को उपयुक्त सलाह दी गई, 3 के दोष प्रमाणित नहीं हुए, 2-लंबित।
दक्षिण	485	167 को चेतावनी दी गई, 22 को जुर्माना किया गया, 1 का ठेका रद्द कर दिया गया, 288 को उपयुक्त सलाह दी गई, 7 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।
दक्षिण पश्चिम	114	25 को चेतावनी दी गई, 3 को जुर्माना किया गया, 94 को उपयुक्त सलाह दी गई, 2 के दोष प्रमाणित नहीं हुए।

विमानों की खरीद

948. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री मोहन रावले:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद और विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान कंपनियों के आईपीओ जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों विमान कंपनियों को इस विलय से कितना लाभ हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड जिसमें इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विलय किया गया है, ने सूचित किया है कि इस समय के आदेश के 2011 तक डेलीवरी के बाद अतिरिक्त विमानों की आवश्यकता है। ऐसा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संवृद्धि के कारण है। विलय से सिनर्जी लाभ के माध्यम से अतिरिक्त सेवाओं और विदेशी तथा निजी विमान कंपनियों के अतिरिक्त क्षमता के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यातायात की संवृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है। रणनीतिक नेटवर्क और क्षमता लगाने की योजना पर एक संकल्पना पत्र तैयार करने के लिए नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा एक आंतरिक संयुक्त कार्यशील समूह का गठन किया गया है।

(ग) एयरलाइनों के आईपीओ को सेवा में लगाए जाने के लिए इस प्रकार का कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दोनों एयरलाइनों के विलय से निम्नलिखित लाभ होंगे-

(1) एशिया में अन्य प्रतिस्पर्धी एयरलाइनों की आकार के तुलना में भारत में सबसे बड़े एयरलाइन का सृजन;

(2) समेकित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फुटप्रिंट प्रदान करना, जिससे ग्राहक संतुष्टि में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और एक विश्वव्यापी एयरलाइन एलायन्स में आसान प्रवेश की अनुमति होगी;

(3) लोड फैक्टर में सुधार के माध्यम से वर्तमान संसाधनों का इष्टतम उपयोग और वैकल्पिक मार्गों पर फ्रीडअप विमान क्षमता लगाकर समान रूप से सेवित मार्गों पर प्राप्ति;

(4) पूर्ण रूप से लीवरेज परिसम्पत्तियों, सक्षमताओं और आधार संरचना के लिए एक सुअवसर प्रदान करना;

(5) दोनों स्थानांतरित कंपनियों को अधिकतम क्षमता उपलब्ध कराने के साथ लीवरेज कुशल और अनुभवी जनशक्ति को अवसर प्रदान करना;

(6) बड़े लोक हित में जनता के लिए बड़ी और संवृद्धि उन्मुख कंपनी प्रदान करना;

(7) परिसंपत्तियों के पुनःमूल्यांकन के माध्यम से वित्तीय और पूंजीगत पुनर्संरचना प्राप्त करने के लिए अधिकतम लचीलापन प्रदान करना;

(8) एयरलाइन सहायक कारोबार पर बल और बढ़ा हुआ थ्रस्ट प्रदान करना। ऐसा अनुमान है कि इस निर्णय से विलय के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 600 करोड़ रुपये का निवल लाभ होगा।

[हिन्दी]

बैतूल (मध्य प्रदेश) के निकट चलती रेलगाड़ी में करंट आना

949. **श्री पंकज चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैतूल (मध्य प्रदेश) रेलवे स्टेशन के निकट एक चलती रेलगाड़ी पर बिजली का टूटा हुआ तार गिरने से रेलगाड़ी की बोगियों में करंट आने की एक घटना घटित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में घायल तथा मारे गए लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला; और

(च) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। सवारी डिब्बों में करंट नहीं लगा था।

(ग) सीतलजहरी गांव के श्री श्रीराम वारखेड़े के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति जो कि गाड़ी का यात्री नहीं था, को लोकेशन संख्या 834/9 पर करंट लगा था जब आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस लोकेशन संख्या 834/9 से गुजर रही थी।

(घ) जी हां।

(ङ) जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया कि पीड़ित व्यक्ति लोकेशन संख्या 834/9 पर अप्राधिकृत तौर पर रेल कर्षण लाइन के संपर्क में आया था जिससे चलती गाड़ी पर शिरोपरि बिजली उपस्कर के टूटने की घटना हुई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त के अधिकार और कार्य

950. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री मोहन जेना:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नि:शक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) हेतु मुख्य आयुक्त के अधिकार और कार्य क्या हैं जैसाकि अधिनियम में उपबंध किए गए हैं;

(ख) नियुक्त किए गए तथा वर्तमान में कार्य कर रहे आयुक्तों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति के गठन की प्रक्रिया तथा कार्य की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इन समितियों द्वारा आयोजित की गई बैठक तथा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आयुक्तों को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इनके निपटान की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरुकता बढ़ाने के प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 58 और 59 के अनुसार नि:शक्त व्यक्तियों हेतु मुख्य आयुक्त निम्नलिखित कार्य करते हैं:

(1) आयुक्तों के कार्य का समन्वय; (2) केन्द्र सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग की मॉनीटरिंग; (3) निश:क्त व्यक्तियों के लिए प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं के सुरक्षण के लिए कदम उठाना; (4) नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचन, उनके कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून, नियम, उपविधि, विनियम, कार्यकारी आदेश, दिशा-निर्देश या अनुदेश क्रियान्वित न होने संबंधी शिकायतों की जांच-पड़ताल करना और संबंधित प्राधिकारी के साथ उन्हें उठाना। मुख्य आयुक्त अपने संज्ञान पर या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर कार्रवाई कर सकता है।

उपर्युक्त कार्यों के निष्पादन के लिए मुख्य आयुक्त को सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं नामश: (1) साक्षियों को समन करना और उपस्थित होने के लिए उन पर दबाव डालना; (2) किसी दस्तावेज के प्रकटन एवं प्रस्तुति के लिए आदेश देना; (3) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकार्ड या उसकी प्रतिलिपि के लिए मांग करना; (4) शपत पत्र से संबंधित प्रमाण प्राप्त करना; और (5) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(ख) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने नि:शक्त व्यक्तियों हेतु आयुक्त नियुक्त किए हैं, जो कार्य कर रहे हैं।

(ग) सभी राज्य सरकारों ने राज्य समन्वय समितियों और राज्य कार्यकारी समितियों का गठन किया है।

(घ) चूंकि ये समितियां राज्य स्तरीय हैं, अत: इन बैठकों के रिकार्ड का रख-रखाव केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(ङ) नि:शक्त व्यक्तियों हेतु राज्य आयुक्तों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों का निपटान, अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी होने के नाते स्वतंत्र रूप से उनके द्वारा किया जाता है और इनकी मॉनीटरिंग केन्द्र द्वारा नहीं की जाती है।

(च) निःशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न उचित सरकारें अर्थात केन्द्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें, केन्द्रीय/राज्य उपक्रम, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य उचित प्राधिकारी योजनाएं बनाते हैं जिसमें जागरुकता सृजन योजनाएं शामिल हैं। तथापि, जागरुकता लाने के उद्देश्य के लिए आवंटित तथा व्यय की गई निधियों के विवरण का अलग से केन्द्र द्वारा रख-रखाव नहीं किया जाता है।

नीलाम किए गए रकबों (एक्रीएजेस) से गैस का मूल्य निर्धारण

951. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीलाम किए गए रकबों (एक्रीएजेस) से गैस के मूल्य निर्धारण के संबंध में एक सचिव पैनल की सिफारिशों की जांच करने के लिए विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह (जेओएम) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सचिव-पैनल द्वारा की गई सिफारिशों से कहां तक सहमत है; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने विदेश मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति प्रदत्त मंत्रिसमूह (ई जी ओ एम) का गठन किया है। इसका कार्य गैस के मूल्य निर्धारण के मुद्दों और एन ई एल पी के अधीन गैस के वाणिज्यिक उपयोग पर विचार करना था। इस मंत्रिसमूह ने मंत्रिमंडल सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की रिपोर्ट पर विचार किया।

इस शक्ति प्रदत्त मंत्रिसमूह ने एन ई एल पी के अधीन गैस मूल्य निर्धारण मुद्दे पर निर्णय लिया है।

(ग) मंत्रिमंडल सचिव की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सी) के अधीन प्रबंधन समिति प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया है। इसके अलावा, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अधीन नियमित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के अतिरिक्त, नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक से अनुरोध किया है कि रायल्टी, प्राफिट पेट्रोलियम आदि के रूप में सरकार के लिए उच्च पण वाले कुछ ब्लाकों की विशिष्ट लेखापरीक्षा की जाए।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

952. **श्री के.एस. राव:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन से वाणिज्यिक बिक्री तथा खरीद हेतु कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस मिली है तथा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से एक स्थानीय पाइपलाइन नेटवर्क कंपनी को शीघ्र मंजूरी देने तथा कृष्णा-गोदावरी गैस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (केजीजीएनएल) को गेल के समान रियायतें देने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) के जी बेसिन में 2006-07 के दौरान गैस का कुल उत्पादन लगभग 6.47 एम एम एस सी एम डी था। जुलाई, 2008 से के जी बेसिन डी-6 ब्लाक से 40 एम एम एस सी एम डी गैस का उत्पादन शुरू होने की संभावना है जिसकी 2011-12 में 80 एम एम एस सी एम डी तक वृद्धि होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में सामान्य वाहक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, बनाने और प्रचालित करने हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए, कृष्णा गोदावरी गैस नेटवर्क लिमिटेड (के जी जी एन एल) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति यह है कि सामान्य वाहक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, बनाने और प्रचालित करने के लिए अनुमोदन किसी ऐसे उत्पादक के साथ गैस के स्रोत जुटाने के लिए गठबंधन के आधार पर मंजूर किया जाता है जिसके उत्पादन की रूपरेखा विधिवत प्रमाणित हैं। के जी जी एन एल ने सूचित किया है कि इसका गैस पाइपलाइन नेटवर्क के बेसिन में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन (जी एस पी सी) के अपतट क्षेत्रों पर आधारित होगा। डी जी एच ने सूचित किया है कि के जी बेसिन में जी एस पी सी की दो खोजें अर्थात के जी-8 और के जी-17 हैं। चूंकि इन क्षेत्रों की उत्पादन रूपरेखा डीजीएच द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है, इसलिए के जी जी एन एल को प्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का अब गठन कर लिया गया है और इस संबंध में अब उन्हें प्राधिकृत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

गैस के बन्द किए गए बिक्री केन्द्र

953. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों के कारण देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कंपनियों के तेल और गैस बिक्री केन्द्र बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बिक्री केन्द्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) उक्त बिक्री केन्द्रों के बन्द होने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को प्रत्येक माह कितना घाटा हो रहा है;

(ङ) इन बिक्री केन्द्रों को निकट भविष्य में पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है; और

(च) इन बिक्री केन्द्रों को कब तक पुनः खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) के बंद पड़े खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या और उन पर किया गया कुल निवेश निम्नवत हैं:-

ओएमसी	बंद पड़े खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	किया गया निवेश (रुपए लाख में)
आईओसी	11	302.7
एचपीसी	3	119.0
बीपीसी	7	283.7

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एल पी जी की कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप बंद नहीं पड़ी है, जब कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप बंद की जाती है, तो बंद की गई डिस्ट्रीब्यूटरशिप के ग्राहकों को तत्काल निकट की मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ओ एम सीज को अपने द्वारा किए गए निवेशों पर प्रतिफल न मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है।

(ङ) और (च) ये खुदरा बिक्री केन्द्र विभिन्न कारणों जैसे भू-स्वामी द्वारा ओ एम सीज के पक्ष में भूमि का पट्टा बढ़ाने के कारण भूमि से बेदखली, लंबित पुनः स्थल निर्धारण आदि के कारण बंद पड़े हैं। ओ एम सीज का इन बंद पड़े खुदरा बिक्री केन्द्रों को विधिवत कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए यथाशीघ्र पुनः चालू करने के लिए प्रयास होता है।

विमानपत्तनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव

954. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुखः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी प्रमुख शहर विमान सेवाओं से जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कई राजनैतिक संगठनों तथा जन-प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार से राज्यों मे विमानपत्तनों का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस समय देश के 81 एयरपोर्टों से आने-जाने के लिए नामित हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार ने देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की हवाई यातायात सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए हवाई यातायात सेवाओं का बेहतर विनियमन करे की दृष्टि से रूट डिस्पर्सल दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी रूट डिस्पर्सल दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर देश भर में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) एयरपोर्टों के निर्माण के लिए राजनैतिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों आदि से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। सरकार ने एम.ओ.पी.ए. (गोवा) एवं नवीं मुंबई (महाराष्ट्र) पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों के लिए ''सिद्धांत रूप में'' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। हैदराबाद और बंगलौर पर नए बने

ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मार्च, 2008 तक प्रचालन में आ जाने की आशा है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ग्रेटर नोएडा के निकट जेवर, उत्तर प्रदेश, कन्नूर (केरल), पंक्योंग (सिक्किम), कोहिमा (नागालैंड) के निकट चीथू, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) एवं पुणे (महाराष्ट्र) के निकट चाकन (राजगुरु नगर) में कुछ और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

भारत ईरान गैस पाइपलाइन

955. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावित भारत ईरान गैस पाइपलाइन से गैस के बंटवारे के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाइपलाइन परियोजना कब तक शुरू होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भारत, ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई पी आई) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइन के माध्यम से ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात का अनुसरण कर रहा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में समान रूप से बांटने के लिए चरण-1 में 60 एम एम एस सी एम डी गैस की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है। विविध महत्वपूर्ण मामले भाग ले रहे देशों के विचाराधीन हैं।

(ग) ऐसी बहुपक्षीय परियोजनाओं में दीर्घकालिक चर्चाएं शामिल होती हैं, क्योंकि प्रत्येक देश के हित को बचाने एवं साथ ही परियोजना के सफलतापूर्वक प्रचालन में भविष्य की किसी समस्या को दूर करने हेतु सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच एवं भाग ले रहे देशों की संतुष्टि पर विचार-विमर्श किया जाना होता है। विचारार्थ मामलों के संतोषजनक समाधान के बाद ही परियोजना का कार्यान्वयन आरम्भ हो सकता है।

सेल द्वारा संयंत्रों तथा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण

956. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अपने विभिन्न संयंत्रों तथा खानों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के आधुनिकीकरण तथा इसे एक चार एमटीपीए सुविधा में बदलने का भी एक प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ) आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास): (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का अपने संयंत्रों और खानों का आधुनिकीकरण करने तथा इनकी क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है। अपने इस्पात संयंत्रों के लिए सेल की विस्तार योजना का लक्ष्य अपने तप्त धातु के मौजूदा 14.6 मिलियन टन वार्षिक (2006-07) उत्पादन को वर्ष 2010 तक बढ़ाकर लगभग 26 मिलियन टन वार्षिक करने का है। संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने के अलावा इस विस्तार योजना में अप्रचलित प्रौद्योगिकी को बदलने, ऊर्जा खपत में कमी करने, उत्पाद मिश्र में सुधार करने, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उन्नयन करने और उच्च उत्पादन में सहायता हेतु अपने सभी संयंत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं में बढ़ोतरी करने की परिकल्पना की गई है। इस्पात संयंत्रों की विस्तार योजनाओं के चलते बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए सेल ने अपनी किरीबुरु, मेघाहाताबुरु, गुआ, बोलानी, और बर्सुआ स्थित मौजूदा खानों का आधुनिकीकरण करने और उनका विस्तार करने तथा रावघाट, चिरिया, तलडीह और ठकुरानी में नई खानें विकसित करने का निर्णय लिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) का 7668 करोड़ रुपए की इंडिकेटिव लागत पर 4.5 मिलियन टन तप्त धातु के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव है। आरएसपी का विस्तार कार्य जून, 2008 तक शुरू होने की संभावना है।

अवसंरचना संबंधी समिति

957. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अवसंरचना संबंधी समिति ने ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति के संबंध में दिशानिर्देश के मसौदे को मंजूरी दे दी है तथा इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से नई रेल लाइन बिछाया जाना

958. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश ने विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में निजी भागीदारी के माध्यम से कुछ नई रेल लाइनें बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई लाइनों के निर्माण में भागीदारी करने हेतु कोई निजी कंपनियां आगे आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के माध्यम से रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित नई लाइनों को निजी सहभागिता से बिछाने का निर्णय लिया है:

(1) हरदीदासपुर-पारादीप नई रेल लाइन

(2) ओबुलवरीपल्ले-कृष्णापट्टनम नई रेल लाइन

बहरहाल, महाराष्ट्र अथवा उत्तर प्रदेश में निजी सहभागिता से नई रेल लाइन परियोजना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) निम्नलिखित निजी पार्टियां, कुछ नई लाइन परियोजनाओं में या तो सहभागिता कर रही है अथवा हिस्सेदारी के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है:-

परियोजना	निजी पार्टियां
हरदीदासपुर-पारादीप नई रेल लाइन	1. एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2. रूंगटा माइन्स लिमिटेड 3. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 4. पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 5. एम एस पी एल लिमिटेड
ओबुलावरीपल्ले-कृष्णापट्टनम रेल लाइन	1. कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड 2. ब्रम्हनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे- श्री ए.आर. अंतुले।

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-7232/07]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-7233/07]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7234/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-7235/07]

(ख) (एक) रांची अशोर बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-7236/07]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई राठवा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-7237/07]

(2) रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 2006/ईएंडआर/700/1/पीटी जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 2007 से दक्षिण रेलवे में सेलम में नया डिवीजन गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-7238/07]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय मैं तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 559 (अ) जो 21 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो वेल हेड मूल्य का अवधारणा किए जाने के बारे में है तथा जिसके द्वारा उक्त

अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एलटी-7239/07]

अपराह्न 12.02 बजे

विशेषाधिकार समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम): महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के नौवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

लोक लेखा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं "पारस्परिक रुप से निम्नतर सम्मत मूल्य अपनाने के कारण अवमूल्यन" के बारे में लोक लेखा समिति (2007-2008) का सत्तावनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "राजस्थान में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण" विषय पर छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।

(2) "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उचित नियोजन नीति-भूमंडलीकरण और अन्य सुधार उपायों के पश्चात स्थिति की समीक्षा" विषय पर 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण।

अपराह्न 12.03½ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवां से सत्ताईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): महोदय, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) "एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता योजना" संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन,

(2) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 26वां प्रतिवेदन; और

(3) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का 27वां प्रतिवेदन।

अध्यक्ष महोदयः इसके पश्चात माननीय सदस्या, अपने स्थान से बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः भविष्य में, आप कृपया अपने स्थान से बोलें।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचाः धन्यवाद महोदय।

अपराह्न 12.04 बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) संबंधी सातवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें, तेईसवें और चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं लोक सभा बुलेटिन-भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत प्रकाशित अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (चौदहवीं लोक सभा) संबंधी स्थायी समिति की 16वें, 23वें व 24वें प्रतिवेदनों में समाहित सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति पर यह वक्तव्य दे रही हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति की वर्ष 2006-07 हेतु 16वां प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांग के संबंध में है। प्रतिवेदन 16.5.2006 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई और उसी दिन राज्य सभा में रखी गई। इस प्रतिवेदन में 23 सिफारिशें है। 16वें प्रतिवेदन में समाहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई नोट को 17.11.2006 को समिति को भेजा गया व की-गई-कार्रवाई नोट को अब अद्यतन और संशोधित कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन में समाहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में है। प्रतिवेदन को 28.4.2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और 3 मई, 2007 को राज्य सभा में रखा गया। प्रतिवेदन में 9 सिफारिशें हैं। 23वें प्रतिवेदन में समाहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई नोट को समिति को 13 अगस्त, 2007 को भेजा गया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुदान मांगों के परीक्षण के संबंध में है। प्रतिवेदन 28.4.2007 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा में 3 मई, 2007 को रखा गया और इसमें 19 सिफारिशें हैं। मंत्रालय ने 13.8.2007 को इन सिफारिशों पर समिति को एक विस्तृत की-गई-कार्रवाई नोट भेजा है।

समिति द्वारा 16वें, 23वें व 24वें प्रतिवेदनों में की गई विभिन्न सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध I, II और III पर इंगित है जिसे सभा पटल पर रखा गया है। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-7240/07]

अपराह्न 12.06½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च), के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उप धारा

[अध्यक्ष महोदय]

(1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (च) से अनुसरण, में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, 'शून्य काल' कब आरंभ होगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जैसाकि सब जानते हैं कि ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव के बाद शून्य काल आरंभ होता है।

अपराह्न 12.07 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

स्वास्थ्य सेवाओं की ऊंची लागत से उत्पन्न स्थिति तथा प्राइवेट नर्सिंग होमों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें:

"मंहगी स्वास्थ्य सेवाओं से उत्पन्न होने वाली स्थिति तथा प्राइवेट नर्सिंग होम को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता।"

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी आप अपना वक्तव्य सभा-पटल पर रख सकते हैं।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7241/2007

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश धर्मार्थ और लोकोपचारी संगठनों/संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर मुख्यतया बाजार के प्रतिफल के आधार पर किया जाता है, इसके बावजूद, निजी क्षेत्र देश में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

उपर्युक्त के बावजूद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधिदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या ध्यान दिए जाने वाले 7 क्षेत्रों में से एक है स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को सकल घरेलू उत्पादन के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर आगामी पांच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 2-3 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है। यह अनेक कार्यनीतियों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है:-

1. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए कारगर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 18 राज्यों, जिनमें 8 अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्य (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, तथा राजस्थान), 8 पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं, पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में अप्रैल, 2005 से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेषतौर पर जनसंख्या के गरीब तथा संवेदनशील वर्गों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्यनीति के अधीन ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के मौजूदा परिदृश्य में कमियों को ग्रामीण स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ए एन एम की मदद करने के लिए प्रत्यायित सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) नामक सामुदायिक स्तर के पदाधिकारियों का एक संवर्ग बनाकर दूर किया जाना है ताकि बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को देश के ग्रामीण लोगों तक पहुंचाया जा सके।

2. **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के जरिए तृतीयक परिचर्या:** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मार्च, 2006 में सामान्य तौर पर देश में तृतीयक स्तर की वहनीय/विश्वसनीय स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में में असंतुलन को ठीक करने तथा अल्पसेवित राज्यों में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी

करने के उद्देश्य से अनुमोदित किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:-

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी 6 संस्थाएं स्थापित करना जिसमें बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), उड़ीसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), छत्तीसगढ़ (रायपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) राज्यों में एक-एक संस्था खोली जाएगी जिसकी अनुमानित लागत प्रति संस्था 332 करोड़ रुपए होगी। प्रत्येक संस्था में 39 विशिष्टता/अति विशिष्टता विषयों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए एक-एक 850 पलंगों वाला अस्पताल होगा। मेडिकल कालेज में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर/डाक्टरल पाठ्यक्रम आयोजित करने की सुविधाओं के अलावा 100 स्नातकपूर्व छात्रों को प्रवेश देने की क्षमता होगी।

(2) प्रति संस्था 120 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 13 मौजूदा चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन करना जिसमें से 100 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा शेष 20 करोड़ रुपए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे।

3. **राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता:-** मेरा मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि नामक स्कीम भी चला रहा है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रमुख जीवन घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह सरकारी अस्पतालों में समुचित उपचार करवा सकें। केन्द्रीय सरकार ऐसी ही राज्य स्तरीय रुग्णता निधियां स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायतानुदान भी प्रदान करती है और कुछेक राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने ऐसी निधियां स्थापित कर ली हैं तथा संबंधित राज्य सरकार के अस्पतालों में उपचार करवाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

4. **वैक्सीन और मेडी-पार्क:** स्वास्थ्य परिचर्या उपकरणों/युक्तियों के निर्माण के लिए मेडी-पार्क स्थापित करने हेतु हाल ही में निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारे कार्यक्रम को चलाने के लिए इस समय आवश्यक वैक्सीनों के उत्पादन के लिए मेडी-पार्क के समीप एक वैक्सीन पार्क भी स्थापित किया जाएगा। इसमें कई वैक्सीनें भी शामिल होंगी जो इस समय ऊंची लागत पर अन्य देशों से आयात की जा रही हैं। ये सुविधाएं चेंगलपेट में उपलब्ध लगभग 200 एकड़ भूमि में स्थापित की जाएंगी।

आशा है कि वैक्सीन पार्क में इन वैक्सीनों और मेडी-पार्क में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की लागत इन वैक्सीनों और उपकरणों/युक्तियों को आयात करने में आने वाली मौजूदा लागत से काफी कम होगी। इनसे स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करने की दिशा में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।

जहां तक प्राइवेट नर्सिंग होम को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता का संबंध है, केन्द्रीय सरकार ने पहले ही नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक 2007 लोक सभा में दिनांक 30.8.2007 को पुरःस्थापित किया है। इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बारे में इस विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति इस विधेयक पर विचार कर रही है और इस कानून के बनने के बाद यह चार राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। आशा की जाती है कि इस विधेयक के अधिनियमित होने के बाद सभी राज्य इसे अपनाएंगे। कुछ राज्यों के विनियामक नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए पहले से ही अपने कानून हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से अपनी बात आरंभ करूं।

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसी सभा में और इसी विषय पर।

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा में एक वक्तव्य दिया है। मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उस वक्तव्य को पढ़ा है। यह भली-भांति लिखा तथा प्रारूपित किया गया है। परन्तु भले ही उन्हें यह पसंद हो या न हो वे कोई भी विशेषण चुन सकते हैं। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि यह वक्तव्य तो किसी स्कूल जाने वाले विद्यार्थी का निबंध है या फिर बिना सिर-पैर का वक्तव्य। वे जो भी नाम इसे देना चाहें, मैं तैयार हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप विद्यार्थियों का अपमान क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त. महोदय, मैं इसे समझ नहीं पाया ...*(व्यवधान)* यह अभियोग पत्र कैसा है ...*(व्यवधान)* मैं आपके वक्तव्य को स्वीकार करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपने इनके वक्तव्य की तुलना किसी स्कूल के विद्यार्थी से क्यों की?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं इसकी गहराई में नहीं जाता। मैं अपने विषय पर आता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने अभी वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः परन्तु इस वक्तव्य के लिए हम निरर्थक वक्तव्य शब्द का प्रयोग तो कर ही सकते हैं।

मैं दो विषयों पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या मंत्री महोदय को देश की गरीबी, लोगों की क्षमता, उपचार कराने के लिए उनके पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत वास्तविक आवंटन किया गया है? अथवा क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वे जिस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदे का उल्लंघन किया है? आखिरकार वे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें देश के स्वास्थ्य की जानकारी होनी चाहिए।

देश में गरीबी की स्थिति के बारे में बताने के लिए मैं सरकार की रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूंगा। यह वाम दलों अथवा भा.ज.पा. अथवा किसी अन्य पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में निम्नवत उल्लिखित हैं:-

"6.4 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 8.9 रुपए खर्च करते हैं, 15.4 प्रतिशत लोग प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 11.6 रुपए खर्च करते हैं, 19 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 14.6 रुपए खर्च करते हैं और 33 प्रतिशत लोग 20 रुपए से कम खर्च करते हैं।"

यह श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के संबंध में गठित समिति का कथन है।

देश का स्वास्थ्य कैसा है? प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग में गिरावट आयी है ...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल): बंगाल में गरीबी की क्या स्थिति है? ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय क्या यही तरीका है? ...*(व्यवधान)* उन्हें ही बोलने दीजिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री अधीर चौधरी जी कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कीजिए। पहले ही सदन में काफी शोर-गुल हो चुका है। और शोर-गुल न करें।

श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या सभा के सदस्यों के पास भारत के बारे में सुनने का भी धैर्य नहीं है? यह भारत की संसद है, यह पश्चिम बंगाल की विधानसभा नहीं है।

फिर भी, प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग 64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिवस की दर से गिरा है। तथा केलोरी के संबंध में यह 250 केलोरी है। पूर्ण व सापेक्ष संख्या में पोषण की कमी हुई है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह भारत के स्वास्थ्य की स्थिति है।

विश्व के 50 प्रतिशत क्षुधा त्रस्त लोग भारत में हैं पांच वर्ष से नीचे 50 प्रतिशत भारतीय बच्चे कुपोषण तथा अल्प पोषण के शिकार हैं, तथा 12 मिलियन लोग ...*

अध्यक्ष महोदयः जी नहीं, कृपया ऐसी टिप्पणियां न करें। इसका लोप किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, यह असंसदीय शब्द नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं, यह आवश्यक नहीं है। मंत्री महोदय को अपना कार्य करना है, और आप अपना कार्य कर रहे हैं। कृपया मूल विषय पर आइये।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, वे एक अच्छे मंत्री हैं, परन्तु वे सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मंत्री महोदय, मैं आपकी असहिष्णुता के लिए आपका सम्मान करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यहां व्यक्तिगत टिप्पणियां न करें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुरुदास दासगुप्तः कुपोषण से प्रत्येक वर्ष 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है, 118 मिलियन लोगों के घर पर पेयजल की सुविधा नहीं है और देश में डायरिया से लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह इस देश के जन स्वास्थ्य की स्थिति है।

जन स्वास्थ्य पर सरकार कितना व्यय कर रही है? यूपीए ने चुनाव पूर्व एक वायदा किया था कि वे सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3 प्रतिशत स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे। यह इस सरकार की प्रतिबद्धता थी। ...*(व्यवधान)* मैं यही चाहता हूं कि प्रो. मल्होत्रा मेरी बात सुनें चूंकि यह चुनावों में उनके लिए फायदेमंद होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) ने सकल घरेलू उत्पाद का 7.5 प्रतिशत जन स्वास्थ्य पर खर्च करने का सुझाव दिया था। यह सरकार कितना व्यय कर रही है? मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रति असहिष्णु क्यों न हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, एक क्षण रुकिए। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक लागत से उत्पन्न स्थिति तथा निजी नर्सिंग होम को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मैं इस विषय पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः कृपया इस विषय पर आइये।

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 1.38 प्रतिशत जन स्वास्थ्य पर व्यय कर रही है। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? ...*(व्यवधान)*

क्या यह देश की स्वास्थ्य स्थिति के सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई वचनबद्धता के अनुरूप है। निजीकरण का यही कारण है।

हम निजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? निजीकरण के संबंध में भारत विश्व में छठे स्थान पर है। देश कितना गरीब है, तथा भारत में स्वास्थ्य के निजीकरण का स्तर कितना अधिक है। इसलिए सरकार ने स्थिर गरीबी की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य एवं बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर व्यय बढ़ाने से इंकार कर दिया है।

मैं और आंकड़े देना चाहता हूं कि किस प्रकार स्वास्थ्य का स्तर गिर रहा है। यदि हम 2001 की जनगणना और अवसंरचना के 2004 के आंकड़े के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की संख्या का परिकलन करें तो इनकी संख्या में कमी आई है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत का क्या कारण हैं? मैं केवल इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों की यह स्थिति है कि वहां कोई चिकित्सक नहीं है; यदि चिकित्सक हैं, तो दवाइयां नहीं हैं, यदि जहां, चिकित्सक व दवाइयां हैं तो वहां बिस्तर नहीं हैं; यदि बिस्तर है तो एक बिस्तर को तीन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह स्वास्थ्य मंत्रालय पर चर्चा नहीं है। आपका विशिष्ट मुद्दा यह है कि निजी नर्सिंग होम को किस प्रकार विनियमित किया जाए।

डा. अंबुमणि रामदासः कल, मैंने कहा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदयः जी हां, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः यह स्थिति है। देश में जन स्वास्थ्य प्रगति लगभग चरमारा गई है। दूसरे, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम तिगुना हो गया है। सि पृष्ठभूमि में, देश में निजी नर्सिंग होम की बहुतायत हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? अधिकांश राज्य सरकारें निजी नर्सिंग होम/अस्पतालों के निर्माण के लिए रियायती दरों पर भूमि प्रदान करती है, तथा शर्त यह होती है कि उन्हें रियायती दरों पर गरीब मरीजों का इलाज करना पड़ेगा। यह पूर्व-शर्त है। श्री मुरली देवरा जी मैं जानता हूं कि मुंबई में भी ऐसा होता है तथा आपके जैसे गरीब लोगों को रियायती दर पर उपचार उपलब्ध होना चाहिए, मैं जानता हूं। मुद्दा यह है कि सरकार रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराती है। वे रियायती दरों पर भूमि लेते हैं, वे बैंकों से पैसा लेते हैं, तथा इस प्रकार नर्सिंग होम/अस्पतालों को स्थापना होती है।

वे किस प्रकार राशि प्रभारित करते हैं? दो प्रकार की राशि प्रमाणित की जाती है। यदि आपका बीमा है, वे अधिक लागत प्रभारित करते हैं: यदि आपका बीमा नहीं है तो वे आपसे कम दर पर राशि प्रभारित करेंगे। वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। हाल ही में, एक मृतक की शव परीक्षा की गई तथा उसके रिश्तेदारों से पैसे की मांग की गई। कितनी लज्जापूर्ण बात है। तकरीबन रोजाना, निजी नर्सिंग होम द्वारा शव उनके परिजनों को नहीं सौंपे जाते। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो शव को रिश्तेदारों को नहीं सौंपते हैं। दुर्घटना के पश्चात यदि आपातकालीन चिकित्सा के लिए मरीज निजी नर्सिंग होम में जाता है, पहली चीज जो पूछते हैं कि

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

पैसा कहां है? पैसा कौन देगा? पहले नाम बताइए। अतः उन्हें दाखिल नहीं किया जाता है। देश में जन स्वास्थ्य प्रणाली के असफल होने तथा सरकार की असफलता के कारण यह भारत में तेजी से स्थापित हो रहे निजी नर्सिंग होम द्वारा निर्दयी व निर्मम शोषण है।

अध्यक्ष महोदय: स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह एक समवर्ती विषय भी है। देश में निजी नर्सिंग होम तेजी से क्यों स्थापित हो रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है चूंकि स्वास्थ्य प्रणाली में कमी आ रही है तथा सरकार ने बजट में जन स्वास्थ्य के लिए बहुत कम राशि आवंटित की है। मेरा ऐसा मानना है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने प्रश्न पर आइये।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं केवल मूल्य वृद्धि का ब्यौरा दे रहा हूं। महोदय, कृपया विचलित न हों। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मैं जो सूची दे रहा हूं उस पर विचलित न हों। अनियंत्रित दवाओं की राशि दस गुना बढ़ गई है। मंत्री महोदय के विवरण में इसका जिक्र नहीं है। दस गुना। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं: टोमेन टेबलेट, में मूल्य वृद्धि 321 प्रतिशत थी, पैरासिन टेबलेट की मूल्य वृद्धि 218 प्रतिशत , रोजालेन कैपसूल की मूल्य वृद्धि 64 प्रतिशत; वेवरान टेबलेट में मूल्य वृद्धि 148 प्रतिशत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय यह अनुवीक्षण कर रहा है। मैं जानता हूं, वे अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के मामले में अधिक व्यस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा करना ठीक नहीं है। दोषारोपण न करें। ऐसा क्यों किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) उनके अंतर्गत नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: माननीय मंत्री कह रहे हैं कि एम्स स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है यह कैसी अनभिज्ञता है?

अध्यक्ष महोदय: आप भलीभांति जानते हैं कि दवाओं के मूल्य रसायन और उर्वरक मंत्रालय देखता है। आपको उनसे पूछना चाहिए था।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, बात यह नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी देख-रेख करने का नैतिक अधिकार है। यह मूल्य से संबंधित मामला है। महोदय, दूसरे स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है, जो उनके अधीन है। अब मैं भारत सरकार के आंकड़ों पर आता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: शिशु मृत्यु दर में बांग्लादेश के बाद और पाकिस्तान के नीचे भारत का 56वां स्थान है।

अध्यक्ष महोदय: इस पर अकेले सरकार को नहीं बल्कि पूरे देश को विचार करना है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: रोग प्रतिरक्षण के कवरेज के मामले में बांग्लादेश हमसे आगे है और हम पाकिस्तान से नीचे हैं। स्वास्थ्य के संबंध में ऐसी स्थिति है। *...(व्यवधान)* आप इसे देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुद्दे से हटकर बात न करें। अपनी बात पूरी करने के लिए आपके पास केवल एक मिनट का ही समय बचा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक अत्यंत असहनीय हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): जी हां, यदि आप दस वर्ष पुरानी सूचना का हवाला दे रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह वर्ष 2007 के 'इकॉनोमिक टाइम्स' से ली गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना प्रश्न मंत्री जी से पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: यदि आप पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य और गरीबी पर दृष्टिपात करें तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त के प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री चौधरी जी कृपया सहयोग करें।

*...(व्यवधान)**

श्री गुरुदास दासगुप्त: श्री चौधरी जी के दिलो-दिमाग पर बंगाल ही छाया रहता है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: स्वास्थ्य केवल केन्द्र से संबंधित विषय नहीं है। यह एक समवर्ती विषय है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा करना बहुत अनुचित है, श्री चौधरी जी।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

न कोई नियम है, न कोई व्यवस्था है, न कोई प्रक्रिया है और न ही कोई अनुशासन है। अध्यक्षपीठ और इस सभा के प्रति और उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपको यहां भेजा है, कोई आदर नहीं है। हम यहां इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमें लोगों ने चुना है। मुझे उम्मीद है कि वे हमें देखेंगे और अगले चुनाव में फैसला करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हम सब के बारे में भी *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, यह कहने से वोटर को भी लगता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हम तो यह चाहते हैं, इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसका असर होना चाहिए, इसीलिए तो टीवी चैनल है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः महोदय, इससे तो सभी लोगों के लिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः टीवी चैनल से पता लगता है कि आप यहां क्या करते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः बहुत हो गया, श्री दासगुप्त जी अब अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत हैं कि निम्न स्तरीय और अत्याधिक महंगे नर्सिंग होमों की संख्या में कुकुरमुत्तों की तरह वृद्धि हो रही है, जो मरीजों का खून चूस रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इलाज के स्तर में गिरावट आ रही है। यदि वे इस बात से सहमत हैं, तो क्या वे इस संबंध में एक विधेयक लाने और उसे यथाशीघ्र पारित करने सहित कड़े उपायों पर बात करने को तैयार हैं। क्या माननीय मंत्री जी उस कानून के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए सहमत होंगे, जो वे लाना चाहते हैं। मैंने जो गंभीर शिकायतें की हैं, उनके मद्देनजर, क्या मंत्री जी बंगाल सहित पूरे देश में निजी अस्पतालों की दशा और उनके कार्यकरण की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने के लिए सहमत हैं?

श्री अधीर चौधरीः आप आपना इलाज सदैव निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों में कराते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः अनभिज्ञता सद्गुण है।

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें। अब केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदासः माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे उत्तर देने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। श्री गुरुदास दासगुप्त जो इस सभा के अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, ने यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि सरकार निजी क्षेत्र की अत्यंत महंगी स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाओं को किस प्रकार विनियमित करना चाहती है उन्हें मुझे इस बारे में कुछ और अधिक बताना चाहिए था कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। सरकार की तरफ से किस प्रकार की कमी है, इसके बारे में उन्होंने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया और आंकड़े दिए हैं।

महोदय, मुझे यह व्यवस्था केवल साढ़े तीन वर्ष पहले मिली थी। स्वास्थ्य एक सामाजिक क्षेत्र है, न कि आर्थिक क्षेत्र। मेरा मंत्रालय एक सामाजिक मंत्रालय है। आज देश में शिशु मृत्यु दर जीवित पैदा हुए प्रति हजार बच्चों पर 58 है। इस संख्या को 58 से 57 करने के लिए दस से बीस लाख लोग इस समय कार्य कर रहे हैं। यह क्षेत्र इस प्रकार कार्य कर रहा है। कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके और प्राथमिकताएं बदलकर मैं रातभर में इस में बदलाव नहीं ला सकता। साढ़े तीन वर्ष पहले जब संप्रग सरकार सत्ता में आई तब से हमने इसे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की है, *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): किसी को भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है जो अग्रिम रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त करने के लिख चुका है उसे प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदयः मैं ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं नेताओं की बैठक में ही यह घोषणा कर चुका हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इस संबंध में नियम भी हैं। उसका अनुप्रयोग नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य नहीं हूं। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: नियम तो है।

अध्यक्ष महोदय: पहले नियम को पढ़िए।

डा. अंबुमणि रामदास: जब साढ़े तीन वर्ष पूर्व हमारी सरकार ने सत्ता संभाली, तब साझा न्यूनतम कार्यक्रम में हमने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हम, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करेंगे। हमारे सत्ता संभालने के समय यह न्यूनतम 0.9 प्रतिशत था, जिसमें आगामी पांच वर्षों में कम से कम दो से तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। भारत सरकार की वचनबद्धता के रूप में हम इसे पूरा कर रहे हैं। साढ़े तीन वर्ष पूर्व जब मैंने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला तब मेरे मंत्रालय का बजट लगभग 6,400 या 6,500 करोड़ रुपए था। तीन वर्षों में प्रधान मंत्री ने इसे 6,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 15,800 करोड़ कर दिया है। स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें, यह सही नहीं है। क्या हो रहा है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है लोक व्यय मात्र केन्द्र सरकार से संबंधित नहीं है। इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं। इसमें केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का व्यय शामिल है। 1990 के दशक में राज्य सरकार का बजट से स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय 7.5 प्रतिशत है। 2000 के आरंभ में यह कम हो कर 5.5 प्रतिशत हो गया था। वर्तमान में कुछ राज्यों में यह कुल बजट का लगभग 2.5 प्रतिशत है। हम योजना आयोग तथा सभी स्रोतों के माध्यम से राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय के अपने अंशदान में वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं इसके अतिरिक्त 'स्वास्थ्य' राज्यों का विषय है तथा उन्हें व्यय में वृद्धि करनी ही होगी। हम अपनी तरफ से इसमें वृद्धि कर रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। श्री गुरुदास दासगुप्त जी मुझे पता नहीं कि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की है या नहीं। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार केन्द्रीय स्रोतों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से काफी व्यय कर रही है। न केवल पश्चिम बंगाल परन्तु सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा सभी उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला मुख्यालयों, अस्पतालों जिनके बारे में मैंने कल बताया था जहां लगभग प्रत्येक जिलों में 'चल' मेडिकल इकाइयां स्थापित की जाएंगी, के उत्थान और उन्नयन हेतु सैकड़ों हजारों करोड़ रुपये प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य देख-भाल कार्यों में बहुत वृद्धि हुई है। कल मैंने बताया था कि आगामी दो वर्षों से तीन वर्षों में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर से अलावा कार्यवही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलत नहीं किया जाएगा, कृपया ऐसा न करें।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: सभी सर्वेक्षण कर लिए गए हैं। श्री दासगुप्त द्वारा उल्लेख किए गए सर्वेक्षण को तीन वर्ष पूर्व पूर्ण कर लिया गया था। कुछ सर्वेक्षण 2001 और 2005 के बीच किए गए थे। इन वर्षों में इन सर्वेक्षणों के किए जाने के परिणामस्वरूप ही हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया था। इसकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारी सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हमारे टीकाकरण अभियान और भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूति केन्द्रों में प्रसव कराने में वृद्धि के प्रयासों की सराहना कर रही हैं।

वर्ष 2005-2006 के दौरान जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूति केन्द्रों में प्रसव के मामलों में वृद्धि हुई है। हमने लगभग 6 लाख प्रसव किए हैं। मात्र एक वर्ष में इस योजना के तहत प्रसवों की संख्या 6 लाख से बढ़ कर लगभग 28 लाख हो गई है। मैं जच्चा मृत्यु दर में हो रही कमी का एक कारण बता रहा हूं।

यह सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है। मैं इन सभी समस्याओं को एक प्रयास में ही दूर नहीं कर सकता हूं। संसद में अंतिम सत्र में मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था- नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम। हमने इसे पुर:स्थापित किया है और अब इस समय यह स्थायी समिति में है। सभी निजी और सरकारी क्लीनिकों का पंजीकरण करके उन्हें विनियमित किया जाएगा। केवल क्लिनिकों को ही नहीं बल्कि देश की नैदानिक सुविधाओं को विनियमित किया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन्हें भारतीय जन मानक दिए जाएंगे तथा दो या तीन वर्षों के भीतर उन्हें इन सभी मानकों को पूरा करना होगा। चाहे वह एक बिस्तर वाला अस्पताल हो या 5000 बिस्तरों वाला अस्पताल हो अथवा सरकारी या निजी अस्पताल हो, इन अस्पतालों में यथोचित सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इसके बाद हम सुविधाओं के अनुसार उनका प्रत्ययन करेंगे। यह गुणवत्ता में बेहतरी और मानकों में सुधार हेतु किए जाने वाले कार्यों में से कुछ कार्य हैं।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी है। इसके तहत संस्थाओं का उन्नयन कर इन्हें 'एम्स' जैसा बनाया जाएगा। हम इस पर भी कार्य कर रहे हैं। इस दिसम्बर में कार्य आरंभ हो जाएगा। इन क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य हो रहा है।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान समस्या यह है कि विश्व भर में हमारे उपचार की लागत लगभग सबसे कम है। परन्तु हम समाज के कमजोर वर्गों-आम आदमी संबंधी उपचार लागत को कम करना चाहेंगे। लगभग 90 प्रतिशत नैदानिक उपस्कर और उपकरण आयातित हैं। यही हमारी समस्या है। मेडिकल पार्क्स और वैक्सीन पार्क्स स्थापित किए जाने के यही कारण हैं। प्रायोगिक तौर पर हमने प्रथम पार्क चालू कर दिया है। मेडिकल उपस्करों, नैदानिक तथा यहां विनिर्मित अन्य उपस्करों संबंधी मुख्य शर्त यह है कि विनिर्मित 80 प्रतिशत उपस्कर भारत में ही उपयोग किए जाएंगे जिससे कि मूल्य और कम होंगे और रोगियों को लाभ होगा।

हम इस बात के प्रति सजग हैं कि निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ है। दुर्भाग्यवश जब मैं मंत्री बना तो लगभग 80 प्रतिशत व्यवस्था निजी क्षेत्र की थी और 20 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र की थी। मैं इसमें रातों-रात परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा ऐसे ही अन्य कार्यों के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी, वृद्धि और विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा के संबंध में हमारे प्रधानमंत्री को तीन योजनाओं की जानकारी दी गई है। हम निश्चय ही स्वास्थ्य बीमा आरंभ करेंगे। श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि विभिन्न विभाग इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में ला रहे हैं। सभी संबद्ध योजनाओं में नयापन लाने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु पूर्व में स्वास्थ्य बीमा योजना अधिक सफल नहीं रहीं थीं। इसीलिए हम नकदी रहित लेन-देन हेतु प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्रतिपूर्ति और अन्य प्रकार की कोई समस्या न रहे। मुझे विश्वास है कि इन सभी प्रयासों के बाद योजना सफल होगी।

जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है मैं चाहे वह सी.आई.आई., या 'एसोचेम' 'फिक्की' या किसी भी अन्य संस्था की बैठक हो सभी में मैं उन्हें कहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य सभा में व्यवधान न डालें। कृपया अपनी बात जारी रखें। यह क्या हो रहा है?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, किसी भी सार्वजनिक मंच या किसी भी अन्य मंच या सम्मेलन में ये उन्हें कहता हूं कि सरकार को तथ्य की जानकारी है तथा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा रोगियों हेतु हम इसे निजी क्षेत्र में बढ़ाएंगे। हम सोच-समझकर ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलिति न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको दिलचस्पी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप वरिष्ठ हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी लेक्चर दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: यह लेक्चर नहीं है। हम ये सब कार्य कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है मैं यह चर्चा समाप्त करता हूं। मैं चर्चा समाप्त कर दूंगा यदि आप उन्हें टोकेंगे। यदि आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं उन्हें बैठने को कह दूंगा।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदास: मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था। मैं नैदानिक प्रतिष्ठान विधेयक लाया था। मैं उन्हे बता रहा था।

महोदय वे जानना चाहते थे कि सरकार क्या कर रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विधेयक स्थायी समिति के समक्ष है। स्थायी समिति सिफारिशें कर सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल मत कीजिए।

*...(व्यवधान)**

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, इन्होंने मुझसे पूछा था कि सरकार क्या कर रही है और मैं इन्हें यह बताने का प्रयास कर रहा था कि सरकार क्या कर रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, आप उन्हें और नहीं सुनना चाहते। या तो आप उनकी बात सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। सभा का समय व्यर्थ में नष्ट क्यों किया जाए?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदासः औषधियों के मूल्यों के संबंध में भी सरकार कार्यवाही कर रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप मंत्री जी से मनचाहा उत्तर चाहते हैं।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदासः यदि ऐसी बात है, तो मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः ठीक है कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल न करें।

...(व्यवधान)

डा. अंबुमणि रामदासः महोदय, मेरे साथी श्री पासवान माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री, इस तथ्य के प्रति बहुत सजग हैं कि दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि न हो, और इसके बाद इससे संबंधित बहुत सी नीतियां हैं। इनके बारे में राष्ट्रीय भेषज नीति है जहां हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और एक मंत्री समूह भी इस पर विचार कर रहा है। ये सब गतिविधियां चल रही हैं और हम निश्चित रुप से इस तथ्य के प्रति सजग हैं। सम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं जिससे कि आम लोग, विशेषकर गरीब लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, इससे प्रभावित न हों। अतः हमने इस वर्ग के लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कार्यक्रमों की ये श्रृंखलाएं बनाई हैं।

अध्यक्ष महोदयः अब, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर आते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्रीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री चंद्रपाल सिंह यादव, 'महत्वपूर्ण मामलों' के संबंध में।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः फिर, ठीक है, मैं सभा स्थगित कर दूंगा मैंने अभी शुरू ही किया है। आप में प्रतीक्षा करने का सब्र नहीं है। मुझ पर आदेश चलाने की कोशिश मत कीजिए, अब तक आप इसे महसूस कर रहे होंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, हम कभी नहीं उठते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप अभी क्यों उठे?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप अब क्यों उठ रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका नाम नहीं पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः आप अननेससरली कमेंट दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री यादव यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

हम आपको भी बोलने के लिए बुलाएंगे।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः अब, श्री चन्द्रपाल सिंह। उन्हें एक महत्वपूर्ण मामला उठाना है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मोहन सिंहजी, आप यहां आ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया यहां आइये। मैं यहां नहीं बैठना चाहता। आप जो चाहते हैं वह निर्णय लीजिए।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ हैं क्षेत्र है। वहां आज भी गरीबी, भुखमरी और लाचारी है। वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पिछले तीन बरस से लगातार वहां सूखे के कारण पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। कुओं में, हैंडपंप्स में और तालाबों में पानी नहीं है। बांधों में जो पानी आता था, अधिकारियों की लापरवाही के कारण वहां भी पानी नहीं है। लोग दस-दस किलोमीटर दूर बैलगाड़ी से जाकर पानी लाते हैं। इन परिस्थितियों में लोगों का जीना दूभर हो गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पिछले तीन बरस से वर्षा न होने के कारण जो किसान खेती करते हैं, उनके खेतों में एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है और वे लोग सिर्फ खेती पर ही आधारित हैं। इस कारण लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड की 90 प्रतिशत भूमि सूखी पड़ी है, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। वहां के 100-100 बीघा खेत वाले काश्तकार भी दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में जाकर रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरने को मजबूर हो गए हैं। इस हालत में वहां के किसानों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कर्ज का बोझ भी उन पर दिन-प्रतिदिनि बढ़ता जा रहा है। इसलिए दुख व परेशानी के हालत में वे इस रास्ते पर जा रहे हैं। मैं समझता हूं वहां प्रतिदिन चार-पांच मौतें निश्चितरूप से हो जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, जिस कारण लोगों की मृत्यु की खबर सामने नहीं आ पाती। मैं केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जिन किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, उनके कर्ज को माफ किया जाए। हमने पिछले सत्र के दौरान प्रधानमंत्री जी से दो बार मिलकर इस बात का निवेदन किया था कि उस क्षेत्र में सूखे से फैली भुखमरी पर वह गौर करें। मैं समझता हूं केन्द्र सरकार ने इस मामले पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिससे वहां के किसान भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और मजबूरी में आत्महत्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो एरिया है, उसके साथ-साथ इलाहाबाद के मेजा, करछना और चित्रकूट जनपद में लोग भयंकर सूखे से पीड़ित होकर उसकी चपेट में आ गए हैं। इसलिए सरकार संवेदनशीलता दिखाए और बुंदेलखंड का इलाका, जो मध्य प्रदेश में भी आता है, उसमें सूखे से जूझ रहे लोगों के लिए राहत देने का काम करे, क्योंकि वहां के लोग भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मैं इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह घोषणा करे कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और वहां के लोगों को राहत दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तुरंत विशेष पैकेज बुंदेलखंड को उपलब्ध कराकर वहां ठप पड़े विकास के कार्यों को पुनः प्रारम्भ कराए। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उन्हें रोटी और पीने का पानी मिल सके, इसके लिए केन्द्र सरकार तुरंत ठोस कार्य करे। इसलिए वहां तुरंत युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कराया जाए और सरकार सदन में आश्वासन दे, जिससे हम अपने क्षेत्र के लोगों को उसकी जानकारी दे सकें।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय मैं भी अपने को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): मैं भी अपनो को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं। मंत्री महोदय को सदन को जानकारी देनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप जानबूझकर समस्या पैदा कर रहे हैं। मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादवः वहां लोग भूख से मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं होने की वजह से लोगों की जान जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने यह कहा है। मैंने आपको एक अवसर दिया और आपने एक बहुत सशक्त प्रस्तुति दी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव: हमें लोगों को सरकार द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया कि वहां कब राहत कार्य शुरू होंगे ...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, मैं भी अपने को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि जब मैं कोई मामला उठाने की अनुमति देता हूं तो वह एक महत्वपूर्ण मामला होता है और यह आशा की जाती है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

यहां ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि कोई भी माननीय सदस्य कोई मामला उठाए और मंत्री जी तत्काल उसका उत्तर देने लगें।

[हिन्दी]

आप लोग जानते हैं नए मैम्बर्स नहीं जानते। आप लोग बैठ जाइए। कृपया समस्या मत पैदा कीजिए। आपको मैंने अलाऊ किया है। यह नया तरीका चल रहा है कि जो मन में आता है करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि अब तक सरकार, वित्त मंत्री जी और सभी लोग लोग हमारे राज्य के बारे में जान चुके हैं। मैडम सोनिया जी भी बैठी हुई हैं। हमारे यहां वर्ष 2005 के बाद जो फ्लड और नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, तो राज्य सरकार ने बहुत बड़े पैकेज की केन्द्र सरकार से मांग की थी। अब वर्ष 2007 भी खत्म होने जा रहा है लेकिन वह मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जब अपने क्षेत्र का दौरा करता हूं तो देखता हूं कि वहां ब्रिजेज नहीं हैं, पुल नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में बहुत सी जगहों पर मैं भी नहीं पहुंच पाता हूं। केंद्रीय मंत्री तो वहां हेलीकॉप्टर से जाते हैं, इसलिए पुल या रास्ते से जाने की जरूरत नहीं होती है और आपने यह सब देखा नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से तो आपने जरूर जाना होगा। अगस्त महीने में केन्द्रीय सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को बुलाया गया था और एक प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया। इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी में वहां की राज्य सरकार ने प्रजेंटेशन दिया और उन्होंने माना है कि वहां जितना डैमेज हुआ है, उसके रिहैबिलिटेशन और कंट्रक्शन के लिए पैसा देना चाहिए और यह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने माना है। साथ ही प्लानिंग कमीशन ने भी इस चीज को माना है कि यह एक गंभीर समस्या है और तत्काल रैस्टोरेशन के लिए फंड देना चाहिए। नेशनल डिजास्टर अॅथारिटी ने भी माना है कि यह पैसा देना चाहिए। इसलिए जब सभी अथारिटी मान रही हैं तो किस चीज की वजह से यह रुका हुआ है? आपके जो गृह मंत्री हैं शायद वे हमारे प्रदेश से नाराज हैं। मुझे यह खबर मिली है कि मैडम सोनिया गांधी जी ने भी पैसा देने के लिए, इन प्रिंसीपल एग्री किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी देना है, ऐसा माना है, फिर माननीय गृह मंत्री जी पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं और फाइल क्यों रोक रखी है, जिसकी वजह से हमारे यहां के लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। संक्षेप में, मैं यह डिमांड करना चाहूंगा कि यहां सारे मंत्री बैठे हुए हैं, माननीया सोनिया जी बैठी हुई हैं, तत्काल होम-मिनिस्टर साहब को यह कहें कि हमारा जो स्यूज डिमांड गवर्नमेंट के पास पेडिंग है उसे जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी। प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष पीठ पर हावी होने का प्रयत्न करता है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सर, मैं बहुत ही अनुशासित सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय: अनुशासित तो आप ही बोल रहे हैं, हम बोलेंगे तब अनुशासित होंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अनुशासित सदस्य को भी सर, जो अनुशासित नहीं हैं, उनका झटका लग जाता है। यह तकलीफ की बात हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय: अनुशासन बहुत कड़वी चीज है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसके अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत राष्ट्रीय महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया के सामने और देश में गुजरात का जो सच है, वह आपरेशन कलंक के जरिए सामने आया है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): आप यह क्या बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः ऐसा मैंने क्या कह दिया, वह तो पूरी मीडिया द्वारा सामने आया है। पूरी दुनिया के सामने आया है। *...(व्यवधान)* मैं तो एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शब्द भी असंसदीय नहीं कहा है, एक भी असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये सच को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, यह क्या कह रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कल जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप ऐसा मत कीजिए, तब आपको याद नहीं था। जब दूसरे लोग बोलते हैं, तभी आपको याद आता है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः बीएसपी के नेता के जरिए जो बयान कैमरे में आया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो बयान आया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, जो बयान आया है उसने संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ने का काम किया है। हम सब लोगों को संविधान को अक्षुण्ण रखने का अधिकार है। संवैधानिक पीठ पर बैठ कर, आसन पर बैठ कर, कांस्टीट्यूशनल सीट पर बैठ कर मास किलिंग प्लान की जाएगी, ऐसा करने की संविधान में छूट नहीं है। मास किलिंग करने का, स्टेट स्पोंसर्ड दंगे कराने का किसी को संविधान अधिकार नहीं देता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री रामजीलाल सुमन अपने आप को इससे संबद्ध कर रहे हैं।

प्रो. महादेव शिवनकर।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः पुनः इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देश में दिल दहला देने का काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि मास मर्डर प्लान करने वाले लोगों पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाए। देश में शांति को बहाल किया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः खास कम्यूनिटी के तीन हजार लोगों का नरसंहार हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कृपया मुझे बोलने का अवसर दें। मैंने इस विषय पर नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैंने अन्य सदस्य का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, देश में प्राइवेट एवं सरकारी ब्लड बैंकों द्वारा मरीजों को जो खून दिया जा रहा है, उसके कारण हेपेटाइटिस-ए, हेपेटाइटिस-बी, मलेरिया और एड्स आदि रोगियों की संख्या बढ़ रही है। गोंदिया, महाराष्ट्र में

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

40 लोगों को ब्लड बैंक से जो खून दिया गया, वह एचआईवी पाजीटिव आया है। रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाले गरीब लोगों से खून लेकर बड़ी कीमत पर खून बेचने का धंधा चल रहा है। यह एक न्यूज चैनल ने दिखाया है। ब्लड बैंकों में खून जांच करने की व्यवस्था नहीं है और जहां, वहां पुरानी पद्धति, एलाएज एचआईवी से जांच की जाती है। उसके स्थान पर नई तकनीक डीयूपी 24 का उपयोग करना जरूरी है। मेरा निवेदन है कि डीयूपी 24 नई तकनीक का खून की जांच के लिए उपयोग किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने इसी विषय पर नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गुजरात भारत का हिस्सा है और भारत के बीच में है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां कोई भी सुनने वाला नहीं है।

[हिन्दी]

आप अपने को श्री डी.पी. यादव जी द्वारा उठाए विषय से संबद्ध कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. महादेवराव शिवनकर: खून देने से पहले खून की जांच की जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. शिवनकर, आप कृपया एक मिनट रुक जाइए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, 20 फरवरी को जो हुआ उसके खुलासे के लिए मैं तहलका को बधाई देता हूं ...*(व्यवधान)* यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि बिलियन ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा अपराह्न 1.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.50

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 1.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.53 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 1.53 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्रीमती कृष्णा तीरथ** *पीठासीन हुईं*]

कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदया: सभा अब मद संख्या 15 पर चर्चा करेगी।

श्री रूपचंदपाल

श्री रूपचंद्र पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 21 नवम्बर 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 21 नवम्बर 2007 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.54 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक): महोदया, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जीए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय हान्डिक: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 1.55 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा विधेयक, 2007

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा मद संख्या 17 पर चर्चा करेगी। श्री विजय हान्डिक।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय हान्डिक: महोदया: मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.56 बजे

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007* के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदया, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.57 बजे

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न $1.57^1/_2$

बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के बारे में वक्तव्य*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदया, मैं बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-7242/2007

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 दिनांक 22.11.07 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[श्री ऑस्कर फर्नांडीस]

द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 1.58 बजे

नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेपा लिमिटेड के शेयरों का अपविनिधान करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि नेपा लिमिटेड के शेयरों का अपविनिधान करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष मोहन देव: महोदया, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.59 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभा मद संख्या 22 लेगी। डा. सत्यनारायण जटिया।

(एक) केन्द्रीय पूल से मध्य प्रदेश को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): महोदया, देश में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, मांग-पूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए प्रभावी स्वदेशी उपायों-स्रोतों की समयबद्ध कार्यान्वयन कार्य योजना की आवश्यकता है। जिससे विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

मध्य प्रदेश में कृषि एवं उद्योग की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए अविलम्ब आपूर्ति सुनिश्चित करे। धन्यवाद।

सभापति महोदया: श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा- उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.00 बजे

(दो) पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): महोदया, रसोई गैस आज आम आदमी की रसोई गैस से गायब होती नजर आ रही है। सरकारी रेट पर गैस का सिलेंडर मिलना एक सपना सा हो गया है। पंजाब के होशियारपुर जिला की तहसील गढ़शंकर में सिर्फ एक ही गैस एजेंसी है और गांव सैला के लोगों को दस-दस किलोमीटर से सिलैंडर लाना पड़ता है। इसी तरह नूरपुर बेदी, श्री आनन्दपुर साहेब और बलाचौर जो होशियारपुर लोक सभा क्षेत्र के शहर हैं, वहां पर पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस न मिलने के कारण और रसोई गैस की एजेंसियां ग्राहकों के हिसाब से न होने के कारण लोगों को निर्धारित कीमत पर रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वैसे भी ये क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देने की जरुरत है। गैस न मिलने के कारण लोग सड़कों पर जाम लगाते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति यह बिगड़ने का डर रहता है। यहां पर गैस व्यवस्था ठीक की जाए और नई गैस एजेंसियां दी जाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदया, लोगों को गैस नहीं मिल रही है।

सभापति महोदया: ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु आपकी बात रिकार्ड पर जाएगी, यहां रिकार्डिंग हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि- उपस्थित नहीं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल - उपस्थित नहीं।

श्री पी. करुणाकरन।

(तीन) कालीकट (केरल) और खाड़ी देशों के बीच सीधी हवाई उड़ानों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, यद्यपि विदेशों से आने वालों के लिए कालीकट विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है, फिर भी वहां विमानों के उतरने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। जो उड़ानें कालीकट में उतरनी चाहिएं उनको कोयंबतूर भेजा जाता है। इससे खाड़ी देशों में काम करने वाले हजारों केरल वासियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

केरल, विशेषतः, मालाबार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कालीकट पहुंचने के लिए पहले मुंबई की उड़ान लेनी पड़ती है और फिर कोयंबतूर के लिए पारगामी उड़ान लेनी पड़ती है क्योंकि कोई भी सीधी उड़ान (उपलब्ध) नहीं है।

वर्तमान में, इंडियन एयरलाइन्स कालीकट से खाड़ी देशों के लिए कुछ उड़ानें संचालित करती है। किसी भी निजी एयरलाइन को यहां (उड़ान) संचालित करने की अनुमति नहीं है। इससे इस क्षेत्र के यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

इस स्थिति में सुधार के लिए, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को कालीकट से अधिक उड़ानें शुरू करनी चाहिएं। यदि यह संभव न हो तो अन्य निजी एयरलाइनों को कालीकट से उड़ान शुरु करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदयाः श्री सांताश्री चटर्जी-उपस्थित नहीं।

श्री राजनरायन बुधौलिया।

(चार) एक नये राज्य ''बुन्देलखंड'' का गठन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदया, भारत एक विशाल देश है। पूरे देश का तेजी से विकास तभी संभव है जब लोगों की आवश्यकतानुसार बड़े राज्यों की जगह छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण समय रहते कर लिया जाए। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर लोगों की जरूरतों के अनुसार देश में अनेक राज्यों का निर्माण किया है। उन सभी नये राज्यों का विकास तेजी से हुआ है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। बुंदेलखंड की आबादी करोड़ों में है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र में भारी क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त है। रोजी-रोटी की जुगाड़ में वहां के लोग दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब जैसे विकसित क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरे बुंदेलखण्ड में बेकारी और बेरोजगारी से उ.प्र., म.प्र., के लगभग 29 जिलों की पूरी आबादी जूझ रही है। पिछले पांच वर्षों से यहां पानी न बरसने के कारण खेत बंजर हो गए हैं। महंगाई की मार के कारण गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए कई बार केन्द्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई है, किंतु आज तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लोगों में अलग राज्य के गठन की मांग लगभग तीस साल पुरानी है। लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यहां की वन एवं खनिज संपदा का तेजी से पलायन हो रहा है और वह अन्य प्रान्तों में सोना बनकर जगमगा रही हैं। माताटीला और परीक्षा ऐसे बांध हैं जहां पर बिजली तो बनती है लेकिन बुंदेलखण्ड को नहीं दी जाती। यदि बुंदेलखण्ड पृथक राज्य बन जाए तो यहां उत्पादित होने वाली बिजली से पूरे क्षेत्र को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के बाद भी बची हुई बिजली को भारी मात्रा में बेचा जा सकेगा। यहां पर यमुना, बेतवा, धसान, चन्द्रावल, केन, विरमा और नर्मदा आदि प्रमुख नदियां होने का बाद भी लोगों को सिंचाई एवं पीने का शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। पूरा क्षेत्र उद्योग शून्य बनकर रह गया है। तकनीकी एवं उच्च शिक्षा का अभाव है। सड़क रेल एवं हवाई मार्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखण्ड राज्य के निर्माण की घोषणा कर चुकी है। केन्द्र सरकार को भी उसी तत्परता साथ बुंदेलखण्ड राज्य के निर्माण के लिए तुरंत आगे आने की आवश्यकता है।

इसलिए मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर तथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के सभी जिलों को जोड़कर नये बुंदेलखण्ड राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः श्री शैलेन्द्र कुमार- उपस्थित नहीं।

श्री मोहन सिंह।

(पांच) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम की बंद यूनिट को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उर्वरक की समस्या के समाधान के लिए गोरखपुर में उर्वरक उत्पादन का एक बड़ा कारखाना फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था। विगत दस वर्षों से भी

[श्री मोहन सिंह]

अधिक समय से इस कारखाने के बंद हो जाने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद की आपूर्ति एक गंभीर समस्या बन गई है। वर्तमान केन्द्र सरकार ने ऐसी बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार का आश्वासन दिया था। उर्वरक मंत्रालय ने खास तौर पर इस कारखाने को फिर चलाने की घोषणा तक कर दी थी लेकिन अभी तक इस कारखाने के न चलने से पूर्वांचल में उर्वरक के लिए किसान काफी परेशान हैं। कृपया पूर्वांचल में किसानों के लिये उर्वरक की आपूर्ति की कठिनाई को समाप्त कराने और इस कारखाने को शीघ्र चलाने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील-उपस्थित नहीं।

(छह) केरल स्थित येरुमेली को राष्ट्रीय तीर्थ-स्थल घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): सभापति महोदया, केरल के कोट्टायम जिले का एक छोटा कस्बा ऐरुमली विश्वप्रसिद्ध सबरीमाला मन्दिर का प्रवेशद्वार है। यहां देश के सभी भागों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों जैसे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से काफी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री स्वामी अयप्पा की पूजा करने आते हैं और तत्पश्चात सबरीमाला मन्दिर में जाने से पहले मस्जिद में वेवर की यात्रा के लिए जाते हैं। देश भर में शायद यही एकमात्र ऐसा स्थान है, जहां हिन्दू तीर्थयात्री मन्दिर और मस्जिद दोनों में जाते हैं, प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के समय लाखों भक्तगण ऐरुमली होकर सबरीमाला मन्दिर जाते हैं जिससे वहां पेयजल, स्थल आवास, पार्किंग की भारी कमी हो जाती है। वाहनों की भीड़-भाड़ बढ़ जाती है तथा प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। तीर्थयात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने के कारण प्रतिवर्ष यह समस्या बढ़ती जा रही है। यद्यपि स्थानीय प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए कतिपय उपाय किए हैं फिर भी संसाधनों की कमी के कारण, दीर्घावधि के लिए इन समस्याओं का उचित समाधान नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि यदि ऐरुमेली को राष्ट्रीय तीर्थस्थल केन्द्र घोषित किया जाए तो उपरोक्त समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

अत: मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐरुमेली को राष्ट्रीय तीर्थस्थल केन्द्र घोषित किया जाए।

(सात) असम में गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को विशेष केन्द्रीय योजना के अधीन वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदया, यद्यपि शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों, केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान, सर्वशिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से शिक्षा का संवर्धन कर रही है। असम में अनेक निजी संस्थाओं, जिनमें मदरसे भी शामिल हैं, द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता के बिना कुल नामांकित विद्यार्थियों में से आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को निम्न प्राइमरी स्तर से डिग्री स्तर तक की औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। निजी क्षेत्र में अधिकांश ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें चलते हुए 25 वर्ष तक हो गए हैं। ये संस्थाएं संबंधित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है तथा इन्हें असम सरकार से मान्यता प्राप्त है। असम सरकार द्वारा पहले ही नियमित अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों को केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। असम में आधे से अधिक औपचारिक शिक्षा बिना सरकारी सहायता के चल रही है। केन्द्र सरकार ने इन गैर-निजी संस्थाओं को निजी विद्यालयों और निजी महाविद्यालयों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें सहायता प्रदान नहीं की। शिक्षकों के मासिक वेतन के लिए भी इन संस्थाओं को केन्द्रीय शिक्षा उपकर से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत भी शामिल नहीं किया गया। 20 से 25 वर्षों तक सेवा प्रदान करने के पश्चात सरकार से बिना कोई पैसा प्राप्त किए बहुत से शिक्षकों की मृत्यु हो गई और बहुत से सेवा निवृत्त हो गए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गैर-वाणिज्यिक निजी संस्थाओं को एक विशेष केन्द्रीय योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

सभापति महोदया: श्री थुपस्तन छेवांग-उपस्थित नहीं।

अपराह्न 2.10 बजे

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): मैं प्रस्ताव* करता हूं:-

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान,

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, यह इस सदन की कन्वैशन है कि बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे कोई भी बिल कभी भी यहां पास नहीं हुआ है। परन्तु यह पहला बिल है जिसे सरकार बुलडोज करके यहां पास कराना चाहती है। जिस प्रकार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को ब्रिक डिमौलिश किया गया है, उसका तरीका ठीक नहीं है। यह स्टैंडिंग कमेटी का रूल और कन्वैंशन है कि बिना उसे भेजे कोई बिल यहां पास नहीं होता है। फिर इस बिल में ऐसी कौन सी बात है कि इसे बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे पास किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसे यहां रखना चाहती है? आखिर जब स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: यह अध्यक्ष महोदय की विवेकाधिकार की शक्तियां हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय के दबाव में यह सब किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: मल्होत्रा जी, आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम इस तरह के तरीके को कंडैम करना चाहते हैं और अपना प्रोटैस्ट शो करना चाहते हैं कि अगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को बर्बाद करना है तो यह तरीका ठाक नहीं है कि बिना स्टैंडिंग समेटी को भेजे इस बिल को यहां बुलडौज कर दिया जाए।

[अनुवाद]

हम इस दृष्टिकोण की निन्दा करते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैंने पहले ही कहा है कि यह अध्यक्ष महोदय के विवेकाधिकार में है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदया, पिछले पंद्रह वर्षों से यह परिपाटी संसद में चली आ रही है और संसद ने कानून बनाकर स्वीकार कर लिया कि कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टैन्डिंग कमेटी में जाएगा, सभी दलों के माननीय सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में उसकी परीक्षा करेंगे, एक रिपोर्ट के साथ वह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। भारत सरकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि उस समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करे या न करे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मोहन सिंह जी, ऐसा है कि अभी मंत्री जी के बोलने के बाद सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात उस समय कह दीजिएगा।

श्री मोहन सिंह: नियम पर तो किसी भी स्टेज पर बात की जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: स्टैंडिंग कमेटी में तो लिमिटेड मैम्बर्स हैं, यहां तो पूरे हाउस के लिए ओपन है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: ऐसा था, तो यह कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रासा सिंह जी, आपकी बात विजय कुमार जी ने कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: देखिए, मैंने पहले कहा कि यह डिसक्रीशनरी पावर्स स्पीकर साहब की हैं। अगर यह बिल यहां आया है, तो आप डिसकस करिये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: हाण्डिक जी की बात के अलावा किसी की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, हमें आपत्ति है इस बिल के प्रस्तुतीकरण पर। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी बात बताएंगे। आपकी पार्टी के लोग जब बोलेंगे तो आप सब बातें बता दीजिएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत: स्थायी समितियों का गठन इसीलिए किया गया है कि उसमें विधेयकों पर विचार हो सके। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: प्लीज, आप हाउस का डैकोरम बनाए रखते हुए बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह मामला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाया गया था। कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों द्वारा इस पर चर्चा की गयी थी और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): सभापति महोदया, रासा सिंह रावत जी ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर कोई वितर्क नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं कि सारी व्यवस्था और बिजनैस को देखने के लिए जो समिति है, उस समिति में सारी चर्चा के बाद माननीय स्पीकर साहब को आथराइज कर दिया गया कि स्पीकर अगर सोचें तो स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

बीएसी में क्या होता है उसको यहां बताना ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: मंत्री जी हर बात नोटिस में ला रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि हर बात नोटिस में लाइए, कभी आप कहते हैं कि नोटिस में नहीं लाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बीएसी की रिपोर्ट हमें इस सदन में पेश करनी पड़ती है। बीएसी की रिपोर्ट सिर्फ पेश ही नहीं करनी पड़ती, उसकी सदन से इजाजत भी लेनी पड़ती है। बीएसी रिपोर्ट में जो बिजनैस तय करते हैं, वह तब तक तय नहीं होता सदन में लाने के लिए जब तक स्पीकर महोदय की इजाजत नहीं होती।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदया, स्पीकर साहब की बात हम मानते हैं। लेकिन और एक स्पीकर साहब इधर थे शिवराज पाटिल जी, उनकी भी रुलिंग आप देख लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर थोड़ा ग्रामैटिकल करैक्शन होगा, कौमा या फुल स्टाप बदलने के अलावा जो भी बात होगी, तो स्टैंडिंग कमेटी मे जाना चाहिए। वे भी स्पीकर थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: एक दूसरे की तुलना न करें, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: डा. अंबुमणि रामदास के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम सरकार के इस रवैये की घोर निन्दा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): बिना हाउस को विश्वास में लिए आप क्या करवा रही हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सब बातें रिकार्ड पर आई हैं। मिनिस्टर साहब ने सब कुछ बता दिया।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप सब अपनी-अपनी जगह मे अपनी-अपनी बात कहेंगे, उसके बाद ही मंत्री जी जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: आदरणीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने आपको सब कुछ बता दिया, उसे आपको मान लेना चाहिए। अभी मंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद आप अपनी-अपनी जगह से अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स यहां भी हैं और वे मेम्बर्स यहां अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदया, मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं कि आदरणीय प्रभुनाथ जी का भाषण मुझे प्रभावित करता है, लेकिन जब एमपीज की सैलरी एंड एलाउंस बिल लाये थे, उस दिन आपने हल्ला नहीं किया। *...(व्यवधान)* उस दिन आपने हल्ला क्यों नहीं किया? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमारी परम्परा के अनुसार जो बिजनैस हाउस में पढ़ा जा चुका है और सदन के माननीय सदस्यों ने सुन लिया, पारित कर दिया *...(व्यवधान)* उसे हम दोबारा नहीं बोल सकते। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: हाउस की गरिमा को बनाए रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अभी आप बैठ जाइए, आपका जब नाम लिया जाएगा तब आप बोलिए। आप बड़े सीनियर मैम्बर हैं, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): ये बिल के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को खत्म करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: आप बैठिए, हाउस का डेकोरम तो रखिए। आप लोग बहुत सीनियर मेम्बर्स हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सारी स्टैंडिंग कमेटियां खत्म कर दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यहां सारी स्टैंडिंग कमेटियों की बात नहीं हो रही, दासमुंशी जी ने आपको सब कुछ बता दिया कि किस तरह से बिल आया। यह स्पीकर साहब की डिस्क्रिशनरी पावर है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): जब कार्य मंत्रणा समिति में इस बारे में निर्णय ले लिया गया है तो अब वे इस पर असहमत कैसे हो सकते हैं? *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप मंत्री जी को बोलने का मौका तो दें। आप पहले मंत्री जी की बात सुन लें, उसके बाद अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, कार्य मंत्रणा समिति में सदस्यों का बहुमत इससे सहमत *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह बहुमत या अल्पमत का प्रश्न नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत थे कि स्थायी समिति के पास भेजे बिना इस विधेयक को सीधे सभा में लाया जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: कृपा करके आप बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: कई विधेयक स्थायी समिति के पास नहीं भेजे गए। ये सीधे सभा में लाये गए ...*(व्यवधान)* हमारी आपत्तियों के बावजूद ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैडम हाउस को विश्वास में नहीं लिया गया। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: हाउस के कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रुल्स के एकार्डिंग हाउस चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब सभी बातें स्पष्ट हो गई हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए और उसके बाद आप बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आदरणीय प्रभुनाथ जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। आप अपनी बात मंत्री जी के बोलने के बाद कहें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बैठ जाइये, सारी बात क्लियर हो गई है। आप बार-बार बोलकर अपनी बात रखना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: प्रभुनाथ जी, आप हाउस की गरिमा को नहीं रख रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं और आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, अब सरकारी कार्य का समय है। मैंने सभा के कार्य का प्रस्ताव सभा की सर्वसम्मति से किया था। अध्यक्ष की पूर्ण सहमति से प्रस्ताव किया गया था। मैंने प्रस्ताव किया था कि कार्य ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदया, यदि यह बिल पास हो गया तो यह सबसे डार्केस्ट बिल होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब और व्यवधान न किया जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब सभी बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो गई हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: महोदया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम तथा आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम के रूप में प्रस्तावित पी.जी.आई. चंडीगढ़ में एक छोटा सा संशोधन पेश करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

संसद के पिछले सत्र में मैंने संशोधन हेतु दो विधेयक प्रस्तुत किए थे। एक, सिग्रेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक और दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक ...*(व्यवधान)*, पिछले सत्र में पुरःस्थापित किए गए दो विधेयकों में से एक विधेयक को इस सम्माननीय सभा तथा दूसरी सम्माननीय सभा द्वारा बिना किसी भी समितियों को सुपुर्द कर पारित कर दिया था। यह दूसरा विधेयक है ऐसा नहीं है कि बिना किसी भी समितियों के सुपुर्द कर किसी विधेयक के पारित किए जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। पिछले सत्र में पुरःस्थापित दो विधेयकों में से एस विधेयक सिग्रेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक को किसी भी समितियों को सुपुर्द किए बिना ही पारित किया गया था। मैं नहीं समझता कि मैं इतना प्रभावशाली हूं कि मैं अध्यक्ष को प्रभावित कर सकूं कि विधेयक को किसी भी समितियों के सुपुर्द न किया जाए आदि। यह सरकार के उत्तरदायित्व का अंग है।

एक छोटा सा संशोधन हम माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहेंगे। हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी.जी.आई.इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के निदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: हम सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने अनेक अनेक मामलों की सुनवाई के पश्चात हमें इन दोनों संस्थानों के निदेशकों की सेवा अवधि निर्धारित करने के लिए कहा था। इसलिए हम निदेशक की सेवा अवधि नियत कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी.जी.आई. संस्थान, चंडीगढ़ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु मात्र 62 वर्ष है। हम इसमें तीन वर्ष की वृद्धि कर इसे 65 वर्ष कर रहे हैं।

मैं एक और संशोधन लाना चाहूंगा, हम दो खंड पुर:स्थापित करना चाहते हैं। एक खंड 65 वर्ष से संबंधित है दूसरा खंड यह है कि हम सरकारी संशोधन ला रहे हैं और उसका लोप कर रहे हैं। संशोधन के दूसरे भाग में जो हम ला रहे हैं हम स्वेच्छा से उसका लोप कर रहे हैं। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मात्र के लिए नहीं है, यह दोनों ही संस्थानों के लिए है- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा पी.जी.आई. इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ दोनों के लिए है। हम यह संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। यह किसी भी संस्थान से जुड़े व्यक्ति विशेष से संबंधित मुद्दा नहीं है। जैसा कि दूसरी तरफ से सदस्यों द्वारा आरोप लगाया गया था। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हम चाहते हैं कि संस्थान विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों में से एक हो। मैं एक चिकित्सा व्यवसायी हूं मैं भी एक चिकित्सक हूं ...*(व्यवधान)* हम सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को इंस्टीट्यूट आफ जॉन हॉपकिंस या हार्वर्ड युनिवर्सिटी या स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो श्रेष्ठ थी, जैसा बनाना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह सही नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: हम इस स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। यह विधेयक किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है। संस्थान में सुधार होना ही चाहिए, इस सम्माननीय सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के मद्देनजर सुधार लाना हमारा दायित्व है। मैं यह छोटा सा संशोधन लाना चाहता हूं। मुझे संसद के सभी सदस्यों का सहयोग और समर्थन चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

> "कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1965 और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आरंभ करने से पूर्व मैं कहना चाहती हूं कि मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं तथा मेरे विचार से इसे स्थायी समिति को सौंपना बेहतर होगा। इसे स्थायी समिति के सुपुर्द न किए जाने का एक कारण यह बताया गया है कि ऐसा न करने से सभा को इस पर वाद-विवाद करने का अवसर मिलेगा। ऐसा स्थायी समिति को सुपुर्द किए जाने के बाद भी किया जा सकता था। इसे स्थायी समिति को भेजने का यह लाभ होगा कि स्थायी समिति के पास साक्षियों की सुनवाई हेतु समय और विशेषज्ञता है। स्थायी समिति बेहतर सम व्यावसायिक परामर्श प्राप्त कर सकेगी तथा सभा को स्थिति से अवगत करा सकेगी। तथापि, चूंकि अध्यक्ष ने विधेयक का सभा में वाद-विवाद हेतु अनुमति दिया जाना बेहतर समझा है, हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस संस्थान की बात कर रहे हैं जिसके साथ वर्तमान में खिलवाड़ किया जा रहा है।

मैं पी.जी.आई. का उल्लेख नहीं कर रही हूं क्योंकि हमें पता है कि इसे अतिरिक्त रूप से शामिल कर लिया गया है। मुख्य प्रयोजन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से है। पंडित नेहरू का सपना एक 'सुपर स्पेशिलिटी' संस्थान जो एशिया में श्रेष्ठ हो की स्थापना करने का था। सपना श्रेष्ठ चिकित्सकीय प्रतिभा का सृजन तथा आकर्षित करना था जो भारत की क्षमताओं का बेहतर उदाहरण होगा, एक स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थान जो पश्चिम के श्रेष्ठ संस्थान की तरह होगा। यह सपना साकार हुआ जबकि अन्य सपने समाप्त हो गए।

इस समय में हम सब इस अस्पताल में इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वहां चिकित्सकीय चमत्कार होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वहां उन्होंने अनेक चमत्कार किए हैं। यह इस तथ्य के बावजूद कि वहां वित्तपोषण अत्यधिक अपर्याप्त है, अत्यधिक काम करना पड़ता है जहां एक वर्ष में 25 लाख रोगियों का उपचार किया जाता है। आप सहमत होंगे कि ऐसा तभी हो सकता है जब अस्पताल का प्रशासन इतने अभाव के बाद भी अच्छा है।

[श्रीमती मेनका गांधी]

संसद में विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात ही पुरःस्थापित किया जाता है। मंत्रिमंडल इसका तभी अनुमोदन करता है जब यह देश के हित में होता है। कभी-कभी मंत्रिमंडल अनजाने में चूक कर बैठता है जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। स्वतंत्र भारत का इतिहास, वास्तव में विश्व का इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है। इंसान से गलती होती है राजनेताओं से तो और भी गलती हो जाती है। तथापि, मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि सरकार द्वारा विधेयक मात्र इसलिए लाया गया है जिससे कि किसी एक इंसान के व्यक्तिगत मुद्दे के आधार पर एक अन्य को हटाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल सकते हैं, उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी बात कह सकते हैं। अभी उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: इस तरह से हटाए जाने की प्रक्रिया में समस्त संस्थान का मनोबल तथा क्षमताएं प्रभावित होंगी। कांग्रेस जो पंडित नेहरू के आदर्शों को अपनाने का दावा करती है, द्वारा ऐसा किया जाना बहुत दुःखद है।

इस विधेयक का प्रयोजन क्या है? देखने में यह साधारण लगता है। इसके अनुसार एम्स के निदेशक का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होगा। इसके अतिरिक्त, इसमें प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार की राय में निदेशक का इस अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जाना जनहित में है, तो सरकार निदेशक को किसी भी समय हटा सकती है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

श्रीमती मेनका गांधी: अभी संशोधन होना है. इसलिए यह तकनीकी तौर पर अभी भी वहीं है।

पुनः इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार, यदि वह समझती है कि यह जनहित में है तो निदेशक को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले कभी भी तीन महीने की सूचना पर अथवा तीन माह का वेतन देकर किसी भी समय उसे तत्काल पद छोड़ने के लिए कह सकती है।

यह गौर तलब है कि वह कोई चपरासी नहीं है जिसके साथ सरकार ऐसा नहीं कर सकती। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा, मैं जानबूझकर अन्य उत्कृष्ट संस्थानों, पी.जी.आई. चंडीगढ़ जैसे अन्य संस्थानों के निदेशक को सम्मिलित नहीं कर रही हूं। जिन्हें विधेयक के वास्तविक लक्ष्य को छिपाने की कोशिश करने के लिए इसमें जोड़ा गया है।

मैं स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति की सदस्य हूं । स्वास्थ्य मंत्री द्वारा तीन वर्ष से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पर किये जा रहे हमले को देखती आ रही हूं। केवल मैं ही नहीं, बल्कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर मंत्री द्वारा किए जा रहे हमले को पढ़ रहा है। और चाहे वह सीधी कार्रवाई की बात हो या प्रेस में टिप्पणी हो या संसद में विधेयक लाने की बात हो। इस स्थिति में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: इस स्थिति में मंत्रालय इतनी जल्दी में है कि संसद के पिछले सत्र के दौरान और इस बार भी उसने दो बार अध्यादेश पारित करने का प्रयास किया है।

मैं पिछले तीन वर्ष का इतिहास आपको बता रही हूं ताकि आप, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के समर्थन करने वाले लोग, पूरी तस्वीर को देख सकें। जैसे ही वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री बनें। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अतिथि गृह में चले गये। एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए यह अपने आप में अप्रत्याशित था तथापि इन बातों को छोड़िए ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. अंबुमणि रामदासः सभापति महोदया, मैं यहां आपका संरक्षण चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः उन्हें भी बोलने दीजिए।

श्रीमती मेनका गांधीः मंत्री जी बैठें क्योंकि मैं बैठने वाली नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदासः मैं पिछले साढ़े तीन साल से देख रहा हूं कि वे हर बार मेरे और मेरे मंत्रालय के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हो जाती हैं। वे बहुत सारे आरोप लगा रही हैं। क्या यह सब चलता रहेगा? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः श्री पुन्नु स्वामी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः मंत्री जी अपना बचाव करने में सक्षम हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधीः मुझे संदेह है क्योंकि वे इस मंत्रालय में पहली बार मंत्री बने हैं और उनको यह जानना चाहिए कि जन हित में प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार है तथापि, छोड़िए इन बातों को चूंकि उन्हें इसका हक है, और वे तकनीकी रुप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष हैं। ...*(व्यवधान)* मैं केवल तथ्यों के बारे में बता रही हूं। यहां पर कोई लांछन नहीं है, केवल तथ्य हैं। क्या वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रहने के लिए नहीं गए थे? क्या वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष नहीं हैं? इसलिए, उनका यह अधिकार है। वास्तव में मैंने यही कहा है।

सभापति महोदयाः मेनका जी, कृपया आप अपनी बात पूरी करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः श्री पुन्नु स्वामी, मंत्री अपना बचाव करने में सक्षम हैं। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधीः यदि यह इसलिए किया गया कि मंत्री जी अस्पताल के कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहते थे तो मैं उनकी कार्य की प्रशंसा करती। लेकिन कारण क्या था? क्या उन्होंने संघों के साथ मिलकर निदेशक को हटाने के लिए काम नहीं किया जिससे अनुशासन भंग हुई। तत्काल, स्वास्थ्य मंत्रालय के उनके सहयोगियों से यह टिप्पणी हमें सुनने को मिली थी वहां एक जाति विशेष की पकड़ है और उसे तोड़े जाने की आवश्यकता है और यह बात स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकार्ड का हिस्सा है और मंत्री जी इसे करेंगे। उन्होंने ही यह बात कही थी, और जैसा कि मैंने कहा यह बात जो स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में कही गई थी, रिकार्ड में लिखित है। उन्होंने बाद में अपने विचार बदल दिए और मंत्री के कार्यों की आलोचक बन गई यह बात भी अभिलेख में लिखित है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हम डाक्टरों को जाति आधार पर देख रहे हैं और मुझे आश्चर्य है कि मंत्री उनको डाक्टर के रूप में नहीं देखते बल्कि उन्हें सामाजिक विभाजन के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं।

मंत्री द्वारा अ.भा.आ. संस्थान में अपना आवास स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने ओ.एस.डी. की नियुक्ति की, जो तमिलनाडु पुलिस के सेवा निवृत्त उप-निरीक्षक है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदया, संसद में एक शाश्वत परंपरा है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री पर आरोप लगाना चाहता है तो उसे एक अग्रिम सूचना देनी होती है और अनुमति लेनी पड़ती है। सभा का यही नियम है। ...*(व्यवधान)* ललन जी यह प्रथा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': यह एलीगेशन नहीं है, फैक्ट्स हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः मेनका जी कृपया विषय पर ही बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः सभापति महोदया, अगर अगेन्स्ट दी मिनिस्टर कोई एलीगेशन है तो उसके लिए कॉपी फर्निश करके इजाजत लेनी पड़ती है, यह हाउस का नियम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधीः मैं आरोप नहीं लगा रही हूं। मुझे खेद है, ये आरोप नहीं बल्कि तथ्य हैं। उन्होंने एक ओ.एस.डी. नियुक्त किया था। वे तमिलनाडु पुलिस बल के एक सेवानिवृत्त उप-

[श्रीमती मेनका गांधी]

निरीक्षक हैं और उन्होंने उसे अ.भा.आ.सं. में एक अतिथिगृह दे दिया, यह भी एक सत्य है। अब प्रत्येक मंत्री को यह हक है कि वह सरकारी खर्च पर अपना निजी स्टाफ रखे। लेकिन यह निजी स्टाफ उनके मंत्रालय में उनके निजी काम के लिए होता है। उनसे एक स्वायत्त संस्था के दैनंदिन कार्य में रोज दखल देने की अपेक्षा नहीं की जाती, और विशेषकर तब जब मंत्री जी की, जो अ.भा.अ.सं. के अध्यक्ष होते हैं, सभी सरकारी कार्यों में सहायता के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रशिक्षित कर्मी निर्माण भवन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस ओ.एस.डी. ने, विद्वानों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिये बनाये गये अतिथि गृह में रहने लगा और उसने स्टाफ, अधिकारियों संकाय और यूनियनों से मिलना शुरू कर दिया। जिससे वहां काफी भ्रम पैदा हुआ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री पुन्नुस्वामी, कृपया उन्हें बोलने दीजिए जब आपकी बारी आएगी आप भी बोल सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रशासन संबंधी फाइलें, जो पूर्णत: स्वायत्त होना चाहिए, लेकिन जो वर्षों से मंत्रालय को भेजा जाता रहा है, जिसे पूर्व के मंत्री पारित कर देते थे। और जो यह स्वीकार करते हैं वे एक मात्र औपचारिकता है अब महीनों रोके रखा जाता है। अधिकारियों की नियुक्ति चिकित्सा सेमिनारों के लिए संकाय का विदेश दौरा-कुछ ऐसे फाइल हैं जो रुके पड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रत्येक वरिष्ठ डाक्टर का दावा है कि उसे सही काम की फाइल पास कराने के लिए इस ओ.एस.डी. से मिलना पड़ा। वस्तुत: हमने पाया कि छात्रों की डिग्रियां वर्षों रोके रखी गईं, बावजूद इसके कि देश में डाक्टरों की बहुत जरूरत थी और इसका समाधान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हुआ और यह इन तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कई मामलों में से एक है। इतना ही नहीं, योजना आयोग द्वारा पारित उन परियोजनाओं को भी रोक रखा गया जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाना था अत: स्वास्थ्य के प्रति आपकी यही वचनबद्धता है।

आज की तारीख तक कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें तय करने के लिए किसी समिति का गठन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा नहीं किया गया है जो आज से तीन वर्ष पहले हो जाना चाहिए था।

तब यह निर्णय लिया गया था कि ज्यादा गलतियां नहीं हुई थी और उन गलतियों को सुधारा जाए। इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन की नियुक्ति के लिए नियमों को ताक पर रख दिया तथा निदेशक से परामर्श किए बिना डीन की नियुक्ति की गई। यहां तक उन्होंने स्वयं के द्वारा नियुक्त की गयी जांच समिति की सिफारिशों का भी सम्मान नहीं किया। ऐसी परम्परा रही है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर को डीन नियुक्त किया जाता है। वर्तमान डीन वरिष्ठता सूची में 24वें स्थान पर थे उन्होंने बिना किसी कारण के 23 वरिष्ठ संकाय सदस्यों को अधिक्रमण किया है मंत्री जी के विशेषाधिकार के अलावा ...*(व्यवधान)*

छात्रों का आरक्षण विरोधी आन्दोलन अभी शान्त नहीं हुआ है। वे विद्यार्थी जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डाक्टर बनने के लिए आए थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि देश सेवा में जाति उनके लिए बाधा बनेगी, निदेशक ने बुरी स्थिति को सुधारने का हर सम्भव प्रयास किया और उन्होंने लिखा ...*(व्यवधान)* हमारी स्वास्थ्य समिति के पास सभी पत्र है। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के पास निदेशक के द्वारा भेजे गए सभी पत्र हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): महोदया, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: आप बैठिये। आपकी पार्टी की मैम्बर बोल रही हैं आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: उन्होंने पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य, गृह, मंत्रिमंडल सचिव तथा प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखा था। मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर का दौरा नहीं किया तथा उन्होंने सार्वजनिक रूप से निदेशक पर दोषारोपण का कोई अवसर नहीं जाने दिया।

आप सभी डा. वेणुगोपाल से मिले हैं। माननीय प्रधान मंत्री सहित आप के साथ उन्होंने ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदया, आप उन्हें रोकिए। इस तरह हाउस नहीं चल सकता। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सं.प्र.ग. सरकार किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है। हम नीतियों को सुचारू बना रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे खुशी है कि आपने ऐसी बात कही *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नीति निर्धारण करना सरकार का अधिकार है। व्यक्ति विशेष पर चर्चा न की जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: आप किसी व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): कोई भी सदस्य आपका समर्थन नहीं कर रहा है। आप केवल दो ही सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: मल्होत्रा जी, आप अपने लोगों को बैठाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: सभा में कोई भी आपका समर्थन नहीं कर रहा है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: क्या वे इस प्रकार के व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य ठीक है, जिसके पास समय है तथा उनका किसी राजनीतिक दावपेंच की ओर झुकाव है अथवा किसी विरोध को उकसाने में उनकी भूमिका रही है विशेषकर उस संस्थान के विरुद्ध जिसके साथ वे पिछले 48 वर्षों से संबद्ध रहे हैं?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जब मंत्री महोदय निदेशक के विरुद्ध मीडिया में गए, निदेशक ने बड़े ही साधारण तरीके से बचाव किया और कहा कि विरोध के लिए वे जिम्मेदार नहीं है। 16 जून को मंत्री जी प्रेस में गए और सार्वजनिक रूप से मीडिया के समक्ष निदेशक को अपना बचाव करने के लिए चेतावनी दी और कहा कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मुझे उनका अपराध समझ नहीं आया। मंत्री महोदय किसी वरिष्ठ अधिकारी पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, परन्तु निदेशक के विरुद्ध जो कि वरिष्ठ हैं और वृद्ध भी हैं ऐसा नहीं कह सकते। मंत्री जी ने फिर उन डाक्टरों जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था को हटाने तथा उनके वेतन में कटौती करने के निर्णय की घोषणा की और निदेशक से कहा कि वे त्यागपत्र देने के लिये स्वतंत्र हैं तथा उन्हें त्यागपत्र न देने के लिए लोगों को लामबंद नहीं करना चाहिए। क्या यह मंत्री जी के वक्तव्य जैसा लगता है?

इसके पश्चात जून 2006 में डा. वेणुगोपाल छुट्टी पर चले गए। उनकी अनुपस्थिति में मंत्री जी ने स्वयं नियुक्त किए डीन का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': लगता है दाल में कुछ काला है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रंजन जी आप उनका समय मत खराब करें। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप बैठ जाएं, मंत्री जी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: अगर इन्हें इस तरह से बीच-बीच में बोलना है तो फिर मंत्री जी को तो अपना जवाब ले कर देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया उन्हें बोलने दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: यदि माननीय मंत्री जी जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूं उन्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो किसी भी बात का विरोध करने के लिए उनका स्वागत है। मैं अचूक नहीं हूं। मैं वही कहती हूं जो मैं देखती हूं *...(व्यवधान)* मैं *...(व्यवधान)* वे कहने के लिए स्वतंत्र है *...(व्यवधान)* जब वे बोलेंगे तो मैं उनके भाषण के दौरान व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगी। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री पुन्नुस्वामी, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': इनके इस तरह के रवैये से लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए बार-बार ये लोग इंटरप्ट कर रहे हैं।

सभापति महोदया: कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत: इसमें कुछ गलत है *...(व्यवधान)* दाल में कुछ काला है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कुछ भी गलत नहीं है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मंत्री महोदय उत्तर देंगे। सब स्पष्ट हो जाएगा।

श्रीमती मेनका गांधी: जून 2006 में जब निदेशक छुट्टी पर गए तो *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया बार-बार खड़े मत होइये।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: वे जानवरों के हितों के लिए अपनी आवाज उठाती हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: क्या निदेशक उन्हें जानवरों जैसे नजर आते हैं? वे एक सम्मानित निदेशक हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री ई. पोन्नुस्वामी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: निदेशक की अनुपस्थिति में मंत्री जी ने स्वयं नियुक्त किए गए डीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, उन्होंने बिना किसी कारण के वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार को हटा दिया। उन्होंने एम्स की पहली महिला सब-डीन को हटाकर अपने व्यक्ति को उप डीन नियुक्त किया। इसके पश्चात उन्होंने एम्स की मीडिया प्रभारी महिला को हटाया और अपने व्यक्ति को वहां नियुक्त किया। महिला मीडिया प्रभारी के साथ-साथ भारी संख्या में महिलाओं को हटाया गया। ये सभी नियुक्तियां केवल निदेशक के द्वारा ही की जा सकती हैं परन्तु मंत्री जी नियमों से ऊपर हैं।

कर्मचारियों को परेशान कर उन्हें निकालने का उद्देश्य निदेशक को अपमानित कर उन्हें त्यागपत्र देने के लिए उकसाया, मंत्री महोदय शांत तथा वरिष्ठ डाक्टरों और निदेशक के विमत से क्रुद्ध थे। परन्तु 5 जुलाई 2006 को एम्स संस्थान के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने निदेशक को पदच्युत कर दिया। इसके लिए किसी भी नियम का हवाला नहीं दिया गया। जब यह निर्णय लिया गया तो निदेशक को बाहर बैंच पर बैठने को मजबूर किया गया जबकि वे संस्थान के निदेशक थे।

प्रत्येक समाचारपत्र, प्रत्येक सांसद तथा समूची अकादमी एवं चिकित्सा समुदाय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। संसद की स्वास्थ्य संबंधी समिति ने एक स्वर में भर्त्सना की। यह समिति सभी संसदीय दलों के सदस्यों को मिलाकर गठित की गई है तथा उस समिति में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ने इस अवैध कृत्य की एक मत से भर्त्सना की है। सरकार *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): बीच में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं, परन्तु मैं उस समिति का सदस्य था। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: डा. करण सिंह यादव जी, आप अपनी बात बाद में बताइयेगा।

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदया, उन्होंने सभा में चर्चाधीन विधेयक के बारे में एक भी बात नहीं की है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: एक व्यक्ति ने आपत्ति की है, परन्तु फिर भी, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि भर्त्सना का प्रारूप रक्षा मंत्री द्वारा तैयार किया गया था ...*(व्यवधान)*। दो दिन के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निदेशक की बर्खास्तगी को अवैध ठहराते हुए उस पर रोक लगा दी थी।

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी जी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: उच्च न्यायालय ने मंत्री महोदय के विरुद्ध टिप्पणी भी की थी कि मंत्री महोदय को समूचे अस्पताल के कार्यकरण में व्यवधान डालने की बजाय देश में स्वास्थ्य संकट पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय देश में डेंगू फैला हुआ था। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे के संबंध में यह टिप्पणी की थी।

मंत्री महोदय ने अगली कार्यवाही पर कुछ माह लगाए। 18 अक्तूबर 2006 को उन्होंने संस्थान के निकाय की बैठक बुलाई जहां पुनः निदेशक का सरेआम अपमान किया गया तथा उनसे मंत्री तथा उनके निकाय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया उन्हें ऐसा करने के लिये थोड़ा सा समय दिया गया। निदेशक ने निर्दिष्ट समय के भीतर ही अपना उत्तर भेज दिया, परन्तु वर्ष भर में एक भी उत्तर पर ध्यान नहीं दिया गया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती गांधी, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं अपना भाषण समाप्त नहीं करुंगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इस चर्चा के लिए आपके दल को 14 मिनट का समय दिया गया था। इस मुद्दे पर बोलने के लिए आपके दल से एक और वक्ता शेष हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: अपना भाषण समाप्त करने के लिए मैं दस मिनट और लूंगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यदि ऐसा है तो आपकी पार्टी से कोई अन्य सदस्य इस विषय पर नहीं बोलेगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: मैं भा.ज.पा. को आबंटित समय ले रही हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

विजय जी, आप बोल दीजिए कि पार्टी का बचा हुआ सारा टाइम मुझे दिया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदया, पार्टी के बचे हुए टाइम में माननीय मेनका जी बोलेंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पांच-दस मिनट बढ़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही लोग बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

श्री. ई. पोन्नुस्वामी: महोदया, उन्होंने विधेयक के विषय में एक भी बात नहीं की है। उनके द्वारा व्यक्त की गई सभी बातें अप्रासंगिक हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री पोन्नुस्वामी, आप अपनी बारी में बोल सकते हैं। वे अपना भाषण समाप्त कर रही हैं चूंकि उनके दल के लिए केवल 14 मिनट आवंटित किए गए थे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: नहीं, मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर रही हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती मे.का गांधी जी के दल को दिया गया समय समाप्त हो चुका है। वे पहले ही 14 मिनट ले चुकी हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: उन्होंने लगभग 23 मिनट ले लिया है जबकि उनके दल को केवल 14 मिनट दिए गए थे।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदया, मेरे दल को दिए गए 14 मिनट में से 5 मिनट व्यवधान में चले गए ।

एक वर्ष के दौरान निदेशक द्वारा दिए गए एक भी उत्तर पर ध्यान नहीं दिया गया अथवा चर्चा नहीं की गई। मांगी गई सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी।

छह माह पश्चात अर्थात 29 मार्च 2007 को उच्च न्यायालय की माननीय खण्डपीठ ने संस्थान के निकाय को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक द्वारा दिए गए उत्तर पर चर्चा करने का निदेश दिया था तथा संस्थान को निष्पक्ष रहने का आदेश दिया ...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदया, क्या यह मुद्दा यहां प्रासंगिक है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती गांधी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: माननीय उच्च न्यायालय ने मंत्री महोदय को निष्पक्ष रहने को कहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती गांधी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप पहले ही 24 मिनट से अधिक समय ले चुकी हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए आपके दल को वास्तव में आबंटित किए गए 14 मिनट से अधिक हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सारे हिन्दुस्तान में यह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आपके दल को 14 मिनट का समय दिया गया था और आप पहले ही इस विषय पर बोलने के लिए 24 मिनट से अधिक समय ले चुकी हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदया, मैं अगले पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगी।

इतना शोर गुल था कि प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया और प्रो. एम.एस. वैलियाथन की अध्यक्षता में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकरण और स्वायत्तता की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। मंत्री जी की इच्छा के विपरीत वेलियाथन समिति ने अक्तूबर में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री महोदय की इच्छा के विपरीत इस समिति ने वर्तमान निदेशक अ.भा.आ.सं. की उपलब्धियों को उजागर किया तथा अ.भा.आ.सं. के निकाय से स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव को हटाए जाने की तथा संस्थान के स्वायत्तता की सिफारिश की ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: कार्यवाही के लिए इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वास्थ्य मंत्री को भेजा गया था। इसे नजर अंदाज कर दिया गया ...*(व्यवधान)*

यह कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अ.भा.आ.सं. के रजिस्ट्रार पर वरिष्ट रेजीडेंट डाक्टरों के चयन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। निदेशक द्वारा उन्हें वल्लमगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानांतरित कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया तथा यह आदेश दिया कि आपराधिक जांच के बावजूद उस व्यक्ति को स्थानांतरित न किया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, मेरा विनम्र निवेदन है— श्रीमती मेनका गांधी जी का अनादर किए बिना—कि मैं समूची सामग्री माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमती मेनका गांधी: जी हां, आप ऐसा कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि किसी मंत्री के आचरण के बारे में कोई विशिष्ट आरोप हो तो संबंधित मंत्री को इसकी अग्रिम प्रति के साथ सभा पटल पर रखा जाए बशर्ते नियम ऐसी इजाजत देते हों।

इस प्रकार कभी नहीं हुआ ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे कोई आरोप नहीं लगा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री मल्होत्रा, मैं नियमों के बारे में आपसे बेहतर जानता हूं। नियमों के अनुसार, यह एक आरोप है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसमें अंतिम वाक्य एक विशिष्ट आरोप है संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना तथा इसकी प्रति माननीय अध्यक्ष महोदय को देकर ही कोई विशिष्ट आरोप लगाया जा सकता है। आप इस प्रकार और अपनी ओर से ही मंत्री के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाए क्योंकि नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

वे मंत्री के खिलाफ ऐसी अतिरंजित टिप्पणी कैसे कर सकती हैं? नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है। वे कुछ भी उद्धृत कर सकती हैं, लेकिन यह एक विशिष्ट आरोप है, इसलिए मंत्री महोदय को इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): वे जो कह रही हैं वह सत्य है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री लक्ष्मण सिंह, मुझे नियम सिखाने की कोशिश न करें। यदि यह आरोप है, चाहे यह सही हो अथवा गलत, आपको मंत्री महोदय को इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। फिर चाहे वह भाजपा सरकार हो अथवा कांग्रेस सरकार हो। आप इस प्रकार नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मेनका जी, कृपया 'एम्स' (संशोधन) विधेयक पर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसद का संचालन नियमों के आधार पर किया जाता है, किसी के निजी विचारों के आधार पर नहीं। यह गलत है। यदि वे नियमों से अनभिज्ञ हैं तो वे संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के पाठ्यक्रम में भाग ले सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: संसद में नियम ही सर्वोपरि हैं। आप इस प्रकार नहीं कर सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: मेनका जी कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें केवल एक ही सूचना नहीं मिलती है। मेनका जी इतनी अध्ययनशील हैं और मैं उनका आदर करता हूं। उन्हें सभा को उस तारीख के बारे में बताना चाहिए जबसे अनुसूचित जाति के छात्रों को अलग छात्रावास में रहना होगा और अलग कैन्टीन का प्रयोग करना होगा। वह सूचना इस सभा के सामने आनी चाहिए।

सभापति महोदया: मेनका जी, कृपया आपनी बात समाप्त करें। श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किसी मंत्री के खिलाफ ही नहीं, अगर किसी संसद सदस्य के खिलाफ भी आरोप लगाते हैं, तो पहले नोटिस देना पड़ता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेनका जी को बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं, तो पहले नोटिस देना पड़ता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आप आधा घंटा ले चुकी हैं, मेनका जी कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती मेनका गांधी: नहीं, मैं अपनी समाप्त नहीं करूंगी। मुझे बोलने के लिए दस मिनट और चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मेनका जी, कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे दस मिनट और चाहिए क्योंकि मेरा समय व्यवधान में चला गया है।

सभापति महोदया: आपका समय समाप्त हो गया है। मैं आपको केवल दो मिनट और दूंगी और कृपया अपना भाषण समाप्त करें अन्यथा, मैं अगले वक्ता को बुला लूंगी।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदया, उसमें से आधे से अधिक समय व्यवधान में चला गया है यदि यह विधेयक स्थायी समिति के पास चला जाता तो मुझे यह सब कहने की आवश्यकता नहीं होती।

यदि ऐसा होता तो ये सभी विचार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होते। यह सच है कि एक ओर तो सरकार ने कहा है "सब को अपनी बात बोलने के लिए समय मिलेगा" और फिर वे कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते। यह प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध है। या तो आप इसे स्थायी समिति के पास भेजिए जिससे हम वहां अपनी बात कह सकें। अन्यथा, सभा में हमारे विचार रखने के लिए आपको हमें समय देना होगा। मुझे खेद है लेकिन व्यवधान में व्यर्थ समय के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकती। मैं पांच मिनट और बोलूंगी।

सांविधिक नियमों के अनुसार, एम्स, में प्रत्येक संकाय सदस्य को निदेशक की संतुष्टि के अनुसार कार्य निष्पादित करना होता है। यद्यपि शासी निकाय संकाय नियुक्ति प्राधिकरण है, लेकिन और विनियमों में संकाय सदस्यों की स्थायी नियुक्ति और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार निदेशक को दिया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में मंत्री द्वारा सीधे कितने चिकित्सक निलंबित किए गए हैं जिसमें निदेशक को सूचित तक नहीं किया गया। क्या भारत में कहीं भी किसी भी संस्थान में ऐसा हो सकता है।

महोदया, आपने मुझे भाषण समाप्त करने के लिए कहा है। मुझे विश्वास है कि अन्य बिन्दु भी होंगे, यदि अन्य लोग बोल रहे हैं तो मैं उन्हें तथ्य दे सकती हूं और वे आगे बोल सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूं। मंत्री महोदय बार-बार न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय गए हैं जिन वकीलों ने मंत्री जी की वकालत की उनकी फीस किसने दी? ...*(व्यवधान)* यह कोई आरोप नहीं है।

सभापति महोदया: अपनी बात समाप्त करें, आप 34 मिनट ले चुकी हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: क्या आप जानती हैं ....*

सभापति महोदया: आप आबंटित समय से अधिक समय ले चुकी हैं। आप पहले की 34 मिनट ले चुकी हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे एक मिनट और दीजिए।

सभापति महोदया: कृपया आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आप पहले ही 34 मिनट ले चुकी हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: जिसमें से 20 मिनट व्यवधान में व्यर्थ हो गए।

सभापति महोदया: आपके दल को केवल 14 मिनट का समय आवंटित किया गया था।

श्रीमती मेनका गांधी: ठीक है। मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं।

महोदया मैं यह समय देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। यह निदेशक कौन है? यह व्यक्ति कौन है जिसे हम निशाना बना रहे हैं और इतने निर्मम ढंग से छुटकारा पा रहे हैं? क्या वह कोई आतंकवादी है? क्या वह बुरा आदमी है? क्या वह बुरा निदेशक है आपके द्वारा उन्हें पद्म भूषण (पुरस्कार) प्रदान किया गया है। वह भारत के सर्वाधिक विख्यात लोगों में से एक है। वह भद्र है, विनम्र है और पूर्णतः एक व्यावसायिक निदेशक है जिसे प्रसिद्धि की चिन्ता नहीं है उनके द्वारा स्थापित साईंबाबा संस्था में वे जाते हैं। जो गरीबों के लिए निःशुल्क चलती है। वह एम्स के

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं क्योंकि पंडित नेहरू, राजकुमारी अमृत कौर, राज्य सभा की दो स्थायी समितियों, वैद्यनाथन समिति और अन्य ने स्वायत्तता की संस्तुति की थी। यह विधेयक पूर्णतः विपरीत दिशा में जाता है।

यह विधेयक निदेशक को जो भी मंत्री पद पर आसीन होगा उसके पूर्णतया अधीन कर देगा। इसका उससे कुछ भी लेना-देना नहीं है। क्या आप आज यही करना चाहते हैं?

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादवः सभापति महोदया, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें 65 साल की लिमिट की बात कही गई है। आम तौर पर एम्स में टीचिंग फैसिलिटी के लिए 62 साल की उम्र निर्धारित है और इसमें 65 साल का प्रावधान किया गया है या पांच साल का टेन्योर जो पहले होगा। यह बात सही है कि इसे लाने के पीछे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनेक केस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की डायरेक्शन भी दी है कि सरकार की इस मामले में एक क्लियर पॉलिसी हो। पिछली सरकार ने अपनी होशियारी और चतुराई से डायरेक्टर का पीरियड पांच साल का बना लिया जबकि जो वर्तमान में डायरेक्टर हैं उनकी उम्र पहले ही 65 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। पिछले सालों में जो कुछ एम्स में हुआ, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां मुझ से पहले जो माननीय सदस्या बोलीं, उनकी स्पीच वेल ड्राफ्टिड, वेल आर्टिकुलेटिड, वेल रिटन थी।

[अनुवाद]

दुर्भाग्यवश मैं इतना शिक्षित और ज्ञानवान नहीं हूं कि अपने विचारों को इतने मुखर ढंग से व्यक्त कर सकूं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि हमेशा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सभी आरक्षण विरोधी आंदोलनों का केन्द्र क्यों बन जाता है। इस बार जब विधान बनाया गया और केन्द्रीय संस्थानों में पिछड़े वर्गों व अन्य के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इसके विरोध का केन्द्र बन गया। सारा मीडिया यह जानता है और सारा देश यह जानता है कि वहां का प्रशासन और वहां के लोग उन्हें संरक्षण देते हैं, कोई भी उस संस्थान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। वे वहां शामियाना या तम्बू लगाते हैं और वहां आराम करते हैं वहां काफी और मिठाई की दुकानें खुल जाती हैं। उन सब के साथ अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी.आई.पी.) की भांति व्यवहार किया जाता है। लेकिन वे केवल संस्थान के लड़के नहीं होते अपितु आरक्षण का विरोध करने वाले सभी लोग वहां होते हैं और उन्हें भारी धनराशि दी जाती है तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रशासन इस पर खामोश रहता है। कोई भी इसकी परवाह नहीं करता। यह यहीं नहीं रुक जाता। इसके बाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में क्या होता है, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ क्या होता है, यह शर्म की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें और संविधान की प्रतियां वहां जलाई जाती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ वहां भेदभाव किया जाता है। माननीय मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी अभी कह रहे थे कि उन्हें अलग-अलग छात्रावासों में रखना पड़ेगा, उन्हेम अलग-अलग कैन्टीन में जाना होगा, उन्हें स्वतंत्रता के 60 वर्षों के पश्चात अलग-अलग जलपान-गृहों (कैफेटेरिया) में जाना होगा। क्या हम एक ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जहां इतना अधिक भेदभाव किया जाएगा?

यहां, बहुत सी बातें कही गई हैं। हम थोराट समिति के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा क्यों नहीं करते हैं जिसमें इस संस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रतिशत क्या हैं; यहां कि प्रकार आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और उन्हें कितने अवसर प्रदान किए जा रहे हैं; के बारे में विस्तार से बताया गया है। मैं कई बातों के लिए डा. वेणुगोपाल की प्रशंसा करता हूं।

महोदया सौभाग्यवश मैं भी इसी पेशे से संबंध रखता हूं। मैं भी चिकित्सक था। मेरा विशवस करें, ईमानदारी से जब मैं यह कहता हूं कि वे एक विख्यात शल्य चिकित्सक (सर्जन) हैं; तो ऐसा उनकी शल्य चिकित्सीय क्षमता और मेहनत के कारण हैं कि इस देश ने उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित किया है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निरंकुश तरीके से और मनचाहे ढंग से चला सकते हैं। इस संस्थान को चलाने के कुछ नियम और कानून हैं। उसका एक शासी निकाय है, वहां संस्थान का एक निकाय है देश के विभिन्न भागों से प्रख्यात वैज्ञानिक और चिकित्सक इसके सदस्य हैं। इस संसद ने हममें से दो लोगों को चुना है और राज्य सभा के बहुत वरिष्ठ और विख्यात सदस्य, श्री धवन जी उस समिति के सदस्य हैं। यह स्वास्थ्य मंत्री का निदेश नहीं हैं; यदि वहां बैठा एक निदेशक यह कसम खा लेता है कि चाहे संस्थान के अध्यक्ष हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, शासी निकाय हों, एम्स को शासित करने वाला निकाय हो और यदि वह शासी निकाय कोई निदेश देता है तो यदि वे किसी का कोई निदेश नहीं मानेंगे और उनका पूर्णयता उल्लंघन करेंगे, तो फिर इसका क्या उत्तर है? वे खुशकिस्मत हैं।

[डा. करण सिंह यादव]

इस देश में हम यह जानते हैं कि क्या हो रहा है; मैं माननीय न्यायालयों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जो कि इतने सहयोगी और दयालु हैं कि हमें कोई तारीख नहीं मिलती और अगले ही दिन, वे वहां जाते हैं और जिस चीज पर भी चाहते हैं स्थगनादेश ले आते हैं- फिर चाहे वह केन्द्रीय संस्थानों में आरक्षण हो या कोई अन्य मुद्दा।

एक ओर तो न्यायालयों का यह कहना है कि "काम नहीं तो वेतन नहीं"। इसे हर जगह कार्यान्वित किया गया है; हमारे साम्यवादी मित्र और अन्य सभी इस बात को जानते हैं। वे लड़े हैं; वे हड़ताल करने का अधिकार चाहते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय का कहना है, 'काम नहीं तो वेतन नहीं'। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर, उनके चहेते लड़के जाते हैं और अगले दिन स्वास्थ्य मंत्री से समुचित निर्णय लेने को कहा जाता है। उसमें यह नहीं बताया जाता है कि समुचित निर्णय क्या हो, क्या उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए अथवा नहीं। उन्होंने इसका पालन नहीं किया। समुचित निर्णय था- न्यायालय के निर्णय -'काम नहीं तो वेतन नहीं' का पालन करना। अगली बार यह स्वास्थ्य मंत्रालय वहां गया तो माननीय न्यायाधीश महोदय का कहना था, 'आप घुटनों के बल इस न्यायालय में आए और उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी, उन्हें उनका वेतन दीजिए।' उन्हें उनका वेतन दिया गया। देश में ऐसा नहीं हुआ है। हम न्यायालय के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। लेकनि आप जो कुछ भी कहते हैं न्यायालयों की उसी पर निगाह रहती है।

मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शासी निकाय का सदस्य रहा हूं। अब उस संस्थान को बिल्कुल निरंकुश तरीके से चलाया जा रहा है; स्वायत्तता का पूर्णतया दुरुपयोग हो रहा है। यहां रजिस्ट्रार के मामले का उदाहरण दिया गया है। इन सज्जन को उनका संरक्षण प्राप्त था; ये वर्तमान निदेशक के कट्टर समर्थक थे। इन्हें एक छोटे से पद से पदोन्नत करके रजिस्ट्रार बनाया गया। तब तक ये प्रसन्न थे। जिस पल, इन्होंने उनका एक आदेश नहीं माना, उसके अगले ही दिन उन्हें हटा दिया गया। उन्हें समिति या संस्थान के शासी निकाय द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार को हटाने का अधिकार नहीं है।

शासी निकाय ने निदेशक को बुलाया और उन्होंने एक निर्णय लिया कि उन्हें रजिस्ट्रार के विरुद्ध जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा कर दिया जाएगा, हम उन शिकायतों की जांच करेंगे। लेकिन अचानक उन्हें यह पता लगा कि वह उस पद के योग्य नहीं था और अचानक उन्होंने पाया कि उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले थे। आप उस संस्थान में किसी से भी यह पूछ सकते हैं और वे आपको बताएंगे कि ये सज्जन उनके कितने घनिष्ठ थे। यदि वे भ्रष्ट थे, तो यह किसका कसूर है? उन्हें रजिस्ट्रार क्यों बनाया गया था। उन्हें डा. रामदास या वर्तमान शासी निकाय ने रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया था।

इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। एक चिकित्सक के रूप में हम यह चाहते हैं कि चिकित्सकों द्वारा जाने-अनजाने में कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक शल्य-चिकित्सक (सर्जन) से ऑपरेशन करते समय रोगी की छाती में एक पेंच छूट गया था। ऐसा होता है, कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं, और ऐसा पूरी दुनिया में ऑपरेशन करने वाले प्रत्येक चिकित्सक के साथ होता है।

यदि यह मामला शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष को सूचित किया गया था तो वे अपने विवेक से उस चिकित्सक को दंडित करने की कार्यवाही कर सकते थे। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं उन चिकित्सक—डा. बिश्नोई—को जानता हूं—वे बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं; वे बहुत योग्य चिकित्सक हैं; जहां तक उनकी काबलियत का प्रश्न है, वे बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न डालें, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उन्हें बोलने दीजिए। श्रीमती मेनका गांधी जी, कृपया बैठ जाइये। डा. यादव के कथन के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका जी, कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. करण सिंह यादव: अध्यक्ष ने एक समिति गठित की थी और मेरा विश्वास कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: केवल डा. यादव का कथन ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका जी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदया, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं पहले ही यह कह चुकी हूं कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

डा. करण सिंह यादव: हम उन्हें बचा सकते थे। कोई कारण नहीं है कि हम नहीं बचा सकते थे। वे एक अच्छे शल्य चिकित्सक हैं और गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए किसी की बलि नहीं दी जा सकती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया उन्हें बाधित न करें।

...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव: लेकिन निदेशक ने अगले दिन क्या किया? उन्होंने विभागाध्यक्ष, डा. संपत कुमार को निलंबित कर दिया जो उस विभाग के मुखिया थे। अब एम्स में हालत यह है कि डा. संपत कुमार कार्य कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री या राष्ट्रपति सोचते हैं कि उनकी गलती नहीं है। वे उनके मार्गनिर्देशन में कार्य कर रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति जो निलंबित किया था वह इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि निदेशक या अदालत ने उसे जीवन दान दिया है। ऐसी स्थिति में लोग एक दूसरे की गलती निकाल रहे हैं। चिकित्सिक अन्य चिकित्सकों की कमजोरियों की जानकारियां प्राप्त करने में व्यस्त रहते हैं। एम्स राजनीति का केन्द्र बन गया है। आप 6.00 बजे जब निदेशक के कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके चारों ओर लोगों का जमावड़ा होता है। निदेशक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन वे अनेक ऐसे लोगों से घिरे हैं जो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्रीमती मेनका गांधी, कृपया उन्हें बाधित न करें। उन्हें बोलने दें। कृपया शालीनता बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी): हमें समर्थन का अधिकार है। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ...*(व्यवधान)* क्या आप संसद में वकालत करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यादव जी, कृपया आप बोलिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: वे अच्छे व्यक्ति हैं और आप एक अच्छे व्यक्ति को नहीं पहचानते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह न कहें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव: यह अच्छे या बुरे का सवाल नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: प्रो. रामदास, कृपया बैठ जाइये। उन्हें बाधित न करें। यदि आप कुछ विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। कृपया बैठ जएं। आपस में विचार-विमर्श न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया एक दूसरे से न झगड़ें। यदि आप कुछ विचार-विमर्श करना चाहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। कृपया सभा में व्यवधान न डालें। यादव जी आप बोलिए।

डा. करण सिंह यादव: सभापति महोदया, इस सभा में वर्तमान मंत्री जो उस समय एक संसद सदस्य थे, एम्स की समस्याओं और कर्मचारी संगठन के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियों पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे। उस समय हम दूसरी तरफ थे। पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने उनका बचाव किया। महोदया मेनका गांधी ने उनका बचाव किया। कांग्रेस की ओर से मैंने उनका बचाव किया। लेकिन आरक्षण मुद्दे के पश्चात अब हमने देखा कि दलित वर्गों के लोगों के साथ दोयम अथवा तृतीय दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है तो किसी उच्च वर्गीय और शक्तिशाली को हमारे समर्थन का कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उन्होंने सभी संगठनों के साथ समझौता किया है। उन्होंने जो भी कार्यवाही की है, उससे सभी खुश हैं। अब वे हरेक को नियमित कर रहे हैं। छात्र संगठन, संकाय संगठन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन, सभी उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि अब निदेशक कार्यालय में उन्होंने कसम उठा ली है कि सेवा निवृत्ति तक, जो कि जून में है एक अथवा दूसरे ढंग से, येन केन प्रकारेण उस कुर्सी पर बैठना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस संसद का शासकीय निकाय उसके बारे में कुछ भी न कर सके। यही उनका उद्देश्य है और चिकित्सक दिन-रात अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: इस प्रक्रिया में एम्स को बर्बाद न करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया शांत रहें। श्री यादव के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

डा. करण सिंह यादव: जब से हम इस शासकीय निकाय का हिस्सा बने हैं, यह (निकाय) यह देखने पर जोर दे रहा है कि अभिघात केंद्र कैसे विकसित किया जाए। यह एक विशाल संस्था है जहां हमें दुर्घटनाग्रस्त लोगों को संभालना पड़ता है। बड़ी अनुनय-विनय के बाद इस अभिघात केन्द्र ने कुछ कार्य करना शुरू किया है। एम्स में जले हुए और प्लास्टिक सर्जरी इकाई नहीं है।

हम चाहते हैं कि कैंसर शल्य चिकित्सा इकाई विकसित की जाए। लेकिन जो कुछ भी विकसित किया जा रहा है वह निदेशक की सनकों पर आधारित है। इस संबंध में यह एक उदाहरण है। मैं अपने सभी साथी संसद सदस्यों से उस प्रकार की स्वायत्तता के बारे में विचार करने की अपील करता हूं जिसमें आप समस्त निरंकुश सत्ता किसी एक ही व्यक्ति को दे देते हैं। सभी शक्तियां शासकीय निकाय के पास हैं और ये सज्जन शासकीय निकाय का अनुपालन ही नहीं करते। वे शासकीय निकाय के पत्रों का उत्तर ही नहीं देते हैं। आप इस संस्था में क्या कर सकते हैं? मेरे मित्र मुझे बता सकते हैं।

रजिस्ट्रार अथवा डीन अथवा सब-डीन की नियुक्ति के मामले में, पहली बार ऐसा हुआ है कि दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध एक युवा स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति से संबद्ध लोगों की डीन और सब-डीन के रूप में नियुक्ति की है। लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है। उन्हें माननीय राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था लेकिन उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। किसी तीसरे व्यक्ति को प्रभार दे दिया गया। फाइल रजिस्ट्रार के पास नहीं जाती थी। फाइल डीन के पास जाती थी। वह जब चाहे, वरिष्ठता क्रम में दसवें आदमी को उठाकर चयन सूची के शीर्ष पर रख देता है और वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की जाती है। यह स्पष्ट है कि यहां विज्ञान का विकास नहीं हो रहा है और अब संकाय सदस्यों की रुचि सिर्फ इसमें है कि राजनीति कैसे की जाती है। लोग अदालती मुकदमें लड़ने में ज्यादा विशेषज्ञ होते जा रहे हैं। यह अच्छा समय है कि हम संकल्प करें कि विधेयक पारित हो जाए ताकि एम्स में सामान्य स्थिति बहाल हो सके और अच्छा वातावरण बनाया जा सके। इन दिनों एम्स के हालात देखना बहुत दुखदायी है।

अभी तक शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया गया है लेकिन रजिस्ट्रार की सेवा के मामले में यह क्रियान्वित हो चुका है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस वर्ष जब रजिस्ट्रारों का चुनाव हुआ और यह पाया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अनेक अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उन्होंने प्रारूप में परिवर्तन कर दिया। उन्होंने प्रारूप में इस प्रकार परिवर्तन किया जिससे कि साक्षात्कार संचालित कर सकें। जब शासकीय निकाय ने उनसे ये पूछा कि यह कैसे किया तो उन्होंने रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं की। आखिरकार संस्था तो आपको चलानी ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अनौपचारिक आधार पर यह करने के लिये बाध्य किया गया कि मामला अदालत में लंबित है। हर चीज अदालतों द्वारा निर्धारित की जा रही है। इस प्राकर की संस्था में ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। एक चिकित्सक के रूप में मैं महसूस करता हूं कि स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकनि इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वायत्तता के नाम पर आप अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए कानूनी उपबंध और वैधानिक कानून कार्यान्वित नही करेंगे। इन समुदायों और वर्गों के लड़के लड़कियां हमेशा भय और आतंक में रहते हैं। इसके उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं जो दर्शाते हैं कि जिन लड़के लड़कियों ने आन्दोलन में भाग लिया उनको परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। जो लड़के अपनी योग्यता से आए उनको अनुत्तीर्ण कर दिया गया *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया बाधित न करें। कृपया बैठ जाएं। डा. करण सिंह यादव के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलिति नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: मेनका जी, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: यादव जी, आप कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: मेनका जी, कृपया बैठ जाइये। सभा की कार्यवाही में व्यवधान मत डालिए। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री पोन्नुस्वामी, कृपया बैठ जाइये। श्री यादव के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयाः यादव जी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

डा. करण सिंह यादवः महोदया, अ.भा.आ.सं. में परीक्षाएं अ.भा.आ.सं. के परीक्षा अनुभाग द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षकों की नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाती है। वास्तव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कुछ लड़के व लड़कियां एक विशिष्ट शिकायत लेकर आए ...*(व्यवधान)*

वे अपने पिछले रिकार्ड के साथ आए तथा यह दिखाया कि उन्हें अ. जाति व अ. जनजाति के होने के बावजूद उन्हें सामान्य उम्मीदवार के रूप में भर्ती किया गया। उन्होंने सभी परीक्षाओं को पास किया था, परन्तु चूंकि उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था इसलिए उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। शासी निकाय ने यह निर्णय लिया था कि इन लड़कों की पुनः परीक्षा ली जाए परन्तु उन्हीं परीक्षकों को नियुक्त किया गया जो पहले थे।

सभापति महोदयाः कृपया बाधा न डालें। आप बार-बार बाधा डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण होने का कारण बताया जा रहा है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः कृपया सभा को बाधित न करें। डा. करण सिंह यादव जी के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयाः कृपया उन्हें बोलने दें। आप पहले ही 36 मिनट का समय ले चुकी हैं। कृपया बैठ जाइये। सभा की कुछ गरिमा को भी बनाए रखिए। रिकार्ड में डा. करण सिंह यादव जी के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. करण सिंह यादवः संस्थान में तानाशाही की सीमा इस हद तक थी कि विभागाध्यक्षों के बीच एक विवाद हो गया। एक महिला प्रोफेसर के कक्ष पर ताला जड़ दिया गया तथा वहां गार्डों की तैनाती कर दी गई। उन्हें अपने कमरे में भी नहीं जाने दिया गया। हमने शासी निकाय में यह कहा था कि कम से कम ऐसा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो नहीं किया जाना चाहिए। हम डाक्टर के रूप में कमरे की तालाबंदी करने के स्तर तक नहीं गिर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः मैं आपसे बार-बार कह रही हूं कि कृपया बाधा न डालिए। डा. करण सिंह यादव के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयाः डा. यादव जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

डा. करण सिंह यादवः दुर्भाग्यवश यह हुआ कि जब आरक्षण का मुद्दा सामने आया तो स्वयंभू बुद्धिजीवी न्यायालय पहुंचे तथा अपील की कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। मामला न्यायालयों में लंबित था। परन्तु न्यायालय ने उन्हें अ. जाति व अ. जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्त करने पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया। लगभग 200 सहायक प्रोफेसरों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था तथा वे अपने पद पर कार्य करते रहे। जब उन्होंने अपना चार वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, तो पिछला शासी निकाय, जिसका मैं सदस्य नहीं था इस बात को मानता था कि डी.ओ.पी.टी. नियमों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तदर्थ सेवा की अवधि को भावी प्रोन्नति के लिए नहीं लिया जा सकता और वे सब जो तदर्थ सेवा में थे उनका चयन किया गया तथा उच्च पदों पर प्रोन्नत कर दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार वंचित रह गए। अ.भा.आ.सं. के अपने व्यक्ति हैं तथा वे उन्हीं का चयन करते रहते हैं तथा बाहर से वहां कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है।

महोदया, यह एक ऐसा संस्थान है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। यह सदन तथा इस सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि यह संस्थान ठीक ढंग से कार्य करे। यहां बहुत कुछ ठीक नहीं है। यह उन सब लोगों को अलविदा कहने का वक्त है जिन्होंने अब तक इस संस्थान में चिकित्सक, शल्य चिकित्सक अथवा किसी अन्य रूप में सेवा प्रदान की है। हमने उन्हें सम्मान दिया है। यह वह समय है जब उन्हें कहा जाए कि वे इस संस्थान को और अधिक क्षति न पहुंचाएं।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा सभा से अनुरोध करता हूं कि संस्थान डाक्टरी पेशे, गरीब आदमी तथा पददलित लोगों तथा अन्य समुदायों के हित में इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए तथा हमें

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. करण सिंह यादव]

देखना चाहिए कि इसके बाद संस्थान में सुधार होना आरंभ हो जाए तथा इसे आगे कोई क्षति न पहुंचे।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): सभापति महोदया, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, इस विधेयक को पिछले सत्र में इसके मूल पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से 1956 से अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया जाना था। जबकि उस समय मैं किसी अन्य मन:स्थिति में था मेरे दल की स्थिति स्पष्ट थी कि हम इस विधेयक का मूल रूप में समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए चूंकि, इसका आशय अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान के शासी निकाय की स्वायत्तता पर अतिक्रमण करना था। परन्तु अब, माननीय मंत्री महोदय ने विवादित खण्ड 2 और 3 उप-धारा 1(ख) में संगत संशोधन परिचालित किए हैं तथा इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट है कि आपत्तिपूर्ण तथा विवादित भाग का लोप किया जाना है। इस कारणवश मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं चूंकि इसका अभिप्राय संस्थान के प्रशासन एवं प्रबंधन को सुचारू एवं कारगर बनाना है जनसाधारण के लिए हमारा यह चिकित्सा संस्थान हमारी चिकित्सा प्रणाली में एक अग्रणी संस्थान है।

हम इस संस्थान की महत्ता सर्वोच्च न्यायालय के समतुल्य मानते हैं। यह लोगों को अद्यतन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाला संस्थान है। यह संस्थान चिकित्सा विज्ञान, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान है। इस संस्थान को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। हमें विभिन्न कारणों के चलते इस संस्थान पर गर्व है। परन्तु मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह संस्थान भली-भांति कार्य कर रहा है या नहीं। इस समय हम यह नहीं कह सकते हैं कि इसकी यह गरिमा अभी भी कायम है। कई कारणों से हम इस संस्था पर गर्व नहीं कर सकते। यह वह संस्थान है जिसकी नींव बीमार लोगों को अद्यतन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए डाली गई थी। हम लोगों के दुख-तकलीफों को समझते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, यह संस्थान स्वयं किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है। यह मुख्य बिंदु है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?

मेरी कुछ विशिष्ट टिप्पणियां हैं। श्रीमती मेनका गांधी द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखीं। वहां कई जटिलताएं हैं। मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे सहयोगी, डा. करण सिंह यादव जी ने सरकार की ओर से विचार व्यक्त किए। लेकिन मैं निश्चित तौर पर किसी पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पर लांछन नहीं लगाऊंगा। मैं केवल विधेयक के गुणावगुणों पर बोल रहा हूं।

महोदया, कुछ दिन पहले जब हमारे देश में उथल-पुथल था, तभी दुर्भाग्यवश इस संस्थान का नाम मीडिया में चर्चा में आया। इस संस्थान के नाम को मीडिया में प्रमुखता से छापा गया। यह आरक्षण-विरोधी आंदोलन के बारे में था। एक संस्थान जिसका उद्देश्य दुखी मरीजों को अद्यतन चिकित्सा सुविधा तथा बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है, वह आरक्षण विरोधी आंदोलन का अखाड़ा बन गया है। दुर्भाग्यवश, इस संस्थान को गंदी राजनीति में घसीटा गया है। यह कोई मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। बल्कि यह प्रो. थोराट, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में गठित भारत सरकार द्वारा गठित तथ्यान्वेषण समिति की टिप्पणी है। समिति ने इस रिपोर्ट में कई तथ्य टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं। यद्यपि उस रिपोर्ट को इस सभा में नहीं रखा गया है फिर भी उन टिप्पणियों और सिफारिशों की विषय-वस्तु मीडिया और प्रेस में आ गई है। हम इससे आश्चर्यचकित हैं। एक डाक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस संस्थान को लेकर शर्मिन्दा हूं। यदि ये टिप्पणियां सत्य हैं और यदि यही वस्तु-स्थिति है तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। और यहां यही सब हो रहा है। इस रिपोर्ट ने प्रशासन को ही कटघरे में ला खड़ा किया है। वस्तु-स्थिति क्या है, इसका मुझे कोई पता नहीं है ।

मैं मांग करता हूं कि थोराट समिति की रिपोर्ट को इस सभा के पटल पर रखा जाए। इसमें कई टिप्पणियां और सिफारिशें हैं जो अहितकर और अप्रिय हैं। जो एक समुदाय विशेष के लोगों के प्राकृतिक न्याय और मानवाधिकारों के विरुद्ध हैं जो एक विशेष समूह के छात्रों, संकाय के विशेष सदस्यों, कनिष्ठ और वरिष्ठ रेजीडेन्ट्स डाक्टरों के विरुद्ध हैं। ये सारी बुराइयां यहां हो रही हैं।

हम यहां संसद में प्रशासन को सुचारू बनाने के लिए हैं। हमें संस्थान के प्रशासन को सुचारू बनाना पड़ेगा। जिससे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजनीतिक निकाय की बुराई को समाप्त किया जा सके। अन्यथा हमारा गौरव जाता रहेगा। यही कारण है कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

मैंने कुछ टिप्पणियों को दर्ज किया है जो मीडिया में आई थी। मैं उन सभी निष्कर्षों को यहां रखना चाहता हूं। इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

यहां पर और बाहर हमारे बहुत से सहयोगी मानवाधिकारों के संबंध में सदैव मुखर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात सांविधिक

आरक्षण है जो संविधान में लिखित है और जिसका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पालन नहीं हो रहा है। सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को भी सांविधिक आरक्षण दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, पिछले कई वर्षों के आरक्षण-नीति का पालन नहीं हो रहा है। इसे ताक पर रख दिया गया है।

कुछ छात्र जिन्हें हो सकता है कि दिक्भ्रमित किया गया हो, कहते हैं कि वे आरक्षण के विरुद्ध हैं और वे योग्यता और समान न्याय के पक्षधर हैं वे कहते हैं कि योग्यता मुख्य आधार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति यह है। फिर, आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 33 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये सांविधिक आरक्षण विशेष रूप से उपबंधित हैं। वहां इस तरह के दोष और कमियां हैं। जिसका सहारा लेकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों छात्रों के जायज सांविधिक अधिकारों के साथ समझौता किया जा रहा है। सरकार पर मेरा आरोप है—चाहे कोई भी सरकार हो- इस तरह की बातें वर्षों से होती आ रही हैं। ये आज भी चल रही हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: डा. डोम, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपको पांच मिनट दिया गया था लेकिन आप अब तक 15 मिनट बोल चुके हैं।

डा. रामचंद्र डोम: महोदया, मुझे अभी कुछ मिनट और चाहिए। बहुत से सदस्य कई मिनट बोले हैं। ...*(व्यवधान)* मैं किसी पर भी लांछन या आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं यहां पर कोई भी गैर कानूनी बात नहीं बोलना चाहता। मैं यहां कुछ जायज टिप्पणियां रखना चाहता हूं।

महोदया, 24 अगस्त, 2001 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान में किए गए आरक्षण के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण को अधिकारातीत करार देते हुए खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी, उच्चतम न्यायालय के इस आदेश की अनदेखी करते हु इस प्रकार का आरक्षण दिया जा रहा है। यह सब कैसे चल रहा है।

महोदया, पद आधारित-रोस्टर प्रणाली की स्थिति में जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण का एक मात्र आधार है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा वरिष्ठ रेजीडेंटशिप की स्थिति में इसका अनु पालन नहीं किया जा रहा है जबकि कनिष्ठ रेजिडेंटशिप के मामले में नामांकन के लिए रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। इस प्रकार की विसंगतियां यहां मौजूद हैं।

प्रशिक्षण और पदस्थापन और यहां तक की परीक्षा प्रणाली में भी भेदभाव बरता जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने इस ओर इशारा किया है। यह मात्र एक टिप्पणी नहीं है। यह बात वहां हो रही है। हमें अपने दिमाग का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार और संसद चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। उन्हें कार्यवाई करनी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र पदस्थापन प्रशिक्षण और परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत ध्यान देने जैसी बातों के दौरान भेदभाव की शिकायत करते हैं तथा आरक्षण-विरोधी आंदोलन के दौरान तथा बाद में उनके द्वारा परेशानी का सामना करने का आरोप लगाया गया है। अन्य मामलों में भी भेदभाव किया जा रहा है। वहां पर रेजीडेंट डाक्टर एसोशियेशन है। वह रेजीडेंट डाक्टरों का अग्रणी संगठन है। लेकिन इस एसोसिएशन का गठन कर जाति आधारित बना दिया गया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदया, आरक्षण समर्थक छात्रों को इन घटनाओं के बाद भयावह अनुभवों का सामना करना पड़ता है। एक ज्वलंत उदाहरण जो मीडिया में सामने आया है वह डा. अजीता जिल का उदाहरण है। यह अपने आप में अद्वितीय है। सरकार से मेरी मांग है कि वह इस मामले की छानबीन कराये। यह स्पष्ट रूप से भेदभाव का मामला है। उसे मनोवैज्ञानिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: डा. डोम आपके दल के लिये आवंटित समय समाप्त हो चुका है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदया, संकाय-सदस्यों के चयन में भी इसी प्रकार की स्थिति मौजूद है। हमारे विद्वान सहयोगी, डा. करण सिंह यादव द्वारा कई ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। यहां पर शोध अवसरों से वंचित करने संबंधी घटना का भी उल्लेख हुआ है। थोराट समिति की सिफारिशें प्रेस में आ गई हैं। मैं उन सिफारिशों की विषय-वस्तु को संक्षेप में बताना चाहूंगा:-

> ''संकाय की नियुक्तियों में पद आधारित रोस्टर प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए आरक्षण नीति का पूर्णत: पालन किया जाना चाहिए।''

> ''इसके क्रियान्वयन की निगरानी संपर्क अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा इसकी सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।''

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की सभी समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की

[डा. रामचंद्र डोम]

भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। संकाय और रेजिडेंट डाक्टरों की शिकायतों और परेशानियों के एक उपयुक्त फोरम में समाधान के लिए एक निवारण तंत्र होना चाहिए।''

अब मैं प्रशासन की भूमिका की बात करता हूं। समिति की टिप्पणियां बहुत ही दुखदायी हैं। समिति ने टिप्पणी की है:-

''संकाय के रेजीडेंट डाक्टरों और छात्रों द्वारा दिए गए बयानों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य का विश्वास करें तो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का प्रशासन जिसका नेतृत्व निदेशक कर रहे हैं, की आरक्षण विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने में भूमिका रही है।''

सभापति महोदया: डा. डोम कृपया समाप्त कीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: यदि यही स्थिति है, यदि यही तथ्यात्मक स्थिति है तो यह वास्तव में प्रशासन तथा व्यवस्था को क्षति पहुंचा रही है। मैं किसी विशेष प्राध्यापक के विरुद्ध नहीं हूं। मेरे मन में उनके प्रति भी आदर का भाव है। वे एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन कोई भी देश के सांविधिक कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए इसकी जांच की जानी चाहिए और दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से यही मेरी मांग है। ...*(व्यवधान)*

एक वरिष्ठ प्राध्यापक यहां तक कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन ऑफ मेडिसिन का भी आरक्षण विरोधियों द्वारा अपमान किया गया। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ...*(व्यवधान)* अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के संदर्भ में संस्थान की सभी प्रकार की सामाजिक गति-विधियों की सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भेदभाव मौजूद है। इसे परिपुष्ट किया गया है। यही वस्तु-स्थिति है। वे सार्वजनिक भोजन कक्ष में भोजन नहीं कर सकते । ...*(व्यवधान)* खेलकूद में उनको अलग-थलग रखा जाता है।

सभापति महोदया: डा. डोम आपके दल का समय समाप्त हो चुका है। आप 15 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: वे पुस्तकालय में सार्वजनिक अध्ययन कक्ष में पढ़ नहीं सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति है, तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

हमें उन सभी बुराइयों को हटाकर संस्थान सो सुव्यवस्थित करना है। निःसंदेह प्रशासन इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है। जाने-अनजाने में इन सभी विवादों में उसकी भूमिका रही है। इसीलिए संस्थान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह उचित समय है। इसी कारण से इस विधेयक के माध्यम से सरकार का प्रस्ताव हमारे समक्ष है। तथापि यह एक छोटा सा संशोधन है परन्तु इसका बहुत ही सशक्त और सकारात्मक प्रभाव है। संस्थान को सुव्यवस्थित बनाने में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव होगा। इस विधेयक का उद्देश्य संस्थान को सुव्यवस्थित बनाना है ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें तथा लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को उठाया जा सके। मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपने दल की ओर से मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं संस्थान की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार से अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता। संस्थान की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

हम चाहते हैं कि संस्थान की स्वायत्तता सुव्यवस्थित ढंग से चले। इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा आज इस सदन में लाए गए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। एम्स बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और देश के विभिन्न भागों से आकर लोग एम्स में अपना इलाज कराते हैं।

उसकी अपनी साख है। वहां न सिर्फ इलाज होता है बल्कि विभिन्न रोगों का शोध भी होता है। देश के प्रत्येक भाग के जो मरीज अपने प्रदेशों के इलाज से निराश हो जाते हैं, वे एम्स में आकर अपनी जान बचाने का काम करते हैं। एम्स में इलाज करवाने के लिए खासकर बिहार से लोग आते हैं क्योंकि वहां बड़ी मेडिकल संस्थाएं नहीं हैं जहां लोग अपना उपचार करवा सकें। बिहार के काफी लोग यहां आकर उचित इलाज की व्यवस्था करवा पाते हैं। यह अस्पताल नहीं है बल्कि इसके माध्यम से लोगों की जान बचाने का उत्तम प्रबंध होता है। जो बिल लाया गया है वह न सिर्फ एम्स के संदर्भ में लाया गया है बल्कि पी.जी.आई. चंडीगढ़ के संदर्भ में भी लाया गया है कि संस्था को इम्प्रूव किया जाए। उसका प्रबंधन पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो। इसलिए माननीय मंत्री जी इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए हम सबके सामने लाये हैं ।

महोदया, भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्या मेनका गांधी जी अभी यहां नहीं है। वे इस विधेयक का पुरजोर विरोध कर रही थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। हमें लगता है

कि विपक्ष की सब पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। उनको परेशानी हो रही है। वे एम्स का सुधार नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि वह राजनीति का अखाड़ा बना रहे, लोग मरते रहें और उस संस्था के माध्यम से लोग अपनी राजनीति करते रहें। इसलिए कहा जा रहा है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए इस पर विचार नहीं किया जाए। असल में इस विधेयक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता परिलक्षित हो रही है। इनकी बुनियाद इसी पर खड़ी है। इन्हें ओबीसी शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूलट्राइब्स के लोग कहां से अच्छे लगेंगे। पिछले दिनों इस संस्था की साख काफी गिरी है। इस संस्था के बनने के बाद शायद ऐसा कोई निदेशक नहीं आया जो इतना कंट्रोवर्शियल हो और जिसने पार्टी और पालिटिक्स और जाति-पांति में पूरी तरह इनवॉल्व होकर संस्था को बांट दिया हो। उस डाइरेक्टर को जितनी जल्दी हटा दिया जाए वह अलग बात है लेकिन उन्होंने जिस तरह हरकत करने का काम किया है, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए यह संस्था राजनीति का अड्डा नहीं है दलितों के लिए अलग व्यवस्था, ओबीसी के लिए अलग व्यवस्था, डाइरेक्टर प्रोसेशन को लीड कर रहे हों, डाइरेक्शन दे रहे हों ओबीसी और दलित लोगों को प्रताड़ित कर रहे हों। मैंने आज तक कभी इस तरह की हरकत करने वाले डाइरेटक्र को, जो सरकारी सेवा में रहा हो, नहीं देखा। उन्हें कहां से ताकत मिल रही है, उनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो मंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार नहीं समझ पा रही है। क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है? वोट का सहारा लिया जा रहा है? न्यायालय के माध्यम से एक आदेश लाया जा रहा है कि यह काम नहीं करें, वह काम करें। उच्चतम न्यायालय का आदेश है- नो वर्क नो पे। लेकिन वहां दूसरी तरह का आदेश पारित किया जा रहा है। जो लोग अपनी मांगों के लिए हड़ताल में जाने वाले हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी संस्था के डायरैक्टर के माध्यम से उनके प्रबंधन में दलित समुदाय के लोगों के लिए अलग खाने की व्यवस्था हो, अलग भोजनालय की व्यवस्था हो।

भारत का अपना संविधान है और आजादी के बाद यही हमारी खूबसूरती रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उसमें सब लोगों को बराबरी का हक दिलाने की बात कही गई थी। लोगों को क्या पीड़ा है? आज आजादी के 60 वर्ष बाद भी दलित और ओबीसी के लोगों के साथ यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है- एक सरकारी संस्था में, एक सरकारी निदेशक के माध्यम से जो डाक्टर हैं। अब डाक्टर का स्थान अलग होता है। लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान है तो नीचे डाक्टर। उस डाक्टर के माध्यम से छुआछूत होता है। हमारे मूल संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश उस डायरेक्टर ने की है। ...*(व्यवधान)*

ऐसे डायरेक्टर को हटाना तो दूर गिरफ्तार करना चाहिए और जितनी ज्यादा पनिशमेंन्ट दे सकें, उसे देनी चाहिए, मगर लोगों को यह बर्दाश्त नहीं होगा। लोग शैड्यूल कास्ट्स शैड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय को आधार बनाकर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट लेना है। लेकिन इस देश के लोग जाग चुके हैं। अब वे बातों में आने वाले नहीं हैं। ओबीसी, शैड्यूल कास्ट्स और शैड्यूल ट्राइब्स के लोगों के बिना उनका पेट भरने वाला नहीं है और न ही उनको वोट मिलने वाला है। मगर यह सब दिखावा है, जो सामने नजर आ रहा है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, बैक करने का काम किया जा रहा है। यह सब चलने वाला नहीं है। इस देश में जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आबादी 75 प्रतिशत है, वे अपने संविधान, हक और रक्षा-सुरक्षा के प्रति जाग चुके हैं। यदि उनकी रक्षा सुरक्षा और मान मर्यादा को आहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो शैड्यूल कास्ट्स, शैड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोग इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इनकी धार में जो लोग आयेंगे, वे ढह जाएंगे, उनका नाश को जाएगा। यह तो मामूली डायरेक्टर है। डायरेक्टर मंत्री को अपमानित करने का काम कर रहा है क्योंकि मंत्री शैड्यूल कास्ट्स, शैड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का आदमी है। लोगों को यह पच नहीं रहा है। अगर मंत्री पद पर यदि शैड्यूल कास्ट्स, शैड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी का आदमी न होकर अपर क्लास का आदमी होता, तो शायद उसे इस तरह से प्रताड़ना न झेलनी पड़ती।

आजादी के बाद शायद यह पहला स्वास्थ्य मंत्री हो जिसे इतना अपमान सहना पड़ा है—एक डायरेक्टर की वजह से, मामूली निदेशक के माध्यम से जो एप्वाइंटी होता है। अब कहा जाता है कि उसे स्वायत्तता दी जाए और उसका पद न काटा जाए। माननीय मंत्री जी आप बताइये कि यहां रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है? भगवान न करे एम्स में कोई हादसा हो जाए। मान लीजिए किसी की लापरवाही की वजह से एम्स में 500 मरीजों की मौत हो जाती है। आप कहते हैं कि उसे पांच साल तक बनाकर रखो। आप उसे छुओ मत यानी पूरे टर्म तक बनाकर रखो। मान लीजिए किसी निदेशक की वजह से जो वहां का प्रबंधन करता है वहां का सर्वेसर्वा है, उसकी गलतियों की वजह से 500 लोगों की मौत हो जाती है तो क्या उस पर रिस्पौंसिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी? क्या ऐसे लोगों को पांच साल तक कन्टीन्यु कराने का काम किया जाएगा? क्या मंत्री उसे नहीं हटा सकते हैं? यह कहां का कानून है? इसका जवाब कौन देगा? उसकी जवाबदेही किसके ऊपर है? क्या डायरेक्टर पार्लियामेंन्ट में आकर जवाब देने का कार्य करेगा? यह रिस्पौंसिबिलिटी तो मंत्री के ऊपर होती है और मंत्री के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। अब मंत्री क्या करेंगे? वह क्या कर सकते हैं?

[श्री राम कृपाल यादव]

महोदया, स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। मैं समझता हूं कि इस तरह के पदाधिकारियों को रखना हमारे और लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह संवैधानिक हित में भी नहीं है। हम कहां आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कहां हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं और कहां हम पीछे जा रहे हैं। हजारों वर्षों की जो तकलीफ, घृणा, विद्वेष है उसे इस डायरेक्टर के माध्यम से प्रचलित करने का काम किया जा रहा है, जो परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को एक दिन भी उस पवित्र संस्था में बने रहना उचित नहीं होगा। आप सभी को मालूम है कि एम्स की क्या दशा हो गई है। हम लोगों को आए दिन एम्स में जाना पड़ता है। कोई सीरियस पेशेंट है, लेकिन उसका नम्बर छः महीने बाद, एक साल बाद आ रहा है। आदमी मर रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। किसी को प्रॉपर तारीख नहीं मिलती। हम लोगों के भी रिकमंडेशन लैटर्स जाते हैं आपके पास भी इस तरह के लोग आते होंगे, खासकर बिहार से गरीब तबके के लोग रिकमंडेशन लैटर के लिए आते होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई वहां एंटरटेन नहीं करता। हमारे रिकमंडेशन लैटर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। क्या यही सांसद की अहमियत है कि उसकी सिफारिश को इग्नोर कर दिया जाए और मरीज को डांटकर भगा दिया जाए यह कह कर कि तुम क्यों किसी सांसद की अप्लीकेशन लेकर आये हो।

सभापति महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रघुनाथ झा जी हैं। वह कुछ समय पहले बीमार थे और उनका इलाज एम्स में चल रहा था। उनकी स्थिति काफी चिन्ताजनक हो गई थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें देखने के लिए रेल मंत्री लालू प्रसाद जी गए। उन्होंने वहां जाकर देखा कि व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि रघुनाथ झा जी की हालत काफी नाजुक हो गई थी। इस पर रेल मंत्री जी ने अपने साथ आये राज्य मंत्री अखिलेश सिंह जी से कहा कि आप निदेशक साहब को बुलाकर लाएं और बताएं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। जब अखिलेश जी उनके पास आये तो उन्हें नकार दिया गया। यह शर्म की बात है कि भारत के एक राज्य मंत्री के बुलावे पर भी निदेशक महोदय नहीं आये। यह तो एक प्रकार की तानाशाही हुई और लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चल सकती। वह डायरेक्टर साहब पता नहीं अपने-आप को क्या समझते हैं। इससे पता चलता है कि एम्स में कैसी दुर्व्यवस्था हो गई है और इन डायरेक्टर साहब के रहते वह दूर होने वाली नहीं है। सैकड़ों लोग मौत से जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। इतनी गिरावट वहां आ गई है। हम लोग मंत्री जी को शिकायत करेंगे, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा तो डायरेक्टर साहब सुनने वाले नहीं हैं।

देश में एस. सी. और एस.टी. की तरह ओबीसी के लिए आरक्षण की बात हुई। संसद में सभी पक्षों द्वारा उस विधेयक को पास किया गया। उसके विरोध में आन्दोलन हुआ और लोगों को उकसाया गया कि तुम आरक्षण के विरोध में काम करो। इस काम के लिए वहां फंडिंग की गई। एम्स के डाक्टर्स को निर्देश दिया गया कि इसका विरोध करो। इस तरह से वहां के लोगों को उकसाने का काम किया गया। अगर इस तरह की पवित्र संस्थाओं में छात्रों में, टीचर्स में राजनीति का प्रवेश हो जाएगा तो ये संस्थाएं अपवित्र हो जाएंगी।

सभापति महोदया: कृपया समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं।

सभापति महोदया: समय का भी ध्यान रखें।

श्री राम कृपाल यादव: करोड़ों लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने का काम मैं कर रहा हूं। हम लोगों के दिलों में इस निदेशक के रहते हुए बड़ी निराशा है, बड़ा दर्द है। यह दर्द भला भारतीय जनता पार्टी को क्यों होगा, इन्हें कहां से दर्द होने वाला है।

ओबीसी के लिए आरक्षण के विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, तो एम्स में तम्बू गाड़े गए थे कि विरोध करो। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो जलाने का काम हुआ था। इस तरह से कैसे देश बचेगा, जिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हम पूजा करते हैं, उनकी फोटो को जलाने का काम किया गया। इससे तो अच्छा यह है कि डायरेक्टर साहब को चाहिए कि वह अपना काम छोड़ दें और अगर राजनीति में इतना मजा मिलता है तो फिर राजनीति करने का काम करें।

अपराह्न 4.00 बजे

जनता के बीच में काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस बिल में केवल नियंत्रण करने का काम किया गया है और कोई खास बात नहीं है। इस पर इतना बवाल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक आम अवाम के हित में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एम्स में ऐसे डायरेक्टर साहब तथा डायरेक्टर साहब जैसे लोगों की मानसिकता और विचारधारा वाले लोग ऊंच-नीच वाली मानसिकता वाले लोग जो हैं उनको भी पनिश करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदयाः एम्स जैसे संस्थान प्रत्येक स्टेट में भी बनाए जाएं, इस पर आप बोलें।

श्री राम कृपाल यादवः दिल्ली में ही नहीं 6 अन्य जगहों पर भी एम्स बनाने की बात है। हमारे संसदीय क्षेत्र में भी एम्स बनाने का निर्णय हुआ है। इन लोगों ने बिना पैसा सैंक्शन किये ही वहां शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी से शिलान्यास कराया था। पैसा सैंक्शन नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यूपीए सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी को और यूपीए सरकार के मंत्री जी और अपने नेता माननीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके प्रयास से उसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ। लेकिन जितनी राशि दी जा रही है वह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। आप जितनी धनराशि दे रहे हैं उससे काम होने वाला नहीं है। पांच करोड़ बोलने के बाद भी आपने उसे छोड़ दिया है। हमारा कोई सांसद नहीं है जिसके घर पर रोज 50 आदमी रिक्मेंडेशन के लिए न जाते हों। वहां एम्स खुल जाएगा तो इस एम्स पर कम भार पड़ेगा। पटना के साथ-साथ अगर सब जगह एम्स खुल जाएं जो मरीजों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है वह नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था लेकिन समय का अभाव है, इसलिए इस विधेयक को जोरदार समर्थन के साथ पास किया जाए। जिससे माननीय मंत्री जी को ताकत मिले। साथ ही डायरेक्टर ने जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जात-पांत, ऊंच-नीच तो उन्हें हटाया न जा एबल्कि उन पर कानूनी केस कीजिए, मुकदमा कीजिए और जेल में भेजने का काम कीजिए। ताकि गलत काम करने की किसी डायरेक्टर की हिम्मत न हो और स्वस्थ वातावरण का वहां निर्माण हो। इस देश में कुंठित भावना से ग्रसित लोगों को ऐसे पदों पर नहीं बैठाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदया, हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी चिकित्सा शाखा तथा चिकित्सक समुदाय से हैं। डा. पी. वेणुगोपाल एक प्रतिष्ठित तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक हैं जिन्हें देश ने पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया।

परन्तु देश के प्रतिष्ठित संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वह हम सभी को हतोत्साहित करने वाला है।

मंत्रीजी मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी, संसद के प्रतिनिधि तथा सरकार में प्रतिनिधि हैं। वे सम्मान के हकदार हैं परन्तु साथ ही उन्हें किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं वह हम सभी के लिए चिन्ता की बात है। हमें उनके कार्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें देश को लाभान्वित तथा देश के चिकित्सा विज्ञान में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए परन्तु ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल पूरी तरह से मुकदमेबाजी से ही भरा है। मुकद्मेबाजी में उनकी काफी रुचि है। उन्हें हमेशा ही न्यायालय में घसीटा गया है। उनके कार्यों को कई बार न्यायालय ने निर्धारित किया है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देश का प्रतिष्ठित स्वायत्त संस्थान है। सिकी स्थापना अपर स्नातक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में शैक्षिक पद्धतियों के विकास के प्रयोजन से की गई थी ताकि इससे देश में अन्य आयुर्विज्ञान संस्थानों के समक्ष मेडिकल शिक्षा के उच्च पैमाने को प्रदर्शित किया जाए।

29 नवम्बर 2002 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने डा. पी. वेणुगोपाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया। निदेशक के रूप में डा. पी. वेणुगोपाल का पांच वर्ष का कार्यकाल 3 जुलाई 2008 तक है। उनकी सेवा में छः से सात महीने का समय अभी शेष है। 29 मार्च 2007 के निर्णय के अनुसार उनकी नियुक्ति मौजूदा नियमों तथा संस्थान में विद्यमान परम्पराओं के अनुरूप है। अतः उनकी नियुक्ति वैध है। उनका निदेशक बने रहना वैधानिक रूप से सही है। उनकी नियुक्ति एम्स में लम्बे समय से पालन किए जा रहे नियमों के अनुसार की गयी है। परन्तु क्या हो रहा है?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 नवम्बर 2006 के अपने पिछले आदेश में भी यह रिकार्ड किया है जिसके अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की एक मात्र प्राथमिकता डा. पी. वेणुगोपाल को किसी भी प्रकार से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पर से हटाना है।

सभापति महोदया, इस विधेयक का उद्देश्य यही है। न्यायालय को भी यह प्रतीत हुआ है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री का एक मात्र उद्देश्य डा. पी. वेणुगोपाल को उनके पद से हटाना है। मुझे यह समझ नहीं आता कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को उनके पद से हटाने के लिए इतने इच्छुक क्यों हैं।

सभापति महोदया, इस विधेयक को सभा में पारित कराने के लिए इसीलिए प्रस्तुत किया गया है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वे छः माह

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

बाद सेवा निवृत्त होने वाले हैं उनके मंत्रालय तथा इस विधेयक का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति को हटाना है। हम सभा में इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसके लिए सभा का पूरा समय ले रहे हैं। उनका क्या कुसूर है? मैं सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं। वे ऐसा करने के क्यों इच्छुक हैं। हमें यह बताइये कि डा. वेणुगोपाल का कुसूर क्या है जिससे कि हम आपका समर्थन कर सकें परन्तु यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। मंत्री जी को बताना चाहिए कि इस पर उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। हम जानना चाहते हैं कि निदेशक को हटाने में मंत्री जी की इतनी रुचि क्यों है। उन्हें बताना चाहिए तथा पूरे देश को बताना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया व्यवधान न उत्पन्न करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: विधेयक में ऐसा नहीं कहा गया है ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप विधेयक को पढ़िए। मैं विधेयक पढ़ रहा हूं।

महोदया, मैं इस विधेयक का पैरा 3 (1क) पंक्तियां 21 से 29 को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

> "परन्तु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारंभ से ठीक पूर्व निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, जहां तक उसकी नियुक्ति इस उपधारा के उपबंधों से असंगत है, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे निदेशक के रूप में पद धारण करना समाप्त कर देगा और अपने पद के या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व पर्यवसान के लिए तीन मास के वेतन और भत्तों से अनधिक प्रतिकर का दावा करने का हकदार होगा।"

इस प्रावधान के पीछे निहित मंशा क्या है? विधेयक में ही यह कहा गया है ...*(व्यवधान)*

निदेशक कौन हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री बृज किशोर त्रिपाठी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम नासमझ नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: त्रिपाठी जी आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए। सदस्य की बात का उत्तर मत दीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदया, ये मुझे परेशान कर रहे हैं!

सभापति महोदया: पोन्नुस्वामी जी कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: माननीय सदस्यों, उन्हें अपना भाषण जारी रखने दें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं माननीय मंत्री महोदय और समस्त सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विधेयक में वर्णित प्रावधान के बारे में ही है।

'ऐसा कोई भी प्रावधान जो सूचना देने, सुनवाई का अवसर देने और समय पूर्व पर्यवसित किये जाने के लिए औचित्यपूर्ण कारणों से वंचित किया जाना असंवैधानिक होगा।' यह न्यायालय का विनिर्णय है। अतः यह असंवैधानिक होगा।

सभापति महोदया: त्रिपाठी जी, कृपया मुद्दे पर बात कीजिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माफ कीजिएगा।

सभापति महोदया: आप संक्षेप में मुद्दे-वार अपनी बात कहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदया, बीच-बीच में यह टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदया: मैं इसे समझती हूं और इसीलिए आपको बोलने का समय दिया गया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इसके लिए समय की सीमा निर्धारित नहीं है। हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं कह रही हूं कि आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करिए और निर्धारित समय सीमा में अपनी बात कहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इस चर्चा के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। यह विधेयक है। विधेयक ऐसे पारित नहीं हो सकता। प्रत्येक वाक्य में व्यवधान हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): विधेयक पर चर्चा के लिए समय आबंटित किया गया है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं बता रही हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल को चर्चा का समय आबंटित किया गया है और हरेक को उसी समय-सीमा में बोलना है। आप मुख्य-मुख्य बातें कहें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं मुख्य बातें ही बता रहा हूं। यह प्रावधान असंवैधानिक है। इसीलिए मैं न्यायालय के आदेश का संदर्भ दे रहा हूं। मैंने अभी-अभी विधेयक के प्रावधान का उद्धरण दिया है, और साथ ही मैं न्यायालय के आदेश का भी उद्धरण दे रहा हूं कि किस तरह यह प्रावधान असंवैधानिक होगा।

यदि आज आप इसे स्वीकृति देते हैं और न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक करार दे दिया जाता है तो क्या इस तरह नासमझ बन कर हमें इस विधेयक को स्वीकृति दे देनी चाहिए।

यही मेरा मुद्दा है और इसीलिये मैं कानूनी प्रावधान के बारे में जानने के लिए समस्त सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रकाश में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यदि समय इसकी अनुमति दे तो मैं ऐसे कई मामले उद्धृत करना चाहता हूं जहां सम्माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विधेयक पारित होने के बाद यह अधिनियम असंवैधानिक हो जाएगा। सरकार को मुकदमे में घसीटा जा रहा है और सभा का उपहास बनाया जा रहा है। हम सरकार को ऐसा कोई विधान न बनाने के लिए आगाह कर रहे हैं जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाए। परन्तु सरकार हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रही है। पहले भी कई मामलों में ऐसा हुआ है।

मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत सम्मान करता हूं परन्तु इस मामले में मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह ऐसे प्रावधान को पारित करने में सारी सभा को सम्मिलित करने का प्रयास न करें जिसे बाद में असंवैधानिक बताकर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाए। मैं सरकार से पुनः इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: उनके पक्ष में शामिल न हों।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं किसी के पक्ष में शामिल नहीं हो रहा हूं।

सभापति महोदया: इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करिए और इस पर ध्यान न दें कि सदस्यगण क्या कह रहे हैं?

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदया, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से भी कुछ आदेश जारी किये हैं। मैं केवल यह बता रहा हूं कि कैसे अलग-अलग तरह से यह सब किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: स्वास्थ्य मंत्रालय सभा से 65 वर्ष की आयुसीमा निर्धारित करने की स्वीकृति मांग रही है।

अब यह निदेशक की आयुसीमा 65 वर्ष निर्धारित करने की बात कर रहे हैं। अन्य मंत्रालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस संबंध में क्या आदेश हैं। हाली ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आदेश जारी करके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की है और व्यैक्तिक रूप से कुछ मामलों में यह सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है।

वर्तमान सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष की है। अब इस विधेयक के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जा रही है, ऐसा क्यों? सरकार ऐसे दो आदेश क्यों जारी कर रही है- एक मंत्रालय सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर रहा है और दूसरा मंत्रालय सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर रहा है? यह केवल एक व्यक्ति विशेष को पद से हटाने के लिए किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं इस सभा का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि बाद में क्या किया जाएगा? ऐसी रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 130 से 150 डाक्टरों और संकाय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और माननीय मंत्री जी को इस संबंध में एक अभ्यावेदन भी दिया है। उनका मतभेद क्या है? 13 नवम्बर 2007 को माननीय प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2007 के विरुद्ध सामूहिक त्यागपत्र की धमकी दी है। पत्र में कहा गया है: स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से आपकी सरकार एक कठोर और दमनकारी विधेयक पारित करना चाहती है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के पद की गरिमा हमेशा के लिए घटाकर कठपुतली बनाना चाहती है जबकि आपके प्रयासों से नियुक्त वैलियाथन समिति का प्रतिवेदन एक वर्ष से अधिक समय से धूल फांक रहा है। इस सरकार द्वारा सम्माननीय वैलियाथन समिति की नियुक्ति की गई थी जिसने एक वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। यह प्रतिवेदन यथावत स्थिति में है परन्तु माननीय मंत्री की रुचि मात्र निदेशक को हटाने में है ...*(व्यवधान)* सिफारिशों में यह कहा गया है "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम में व्यापक संशोधन की आवश्यकता

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

है और इसलिए वैलियाथन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इसकी समीक्षा आवश्यक है। अत: माननीय मंत्री महोदय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम में कुछ और संशोधन लाएं ताकि वैलियाथन समिति की सिफारिशों को भी इसमें शामिल किया जा सके। हम इसका स्वागत करेंगे।

वैलियाथन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को एक स्वायत्त संस्थान कैसे बनाया जाए? परन्तु वास्तव में क्या किया जा रहा है? इसे किस तरफ ले जाया जा रहा है? वे भी इसी संकाय से और इन्हीं में से हैं।

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: वे एक डाक्टर भी हैं। वे जिस प्रकार इस विधेयक हेतु इस सभा का अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं वह सभी की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है।

अंत में, एम्स के संकाय सदस्यों द्वारा भी यही कहा गया है।

सभापति महोदया: धन्यवाद त्रिपाठी जी कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: जी महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि डाक्टरों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। वे भी एक डाक्टर हैं। मैं उनका आदर करता हूं। समस्त सभा विधेयक वापस लिए जाने के पक्ष में है।

माननीय मंत्री को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और इसके स्थान पर एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए जिससे कि हम उसका समर्थन कर सकें। न्यायालय द्वारा अधिनियम आदि को निरस्त किए जाने की अनावश्यक स्थिति से बचना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

सभापति महोदया: धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका बहुत धन्यवाद।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदया, मैं आशा करता हूं कि वे सही निर्णय लेंगे। उन्होंने इस विधेयक में कतिपय संशोधन किए हैं, उन्हें इस विधेयक को भी वापस ले लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगुसराय): सभापति महोदया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड पी.जी.आई. के संबंध में जो बिल सदन में लाया गया है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। आम तौर पर सदन में कई तरह के बिल आए हैं और सदन में बिलों पर चर्चा होती है। लेकिन जब अच्छे के लिये कोई बिल आता है तो सभी दल और पूरा सदन एकमत होकर उस बिल का समर्थन करता है। लेकिन इस बिल की बुनियाद ही वर्चस्व को लेकर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में हम देख रहे हैं कि पिछले एक, डेढ़ साल से किस तरह सरकार और विभाग के मंत्री का हस्तक्षेप हो रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज एक आटोनामस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्था है। इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय रहा है, इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, इसके पहले भी डायरेक्टर रहे हैं, इसके पहले भी वहां डाक्टर रहे हैं, इसके पहले भी वहां इलाज होता रहा है। लेकिन आज तक के इतिहास में जिस तरह से पिछले डेढ़ वर्षों में इस विभाग के मंत्री ने, जो वहां के चेयरमैन भी हैं। किस तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज के प्रतिदिन के काम में हस्तक्षेप करके उस अपना वर्चस्व कायम करने का काम किया है, उसके कारण इन्हें यह बिल यहां लाना पड़ा है। वह भी क्यों लाना पड़ा? कई बार यह हाई कोर्ट गये, कई बार यह मामला हाई कोर्ट गया, कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सब जगह सरकार को और विभागीय मंत्री को मुंह की खानी पड़ी और मुंह से बल गिरने के बाद इस सदन का लबादा, इस सदन का समर्थन प्राप्त करके यह फिर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग बिहार के हैं। आप लोग वहां जाकर देख लीजिए, प्रतिदिन वहां सात प्रतिशत मरीज बिहार से आते हैं। हम लोग वहां देखते रहे हैं। जब हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज में जाते रहे हैं तो वहां सुनते रहे हैं कि किस तरह से वहां प्रतिदिन के काम में, किस तरह से डाक्टर्स के छोटे-मोटे फैकल्टीज लैक्चर्स के अपाइंटमैन्ट में मंत्री डायरेक्टिव्ज इश्यु करते रहे हैं, यह हम सुनते रहे हैं। अगर मंत्री में साहस है, यदि उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज के चेयरमैन की हैसियत से मंत्री में साहस है तो वह बताएं कि कितनी बार उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज को डायरेक्टिव्ज इश्यु की। हम उनसे यह जानना चाहेंगे कि कितनी बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मुंह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या जजमैन्ट उन पर दिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): आप ज्युडिशियल एक्टिविज्म का पक्ष ले रहे हैं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': यह ज्युडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, हर चीज को ज्युडिसियल एक्टिविज्म नहीं कह सकते। रूटीन वर्किंग में कितनी बार इन्होंने हस्तक्षेप किया है। श्रीमती मेनका गांधी जी ने कई बातों पर चर्चा की, अगर उनमें साहस

है तो जवाब दें। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज के गेस्ट हाउस पर किस तरह इन्होंने कब्जा किया ...*(व्यवधान)* *

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): भ्रमित न करें। ...*(व्यवधान)* जब आपको पता नहीं है तो आरोप न लगाएं। बेबुनियाद आरोप न लगाएं ...*(व्यवधान)* ऐसा न करें ...*(व्यवधान)* यह आपको शोभा नहीं देता ...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम): कृपया कार्यवाही-वृत्तांत से इसे निकाल दें।

सभापति महोदया: कृपया इस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: कृपया इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैंने इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. अंबुमणि रामदास: क्योंकि उन्होंने आपको कहा ...*(व्यवधान)* ऐसा न करें। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास: कृपया इस शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री रामदास मैंने इस शब्द को पहले ही कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: यह निकाल दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आप इसका जवाब दीजिएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदया इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इसे निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आप जवाब दीजिए, आपके मंत्री जवाब देंगे, आप क्यों खड़े हैं? आप सच्चाई सुनिए, सच्चाई कड़वी होती है। ...*(व्यवधान)* सच्चाई सबसे कड़वी होती है। सच जानने का प्रयास कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपने प्वाइंट पर बोलिए, साइलेंट प्लीट, प्लीज आप बैठिए।

[अनुवाद]

मैंने इन शब्दों को निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इसे र्कावाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है। कृपया बैठ जाएं, उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी: वे असंसदीय शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैंने किसी भी असंसदीय शब्द का उपयोग नहीं किया है।

सभापति महोदया: अध्यक्षपीठ इस पर निर्णय लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': यदि मैंने असंसदीय शब्द का उपयोग किया है तो मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री राजीव रंजन सिंह कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैंने 'सत्ता का दुरुपयोग' कहा है, कौन कहता है 'सत्ता का दुरुपयोग' असंसदीय है?

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सत्ता का दुरुपयोग असंसदीय नहीं है, यह संसदीय अभिव्यक्ति है।

सभापति महोदया: श्री राजीव रंजन सिंह कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आपसी बहस कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप अपनी बात मुझे बताएं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने जब कहा कि एसीसी कैबिनेट ऑन अपॉइंटमेंन्ट्स के पास इस मामले को भेजना चाहिए। *...(व्यवधान)* उसी चेयरमैन ने जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया तो अपनी ही सरकार के खिलाफ हलफनामा दायर करने का काम उस चेयरमैन ने किया। *...(व्यवधान)* यह रिकार्ड की बात है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्यों ऐसा हो रहा था? इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि वर्चस्व कायम करने में पूरी सरकार उनका समर्थन नहीं कर रही थी। आज वे इस सदन के माध्यम से पूरे सदन का समर्थन लेकर वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। उस पर कब्जा करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* 70 करोड़ रुपया इन्होंने ''एम्स'' से कटवा दिया। *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य त्रिपाठी जी बता रहे थे कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने डाइरेक्टिव जारी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: क्या आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं? यदि आपके पास साक्ष्य है कि मैंने 70 करोड़ रुपये की निधि कम कर दी है तो कृपया मुझे दें। कृपया ऐसा आरोप न लगाएं जिसकी आपको जानकारी न हो। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: माननीय मंत्री, चर्चा के पश्चात इन सब बिन्दुओं को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: श्री राजीव रंजन सिंह कृपया मुद्दे पर ही बोलें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: प्रो. रामदास और श्री पोन्नुस्वामी कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास: क्या आप इस मुद्दे पर इन्हें चुनौती देंगे? कृपया असत्य बात मत कहें। सांसद की तरह व्यवहार करें, असत्य बात मत कहें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इसका पहले ही लोप किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में इसका जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': मैं आपके मुद्दे को भी उठा रहा हूं। आप इतने चिंतित क्यों हैं? आप इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं? सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया आपस में बातचीत न करें। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: प्रो. रामदास तथा श्री पोन्नुस्वामी, कृपया बैठ जाइये। सभा की कार्यवाही में बाधा मत डालिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदया, मैं बताना चाहता हूं *...(व्यवधान)* देंगे। बैठे रहिए। *...(व्यवधान)* महोदया, अभी त्रिपाठी जी ने सत्तर वर्ष की चर्चा की। *...(व्यवधान)* एचआरडी मिनिस्ट्री ने डाइरेक्टिव इश्यू किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कितनी बार आपने सत्तर वर्ष तक एक्सटेंशन कराया और एक तरफ दूसरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को आप दो-दो बार एक्सटेंशन दिला रहे हैं। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: राजीव रंजन जी, आप अपनी बात प्वाइंट में बता दीजिए। मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': महोदया, यही कारण था कि हम लोगों ने शुरू में विरोध किया कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। ...*(व्यवधान)* तब आपने कहा कि आप आज लिमिटेशन जारी नहीं कर सकते। अभी और पांच मिनट में हम अपनी बात समाप्त करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री राजीव रंजन सिंह जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': इसके अलावा आज जो वो पार्लियामेंट को गुमराह कर रहे हैं, पार्लियामेन्ट की आड़ में जो वे एम्स पर कब्जा करना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का एक पैरा कोट करके सिर्फ बताना चाहते हैं क्योंकि कल फिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ...*(व्यवधान)* मिस्त्री जी, छोड़िए न। आपकी तो बहुत अच्छी रेप्युटेशन है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप कृपया चेयर को एड्रैस करके अपनी बात कहें न कि मिस्त्री जी को।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ यूनियन्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सिर्फ एक पैरा आपको कोट करके बताना चाहेंगे, उसके बाद एक लाइन में अपना अनुभव बताना चाहेंगे तथा उसके बाद हम अपनी बात समाप्त करेंगे।

[अनुवाद]

इसके अनुसार:-

''जब कभी भूतलक्षी प्रभाव से कोई संशोधन किया जाता है अथवा भूतल की प्रभाव से किसी अधिनियम के उपबंध का लोप किया जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान किन्हीं लोगों के हित किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होंगे। प्रत्येक मामले में विधायिका द्वारा नए उपबंध के लाए जाने व मौजूदा उपबंध का भूतलक्षी प्रभाव द्वारा लोप किए जाने से स्वत: ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। जैसाकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (1993 अनुपूरक (1) एसएससी 96 (2)) के मामले में न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई थी, विधायिका द्वारा जिस आधार पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया उसे बदल सकती हैं तथा परिणामस्वरूप सामान्य रूप से कानून में परिवर्तन एक विशिष्ट वर्ग तथा घटनाक्रम पर व्यापक प्रभाव डालेगा।''

''तथापि, यह पार्टियों के मध्य दिए गए व्यक्तिगत निर्णय को बदल नहीं सकता है तथा उसके अधिकारों व दायित्वों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार की कार्यवाही के माध्यम से विधायिका आंशिक रूप से राज्य की न्यायिक शक्तियों का कार्यान्वयन करता है तथा न्यायाधिकरण के अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है जो कि शक्तियों के प्रथककरण की अवधारणा के विरुद्ध है।''

यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: वे केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उद्धृत कर रहे हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सभापति महोदया, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जिस दिन एक इंडिविजुअल को खत्म करने के लिये कानून बनेगा, न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप होगा और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ...*(व्यवधान)* मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। डा. वेनुगोपाल की चर्चा यहां की गई जिसे मैं आज तक नहीं मिला और न ही मैं जानता हूं। वह एक ऐसा डाक्टर है, अगर उसने इसे व्यापार समझा होता तो उस पर रुपयों की बरसात हो रही होती लेकिन उसने मानवता की सेवा करने के लिए अ.भा.आ.सं. में रहना मंजूर किया। आप लोग उस पर कीचड़ उछालने काम का कर रहे हैं।

सभापति महोदया, पिछले साल मुझे डेंगू हो गया था और मैं अ.भा.आ.सं. में भर्ती था। माननीय मंत्री जी डेंगू मरीजों को देखने के लिये अपने तमाम अमले के साथ वहां आये। इसके अलावा श्री दासमुंशी, केन्द्रीय मंत्री भी अ.भा.आ.सं. में आये और टी.वी.

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

लश्कर के साथ कुर्सी लगाकर सब देखने का काम किया। मैं बगल के कमरे में था लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इतनी फुरसत नहीं थी कि एक सांसद वहां भर्ती है, उसका हाल-चाल पूछने चले आते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': लेकिन डा. वेणुगोपाल, जिसे मैं न जानता था, न पहचानता था, वह रोज साढ़े छः बजे मुझे देखने के लिए आया करते थे और उसके बाद वार्ड में जाते थे। ये लोग क्या बात करेंगे जो चर्चा कराना चाहते हैं और अपने व्यवसाय का स्थान बनाना चाहते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदया, आपने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति जी, इस विधेयक पर हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी बातें रखीं हैं। अ.भा.आ.सं. हमारे देश का सर्वोच्च मैडिकल संस्थान है और पूरे देश में इस संस्थान का नाम प्रतिष्ठा और प्रभावशाली ढंग से लिया जाता है। जैसा माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि पिछले एक-डेढ़ साल से माननीय मंत्री जी और संस्थान के निदेशक के बीच में झगड़ा चल रहा था, यह किसी को मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या कारण है या क्या विवाद है? जैसा श्री राजीव रंजन जी ने कहा कि यह संस्थान पहले से ही है, जहां मंत्री जी भी रहे हैं और कई डायरेक्टर आते जाते रहे हैं। जहां मरीजों का इलाज होता रहा है। जहां तक मुझे लगता है चूंकि मंत्री जी स्वयं एक डाक्टर हैं, इसलिए हो सकता है कि वहां कुछ कमियां या खामियां हों या जो रोगी वहां आते हैं, उनका इलाज न होता हो, जिसके लिए वह शायद कोशिश कर रहे हैं कि संस्थान में बेहतर सेवाएं हों, उसके लिये प्रयास कर रहे हैं या कोई और मामला है।

सभापति जी, मैं अभी इस विधेयक को देख रहा था कि संस्थान और प्रशासन के बीच में जो झगड़ा है, उससे संस्थान की साख गिरी है और मंत्री जी विवाद के घेरे में आये हैं। इस बात को हम बराबर समाचार पत्रों में देख चुके हैं। मैंने कई मैगजीन्स में भी पढ़ा है। यहां तक कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यह बड़े दुख की बात है। तमाम माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस संस्थान की अपनी एक प्रतिष्ठा और गौरव स्थापित है। वहां पर जो भी मरीज जाएं, उनकी सही इलाज हो सके। यह बात भी सही है कि संविधान में यह उल्लिखित है कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आज देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे सीएचसी, पीएचसी या जिला अस्पताल हों या तमाम इक प्रकार के संस्थान हों, वहां पर गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाता है। अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री गुरुदास दासगुप्ता जी ने रखा, उसमें इसी बात को कहा गया कि आज जितने भी डाक्टर हैं, चाहे वे किसी भी संस्थान में काम कर रहे हों, वे मरीज नहीं देखते हैं। उसके बाद वे सरकारी इलाज नहीं करते, जबकि हमारे सरकारी अस्पताल और संस्थानों में आज भी अच्छे उपकरण मौजूद हैं जहां पेशेन्ट का इलाज हो सकता है, लेकिन वे इंगित करते हैं कि आप फलां पैथोलॉजी लैब और फलां नर्सिंग होम में जाइए। ज्यादातर देखा गया है कि सरकारी डाक्टर सरकारी सर्विस के अलावा भी नर्सिंग होम में जाते हैं और तमाम पैथोलॉजी लैब या सीटी स्कैन सैन्टर्स या जहां एक्स-रे होते हैं, वहां उनका संबंध होता है। यहां पर बात चूंकि निदेशक की हो रही है जिसमें कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक, पांच वर्ष तक निदेशक रह सकता है। मुझे मालूम कि अन्य संस्थानों के निदेशक के संबंध में क्या उल्लिखित है, उनके लिए कितनी आयु तक रहने की व्यवस्था है, लेकिन एम्स के बारे में जो विधेयक लाया जा रहा है, यह एक प्रश्न वाचक चिह्न उपस्थित करता है और इसके लिए सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। या तो एक बात यह भी हो सकती है कि डाक्टर अंबुमणि रामदास जी एस.सी या बैकवर्ड क्लास से हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लड़ाई इसकी भी होती है कि यदि सर्वोच्च पद पर कोई शैड्यूल कास्ट या ओबीसी का आदमी जाता है तो उस संस्थान में तमाम ऐसी लॉबी होती हैं कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा होती है। एक कारण यह भी हो सकता है। इसकी जांच भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि विधेयक आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे जो सरकार के पक्ष में न हो, उससे सरकार की और किरकिरी होगी। इसको भी गंभीरता से लेना होगा। इस विधेयक को लाने से पहले हमें तमाम विद्वजनों से विचार-विमर्श करना चाहिए, तभी जाकर हम इसको पास करने के बारे में सोचें। चूंकि इस पर चर्चा चल रही है, तो मैं अपने राज्य के लिए कुछ मांग करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की आबादी 18 करोड़ है। वहां पर कवाल टाउन के पांच महानगर हैं-कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ, जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है। वहां इस प्रकार के पांच बड़े संस्थान खोलने की जरुरत है। इससे पहले मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर चुका हूं कि इन संस्थानों में यदि पैसे की डिमांड हो रही है। तो आप वहां पर मदद करें। आप ऐसे संस्थान खोलें जहां से अच्छे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डाक्टर आएं, निदेशक आएं और तमाम मरीजों को उससे फायदा मिल सके। इसके लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल के बारे में जो व्यवस्था की गई है, अगर एम्स के बारे में यह व्यवस्था इस विधेयक में की है, 5 वर्ष 65 वर्ष आयु की, तो पूरे हिन्दुस्तान में जितने भी संस्थान हैं, वहां भी इसको लागू करने की जरूरत होनी चाहिए, तभी न्यायसंगत होगा, अन्यथा हम किसी के साथ अन्याय करने के बारे में इस बिल के माध्यम से सोचने पर मजबूर न हों, यह व्यवस्था हमें देखनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदया, वास्तव में मैं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमें गहराई से संशोधन विधेयक का अध्ययन करना चाहिए। यहां अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आरक्षण विरोधी अभियान का केन्द्र रहा है। हमें उस संस्थान पर गर्व रहा है, परन्तु आजकल इस संस्थान की प्रसिद्धी कम हुई है।

इसलिए, न केवल इस सम्माननीय सभा के लिए यह अत्यंत खेद का विषय है, बल्कि यह समस्त जनता के लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए यह एक राष्ट्रीय चिंता है। इसलिए हम अ.भा.आ.सं. में स्थिति के बारे में चुप नहीं रह सकते हैं। माननीय सदस्यों विशेष रूप से डा. रामचन्द्र डोम एवं कांग्रेस की ओर से सब सदस्यों ने अ.भा.आ.सं. की मौजूदा स्थिति की चर्चा की है। परन्तु अन्य प्रारूप भी हैं। सर्वप्रथम स्वायत्तता पर अतिक्रमण के बारे में प्रश्न उठता है अथवा नहीं यह देखकर इसका निर्णय किया जाना चाहिए अथवा निर्धारण किया जाना चाहिए।

दूसरे, पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय दिए जा चुके हैं। क्या हमने उन्हें ध्यान में रखा है? मैं यह विधेयक लाए जाने के लिए माननीय मंत्री जी इच्छा या नीयत को चुनौती नहीं दे रहा हूं न ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। परन्तु मेरा प्रश्न यह है कि इस परिस्थिति में सरकार एक नया विधान क्यों नहीं लाती है? आप मौजूदा अधिनियम में संशोधन क्यों करते हैं? इसलिए मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु मंत्री जी से मेरी अपील है कि गहराई से इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस सभा में उठाए गए सभी मुद्दों को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। इसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं तथा हम अपना निर्णय दे सकते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि सरकार इस पर विचार करेगी तथा इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदया, जैसा अभी एम्स के बारे में कहा गया, जो देश का प्रसिद्धतम और कुशलतम चिकित्सा संस्थान था, आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी गरिमा और विश्वसनीयता को बड़ा आघात पहुंच रहा है और यह आघात केवल दो व्यक्तित्वों के अहम के टकराव के कारण हो रहा है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और दूसरी तरफ निदेशक, वेणुगोपाल जी का नाम लिया जा रहा है। परिणामस्वरूप भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने जो कल्पना की थी, कि गरीबों के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा, विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा यहां प्रदान की जाएगी, वैसी चिकित्सा सुविधा यहां प्रदान की जा रही थी। नाम और काम भी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं समझता हूं कि आपसी टकराव के कारण इस संस्थान की गरिमा को बहुत आघात पहुंच रहा है। चिकित्सा संस्थाओं के अंदर आज भी एम्स का नाम मूर्धन्य है। जब भी कोई बात होती है तो एम्स का नाम आता है- चाहे राजस्थान, बिहार, यूपी या किसी भी भाग में हो। हमारे लिए यह गौरव की बात कि हमारे यहां एम्स जैसी संस्था है। जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय लोगों का कहना था कि हमारे यहां भी एम्स जैसी संस्था हो, क्योंकि एम्स में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अन्य राज्यों के अन्दर भी एम्स स्थापित किए जाएं। उस समय देश के कई राज्यों के अन्दर छः एम्स स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था और यह निर्णय एम्स को आदर्श मानकर किया गया था। जहां असाध्य रोगों का इलाज किया जाता था, लेकिन आज वहां मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है। आपस में खींचतान और एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति किसी भी दृष्टि से इस प्रकार के संस्थान के लिए उपयुक्त नहीं है। अब भी अगर आपने इस संस्था को आटोनामी प्रदान की है इस संस्था को स्वायत्तशासी बनाया है तो स्वायत्तशासी बनाने के बाद उस संस्था के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पांडिचेरी में जो इस प्रकार का चिकित्सा विश्वविद्यालय बना है, वहां पर भी इस प्रकार का निर्णय आया कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस मामले में हस्तक्षेप न करें। मैं उसको कोट करना चाहूंगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि एम्स एवं इसी तरह की संस्थाओं में हेल्थ मिनिस्टर एवं हेल्थ सेक्रेटरी का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का टकराव एम्स के अन्दर पैदा हुआ है उससे इनकी स्वायत्तता को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मैं जिस संस्था की बात कह रहा था जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एण्ड रिसर्च (जेआईपीएमएआर) पांडिचेरी बिल, 2007 पर राज्य सभा की स्वास्थ्य समिति जिसके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी

[प्रो. रासा सिंह रावत]

के अमर सिंह जी ने राज्य सभा में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि समिति को यह टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि हाल ही में कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं, जिनसे एम्स की स्वायत्तता प्रभावित हुई है। समिति यह सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को किसी भी इकाई में सीधे तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। समिति ने बताया कि जेआईपीएमएआर में स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को पदेन सदस्य से के रूप में शामिल किए जाने की बात चल रही है। यदि ऐसा हुआ तो जिन समस्याओं का सामना एम्स को करना पड़ रहा है उन्हीं समस्याओं से इस संस्थान को भी रूबरू होना पड़ेगा। पांडिचेरी में जिस संस्थान के बारे में सिफारिश आई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की स्थिति पैदा हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रो. रामदास कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अन्य संस्थाओं को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह की आशय के प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जाना चाहिए जिससे स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव उनके कामकाज में हस्तक्षेप न करें। मैं इस संबंध में उर्दू का एक शेयर यहां पर कहना चाहता हूं "न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है।" इस विषय के बजाय निदेशक की आयु 65 वर्ष करने एवं अन्य बातों के लिए लाते तो अच्छा होता। लेकिन नीयत का पता यहीं से लग जाता है कि चंडीगढ़ पीजीआई का मुखौटा इन्होंने इसमें लगाया है। पीजीआई चंडीगढ़ की आड़ में यह बिल लाया गया है। इससे इनकी मैलाफाइड इन्टेन्शन का पता चलता है। इसलिए मजबूर होकर मुझे इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है। मैं आपकी आज्ञा से कोट करना चाहूंगा " सरकार का हस्तक्षेप एम्स की स्वायत्तता के लिए खतरा"- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं निदेशक के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रही वर्चस्व की जंग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। सरकार का हस्तक्षेप इन उत्कृष्ट संस्थाओं के लिए अत्यंत कष्टदायक है। यहां की संचालन समिति के पदेन सदस्यों के रूप में शामिल स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव के कार्यों पर ऐसे में पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति की इसी संबंध में टिप्पणी की गई है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के एम्स में सीधे हस्तक्षेप की ओर इशारा करती है। प्रतिवेदन में लिखा है कि चण्डीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इन्स्टीट्यूट (पीजीएसआईआर) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री को अध्यक्ष एवं सचिव को पदेन सचिव के रूप में शामिल करना अनुचित है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस बिल को संसद की स्थायी समिति में क्यों नहीं भेजा? स्थायी समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं जो इस पर विचार-विमर्श करते, जिसमें सरकार केसचिव को भी बुलाया जाता। उसमें पूरी चर्चा करने के बाद यदि यह बिल संसद में आता तो ठीक रहता। लोकतन्त्र की मर्यादा, संवैधानिक तंत्र की मर्यादा का उल्लंघन करके यह बिल सीधा सदन में लाया गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रावत जी, समय का ध्यान रखिए, यह बातें पहले हो चुकी हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: उसकी स्वायत्तता पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

मैडम, आप भी जानती हैं कि चाहे विश्वविद्यालय हों या इस प्रकार के संस्थान हों, इनमें हस्तक्षेप निन्दनीय होना चाहिए। आखिर में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि कोर्ट ने कई बार वहां के अधिकारियों के या निदेशक महोदय के पक्ष में निर्णय दिये हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार कहीं न कहीं गलती कर रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः कहना चाहूंगा कि वह एम्स जैसी संस्था की गरिमा और विश्वसनीयता को देश की जनता के हित में और लाखों लोगों के इलाज के लिए उसकी जो गरिमा बनी हुई है, उसको बरकरार रखने के लिए पुनः प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री एस. के खारवेनथन (पलानी): महोदया, इस युगान्तरकारी विधेयक के समर्थन का अवसर देने के लिए पीठ का धन्यवाद करता हूं।

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई), चंडीगढ़ को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ अधिनियम 1966 के अंतर्गत नियमित किया गया है।

वर्तमान में, इन संस्थाओं के निदेशकों की नियुक्ति, सेवा के नियम और शर्तें उपर्युक्त अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों से मॅनीटर होते हैं। वर्तमान विधेयक वर्ष 2006 की एल पी ए संस्थाओं 2045, 2046 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 29 मार्च 2007 के निर्देशों के अनुपालन में लाया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्तमान निदेशक का निदेशक के रूप में चुनाव और नियुक्ति 61 वर्ष की आयु में पांच वर्ष की अवधि के लिए हुई थी। यह अवैध नियुक्ति है। यह एम्स, दिल्ली और पीजीआई, चंडीगढ़ में हुई पूर्ववर्ती सभी नियुक्तियों के प्रतिकूल है। यह नियुक्ति पीजीआई, चंडीगढ़ में हुई निदेशक की परवर्ती नियुक्ति के भी प्रतिकूल है जिसे मार्च 2004 में 62 वर्ष की आयु होने तक के लिए नियुक्त किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निदेशक संस्थान का कर्मचारी है लेकिन नियम 30 के उपबंध, जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु गैर-अध्यापन कर्मचारियों के लिए साठ वर्ष औक अध्यापन संकाय के लिए बासठ वर्ष है, निदेशक के पद पर लागू नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि निदेशक के पद पर नियुक्ति एक ''आवधिक नियुक्ति'' है और इसे यथोचित कारण के अलावा और निदेशक को सूचना दिए बिना कम नहीं किया जा सकता, और वह भी कानून के अनुसार किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार तथा एम्स के शासकीय निकाय को एक ऐसी नीति तैयार करने का निर्देश दिया है जिसमें कानून के अनुसार निदेशक सहित इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें और विभिन्न तथ्य शामिल हों। माननीय उच्च न्यायालय ने एम्स, नई दिल्ली और पीजीआई, चंडीगढ़ के निदेशकों की अवधि के बारे में वर्तमान नियमों और शर्तों में व्याप्त खामियों को भी उजागर किया। इन कमियों को दूर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डा. अंबुमणि रामदास ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

यह विधेयक एम्स अधिनियम 1956 की धारा 11 और पीजीआईएमएस अधिनियम 1966 की धारा 11 को संशोधित करके उपधारा 1क को अंतर्विष्ट करने का रास्ता साफ करता है। उपधारा 1क के अनुसार, निदेशक नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

वर्ष 2004 में, एम्स का कुल बजट लगभग 250 करोड़ था। तथापि वर्तमान माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने एम्स को जॉन हॉपकिन्स के स्तर का बनाने के लिए, बजट को बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया।

सभापति महोदया: कृपया समाप्त करें।

श्री एस.के. खारवेनथन: मैं विधेयक पर बोल रहा हूं। आपने अन्य सदस्यों को अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

कृपया मुझे एक मिनट और बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदया: आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री एस. के. खारवेनथन: पिछले कुछ महीनों में, गैर-योजना व्यय दो गुना हो गया है लेकिन योजना निधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और लगभग 200 करोड़ रुपये रखे हुए हैं।

गांधीवादी, श्रीमती निर्मला देशपांडे सहित लगभग 104 संसद सदस्यों ने वर्तमान निदेशक के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव और परेशान करने के संबंध में एक अभ्यावेदन दिया है और उनके खिलाफ एक जांच भी शुरू की गई थी।

वर्तमान निदेशक दीक्षांत समारोह करने में विफल रहे हैं और अवर स्नातकों को डिग्रियां प्रदान करने में भी विफल रहे हैं। छात्रों ने आन्दोलन सुरू कर दिया और अंततः माननीय मंत्री ने हस्ताक्षर किए और प्रमाण पत्र जारी किए।

पूरे देश में, सभी लोग वर्तमान निदेशक की जन-विरोधी गतिविधियों से परिचित हैं लेकिन भारत सरकार उन्हें हटाने के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। चूंकि वे पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात अपनी आयु के 66वें वर्ष तक नियुक्त हुए हैं इसलिए वे संस्था से कल्याण के लिए चिन्ता नहीं कर रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं। वर्तमान विधेयक इस समस्या का हल करेगा।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सुयोग्य प्रशासन के अधीन संप्रग सरकार, हमारे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 2010 की समाप्ति से पहले जोधपुर, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर, और भोपाल में छः विश्व-स्तरीय एम्स जैसी संस्थाओं की योजना बनाई है।

मैं हमारे माननीय मंत्री, डा. अंबुममि रामदास की बहुमूल्य सेवाओं की प्रशंसा करता हूं।

इन सभी आयामों पर विचार करने पर, वर्तमान विधेयक, हमारे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याम मंत्री डा. अंबुममि रामदास द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। मैं मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं। उन्हें बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया। इस बिल पर न बोलने का इरादा पहले मैंने किया था। बिल बहुत छोटा है, लेकिन इस बिल को लेकर

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

चर्चा सदन के विभिन्न अंगों से हुई और इस चर्चा के दौरान एक बात साफ तौर पर यहां दिखायी देती है। जिस सदन में हम चर्चा कर रहे हैं, उस सदन की मुख्य जिम्मेदारी यह है कि संविधान ने जिसको जो अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकार का पालन सरकार के साथ-साथ इस सदन को और हम सभी को करना है। इस बात पर मुझे यह महसूस हुआ कि शायद हम उस संविधान के अधिकारों को ही चुनौती देने का काम दुर्भाग्य से इस बिल के माध्यम से सदन में करने जा रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कहना चाहता हूं। पिछली ग्यारहवीं लोकसभा से मैं इस सदन का सदस्य हूं। जिस व्यक्ति विशेष का यहां उल्लेख हुआ है, मेरा उनसे कभी संपर्क नहीं हुआ और न होने की कोई संभावना है, इसलिए मुझे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और जैसा कि राम कृपाल यादव जी भी कह रहे थे कि आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एक संस्थान है। यह अनुसंधान करने वाली संस्था भी है। मेडिकल साइंस में रिसर्च करने वाला संस्थान है। हम लगभग हर राज्य में राजनीति करने वाले लोग खास तौर पर आम सभा में भी यह कहते रहते हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वे राजनीति से हटकर रहने चाहिए। यह हम लोग भी कहते हैं और मैं समझता हूं कि यह आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस भी वैधानिक शिक्षा का एक संस्थान है। मेडिकल इंस्टीट्यूट एक संस्थान है, इसलिए इस संस्थान की जो स्वायत्तता है, वह बनी रहे। मुझे लगता है कि हमारे संविधानकर्ता हों या जिन्होंने इस देश की आजादी में या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और आजादी के बाद जब पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में देश में पहली सरकार बनी, तब से लेकर आज तक कई ऐसे संस्थान हैं, जिनको आटोनॉमी दी गयी है। मुझे लगता है कि जो निर्णय इस देश के नेतृत्व करने वाले पूर्व नेताओं ने किया, हम उससे हटकर कुछ नयी दिशा की ओर इन सारी बातों को ले जा रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस विवाद में कोई रुचि नहीं है कि उस पद का, उस डिपार्टमेंन्ट का मंत्री या उस मंत्री के तहत आने वाली किसी संस्थान या संस्था का प्रमुख, इन दोनों में कौन बड़ा है, श्रेष्ठ है। यह विवाद का मुद्दा नहीं हो सकता और यदि होता है तो वह लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है। बार-बार हमें टोका जाता है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। आज हम इस सदन में बहस को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे पूरे दो साल नहीं मिले, मैं अटल जी के नेतृत्व में लगभग डेढ़ साल तक इस देश का ऊर्जा मंत्री रहा। आप जानते हैं कि ऊर्जा विभाग के तहत कई बड़े-बड़े पीएसयूज हैं। उन सारे पीएसयूज को स्वायत्तता दी गई है. यदि मैं चाहता तब भी किसी पीएसयू के चेयरमैन को सीधे डाइरेक्टिव नहीं दे सकता था, न दे पा रहा था, जबकि मुझे कई बार लगता था कि कहीं गलत हो रहा है। लेकिन यदि मैं उस विवाद में पड़ता, उसी विवाद में जूझता रहता, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे दो साल उसी में खत्म हो जाते। सारी चर्चा के बाद ऐसा लग रहा है, कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर का अधिक समय इस विवाद में जा रहा है. हमारे देश की सौ करोड़ जनसंख्या में से 70 प्रतिशत आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहां आरोग्य से संदर्भ में जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिएं, वे आज भी नहीं हैं।

कल एक स्टार्ड प्रश्न था, जिसका जवाब मंत्री जी स्वयं दे रहे थे। उसमें हमारे यहां प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स या हैल्थ सैंटर्स के बारे में एक सर्वे था और उसकी रिपोर्ट अनैक्सचर टू में कोट की गई थी। हमारे प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसका प्रतिशत उस सर्वे में दिया गया था: मैंने कल उसमें जो पढ़ा, वह आज मेरे पास यहां नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गीते जी समय समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं राजनीतिक बात के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इस बिल का समय समाप्त हो चुका है और दूसरा बिल भी आना है। आपने समय मांगा मैंने दिया, इसलिए जितनी जल्दी कनक्लूड कर सकें, कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदया, मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगा। मैं बिल के बारे में ही बोल रहा हूं। जिस संविधान का सम्मान करने के लिए इस सदन को बनाया गया है, उसी सदन में हम संविधान के खिलाफ कोई काम करें, मुझे डर है कि वह काम हमसे न हो, हम जिम्मेदार न हों और इसीलिए मेरे मन में जो भय है, उसे मैं यहां कुछ उदाहरण के साथ रखना चाहता हूं। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि कल जब हमें जवाब मिला तो पता चला कि 50 फीसदी सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों के हैल्थ सैन्टर्स, सब सैंटर्स में आज भी नहीं हैं। जितने भी प्राइमरी हैल्थ सैंटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत हैल्थ सैन्टर में टेलीफोन की सुविधा है, 80 प्रतिशत हैल्थ सैंटर्स में टेलीफोन तक नहीं हैं जो आज महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश में ऐसी स्थिति है, यह हैल्थ मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यदि उन्हें काम करना है, देश के लोगों की हैल्थ को सुधारना है, 70 फीसदी ग्रामीण जनता की हैल्थ के लिए उन्हें चिंता करनी है, तो काफी समय, मौका और अवसर है। जिस प्रकार यह विधेयक आया, जिस प्रकार पिछले डेढ़ साल में एम्स और मंत्री जी को लेकर विवाद अखबारों में आ रहे हैं, जिस प्रकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद अब इस सदन को हथियार बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। मुझे इतना ही कहना था।

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): सभापति महोदया, मेरे पास कोई तैयार और मुद्रित भाषण नहीं है। कृपया मुझे दिल से अपनी बात कहने की अनुमति दें।

महोदया, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हमारे प्रिय नेता डा. रामदास राजधानी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाले हैं। मंडल आयोग का गठन 1977 में किया गया था। आज तक इसके क्रियान्वयन की प्रगति बहुत धीमी रही है। इसकी शुरुआत से ही यहां तक कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद भी संसद तक पहुंचने में इसे छ: वर्ष लगे। वर्ष 1983 में इसे संसद में प्रस्तुत किया गया परन्तु इसका क्रियान्वयन वर्ष 1989 में किया गया। वर्ष 1991 में इस संबंध में आदेश जारी हुआ। 17 वर्ष बाद यदि आप देखें तो पता चलेगा कि वर्ष 1991 में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा केवल 12.5 प्रतिशत था। जब 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है तो उच्चतम न्यायालय में आज महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किये गए आकड़ों के अनुसार अब यह मात्र 5.3 प्रतिशत है। मुझे इस पर हैरानी हो रही है। जब 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है तो उसमें कमी कैसे आ सकती है। अब मैं समझ गया हूं कि ऐसा कैसे हुआ। ऐसा हो सकता है जबकि एम्स के निदेशक जैसे ऊंची जाति के लोग ...*(व्यवधान)** डा. करण सिंह यादव ने बड़े सही तरीके से यह बताया है कि तदर्थ नियुक्तियां करके किस तरह सावधानीपूर्वक उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

महोदया, हमारे विपक्षी दलों का मुख्य आरोप यह है कि यह विधेयक एक व्यक्ति को दण्ड देने के लिए लाया गया है। मैं जानता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को दण्ड देना नहीं है। परन्तु यदि ऐसा होता है भी तो मैं इस बात से प्रसन्न हूं और इस तथ्य का स्वागत करता हूं कि यह हमारे नेता की सफलता है। जिन्होंने आज प्रदर्शन किया है।

महोदया, एक आरोप यह भी लगाया गया है कि इस विधेयक की आवश्यकता केवल एक व्यक्ति के लिए ही है। यह सत्य है। चार वर्ष पूर्व इन्हीं निदेशक की आयु 62 वर्ष थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के नियमों के अनुसार इन्हें उस समय सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था। वे पिछली सरकार में शामिल बहुत से बीमार और घायल लोगों का इलाज कर रहे थे जैसा कि कई संसद सदस्यों ने स्वीकार किया है। वे सभी संसद सदस्य उनके साथ थे और उन्होंने कहा कि उन्हें उसी डाक्टर की आवश्यकता है तो सभी नियमों को ताक पर रखकर उनके सेवाकाल को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अत: इस विधेयक को लाना आवश्यक हो गया। ऐसे ही लोगों के कारण आज यह विधेयक लाना आवश्यक हो गया है।

एक अन्य टिप्पणी यह भी की गयी है कि यह विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं स्थायी समिति के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु हमने देखा है कि एम.सी.आई. विधेयक का स्थायी समिति में क्या हश्र हुआ। इसमें वर्षों का समय लगा। एक समय तो ऐसा लगा कि स्थायी समिति एक तलहीन गड्ढा है जिसके पास भेजा गया कोई विधेयक वापस आता ही नहीं है। अंतत: काफी लम्बी चर्चा के उपरान्त एम.सी.आई. विधेयक वापिस आया। अत: मैं नहीं समझता कि स्थायी समिति के पास इस विधेयक को भेजा जाना एक अच्छा विचार है।

लोग कहते हैं कि हमें स्वायत्तता की आवश्यकता है।

सभापति महोदया: डा. सेनथिल कृपया विधेयक के बारे में ही अपने विचार व्यक्त करें। पहले ही अपनी बात कह चुके सांसदों की बातों का जवाब न दें। मंत्री जी इन मुद्दों का जवाब देंगे। कृपया कुछ मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें।

डा. आर. सेनथिल: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां सभी वक्ताओं ने एम्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ गंभीर भेदभाव की बात उठायी है। मैं आपका ध्यान थोराट समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका जिक्र मेरे मित्रों द्वारा भी किया गया है। थोराट समिति ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ गम्भीर भेदभाव किया गया है। मेरे मित्र ने यह भी बताया है कि उन्होंने भारत के संविधान को संस्थान में जलाने का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. आर. सेनथिल]

साहस भी किया है। आप इसकी वीडियो रिकार्डिंग देखकर इसे विद्यार्थियों के बीच परिचालित कर सकते हैं। इसकी अनुमति कौन दे रहा है? यह वीडियो शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया परन्तु निदेशक इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। वे एक स्वायत्तता प्राप्त व्यक्ति हैं जो कि कानून से परे हैं। वह किसी के अधीन नहीं हैं। वह किसी के नियंत्रणाधीन नहीं है। ऐसी स्वायत्तता की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अंततः हरेक व्यक्ति ने यह कहा है कि यह पंडित नेहरू का एक स्वप्न था जो कि आज भारत का दुःस्वप्न बन गया है। मेरे मित्र ने एक सर्जन का जिक्र किया है जिसने आपरेशन के दौरान किसी व्यक्ति के दिल में एक पेंच छोड़ दिया था। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि पेंच छोड़ा जाना एक मानवीय भूल है जो किसी सर्जन के जीवनकाल में एक बार हो सकती है। परन्तु उस सर्जन ने क्या किया, जब वह मरीज दर्द से बेहाल होकर वापिस आया तो उसकी देखभाल नहीं की गई। वह फिर आपरेशन के लिए आया परन्तु उसकी देखभाल नहीं हुई और वह मर गया। निदेशक नियमों से परे जाकर उनको बचा रहे हैं। ...*(व्यवधान)** यद्यपि इस विधेयक को लाने के पीछे ऐसी मंशा नहीं है परन्तु यदि विधेयक पारित हो जाएगा तो उन्हें दण्ड मिलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से माननीय मंत्री डा. अंबुमणि रामदास इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कानूनी एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम हैं।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य इस केन्द्रीय संस्थान की स्वायत्तता बनाए रखनी है। हमारे संविधान के अनुसार लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है। अतः इस मामले में राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय विधान भी है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां पर एक सर्वांगीण व्यापक केन्द्रीय विधान की अति आवश्यकता है।

हमारे देश में कोई भी धनी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के मेडिकल कालेज खोल सकता है। वह न तो किसी चिकित्सा नीतिशास्त्र या प्रदान की गयी शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह करता है। कोई भी धनी लड़का परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल कालेज में प्रवेश पा सकता है। मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही आज की स्थिति है। यह बड़ी गंभीर स्थिति है। बाजार अर्थव्यवस्था के कारण ऐसा हुआ है। आज प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है, मानव स्वास्थ्य और मानव मूल्यों को नजरअन्दाज कर दिया गया है।

आज हमें संकटों का सामना करना पड़ रहा है। हमें साहस के साथ स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं कहना है। डा. अंबुमणि रामदास इसके लिए काफी सक्षम हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मै एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित डाक्टरों को प्रवेश मिलने में कठिनाई आती है। हमारे राज्य में अनुभवी डाक्टरों, जिन्होंने छह या सात वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान किया गया था। परन्तु दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण का यह प्रावधान समाप्त कर दिया। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि अनुभवी डाक्टरों के प्रवेश हेतु आरक्षण नहीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण नहीं दिया जाता। केवल सद्य स्नातकोत्तर को ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति है। इससे स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अतः अनुभवी डाक्टरों, जिन्होंने कुछ वर्षों तक विभाग की सेवा की है, के लिए आरक्षण का प्रावधान हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए।

यदि मुझे ठीक से याद है तो इस कार्य के लिए केरल विधानसभा ने एक विधान पारित किया था जिसके अंतर्गत उन चिकित्सकों को आरक्षण प्रदान किया गया था जिन्होंने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों संबंधी विभाग में पांच या छः वर्ष तक सेवा की हो। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। हमें इस बात का ध्यान रखने हेतु पूरे प्रयास करने चाहिए कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुभवी चिकित्सक आने चाहिए न कि निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य महाविद्यालयों से आने वाले अनुभवहीन स्नातक 'हाउस सर्जन' को प्रवेश मिल सकता है। परन्तु इस प्रक्रिया में अनुभवी चिकित्सकों का सफाया हो जाता है।

इस कार्य हेतु राष्ट्रपति की अनुमति आवश्य है। अतः केरल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किए गए कानून पर सहमति दी जाए और प्रशिक्षित चिकित्सकों के लिए पुनः आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इसे किसी भी मूल्य पर किया जाना चाहिए। हमें पेशेवर आधार पर, न कि सामुदायिक आधार पर आरक्षण की आवश्यकता है। यह अति आवश्यक है। पेशेवर महाविद्यालयों में प्रवेश एक गंभीर मुद्दा है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेने जा रहा हूं।

लेकिन मैं आपसे चिकित्सकीय शिक्षा का स्तर ऊंचा बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। निजी संस्थाओं के पनपने से इसका स्तर गिरता जा रहा है और मानव जीवन कतरे में है। चूंकि आप भी इसी चिकित्सकीय पेशे से संबंध रखते हैं अतः मैं आपसे इस संबंध में अनुरोध करूंगा। आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आपकी विश्वसनीयता को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। आप पूर्णतया सक्षम हैं। डा. वेणुगोपाल या कोई भी अन्य व्यक्ति आपके मार्ग में नहीं आ सकता। आप यह विधान लाने के लिये पूर्णतया सक्षम हैं। आप इस परिस्थिति से निपटने

के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी समझदार लोगों से समर्थन मिलेगा। आप डा. वेणुगोपाल के बारे में चिंतित न हों। आप अपना कार्य करें और हम आपको पूरी सहायता देंगे। यह पहला कदम हो सकता है परन्तु हम यह चाहते हैं कि इस बारे में एक व्यापक विधान लाया जाए जिसमें केन्द्र सरकार की समान नीति की व्याख्या की गई हो.। इससे राज्य की विधायी प्रक्रिया में भी सहायता मिलेगी। अतः आप पहल करें एक ऐसा विधान बनाएं जो निजी नर्सिंग होमों और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश को नियंत्रित करें। अतः एक व्यापक विधान बनाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं आशा करता हूं कि आप मेरा परामर्श सुनेंगे और एक ऐसा व्यापक विधान लाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया: श्री वरकला राधाकृष्णन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये अंतिम वक्ता थे। लेकिन डा. मनोज की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। अतः मैं उन्हें दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति देती हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, यदि इस विधेयक में खण्ड 2 (1क), 2 (1ख) और 3 (2ख) होते तो मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। चूंकि माननीय मंत्री जी ने इन खण्डों का लोप करने के लिए संशोधन करने की सूचना दी है इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि यदि ये खण्ड उसमें होते तो इससे इस अकादमिक अनुसंधान संस्थान की स्वायत्तता प्रभावित होती।

महोदया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और पी.जी.आई. हमारे देश की दो प्रमुख संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में आम लोगों के आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनुसंधान और अकादमिक कार्य भी चलते रहते हैं।

महोदया, इस बात पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि इन संस्थानों की स्वायत्तता बनाए रखी जानी चाहिए। अनुसंधान और अकादमिक कार्यों के लिए इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनाए रखी जानी चाहिए। लेकिन स्वायत्तता की आड़ में यहां निरंकुशता नहीं हो जानी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यही हो रहा है।

महोदया, मेरे अधिकांश साथियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में व्याप्त वर्तमान स्थिति की ओर संकेत किया है। वहां कोई अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा है। अब वहां के निदेशक और प्रशासक राजनीति में उलझे हुए हैं और वह भी जातिगत राजनीति। इस प्रतिष्ठित सभा ने पेशेवर संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु एक विधेयक पारित किया है। महोदया, देश की किसी भी संस्था में इस कानून के विरुद्ध कोई हड़ताल या संघर्ष की स्थिति दिखलाई नहीं देती है। ऐसा केवल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होता है और वह भी वहां उपस्थित प्रशासन के समर्थन से होता है। इससे वहां उपस्थित प्रशासन की इच्छा और प्रकृति परिलक्षित होती है। अतः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्तमान प्रशासन को ठीक करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उभर आए कैंसर को ठीक करने के लिए सही समय पर सही संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

महोदया, जैसा कि आप जानती ही हैं कि कैंसर एक भयानक बीमारी है। यदि यह शरीर के किसी भाग में हो जाए तो इसके शरीर के अन्य भागों में फैलने से पहले ही उस रोगग्रस्त भाग को हटा दिया जाना चाहिए। यदि यह बीमारी किसी संन्यासी या किसी अन्य व्यक्ति को भी हो जाए तो भी इसका दुष्प्रभाव उतना ही खतरनाक होता है।

अतः जब यह बीमारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तक पहुंच चुकी है तो इसे ठीक किया जाना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो कि स्वयं भी एक चिकित्सक हैं, ने इस बीमारी का सही समय पर निदान किया है और सही समय पर सही उपचार भी किया है।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया: अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया सभा में व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना है। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि इसे स्थायी समिति को भेजे जाने के स्थान पर, अपने भारी बहुमत के बल पर सरकार इस विधेयक को अनैतिक रूप से पारित करने का प्रयास कर रही है। यह विधेयक केवल एक व्यक्ति को लज्जित करने के लिए बनाया गया है। अतः हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 5.21 बजे

(इस समय, श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): मंत्री महदोय, क्या आप इस विधेयक को वापस ले रहे हैं? *...(व्यवधान)* चूंकि सरकार इस विधेयक को वापस लेने पर सहमत नहीं है अतः हम इसके विरोध में सभा से बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 5.21½ बजे

(इस समय, श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

सभापति महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब केवल माननीय मंत्रीजी ही बोलेंगे।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया इस पर चर्चा न करें। अब, माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना है।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदया, मुझे उत्तर हेतु अवसर देने के लिए धन्यवाद, मैं संसद के विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों को इस छोटे से संशोधन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पी.जी.आई. चंडीगढ़ से संबंधित है।

मैं माननीय सदस्यों को पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि यह विधेयक मात्र एम्स से संबंधित नहीं है परन्तु पी.जी.आई. चंडीगढ़ से भी संबंधित है। हमें यह छोटा सा संशोधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय ने हमें निदेशक पद का कार्यकाल निर्धारित करने को कहा था। इसलिए हमने एम्स तथा पी.जी.आई., चंडीगढ़ के निदेशकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की है। जब जे.आई.पी.एम.ई.आर. पुडुचेरी से संबंधित विधेयक पुरः स्थापित किया जाएगा वहां से निदेशक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाएगी।

यह संशोधन मेरे और डा. वेणुगोपाल के बीच किसी विवाद का परिणाम नहीं है। यह एक छोटा सा संशोधन है, जब मैं इस संशोधन को पुरःस्थापित करने की सोच रहा था, मैं संस्थान से जुड़े सामान्य मुद्दों पर बोलना चाहता था। परन्तु अनेक माननीय सदस्यों ने गहराई में जाकर आरोप लगाए। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी आरोपों का खंडन करूंगा। इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा।

महोदया, यह किसी व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा नहीं है। चाहे मैं हूं या डा. वेणुगोपाल जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं भी एक डाक्टर हूं। एक डाक्टर, एक पद्मश्री विजेता के रूप में मैं डा. वेणुगोपाल का आदर करता हूं। निश्चय ही मैं उनका बहुत सम्मान और आदर करता हूं। वे इस देश के श्रेष्ठ डाक्टर और सर्जन हैं। परन्तु मुद्दा प्रशासन से जुड़ा है। एक व्यक्ति श्रेष्ठ डाक्टर हो सकता है परन्तु प्रशासक के रूप में वह खराब हो सकता है। मैं संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आरंभ में मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था परन्तु माननीय सदस्यों तथा देश के समक्ष मैं वर्तमान में संस्थान की गतिविधियों पर बोलने के लिए विवश हूं। पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान मैं मीडिया के समक्ष कुछ बोलने से हिचकिचा रहा था। मैं संस्थान की गतिविधियों के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह संस्थान हमारा है। यह मेरा संस्थान है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय का संस्थान है, इसलिए मैं इस संस्थान के बारे में नहीं कहूंगा। यह देश का अग्रणी संस्थान है। मैं नौसिखिया राजनीतिज्ञ नहीं हूं। मैं चिकित्सक हूं। मैं डाक्टर हूं। मुझे पता है वहां क्या हो रहा है। मैं चाहता हूं कि संस्थान खूब उन्नति करे। मैं जॉन हॉपकिन्स इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड युनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात संस्थान में गया हूं। मैं एम्स को इसी तरह का देखना चाहता हूं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत 30 से 40 संस्थान हैं। उनके तहत निदेशक हैं। पी.जी.आई. चंडीगढ़ जो बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है, सहित इन संस्थानों में कोई समस्या नहीं है। यह पुनः विश्व के इस क्षेत्र के श्रेष्ठ संस्थानों में से है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मुद्दा मात्र एम्स का है।

मैं पांच वर्ष पीछे जाता हूं जब श्रीमती सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थीं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनके प्रयासों की मैं सराहना करता था। उन्होंने अनेक बेहतर योजनाएं आरंभ की हैं। मैं उनकी योजनाओं को ध्यान से देख रहा हूं। परन्तु, डा. वेणुगोपाल की नियुक्ति के बारे में मुझे कुछ कहना है। उस समय एम्स के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष थी।

जब डा. वेणुगोपाल को 5 वर्षों हेतु एम्स का निदेशक नियुक्त किया गया था उस समय उनकी आयु लगभग सवा 61 साल या साढ़े 61 वर्ष थी। मेरे विचार से कोई भी सरकारी आदेश इस प्रकार होता है। उनकी नियुक्ति में कहा गया था-मुझे शब्दशः याद नहीं है - कि डा. वेणुगोपाल को पांच वर्ष हेतु एम्स का निदेशक नियुक्त किया जाता है, यह स्थिति थी, इसके विपरीत इसके 4-5 माह पश्चात् डा. तलवर को पी.जी.आई. चंडीगढ़ का निदेशक पांच वर्षों या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक नियुक्त किया जाता है। मुझे नहीं पता कि 62 वर्ष या जो भी पहले क्यों जानबूझकर छोड़ दिया गया। यह नियुक्ति ही एक प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वर्तमान में मुद्दा 65 वर्ष से संबंधित है। हर दल की तरह श्रीमती मेनका गांधी ने आक्रात्मक तेवर अपनाए। वे जब भी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर बोलती हैं वे आक्रात्मक हो जाती हैं। उनका कहना था कि यह एक व्यक्तिगत मुद्दा है। निश्चय ही यह एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। यह सामूहिक मुद्दा है। निश्चय ही यह एक व्यक्तिगत मुद्दा है। मैं जब भी संसद सदस्यों, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, डाक्टर या जनता से मिलता हूं वे सदैव मुझे कहते हैं, ''कृपया एक काम करें। एम्स की स्थिति को सुधारें वहां स्थिति खराब है।''

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे आरंभ से ही सही थीं। वे गेस्ट हाउस मुद्दा के बारे में बोल रही थीं। लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व जब मैंने प्रभार संभाला था मैं पहली बार सांसद बना था। मैं पहले सभा में कभी नहीं आया था। मैं चार या पांच सितारा होटल में ठहरने का पात्र था और सरकार को यह व्यय वहन करना था। परन्तु मैं नहीं चाहता था कि सरकार मेरे ऊपर व्यय करे। इसीलिए संस्थान के प्रेसिडेंट के रूप में मैं गेस्ट हाउस में ठहरा था। यह एम्स का सामान्य गेस्ट हाउस था यहां एम्स के शासी निकाय के सदस्य ठहर सकते थे उस समय समाचार पत्रों में यह एक व्यापक मुद्दा बन गया था। एक दिन मैं ग्यारह या बारह बजे आपात तथा अन्य विभागों में निरीक्षण करने गया कि वहां डाक्टर थे या नहीं, इसके पश्चात 12 या सवा बारह बजे डा. वेणुगोपाल आए। मैं इस संबंध में विस्तार से बोलना नहीं चाहूंगा। अधिकतर सदस्य, अधिकतर डाक्टर जानते हैं कि बारह बजे क्या होता है।

इसके पश्चात मीडिया में मुझ से जुड़ा कोई न कोई मुद्दा लगातार प्रकाशित होता रहा और गेस्ट हाउस से मुझे निकाले जाने की बात कही जाने लगी। मैं, माननीय सदस्यों की जानकारी में यह सब बातें नहीं लाना चाहता हूं। मैं इस बात के प्रति अति सजग हूं। आज मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है क्यों कि गेस्ट हाउस से जुड़े तथा अन्य मुद्दों से जुड़े अनेक आरोप लगाए गए, कहा गया कि गेस्ट हाउस में रहते हुए मैंने कर्मचरियों को भड़काया था। ये आरोप निश्चय ही सही नहीं हैं। आरोप इतने तुच्छ हैं कि कोई भी इन पर ध्यान नहीं देगा। वे "सामाजिक विभाजन" की बात कह रहीं थीं। मैं कहता हूं कि यह सर्वथा सही है, सारा विपक्ष इस संस्थान के बारे में पिछले डेढ़ वर्षों से ही बात कर रहा था। उसके पूर्व के दो वर्षों की क्या स्थिति थी? क्या कोई मुद्दा उठाया गया था। क्या उसके दो वर्ष पूर्व मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप किए जाने का कोई मुद्दा उठा था? मैं मंत्रालय में साढ़े तीन वर्षों से हूं। मेरा मतलब है कि मैं समव्यावसायिक हूं। मैं पूर्णतः शिष्ट तथा समव्यवसायी हूं। निश्चय ही स्वायत्तता पर स्वाल उठाने से मेरी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगेगा। अनेक सदस्य स्वायत्तता की बात कर रहे थे, मैं जे.आई.पी.एम.ई.आर. पुंडुचेरी, को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। वर्तमान में यह स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत है। मेरा कहना है कि इसे स्वायत्तता प्रदान करो। मंत्रालय के तहत नेशनल ड्रग्स अथॉरिटी है, मैं इसे स्वायत्तता प्रदान करने का समर्थक हूं। वर्तमान में यह स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत है, समव्यावसायिक होने के नाते मैं समस्त ढांचे का समव्यवसायिकीकरण करना चाहता हूं। स्वायत्तता दिए जाने का मैं कभी विरोध नहीं करूंगा।

परन्तु, स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं है कि संसद के प्रति जवाबदेही समाप्त हो जाए। सभी माननीय सदस्य उस संस्थान में क्या हो रहा है इस पर बात कर रहे हैं। डा. करण सिंह यादव जो कि शासी निकाय के सदस्य हैं उनको इस सभा द्वारा संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सदस्य नियुक्त किया गया था उन्होंने भी इस संस्थान के बारे में कहा था। मैं गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष हूं। हमें जिम्मेदारी का निर्वहन करना है।

महोदया, यदि मुझे एम्स में जातिगत तथा सामुदायिक आधार पर भेद-भाव के विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष के रूप में क्या मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा? आरक्षण नीति जो कि संवैधानिक प्रावधान है के उल्लंघन के अनेक आरोप लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में शासी निकाय जिसकी नियुक्ति इसी सभा द्वारा की गई है का अध्यक्ष होने के नाते क्या मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा? इस संस्थान में पूर्णतः अव्यवस्था और कुप्रशासन है। ऐसी स्थिति में शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में क्या मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा? यदि पांच-छः जूनियर डाक्टरों के समूह का एम्स पर नियंत्रण है तो क्या मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्या इस संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में क्या मैं इन सभी गलत कार्यों को मूक दर्शक बनकर देखता रहूंगा?

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बूटा सिंह ने डा. वेणुगोपाल को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए तीन या चार बार सम्मन भेजे परन्तु वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन्हें अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह रहा है। परन्तु वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं। संस्थान तथा संस्थान की शासी निकाय की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। इस सभा में मैं यह कष्टदायी टिप्पणियां कर रहा हूं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शासी निकाय तथा संस्थान के निकाय की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने संसदीय तथा संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के रूप में हस्तक्षेप नहीं कर सकते?

सभापति महोदया, स्वायत्तता तानाशाही नहीं है और किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी को सुनना नहीं चाहता। हमें एक सीमा में रह कर काम करना होता है, हमें इस सम्मानित सभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहिए और इस तरह हमें अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए।

श्रीमती मेनका गांधी ने विशेष कार्य अधिकारी का उल्लेख किया है। विशेष कार्य-अधिकारी (ओ एस डी) एक स्वीकृत पद है। यह कोई ऐसा पद नहीं है जिस पर मैं स्वेच्छा से किसी को भी नियुक्त कर दूं। इस पद की स्वीकृति शासी निकाय तथा संस्थान निकाय के द्वारा की जाती है और इस पद पर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता हूं। जिसमें मेरा विश्वास है। मुझसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा जी ने एक विशेष कार्य-अधिकारी की नियुक्ति की थी और वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

[डा. अंबुमणि रामदास]

संस्थान के अतिथि गृह में रहते थे, तो मेरे द्वारा नियुक्त विशेष कार्य अधिकारी जो कि एक छोटे से अतिथि गृह में रह रहा है। इतना बवाल क्यों? वास्तव में सुषमा जी के द्वारा नियुक्त किए गए विशेष कार्य-अधिकारी एक घर में रहते थे किसी अतिथि गृह में नहीं। उनकी हैसियत के व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के तुच्छ तथा घटिया आरोप लगाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

वह कह रहीं थीं कि फाइल को रोका गया था। मुझे पता नहीं वे किस बारे में बात कर रही थीं। ये तो बेतुके आरोप हैं। वह संस्थान को निधियां न दिए जाने के बारे में कह रही थीं। मुझे नहीं पता उन्हें यह सारी जानकारी कहां से मिली जो कि गलत है। खारवेनथन जी निधियों की बात कर रहे थे। जब मैं मंत्री बना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की निधि लगभग 250 करोड़ रुपये थी और तीन वर्षों में मैंने इसे बढ़ा कर 500 करोड़ कर दिया। आप मुझे देश के किसी ऐसे संस्थान का नाम बताइये जिसका योजनागत तथा गैर योजनागत आवृत्ति व्यय 500 करोड़ रु. है? 500 करोड़ रु. की धनराशि से हम प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में एक नया मेडिकल कालेज खोल सकते हैं और इतनी राशि हम केवल एक ही संस्थान को दे रहे हैं। 200 करोड़ रु. के योजनागत धनराशि में से इस वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह तक केवल 82 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। हम किस ओर अग्रसर हैं? शासी निकाय का प्रमुख होने के कारण क्या मैं इन सब के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकता?

उन्होंने डिग्रियां तथा दीक्षांत समारोह का उल्लेख किया है। एम्स तथा डा. वेणुगोपाल को दीक्षांत समारोह करने से किसने रोका? दो सालों से दीक्षांत समारोह होने से क्या उन्हें मैंने रोके रखा? नहीं, जैसे ही मैंने मंत्री पद ग्रहण किया वहां दीक्षांत समारोह हुआ। परन्तु उसके पश्चात क्या हुआ? क्या मैंने किसी को दीक्षांत समारोह करने से रोका? निसन्देह नहीं। पिछले वर्ष दीक्षांत समारोह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं डिग्रियों का वितरण करूं और ऐसा कुछ डाक्टरों के द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण हुआ। वह एक अलग मुद्दा है। पिछले वर्ष मैंने उन विद्यार्थियों की डिग्रियों पर हस्ताक्षर किए जो विदेश जाना चाहते थे। इस वर्ष भी मैं डिग्रियों पर हस्ताक्षर करना चाहता था तथा दीक्षांत समारोह में डिग्रियां देना चाहता था लेकिन वे इस दिशा में आगे नहीं बढ़े। एम्स के नियमों के अनुसार प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित करना उनका उत्तरदायित्व है। जब डिग्रियां मेरे पास भेजी गईं तो मैंने पाया कि डिग्री प्रमाण पत्र पर एक तथा-कथित रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जिसकी नियुक्ति शासी निकाय तथा संस्थान निकाय के द्वारा नहीं की गयी है। उनकी नियुक्ति स्वयं निदेशक के द्वारा की गयी थी जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि यह प्रमाण-पत्र गैर कानूनी है और मैं इन पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा क्योंकि रजिस्ट्रार की नियुक्ति शासी निकाय तथा संस्थान निकाय जैसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की गयी थी। इसके बाद यह मामला न्यायालय में गया। इसके बारे में जितना कम कहा जाए उचित होगा। बाद में मैंने डिग्री प्रमाणपत्रों पर हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात दीक्षांत समारोह हुआ। अतः यह आरोप लगाना कि मैंने डिग्रियों को रोके रखा तथा मैंने दीक्षांत समारोह को होने से रोका पूर्णतः गलत है।

माननीय सदस्य डीन की नियुक्ति के बारे में कह रहे थे। महोदया, डा. वेणुगोपाल ने डीन के पद के लिए डा. श्रीनाथ रेड्डी की सिफारिश की थी जो कि वरिष्ठता में 19वें स्थान पर थे। डा. श्रीनाथ रेड्डी एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डा. वेमुगोपाल ने डीन के पद पर नियुक्ति के लिए डा. श्रीनाथ रेड्डी की सिफारिश की थी। मैं डा. श्रीनाथ रेड्डी को जानता हूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे डीन बनना चाहते है? उन्होंने कहा 'नहीं' मैं डीन बनना नहीं चाहता क्योंकि मैं पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया का कार्य-भार सम्भालने जा रहा हूं और दोनों पदों पर रहते हुए मैं निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। अतः उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे डीन बनना नहीं चाहते। फिर उसके पश्चात एक पैनल हमने वरिष्ठता सूची में 24वें स्थान पर डा. डेका को डीन नियुक्त किया। पूर्व के ऐसे कई उदाहरण हैं और डा. डेका का फेकल्टी अनुभव काफी है उनकी वरीयता भी अधिक है। डा. डेका 5 वर्ष पूर्व एम्स के निदेशक पद के साक्षात्कार के लिए आए थे। वे बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। इसलिए हमने उनकी नियुक्ति की। महोदया, मैं किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। शासी निकाय, संस्थान निकाय को नियुक्ति का अधिकार है। मुझे संस्थान निकाय, शासी निकाय की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह तो एक सामूहिक जिम्मेदारी है। जब आप डा. रामदास कहते हैं तो सिका आशय डा. रामदास से नहीं होता यह एक संस्थागत शासी निकाय है जो उनकी नियुक्ति करता है और मैंने उनकी नियुक्ति को स्वीकार किया है।

एक माननीय सदस्य ने आरक्षण के विरोध की बात कही है। वह कह रही थीं कि डा. वेणुगोपाल ने आन्दोलन को शान्त करने के लिए अनेक कदम उठाये तथा कई उपाय किए वगैरा-वगैरा। आन्दोलन के दौरान क्या हुआ यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। देश का प्रतिष्ठित संस्थान आरक्षण विरोधी आन्दोलन का केन्द्र बन गया था। तत्काल मैंने सफदरगंज अस्पताल, पी.जी.आई. चंडीगढ़, राममनोहर लोहिया अस्पताल तथा एम्स के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर मरीजों की देख-रेख प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये मरीज बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले गरीब लोग हैं औक किसी भी कीमत पर उन्हें दी जाने वाली चिकित्सा

सेवाएं प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप क्या करें लेकिन इन सेवाओं को किसी भी कीमत पर जारी रहना चाहिए। मैंने उनसे केवल इतना कहा। मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद अफरा-तफरी का माहौल फैल गया। समय-समय पर हमने एम्स प्रशासन से मामले को शान्त करने को कहा। लेकिन 17 दिन तक आन्दोलन जारी रहा।

महोदया, इस आन्दोलन से पहले कर्मचारियों द्वारा एक आन्दोलन हुआ था और उच्चतम न्यायालय ने ठीक ही कहा था भविष्य में एम्स में कोई आन्दोलन नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति आन्दोलन करना चाहता है तो वह एम्स परिसर से 500 मी. दूर पर आन्दोलन कर सकता है। आरक्षण विरोधी इस आन्दोलन से पूर्व वहां के कर्मचारियों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था तो यही निदेशक डा. वेणुगोपाल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय गए और डा. वेणुगोपाल ने कहा कि हालात काबू से बाहर होने लगे हैं। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया तथा कुछ को बरखास्त कर दिया। 17 दिन के आन्दोलन के दौरान वे उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को पत्र लिखे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वहां टैंट लगाए गए थे तथा आन्दोलनकारियों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई थी। सभापति महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ डाक्टर तथा प्रोफेसर मेरे पास आए और मुझ से कहा कि वे काम पर जाना चाहते हैं। परंतु आंदोलनकारी उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। मैं किसी का पक्ष लेना नहीं चाहता। मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो ऐसा काम करूंगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यहां कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, न होगी। हम हर सम्भव प्रयास करेंगे तथा किसी को भी दंडित नहीं करेंगे। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। परन्तु संस्थान जब हमारी नाक के नीचे देश की राजधानी में है और यहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तथा अनेक माननीय सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के साथ भेद भाव बरतें जाने की बात उठा रहे हैं तो इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए। श्रीमती निर्मला देशपांडे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिस पर 104 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे और इसमें कहा गया था कि 'एम्स' में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ भेद-भाव हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुझसे पूछा कि वहां क्या हो रहा है तथा मुझे निर्देश दिया कि संस्थान में भेद-भाव के मुद्दे की जांच हो।

इसीलिए हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डा. थोरट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बार-बार उन्होंने एम्स प्रशासन से सहयोग की मांग की परन्तु उनकी समिति को कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने नोटिस बोर्ड पर यह लगवाया कि एम्स के मुद्दे पर कोई भी उनके समक्ष आए और वहां जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताए।

किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि वह जाए और समिति से बातचीत करे, जो भी उसकी शिकायतें हैं चाहे वह किसी चीज के पक्ष में हो या उसके विरुद्ध हों।

जब विद्यार्थी रोते हुए आते हैं तो यह मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है एक नौजवान पीढ़ी, एक पेशेवर एक चिकित्सक के रूप में वे रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि "हमारे साथ भेदभाव होता है और हम छात्रावास में नहीं रह सकते हैं। हमें बाहर निकाल दिया है। हमें क्रिकेट या बास्केट बॉल नहीं खेलने दिया जाता है, हम फुटबाल या बालीबाल नहीं खेल सकते हैं।" क्या यही वह मार्ग है जिस ओर हम अग्रसर हैं? हमें स्वतंत्र हुए 60 वर्ष हो गए हैं। यह हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, वे वहां जानबूझकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम निश्चित ही उस स्थिति को ठीक कर देंगे। इसे ठीक करना होगा। परन्तु यह केवल हड़बड़ी और जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभावित हुआ है चाहे वह अ. जाति/अ. जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबद्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था में वापस लाना होगा तथा यह एक धीमी प्रक्रिया होगी।

आरक्षण के मुद्दे पर करें तो सांसद इस बात को उठाते रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, हाल ही में, रेजीडेंट डाक्टरों की नियुक्ति की गई है। मुझे संख्या याद नहीं है, मेरा विचार है कि लगभग 93 रेजीडेंटों की नियुक्ति की गई है। नीति के अनुसार अ. जाति/अ. जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर होने चाहिएं। समग्र आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया था। तत्पश्चात मेरे पास अनेक चिकित्सकों के अभ्यावेदन आये। संस्थान के अध्यक्ष के रूप में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। संस्थान निकाय तथा शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में यह मेरा सांविधिक दायित्व था कि मैं हस्तक्षेप करूं। जबकि संस्थान में आरक्षण नीतियों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा हो। तत्पश्चात, मैंने अपने अधीन स्वास्थ्य सचिव, श्री नरेश पाल की अध्यक्षता में मामले की जांच करने के लिए एक आयोग तथा शासी निकाय के तहत एक कोर ग्रुप का गठन किया। सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, अंकों की मांग कर रहे हैं, ली गई परीक्षाओं के परीक्षा पत्रों के बारे में मांग करते रहे हैं। आज की तारीख में हमें यह प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या यह स्वायत्तता है? इसलिए हम एक चिकित्सक डा. डोगरा को निलंबित करने को बाध्य हुए। वे डीन (परीक्षा) थे। उन्होंने परीक्षा पत्र उपलब्ध नहीं

[डा. अंबुमणि रामदास]

कराये हैं। शासी निकाय के सदस्य उन्हें ये सब करने के लिए कहते रहे। तत्पश्चात सदस्य यह कहते हैं कि यह व्यक्ति संकाय के शिक्षकों को निलंबित करता रहा है। ऐसा क्यों?

डा. करण सिंह यादव जी कह रहे थे कि डा. बिसोवा ने एक रोगी की शल्य चिकित्सा की तथा हृदय के पेरी कार्ड पर एक पेच छोड़ दिया? कुछ दिनों बाद रोगी की मृत्यु हो गई। ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है। परन्तु कुछ दिनों के बाद वही चिकित्सक किसी रोगी को ऐनेस्थिसिया पर यह कहते हुए रखता है कि वह शल्य चिकित्सा के लिए आएंगा। वह वक्ष-विज्ञान का अतिरिक्त प्रोफेसर है। तीन घंटों तक वे उपस्थित नहीं हुए तत्पश्चात एनीसाथिस्ट ने रोगी को एनीसाथीस्या पर रखा। तीन घंटों तक रोगी आपरेशन टेबल पर जनरल ऐनेस्थिसिया पर बिना चिकित्सा के डा. बिसाये के आने के इंतजार में पड़ा रहा। तीन घंटों के बाद उन्होंने कहा कि "मेरे पास समय नहीं है; आप किसी और डाक्टर को आपरेशन के लिए बुलाईये" वह वहां नहीं गये। उस दिन रेजीडेंट डाक्टरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। संस्थान के अध्यक्ष के रूप में मैंने उन्हें निलंबित कर दिया। मैंने इस मुद्दे को समिति के अवलोकनार्थ जांच तथा सिफारिश करने के लिए रखा। एक सप्ताह के बाद डा. वेणुगोपाल ने निलंबन को निरस्त कर दिया। ऐसा करने की उनकी कोई शक्ति नहीं थी। निलंबन निरस्त करने तथा अन्य सब कार्य शासी निकाय द्वारा किए जा सकते हैं। क्या यह संस्थान का कार्यकरण है? जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं संस्थान की स्वायत्तता का अतिक्रमण कर रहा हूं; ऐसा हरगिज नहीं है। मैं संस्थान में सुधार करना चाहता हूं। हमें कई और मुकाम हासिल करने हैं।

डा. मनोज ठीक कह रहे थे कि अनुसंधान में क्या हुआ है। इस काम को तो ताक पर ही रख दिया गया है। काफी निधियां दी गई हैं। वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी की भी चर्चा की गई थी। यह सब छोटी मोटी चीज है। परन्तु मैं इन सबका उत्तर देने को बाध्य हूं। एक वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी थे जिनका नाम मयंक शर्मा था। वे वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी थे। वे वास्तव में निदेशक ही थे।

इस समय जब वे वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी थे, सब प्रकार की देखरेख कर रहे थे। वे सभी डाक्टर जो आज विरोध प्रकट कर रहे हैं, वही रेजीडेंट डाक्टर वे शिक्षा संकाय के सदस्य, वे सभी लिख रहे हैं कि "एम्स के अध्यक्ष महोदय, कृपया मयंक शर्मा को हटाइये।" वे कहते हैं कि मयंक शर्मा वस्तुतः एक निदेशक हैं। आज इन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। वे सभी यह कहते हुए मीडिया में जा रहे हैं कि वे ऐसा करेंगे, वे वैसा करेंगे। वही रेजीडेंट संघ, कर्मचारी संघ, उन्होंने अनेक पत्र लिख कर डा. वेणुगोपाल को हटाए जाने की मांग की है।

यह आरक्षण विरोधी आंदोलन पहले हुआ। आरक्षण विरोधी आंदोलन से पूर्व, वे सब चाहते थे कि डा. वेणुगोपाल को हटाया जाए चूंकि वे कभी भी उपलब्ध नहीं होते थे, उनका तानाशाही व्यवहार तथा वे निरंकुश थे। यह सब शब्द उनके पत्र व्यवहार में व्यक्त किए गए थे। महोदया, केवल एक विरोध ने संपूर्ण चीजों को पलट कर रख दिया। तुरंत ही अनेक घटनाएं हो रही थी।

महोदया, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अखिल भारतीय राजनीतिक विज्ञान संस्थान नहीं बनने देना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस संस्थान में लोगों का पैसा लगा हुआ है तथा संस्थान को काफी तरक्की करनी चाहिए। मैं निमित्त मात्र हूं। आज मैं इस स्थिति में हूं कल मैं कुछ भी नहीं होऊंगा। संस्थान चलता रहेगा। संस्थान को अपने कार्यकरण में सुधार करके भविष्य में तरक्की करनी चाहिए।

महोदया, वे उप-डीन व महिला मीडिया की बातें कर रही थीं। उन्होंने जितना कम कहा यह मेरे लिए बेहतर ही थी चूंकि मैं नहीं सोचता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनका जिक्र करने की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

वे कह रही थीं कि संस्थान निकाय ने निदेशक को पदच्युत कर दिया, मेरा मतलब है कि मैंने उन्हें हटा दिया है। संस्थान के निकाय ने उस समय 3 के मुकाबले 12 मत देकर निदेशक के सेवा में जोड़ दिया। 12 लोगों ने समर्थन दिया तथा 3 ने आपत्ति की। इस प्रकार, श्री मल्होत्रा की आपत्ति थी, जो कि आईबी के सदस्य थे। यह स्थिति है। वे पुनः यह कह रही थीं कि निदेशक को बैंच पर बैठाया गया। बिल्कुल नहीं, महोदया। वे आई बी का एक भाग थे। जब तक कि उनका एजेन्डा सामने आया वे कमरे के अन्दर थे, और जब उनका एजेन्डा सामने आया उस समय उन्हें मेरे निजी सचिव के कमरे के भीतर जाकर बैठने को कहा गया। उन्होंने मना कर दिया तथा मेरा विचार है कि वे बाहर बैठे। मीडिया के लोग वहां उपस्थित थे। ये सब चीजें चल रही थीं।

वे एम्स के रजिस्ट्रार के बारे में बात कर रही थीं। वास्तव में, डा. करण सिंह यादव ने बातचीत की कि रजिस्ट्रार को क्या हुआ। उन्होंने ही उन्हें नियुक्त किया था, तथा उनके बीच क्या हुआ हम नहीं जानते हैं। अचानक वे कहते हैं "वे भ्रष्टाचारी थे तथा ऐसी ही अन्य बातें" हमने जांच की। उन्हें हटाने का कोई अधिकार नहीं था। न ही उन्हें हटाने का मेरा कोई अधिकार है। शासी निकाय का उन्हें हटाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, शासी निकाय वहां मौजूद है।

महोदया, उन्होंने वकीलों को फीस दिए जाने के बारे में बात की। जहां एम्स द्वारा मामले दायर किए गए हों वहां वकीलों की

फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। संस्थान के अध्यक्ष के तौर पर तथा मंत्री होने के नाते, निश्चित ही, मेरे पास सभी अधिकार तथा कानूनी प्राधिकार हैं कि संस्था अथवा सरकार वकीलों को फीस अदा करे, जो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। ऐसा ही होता आया है। मैं नहीं जानता हूं कि किस प्रकार एक वरिष्ठ सदस्य ऐसे आरोप लगा सकता है।

डा. करण सिंह यादव जी वास्तव में इन सब में शामिल रहे तथा उन्हें एक चिकित्सक के रूप में काफी तकलीफ हुई। वे स्वयं भी एक वक्ष-चिकित्सक हैं, तथा वे नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा है। वे शासी निकाय संस्थान के निकाय के सदस्य हैं। वास्तव में श्री आर.के. धवन शासी निकाय के भी सदस्य थे। एक साक्षात्कार में श्री धवन ने कहा "हमें शासी निकाय संस्थान के निकाय को समाप्त कर देना चाहिए चूंकि यहां हमारी कोई बात नहीं मानी जाती है। हम क्यों बैठें और समय बर्बाद करें। जब प्रशासन शासी निकाय की बात नहीं सुनता है तो इसे समाप्त कर देना चाहिए" इसलिए यह एम्स के प्रशासन का कार्यकरण है।

डा. वेणुगोपाल पहले एक सक्षम व्यक्ति रहे होंगे परन्तु आज वे 66 वर्ष के हैं। जब मैं बूढ़ा कहता हूं तो इसका अभिप्राय वास्तव में बूढ़ा है। वे शारीरिक रूप से ठीक ढंग से चलने की स्थिति में भी नहीं हैं। मैं उन्हें अपमानित या उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल सत्य बता रहा हूं।

आज, यह संस्थान कुछ कनिष्ठ चिकित्सकों के समूह द्वारा चलाया जा रहा है। आज, डा. वेणुगोपाल को नहीं पता कि एम्स में क्या हो रहा है। संस्थान की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लोग चिकित्सकों को धमकी दे रहे हैं। वे गुंडागर्दी कर रहे हैं तथा वरिष्ठ संकाय प्रोफेसरों के कक्ष के दरवाजों की तालाबंदी कर रहे हैं। क्या यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है? मैं इन बातों को सामने लाने के लिए बाध्य हूं यद्यपि यह सब छोटी-मोटी बातें हैं जिनकी ओर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए।

पिछले डेढ़ वर्ष से मैं मीडिया में नहीं जा रहा हूं और न ही तथ्यों को (सामने) ला रहा हूं क्योंकि यह हमारा अपना संस्थान है, मैं इसका आदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस संस्थान में सुधार हो और यह जोरदार ढंग से आगे बढ़े।

जहां तक थोराट समिति की रिपोर्ट का संबंध है तो मैं इसे विधिवत अनुमति प्राप्त होने के बाद सभा पटल पर रखूंगा। मैं चाहता हूं कि सदस्य थोराट समिति की रिपोर्ट भी पढ़ें।

महोदया, हमारे पास अभिघात केन्द्र हैं। हम इन अभिघात केन्द्रों और कैंसर ब्लॉक पर अत्यधिक खर्च कर रहे हैं। अब ये सभी केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं। ये अभिघात केन्द्र सुसज्जित हैं। आजकल वहां ज्यादा रोगी नहीं जाते। उनको चालू क्यों नहीं किया जाता है? जो भी संकाय उन्होंने मांगा हमने वही दिया है। हमने उनको हरेक चीज दी है।

अधिकतर माननीय सदस्यों ने उसी मुद्दों पर ही बोला है। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। वस्तुतः श्री रामकृपाल यादव ने लालू जी के एम्स दौरे का जिक्र किया था लेकिन उन्होंने बहुत सारी अन्य चीजें नहीं बताई क्योंकि उस समय पांच बज रहे थे; मैं नहीं जानता कि उस समय वे किस अवस्था में थे। इस बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। यह अत्यंत खेदजनक है। एक कनिष्ठ के रूप, एक व्यावसायिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, यह वास्तव में अत्यंत खेदजनक है। मैं सिर्फ यह बताना चाहता था।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी अनादर के बारे में कह रहे थे। डा. वेणुगोपाल जैसे ख्यातिप्राप्त व्यक्ति की बात ही छोड़िए, मैं किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं कर सकता। एक व्यावसायिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, निःसंदेह मैं डा. वेणुगोपाल का बहुत आदर करता हूं। यह एक आरोप है और इन सब बातों का उत्तर देते हुए मुझे सचमुच दुख हो रहा है।

वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर ध्यान देने की बात कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा ध्यान और मंत्रालय के राजस्व सब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर लगा हुआ है। हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर काफी कार्य कर रहे हैं। मैं अपना 80 प्रतिशत समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर लगा रहा हूं यह मिशन हमारे प्रधानमंत्री ने ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की अवसंरचना के उत्थान के लिए किया था, जिसका लगातार विस्तार हो रहा है। निःसंदेह हम अनेक नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। यहां मौजूद मीडिया में मेरे मित्रों के अलावा, सर्वत्र उनकी काफी प्रशंसा हुई है। लेकिन वैसे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रुप से, अनेक लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट निकायों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सभी संगठनों ने वैश्विक रूप से हमारे प्रयासों की सराहना की है। वस्तुतः यह पहली बार है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इतने सारे कार्यक्रम कर रहा है। मैं नहीं जानता श्री दासगुप्त की यह मत भिन्नता हो सकती है कि ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आपको राष्ट्रीय सराहना से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सराहना से मोह हो सकता है।

डा. अंबुमणि रामदासः मुझे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सराहना से कोई राग अथवा द्वेष नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि

[डा. अंबुमणि रामदास]

मैं अपने महान देश को जोरदार ढंग से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सामाजिक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्रों के साथ मुकाबला करें; मैं चाहता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, गरीबी, पेयजल और सभी चीजें भारत तक पहुंचे और 2020 तक इसे एक विकसित राष्ट्र बना दें। मैं 2015 तक अल्प पोषणता को मिटाना चाहता हूं। यही चीजें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, और करने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदया, वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में बात कर रहे थे कि वहां आयु सीमा 70 वर्ष है? यह 65 के बाद पुन: रोजगार के बारे में है। उन्होंने कहा है कि 65 वर्ष की आयु के पश्चात किसी को भी पुनर्नियोजित किया जा सकता है। अत: ऐसा नहीं है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे 70 कर दिया है।

श्री राजीव रंजन अहं के बारे में कह रहे थे। मेरा कोई अहं नहीं है। इन चीजों में मेरा कोई अहं नहीं है। वे कह रहे थे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है अथवा इसे नियंत्रित कर रही है। सरकारी नियंत्रण का कोई तुक नहीं है। हम सभी एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। एम्स से मुझे अवकाश की मंजूरी, प्रतिनियुक्ति, परियोजनाओं और अनुशासनात्मक कार्यवाही की मंजूरी के लिए फाइलें मिलती रहती हैं। फिर नियंत्रण का सवाल ही कहां है? यह एक इकाई है, और हमें आगे बढने की आवश्यकता है। हमें दूरी बनाये रखनी है और आगे भी बढ़ना है। हम यही करना चाहते हैं।

महोदया, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम संस्थानों के स्वायत्त कार्यकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी तरफ, एक चिकित्सक के रूप में मैं, और सरकार इन संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता देना चाहते हैं। लेकिन इन संस्थानों को उनकी संवैधानिक बाध्यताएं पूरी करनी हैं, संसद की बाध्यताएं पूरी करनी हैं, इस सभा की बाध्यताएं पूरी करनी हैं, जहां से ये सभी अधिनियम लागू किए जाते हैं।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं एक बार पुन: सभी सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदया: आपका धन्यवाद।

अब, विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव।

...(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम: महोदया, मेरा एक छोटा सा स्पष्टीकरण है।

सभापति महोदया: नहीं। मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर दे चुके हैं।

प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड-2

1956 के अधिनियम 25 की धारा 11 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 11 से 15 का लोप किया जाए। (1)

(डा. अंबुमणि रामदास)

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

1966 के अधिनियम 50 की धारा 11 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 से 33 का लोप किया जाए। (2)

(डा. अंबुमणि रामदास)

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. अंबुमणि रामदासः महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदयाः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 6 बजे 'शून्य काल' के मामले लिए जाएंगे। ...*(व्यवधान)* उन्होंने यही कहा था।

सभापति महोदयाः अभी पांच मिनट का समय बचा है। हम अभी इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

अपराह्न 5.58 बजे

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक, 2007

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकारी शेयरों के अपविनिधान और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, इस विधेयक की सिफारिश मंत्रिमंडल द्वारा की गई है और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास से आने के उपरान्त स्थायी समिति ने इसमें तीन संशोधनों का सुझाव दिया है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः इसे स्वीकार करने में किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से यह सिफारिश करता हूं कि चूंकि सरकार द्वारा तीनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है और यह मामला 800 कर्मचारियों से संबंधित है, कृपया सभा इसे आज ही पारित कर दे।

सभापति महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकारी शेयरों के अवपविनिधान और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, आपका धन्यवाद ...*(व्यवधान)* यदि सरकार को इस बात से प्रसन्नता होगी कि मैं इस विधेयक का समर्थन करूं तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष मोहन देवः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदया, मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उन्हें पता है कि मैं इस विधेयक का समर्थन अवश्य करूंगा क्योंकि यह राजग सरकार के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसी कारण हमने विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी और यह मुद्दा हमें बहुत प्रिय था। उस समय हम वामपंथियों की धमकी के आगे नहीं झुके ...*(व्यवधान)* हमने ऐसा कभी नहीं किया। चुनाव में हमारी हार के कारणों में से एक कारण यह भी था। परन्तु वामपंथियों के दबाव के सामने हम अभी भी नहीं झुके हैं। वे हमेशा दो तरह की बातें करते रहे हैं पश्चिम बंगाल में कुछ कहते हैं और यहां कुछ अलग बात करते हैं।

सायं 6.00 बजे

अब आप देखेंगे कि इस विषय पर बात करते हुए वे क्या-क्या कहेंगे परन्तु मेरे लिए यह एक सिद्धांत की बात है और मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदया, छह बज गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः हां छह बज गए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देवः महोदया, यह बेहतर होगा कि पहले हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी कर लें और तदुपरांत 'शून्य काल' लिया जाए...*(व्यवधान)* इसमें मात्र 10 मिनट का समय ही लगेगा ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): मैं इस विषय पर पन्द्रह मिनट तक बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देवः आप इस विषय पर पन्द्रह मिनट बोलना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयाः अब छह बज गए हैं। श्री स्वाईं अपना भाषण अगली बार जारी रख सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदयाः अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को सदन के सम्मुख रखना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद निधि का जो पैसा है, इसका उपयोग करने की राज्य सरकार और आला आफिसर उपेक्षा कर रहे हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत सी लम्बित परियोजनाएं हैं, जिनके लिए हमने सांसद निधि से पैसा दिया है, लेकिन वे परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं या तो विभाग को आधा पैसा दिया गया है और जिन लोगों ने काम किया है, उन्हें भी पूरा पैसा नहीं दिया गया है। इस विषय पर मैंने कई बार शासन को लिखा है और लोकल प्रशासन से भी निवेदन किया है और आज भी पुरजोर तरीके से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब भी वहां के जिलाधिकारी से या अन्य विभागों के मुख्य विकास अधिकारी से या किसी भी विभाग के अधिकारी से बात कर लीजिए, तो यही जवाब आता है कि सरकार की योजना अम्बेडकर गांव की है या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसे पूरा करना है। हम इन योजनाओं को पूरा करने में लगे हैं, सम सांसद लोगों की तरफ कैसे ध्यान दें? यह बहुत गंभीर मामला है, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को और चीफ सैक्रेटरी को तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को यहां से निर्देश दिया जाना चाहिए कि सांसद निधि का पैसा अपने आप में महत्वपूर्ण धन है। सही तरीके से इस पैसे का समयबद्ध उपयोग होना चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदया, आज मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दुग्ध प्रशीतन केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

महोदया, मेरा जिला चामराजनगर वर्ष 1998 में मैसूर जिले में से बनाया गया है। एक दशक बीत जाने पर भी इस जिले में विकास के कोई चिह्न दिखाई नहीं देते हैं। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। चूंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहां के लोग कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे डेरी और अन्य कार्यों में लगे हैं।

मेरे जिले में प्रतिदिन लगभग 1 लाख 30 हजार लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसलिए, मैं सरकार से वहां एक दुग्ध प्रशीतन केन्द्र स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। इसकी अनुमानित लागत लगभग 6 लाख रुपये है। जब माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था तो मैंने उनसे इस बारे में बात की थी और मैं पहले भी कई बार इस मामले को उठा चुका हूं। मेरे जिले में पहले से ही एक छोटा प्रशीतन केन्द्र है। लेकिन यह वहां उत्पादति अतिरिक्त दूध-का उपयोग करने हेतु पर्याप्त नहीं है। यह दूध के सह-उत्पाद बनाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इन परिस्थितियों में, यदि सरकार वहां एक बड़ा दूध प्रशीतन केन्द्र स्थापित करने हेतु तत्काल कदम उठाती है तो इससे बहुत सहायता मिलेगी व वहां रोजगार से नए अवसर भी पैदा होंगे। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपका धन्यवाद महोदया।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): आपका धन्यवाद महोदया।

संसद की महिला सदस्य महिला आरक्षण विधेयक को पुरः स्थापित करने की मांग को लेकर संसद भवन के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दे रही हैं।

इस देश की महिलाएं एक लंबे समय से संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने की मांग कर रही हैं। सभी राजनैतिक दल प्रत्येक चुनाव में इसके लिये आवश्यक विधान लाए जाने का वायदा करते हैं। लेकिन इन सब वर्षों के दौरान का अनुभव हमें यह बताता है कि जब इस वायदे को वास्तविकता में बदलने की बात आती है तो उनका रवैया बदल जाता है। जिस महिला आरक्षण विधेयक का वायदा किया गया है वह एक दशक से अधिक समय से लंबित है। भा.ज.पा. के नेतृत्व वाली सं.प्र.ग. सरकार 'सर्वसम्मति' का बहाना बनाकर जानबूझकर विधेयक का पुरःस्थापन लंबित करती रही जबकि प्रस्तावित विधेयक को पारित करने हेतु उनके पास संसद में पर्याप्त संख्या-बल था। वाम दलों, भा.ज.पा. और कांग्रेस सहित सभी प्रमुख राजनैतिक दल इसके लिए खुलकर अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। लेकिन सं.प्र.ग. सरकार भी उन्हीं बहानों का सहारा ले रही है। वर्तमान सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से देश से इस विधेयक को

---

*मूलतः कन्नड़ मे दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पुर:स्थापित करने का वायदा किया था। लेकिन सत्ता के साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

यह शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के लगभग छह दशक बीत जाने के बाद भी 50 प्रतिशत जनसंख्या को संसद या विधायी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है जो कि स्वयं हमारी लोकतान्त्रिक प्रणाली पर ही एक प्रश्न चिह्न लगा रहा है।

बहुत समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और सं.प्र.ग. की अध्यक्षा ने महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को यह आश्वासन दिया था कि इस विधेयक को संसद में पुर:स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी तक यह मामला कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इस मामले को इस सत्र की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए और वर्तमान सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक को पुर:स्थापित किया जाए तथा इस देश और इस देश की महिलाओं से किए गए वायदे को पूरा किया जाए।

सभापति महोदया: मैं माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं। निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भी स्वयं को इस मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया है। इसलिए इनके नाम भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जाएं।

डा. के.एस. मनोज

श्रीमती पी. सतीदेवी

श्री ए.वी. बेल्लारमिन

श्री पन्नियन रविन्द्रन

श्री पी. करुणाकरन

श्री सी.के. चन्द्रप्पन

श्री एन.एन. कृष्णदास

श्री के. फ्रांसिस जार्ज

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदया, भा.ज.पा. की राष्ट्रीय कार्यकारणी ने हमारे दल के पदों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का संकल्प पारित किया है। इसलिए, हमने पहल कर दी है।

सभापति महोदया: हमारा दल भी यह कर चुका है।

श्री खारबेल स्वाईं: साम्यवादी दलों को भी जुबानी जमाखर्च के स्थान पर ऐसा ही करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आपके दल का मामला है इसलिए कृपया सभा का समय व्यर्थ मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह आपके दल का मामला है और इस पर यहां चर्चा मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कृपया बैठ जाइए। यह आपके दल का मामला है। इस पर यहां चर्चा मत कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): हम अपनी स्वतंत्रता के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। हम पर बहुत सी सरकारों ने शासन किया है और हमारा संविधान समानता की बात करता है। अब सं.प्र.ग. सरकार का सत्ता में चौथा वर्ष चल रहा है। सं.प्र.ग. सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया था कि वे पांच वर्ष के अंदर हमारे देश के सभी निर्णायक निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के पिछले सम्मेलन में सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बात पर असंतोष प्रकट किया था कि सं.प्र.ग. के गठबंधन दल और विपक्षी दल इस प्रतिष्ठित सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं होने दे रहे हैं।

सभापति महोदया: यह मामला उठाया जा चुका है।

श्रीमती पी. सतीदेवी: मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस प्रतिष्ठित सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करे जिससे कि इसका विरोध करने वाले राजनैतिक दलों का चेहरा विश्व के सामने उजागर हो सके ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

श्री खारबेल स्वाईं: आर.जे.डी. और स.पा. इसका विरोध कर रही हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती पी. सतीदेवी: रा.ज.ग. सरकार के साढ़े पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान आप सभा में यह विधेयक लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

जो सदस्य अपने को इस मामले से संबद्ध करना चाहते हैं, अपना नाम पर्ची में लिख कर सभा पटल पर रख दें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: महोदया, अर्चना नायक यदि आप इस मामले से संबद्ध होना चाहती हैं कृपया पर्ची में अपना नाम लिख कर दें। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती पी. सतीदेवी: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि सरकार इस विधेयक को सभा के समक्ष लाएं ताकि उन राजनीतिक दलों के बारे में विश्व को पता चल सके जो इस विधेयक के मार्ग में आड़े आ रहे हैं। जो महिलाओं के अधिकारों के विरोधी हैं तथा जो महिलाओं को समान अधिकार देने के विरोधी हैं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में लाया जाए। देश के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्थान में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाना अभी भी लोगों के लिए सपना बना हुआ है। जब कभी भी संसद में महिला आरक्षण विधेयक पुरः स्थापित किए जाने का प्रयास किया गया तो किसी न किसी बहाने ऐसा नहीं होने दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के बारे में जब तक हो सके किसी न किसी तरह अड़चन पैदा करने के बारे में, अधिकतर राजनीतिक दल लगभग एक मत हैं।

यह अचरज की बात है कि पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण है परन्तु संसद और राज्य विधान सभाओं में हम ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। लोक सभा के कुल 545 सदस्यों में महिला सदस्य मात्र 48 हैं। यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए वास्तव में गंभीर है तो सरकार को विधेयक लाना होगा तथा इसे पारित कराने के लिए आम सहमति के बजाए बहुमत का मार्ग अपनाना होगा।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए तथा इसे इस शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): आज तेज गति की रेलगाड़ियों की आवश्यकता है। यजि नई पटरियां बिछाई जाएं तो अति तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाना संभव हो जाएगा। अनेक देशों में रेलगाड़ियां 200 से 300 किलोमीटर की गति से चलती हैं। यदि हम तीव्र गति से रेलगाड़ियां चलाते हैं तो हमारा बहुत सा समय बचेगा तता कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इसके लिए नई पटरियों की आवश्यकता है। मुंबई से दिल्ली के औद्योगिक गलियारा जिसकी घोषणा कर दी गई है की तरह मेरा सुझाव है तथा आपके माध्यम से रेल मंत्री से सविनय निवेदन है कि प्रारंभ में मुम्बई से कन्याकुमारी तक अधिक तीव्र गति से रेलगाड़ियां चलाने हेतु पटरियां बिछाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करें।

वस्तुत:, केरल के संसद सदस्यों ने उत्तर से दक्षिण केरल तक ऐसी पटरियां बिछाने का अनुरोध पहले ही किया है, माननीय रेल मंत्री हमारी मांग से सहमत थे तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि राज्य के लिए ऐसा पैकेज घोषित किया जाएगा जिसमें इसे भी शामिल किया जाएगा।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदया, तमिलनाडु विशेषकर हमारे इरोड जिले के किसान अपनी आजीविका के लिए दूध तथा दुग्ध उत्पादों पर निर्भर हैं। उनके पास भारी संख्या में गाय, भैंस, बकरियां तथा अन्य मवेशियां हैं। इरोड जिले के पोरियापुलियूर और पालायाकोट्टाई गांवों में खुरपका, और मुंहपका बीमारी के कारण एक महीने के अन्दर 500 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। जिला कलक्टर ने प्रभावित क्षेत्रों में चार चिकित्सक दल भेजे हैं। तथापि अब तक बीमारी को नियंत्रित नहीं किया जा सका है। वहां के किसान बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि जानलेवा बीमारी के अचानक फैलने से उनके मवेशी मर रहे हैं। अब यह बीमारी पूरे तमिलनाडु में फैल रही है। अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस जानलेवा बीमारी को नियंत्रित करे तथा प्रभावित किसानों को प्रतिपूर्ति प्रदान करे।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदया, कर्नाटक के हावेरी और गदाग जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल नहीं किया गया है, कर्नाटक के तेरह जिले इस मिशन में शामिल किए गए हैं। हालांकि मिशन में शामिल किए जाने के लिए 5-6 अन्य जिलों की पहचान की गई है परन्तु हावेरी और गदाग जिलों को शामिल नहीं किया गया है। हावेरी जिला पश्चिमी घाट से लगे पुणे और बंगलौर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। हावेरी जिले के सात ताल्लुकों में से चार ताल्लुकों को कर्नाटक मलानाड क्षेत्र विकास बोर्ड में शामिल किया गया है। जहां आम की अत्यधिक पैदावार होती है। इस क्षेत्र में मिर्च की भी बहुतायत में खेती होती है। हावेरी जिले में होने वाली ब्यादगी मिर्च की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। अन्य देश के लोग ब्यादगी मिर्च खरीदने आते हैं। एम.डी.एच. मसाला कंपनी भी ब्यादगी मिर्च का उपयोग करती है। इसका निर्यात भी होता है। केरल के लोगों ने केरल तथा कर्नाटक के हावेरी जिले में ओलियो रेजिन फैक्ट्री स्थापित की है। क्योंकि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी अच्छी मांग है। मैंने यह मुद्दा कुछ वर्ष पहले भी उठाया था? मैंने माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार को भी लिखा था उन्होंने उत्तर में बताया कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में हावेरी जिले को मिशन में शामिल किया जाएगा। यद्यपि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हो चुकी है फिर भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन में हावेरी जिले को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हावेरी और गदाग जिले के किसानों में इस उपेक्षा के कारण आक्रोश है। इन दो जिलों में आम जैसे फल तथा मिर्च जैसी वाणिज्यिक फसल तथा नारियल जैसी बागवानी फसल की व्यापक खेती होती है। हावेरी जिले में करीब चार नदियां हैं- कुमुदवती, तुंगभद्रा, वरदा तथा धर्मा। ये दोनों जिले पश्चिमी घाट से लगे हैं। हालांकि उत्तर कनारा तथा दक्षिण कनारा के पड़ौस के जिलों को मिशन में शामिल किया गया है। किन्तु इन दो जिलों को शामिल नहीं किया गया है। अत: मैं इस प्रतिष्ठित सभा तथा संबंधित मंत्री से अनुरोध

करता हूं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में इन दोनों जिलों को अति प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाए क्योंकि यह इस क्षेत्र के किसानों के हित में है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदया, हमारे यहां हर साल बाढ़ आती है और इस बार कुछ अधिक बाढ़ आने की वजह से वहां की सड़कों की हालत बहुत खराब हो गई है। वहां सड़कों की हालत यह है कि सड़क में गड्ढा नहीं गड्ढे में सड़क हो गई है, जिससे चलना बहुत मुश्किल है, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग हो या राज्य सरकार की सड़क हो, दोनों की हालत बहुत खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3629 किलोमीटर है और राज्य मार्ग 2455 किलोमीटर है। केन्द्र सरकार की तरफ से अभी तक उसकी मरम्मत के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जबकि राज्य सरकार ने दोनों सड़कों की मरम्मत के लिए पैसों की मांग की है। मैं समझता हूं कि अभी तक पैसा नहीं दिए जाने की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़क मार्ग दुरुस्त होना अनिवार्य है।

मैं समझता हूं कि जिस प्रदेश की सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी, उस प्रदेश में विकास का सपना देखना बिल्कुल बेकार है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जाये ताकि वहां की सड़कों की हालत ठीक हो सके। वहां आम लोगों का जीना दुर्लभ है क्योंकि आवागमन का रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। लोगों को इस कठिनाई से निजात दिलाने के लिए सरकार यथाशीघ्र राशि आवंटित करके मदद करने का काम करे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदया, संसद में एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है। पूरा सदन खाली है। जीरो ऑवर बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मंत्री जी अभी उठकर गये हैं। वे आ रहे हैं। आप इंतजार तो कीजिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार: मैम्बर्स इतने महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: सभी बातें रिकार्ड में जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदया, मै सरकार का ध्यान इस वर्ष बिहार में आयी भीषण बाढ़ और उससे प्रभावित होने वाली आम जनता, इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर खींचना चाहता हूं। यह अत्यंत लोक महत्व का विषय है। इस संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ बातों को रखना चाहता हूं। इस वर्ष बिहार में बाढ़ ने 60 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। बाढ़ से वहां 17 जिले प्रभावित हुए। इन 17 जिलों में लगभग 22 स्थानों पर बांध टूट गये। बांध टूटने के कारण नदी का पानी लगभग दो महीने तक बड़े क्षेत्र में फैला रहा जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हो गये। उन लोगों को महीनों तक ऐसी जगहों पर रहना पड़ा जहां न ऊपर छत थी और न नीचे रहने के लिए कोई स्थान था। वहां लोग परेशानी में जीते रहे। बिहार सरकार ने जो इंतजाम किये, वे बिल्कुल अपर्याप्त थे। फ्लड फाइटिंग और आपदा प्रबंधन के नाम पर वहां कुछ नहीं था। वहां कार्य बहुत मंथर गति से चल रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांधों की मरम्मत के लिए दिसम्बर 2006 में बिहार सरकार द्वारा टेंडर निकाला गया जो मार्च 2007 में भरा गया। जबकि उस समय तक टेंडर खुलकर काम शुरू हो जाना चाहिए था। बांधों की मरम्मत का काम जून, 2007 तक खत्म होना था। बिहार में अगस्त के अंत में बाढ़ आयी, लेकिन उस समय तक टेंडर नहीं खुला था। आश्चर्य की बात है कि आज तक वह टेंडर नहीं खुला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 15 लाख लोग सिर्फ एक जिले में विस्थापित हुए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी बात एक लाइन में कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आलोक कुमार मेहता: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन में इस विषय को उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मामला सिर्फ एक सरकार और एक मंत्री के कहने से हल नहीं होगा। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। सिर्फ एक जिले में सात नदियां हैं। इसमें नील नदी, बाया नदी, बागमती, गंगा, बूढ़ीगंडक, कमलाबालान जैसी नदियां हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपको सैंट्रल गवर्नमेंट से जो चाहिए, उसे आप एक लाइन में कहिए।

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं वही बोल रहा हूं। केन्द्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन नदियों की ड्रेजिंग करने की योजना बनायी जाए। उसके नीचे तलहटी से मिट्टी और बालू को निकालकर उसकी गहराई बढ़ायी जाये ताकि आने वाले दिनों में बाढ़ की विभीषिका पर नियंत्रण लगाया जाये। बिहार सरकार पर अंकुश लगाया जाये और उन पर नियंत्रण करके जल्द उन बांधों की मरम्मत कराने का इंतजाम कराया जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोब्बिली): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स विशाखापट्टनम को पोत निर्माण के नए आर्डर दिए जाने के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड देश की एक प्रतिष्ठित पोत निर्माण कंपनी है। 1941 में इसके गठन से ही हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने पिछले छह दशकों में पोत निर्माण, पोत मरम्मत, पनडुब्बियों की

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

मरम्मत और आधुनिकीकरण, अपतटीय प्लेटफार्मों के निर्माण तथा मरम्मत, तेल कुओं के क्षेत्र में बड़ी ही तीव्र गति से उन्नति की है। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने अभी-तक अत्याधुनिक जहाजों सहित सभी आकार तथा प्रकार के 150 जहाजों का निर्माण तथा 1700 जहाजों की मरम्मत की है।

हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड इस समय 19 जहाजों का निर्माण कर रहा है तथा 2000 करोड़ रु. की पनडुब्बी की मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों में हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहा है।

हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड के संबंध में वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड को एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन रखा जाए या रक्षा मंत्रालय के अधीन इस संबंध में निर्णय लंबित है। इस संबंध में सरकार द्वारा तत्काल निर्णय कर्मचारियों के मन से सन्देहों/शंकाओं को दूर करेगा। मंत्रियों के समूह ने हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड को पोत निर्माण का नया आर्डर नहीं लेने की सलाह दी थी जिसके कारण हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता तथा और आर्डर नहीं ले सकता। जिसके कारण हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड एक रुग्ण कंपनी बनती जा रही है और पुनरुद्धार प्रक्रिया और जटिल बनती जा रही है। लगभग 10000 परिवार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर निर्भर हैं। अत: मैं सरकार से मांग करती हूं कि हिन्दुस्तान शिपबिल्डर्स लिमिटेड को पोत निर्माण के तत्काल नए आर्डर लेने दिए जाएं जिससे कि यह अर्थक्षम हो तथा बाजार में और प्रतिस्पर्धा कर सके।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय निधि के भेद-भाव पूर्ण उपयोग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदया, जैसा कि आप जानते हैं कि असम में अनेक पब्लिक स्कूल तथा कॉलेज हैं जो कि लोगों द्वारा स्थापित किये गए हैं तथा सरकार के द्वारा उन्हें मान्यता दी गयी है। वे पिछले 20 से 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक इन संस्थानों को असम सरकार अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। असम में 50 प्रतिशत से अधिक औपचारिक शिक्षा इन्हीं लोक संस्थानों के माध्यम से मिल रही है जो कि सरकारी संस्थान नहीं है। अत: यह पूर्ण रूप से भेद-भाव पूर्ण है। इन विद्यालयों तथा कॉलेजों का प्रदर्शन अन्य संस्थानों की तुलना में बहुत बढ़िया है। इनमें अनेक स्तरों के संस्थान जैसे प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक, जूनियर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज जैसे संस्थान हैं।

अत: मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन सभी संस्थानों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न आहार योजना इत्यादि में कवर किया जाए। कॉलेजों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निधि मिलनी चाहिए। ये कॉलेज अभी अनुदान से वंचित हैं। केन्द्र सरकार को इन सभी संस्थानों के लिए विशेष योजना बनानी चाहिए और उन्हें निधि उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ये सभी संस्थान भारत सरकार के साथ-साथ असम सरकार के सभी के लिए मुफ्त शिक्षा के संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के प्रयासों में सहायता कर रहे हैं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदया, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार की एक नीति मत्स्य उद्योग में लगे 80 लाख श्रमिकों तथा 40 लाख नारियल उत्पादकों को प्रभावित कर रही है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय व्यापार पर बात-चीत तथा यूरोपीय संघ से साथ निवेश समझौतों के लिए ब्रुसेल्स और बेल्जियम का दौरा किया। पिछली सरकार की उदार नीतियों के कारण देश में मछुआरे अब संकट का सामना कर रहे हैं। वे मछली पकड़ने के ट्रालरों को लाइसेंस दे रहे थे जिसके कारण मछली पकड़ना कम होता जा रहा है। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते के अनुसार यूरोपीय संघ से 40 किस्म की मछलियों का आयात किया जाएगा। इस श्रेणी में से अधिकांश मछलियां परम्परागत मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछलियों के समान ही हैं। यूरोप में इन 40 किस्मों में से छह से आठ किस्म की मछलियों को भोजन के रूप में मुर्गियों को खिलाया जाता है।

परन्तु इस प्रकार की मछलियों का भारत में आयात होने जा रहा है। परन्तु जब ये आयातित मछलियां बाजार में आयेंगी तो परम्परागत मछुआरों द्वारा पकड़ी गयी मछलियों के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार की नई नीति के कारण पाम आयल का विदेशों से आयात किया जा रहा है। हाल ही में कोचीन पत्तन पर 15 एम टी पाम आयल का आयात किया गया है। केरल के नारियल उत्पादक मुख्यत: नारियल तथा पाम आयल के मूल्य पर निर्भर हैं। यदि पाम आयल का आयात किया जाता है तो इससे नारियल के मूल्य में गिरावट आ जाएगी। केरल में यह एक गम्भीर समस्या है। सरकार की आयात-निर्यात नीति के कारण ऐसा हो रहा है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह आयात-निर्यात नीति पर पुनर्विचार करे, ताकि परम्परागत मछुआरों तथा नारियल उत्पादकों के हित प्रभावित न हों तथा उनकी समुचित रूप से रक्षा की जा सके।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए सिंगापुर की यात्रा पर थे। यह बताया गया है कि भारत ने अत्यंत संवेदनशील वस्तुओं यथा काली मिर्च, पॉम तेल, चाय आदि पर प्रशुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया है। जब हमने वार्ता शुरू की तब इन वस्तुओं पर प्रशुल्क 80 से 100 प्रतिशत था अब आसियान देशों द्वारा यह मांग की जा रही है कि हम इसे 30 प्रतिशत करें। यह बताया गया है कि हम इसे घटाकर 45 प्रतिशत करने को सहमत हुए हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इससे इन मदों के मूल्य कम हो जाएंगे। देश में इन मदों के मूल्य पहले ही कम हैं। इससे वित्तीय हानि होगी तथा छोटे व मझौले किसानों, जो हमारे देश में इन मदों को उगाते हैं की स्थिति और अधिक दयनीय हो जाएगी।

अभी-अभी पाम आयल के आयात के बारे में चर्चा की गई थी। यह बताया गया है कि सरकार कच्चे तेल पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत तक तथा रिफाइन्ड पाम आयल पर 60 प्रतिशत तक कम करने की योजना बना रही है। इससे नारियल की कीमतों में कमी होगी तथा इससे देश में लाखों नारियल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दक्षिणी पत्तनों, विशेष रूप से केरल की पत्तनों के माध्यम से पाम आयल के आयात पर प्रतिबंध है। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा रोक के बहाने, पाम आयल का बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप नारियल के मूल्य में बेतहाशा रिगावट आ रही है। नारियल उत्पादकों की आय कम होती जा रही है जो उन्हें अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर धकेलती जा रही है। सरकार को दक्षिणी पत्तनों के माध्यम से पाम तेल के इस आयात पर रोक लगाए जाने हेतु कड़े उपाय करने चाहिए। सरकार को उन राज्यों के साथ सलाह-मशवरा करना चाहिए जो इस मुक्त व्यापार समझौते से प्रभावित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाणिज्य मंत्रालय को साफ्टा के तहत नकारात्मक सूची को कम करने का निदेश दिया है। इन बातों से हमारे देश में नकदी फसलों व मसालों के आयात में तेजी आ जाएगी।

यह समझौता करने से पूर्व मैं सरकार से राज्यों, विशेषकर केरल से परामर्श करने का अनुरोध करता हूं ताकि हमारे किसानों का हित पूरी तरह सुरक्षित रहे तथा देश की अर्थव्यवस्था भी भली-भांति सुरक्षित रहे।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदया, मैं मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा के अभाव में मछुआरों में व्याप्त गंभीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। केरल एक ऐसा राज्य है, जहां सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बेहतर ढंग से कार्य कर रही है। वर्ष 2000-01 में राज्यों को 25773 टन मिट्टी का तेल आवंटित किया गया था। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आगामी वर्षों में इसमें धीरे-धीरे कमी हो रही है। वर्ष 2005-06 में इसे कम करके 18206 टन कर दिया गया है। वर्ष 2006-07 में पुनः इसे कम करके 16500 टन कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पिछले पांच या छह वर्षों में 8000 टन मिट्टी के तेल की कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप, केरल सरकार को मछुआरों, कृषकों तथा घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। इतनी अधिक कमी किए जाने का कोई कारण नहीं है।

जैसा आप जानते हैं कि केरल की अति अनूठी भौगोलिक विशेषता यह है कि राज्य का 2/3 भाग समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह मछली पकड़ने व समुद्री उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसलिए लाखों मछुआरे मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर इस कमी का सामना करने में उन्हें वास्तव में कठिनाई हो रही है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम पहले के उस कोटे को बरकरार रखा जाए, जिस पर सरकार पहले ही सहमत हुई थी, जो कि वर्ष 2001 में 25,775 टन था। इसलिए, मैं सरकार से इसे बरकरार रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, आपने बीजेपी सांसद को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदया: जब आपका नाम आया है, तभी आपको बोलने के लिए कहा है।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदया, हमने नोटिस किया कि आप इस तरफ देख ही नहीं रही थीं। मैं महाराष्ट्र की गोवारी जाति के बारे में बात करना चाहता हूं।

सभापति महोदया: आप कृपया एक ही विषय पर बोलिएगा।

श्री हंसराज गं अहीर: महोदया, गोवारी जाति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही पिछड़ी जाति है। इस जाति के लोगों ने कई वर्षों से अपनी जाति को आदिवासी जाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। ब्रिटिश काल में इस जाति को महाराष्ट्र की आदिवासी जाति की सूची में रखा गया था। इस मांग को लेकर गोवारी जाति के लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 13 वर्ष

पूर्व विधान सभा के सत्रावसान पर गोवारी जाति के लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, उसमें करीब 114 लोगों की अत्याचार और पुलिस बल प्रयोग करने के कारण जान गई थी। कल इस घटना को पूरे 13 वर्ष होने जा रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए यह विषय रखना चाहूंगा क्योंकि केन्द्र सरकार के पास इस विषय से संबंधित प्रस्ताव लम्बित है। 1967 में तात्कालिक सरकार एक बिल लोक सभा में लाई थी, लेकिन बिल पर कुछ टेक्निकल अड़चनों की वजह से चर्चा नहीं हो पाई थी। इस बिल पर चर्चा न होने की वजह से इस जाति को अनुसूचित जाति अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। महाराष्ट्र सरकार ने दो बार मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित कर इस जनजाति को आदिवासी सूची में सम्मिलित करने के लिए सम्मति दर्शायी है। उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार और आदिवासी मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को परलम्बित रखा है।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस विषय पर तुरंत निर्णय ले और इस जाति को महाराष्ट्र में आदिवासी जाति में शामिल करने हेतु बिल लाए और इस बिल को मान्यता दे।

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): महोदया, मैं एक अविलम्बनीय महत्व के अत्यंत गम्भीर मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि तमिलनाडु में बिजली की कटौती के संबंध में है।

पिछले दो माह के दौरान अघोषित बिजली कटौती व लोड शेडिंग ने तमिलनाडु में सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। तमिलनाडु के शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में कम से कम दो घंटों की लोड शेडिंग ने लोगों के रोजमर्रा के जीवन में असहनीय समस्याएं पैदा कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और अधिक दयनीय है। विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों की परीक्षाएं चल रही हैं तथा बिना बताए व अनिश्चित लोड शेडिंग व पावर कट की वजह से विद्यार्थियों को अत्यंत कठिनाई हो रही है।

राज्य सरकार ने एक वक्तव्य दिया है कि केन्द्र द्वारा 380 मेगावाट विद्युत उपलब्ध नहीं कराई गई तथा केन्द्र से राज्य के हिस्से की पूर्ण विद्युत प्राप्त करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। यह नोट करना अत्यंत आश्चर्यजनक है कि लगभग सभी राज्यों में भरपूर वर्षा होने के बावजूद, पनविद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन में कमी हुई है तथा नेवेली, रामागुडम तथा कल्पक्कम संयंत्रों में विद्युत उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्यों को विद्युत की बिक्री, तमिलनाडु में नए उद्योगों की स्थापना से राज्य में विद्युत की कमी की स्थिति में और वृद्धि हुई है। पूर्वी तथा पश्चिमी हवाओं की गति धीमी होने के परिणामस्वरूप पवन चक्कियों से विद्युत हानि हुई है।

मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें तमिलनाडु को उसके हिस्से की पूरी विद्युत मिले तथा यदि संभव हो, तो पन विद्युत, तापीय तथा नाभिकीय स्टेशनों पर विद्युत उत्पादन में आई कमी को पूरा किया जाए ताकि राज्य में विद्युत स्थिति में सुधार हो सके।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): माननीय सभापति महोदया, मैं देश भर के किसानों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं, और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। देश भर के किसान किसी न किसी कारण से कभी बिजली न मिलने , कभी बाढ़ आने से या कभी पानी न मिलने के कारण से आत्महत्या करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि खास तौर पर मराठवाड़ा के विदर्भ में सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने का एक मुख्य कारण हानि होने की वजह से ऋणग्रस्तता हैं, जिसका पुनर्भुगतान करने में वे सक्षम नहीं हैं।

इसी कारण से बहुत सी आत्महत्याएं हो रही हैं क्योंकि किसान परेशान हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की और जैसाकि मैंने बताया है कि इसका मुख्य कारण कर्ज है इसलिए उन्हें ऋण मुक्त किया जाए। हमारी यह मांग कई वर्षों से है लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। अभी नागपुर में विधान सभा सत्र चल रहा है, शिव सेना के नेता दिवाकर जी, जो विधायक हैं, उन्होंने 300 किलोमीटर पैदल चलकर कई हजार किसानों के साथ जाकर मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार का है और केन्द्र सरकार ही इस मामले में कदम उठाएगी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि विदर्भ के किसान जो आत्महत्या करने वाले हैं या जिन्होंने की है, उन सब लोगों को ऋण मुक्त करें क्योंकि इसके बाद ही कोई आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करेगा। मेरी विनती है कि किसी भी कारण से उन्हें ऋण मुक्त कीजिए। मनोहर जोशी जी ने शिव सेना की तरफ से हमारी पार्टी का ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि ऋण मुक्त होने पर ही किसान आत्महत्या नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): सभापति महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदया: ठीक है।

श्री प्रह्लाद जोशी: महोदया, मैं कर्नाटक के उत्तरी हिस्से से आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्याज, भारी मात्रा में उगाया जाता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि प्याज उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं। उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज के लिए भी प्रति किलोग्राम 5 रूपए से भी कम मिल रहे हैं।

दुर्भाग्य से मैं देखता हूं कि यहां दिल्ली और अन्य महानगरों में, प्याज का मूल्य 25 रुपए प्रतिकिलोग्राम से भी अधिक है और कभी कभी तो यह 30 रुपए को छूता है। दिल्ली में प्याज की ऊंची कीमतों के कारण सरकार सत्ता तक खो चुकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसानों को भुगतना पड़ रहा है और उन्हें प्याज 4 रुपए अथवा 5 रुपये प्रति किलोग्राम बेचना पड़ता है। वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं।

मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है क्योंकि अंतिम प्रयोगकर्ता, अर्थात उपभोक्ता को, महानगरों में प्याज उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा है। किसान हड़ताल पर हैं और लाभकारी मूल्य की मांग करते हुए वे सड़कों पर उतर आए हैं। उन्हें उनके प्याज के लिए 5 रुपए से भी कम मिल रहे हैं, जबकि यहां यह 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है।

अत: ऐसी स्थिति में मैं केन्द्र सरकार से इस पर समुचित ध्यान देने और इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। मैं केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाए। न्यूनतम निर्यात शुल्क में वृद्धि की गई है। मैं यह भी आग्रह करता हूं कि निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।

दूसरी बात, केन्द्र सरकार यह भी देखे कि वे कर्नाटक से इस सारे प्याज के परिवहन का प्रबंध करें। मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में भी इसे अन्य महानगरों में भेजने की समस्या है जहां उपभोक्ता के लिए मूल्य बहुत ज्यादा है। इस प्रकार, आप किसानों को लाभकारी मूल्य और उपभोक्ता को उचित मूल्य भी दे सकते हैं। अत: मैं एक बार पुन: केन्द्र सरकार से इस पर ध्यान देने का आग्रह करता हूं।

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): महोदया, मैं उनके साथ संबद्ध होना चाहता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है, आप उनके साथ संबद्ध हो सकते हैं।

***श्री पन्नियन रवीन्द्रन** (तिरुवनन्तपुरम): भारत विमानपत्तन प्राधिकरण तिरुवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्वायत्तता चेन्नै प्रभाग को सौंप रहा है। इस कदम का विरोध किया जाना चाहिए।

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन को 1991 में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया था। यह कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। माननीय मंत्री ने कहा था कि हमने उड़ान सेवाओं में 150 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अत: इस विमानपत्तन को देश में महत्वपूर्ण दर्जा मिल गया था। अब विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे विमानपत्तन की स्वायत्तता चेन्नै प्रभाग को सौंप रहा है जो पिछले 16 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में कार्य कर रहा था।

वर्तमान में, इस विमानपत्तन पर विकास संबंधी अनेक कार्य हो रहे हैं। विमानपत्तन प्राधिकरण के इस निर्णय से ये कार्य बाधित होंगे। अत: तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन की प्रशासनिक स्वायत्तता में परिवर्तन के सभी प्रयत्नों को तुरन्त रोकना चाहिए और इसे एक स्वायत्त कुशल विमानपत्तन के रूप में कार्य करने दें।

डा. के.एस. मनोज: महोदया, मैं उनके साथ संबद्ध होना चाहता हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदया, मैं भी उनके साथ संबद्ध होना चाहती हूं।

सभापति महोदया: ठीक है, माननीय सदस्यों, डा. के.एस. मनोज, श्री पी. करूणाकरन, श्रीमती पी. सतीदेवी, श्रीमती सी.एस. सुजाता को श्री पन्नियन रवीन्द्रन द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदया, आज हमारा देश स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतवर्ष को आजादी दिलाने वाली स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई बुंदेलखण्ड क्षेत्र के झांसी में 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ी गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल सहेली वीरांगना झलकारी बाई की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अहम भूमिका है, क्योंकि झांसी की रानी को जब अंग्रेजों द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया था, तब उस समय महारानी लक्ष्मीबाई को बचाने में वीरांगना झलकारी बाई ने अहम भूमिका अदा की थी। वीरांगना झलकारी बाई अनुसूचित जाति के कोरी समाज की बिरादरी से संबंध रखती है। आज पूरे देश में उनकी जन्मतिथि मनाई जा रही है। इसलिए आज के दिन मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारे देश में अनुसूचित जाति की महिलाओं में वीरांगना झलकारी बाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा इंडिया गेट पर एक शिलालेख लिखा जाए, जिसमें उनकी जीवन कथा लिखी जाए तथा लोक सभा में किसी भी जगह उनकी मूर्ति लगाई जाए।

महोदया, में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में जो एक मेडिकल कालेज बन रहा है, मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उस मेडिकल कालेज का नाम वीरांगना झलकारी बाई मेडिकल कालेज रखा जाए। क्योंकि इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। आज झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज है। इसलिए जनपद जालौन में जो एक मेडिकल कालेज बन रहा है, उसका नाम वीरांगना झलकारी बाई मेडिकल कालेज रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बाबू राव मिडियम (भद्राचलम): महोदया, मैं कृषि मंत्री से धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आग्रह करता हूं।

महोदया, आंध्र प्रदेश एक मुख्य धान उत्पादक राज्य है। कुछ जिलों में इसका उत्पादन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब, धान उत्पादक किसान आंदोलन कर रहे हैं। वस्तुत: कल उन्होंने पूरे राज्य में शांतिपूर्ण बंद का आयोजन किया। हमारे राज्य की विधान सभा ने भी जिसका सत्र पिछले सप्ताह ही समाप्त हुआ है, केन्द्र सरकार से धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल करने के लिए अनुरोध किया है। पूर्व में, धान की श्रेणी-1 किस्म के लिए 1088 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म के लिए 990 रुपए प्रति क्विंटल के सुझाव का प्रस्ताव भेजा गया था। यह अति दयनीय स्थिति है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्य 950 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहे हैं, मेरे राज्य में किसानों को केवल 600 रुपए से 625 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा हैं। बीज, उर्वरक और कीटनाशक, सभी की लागत ऊपर जा चुकी हैं। धान उत्पादक संकट में है। अत: मैं माननीय कृषि मंत्री से न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदया, डा. सर हरी सिंह विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का काफी प्राचीन और महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। इस विश्वविद्यालय से अध्ययन करके निकलने वाले छात्र विश्व के कई राष्ट्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते रहे हैं और भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। काफी लम्बी अवधि से इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग वहां के छात्रों, नागरिकों और बुद्धिजीवियों द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उन सभी राज्यों में, जहां केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, वहां एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जायेगा। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि 17 जुलाई, 2006 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री सागर विश्वविद्यालय के हीरक जयन्ती समारोह में शामिल हुये थे और उन्होंने सागर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने का आश्वासन दिया था। विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग करने के लिये एक कमेटी बनी है जिसने पिछले दिनों मध्य प्रदेश का दौरा किया था। उस कमेटी ने सागर विश्वविद्यालय को ए+ ग्रेड का दर्जा दिया है और कहा है कि डा. सर हरी सिंह विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा केन्द्रीय सरकार के समक्ष भेजा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डा. सर हरी सिंह को, जो दानवीर भामाशाह के सहयोग से यह विश्वविद्यालय बना है, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने में सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदया, मैं एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूं।

पश्चिम बंगाल की बन्देल-कटवा रेलवे लाइन पर समुद्रगढ़ और कालीनगर रेलवे स्टेशनों की खराब स्थिति और इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने के लिए माननीय रेल मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री को संबोधित मेरे 17 सितंबर 2007 के पत्र के संदर्भ में, मैं इस सभा का ध्यान इस भारी चिन्ता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये दोनों स्टेशन विशालकाय गंगा से केवल 40 मीटर दूर हैं जबकि पांच वर्ष पूर्व गंगा इन स्टेशनों से दो किलोमीटर दूर थी।

सभी सत्रों में अर्थात 09.12.2006, 13.08.2007 और 14.08.2007 को मैंने गंभीर चिन्ता जताई और आज पुन: मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं ताकि स्थिति के काबू से बाहर होने से पहले ही स्थिति की गंभीरता पर शीघ्र ध्यान दिया जा सके।

यह अत्यंत खेद का विषय है कि न तो रेल विभाग और न ही जल संसाधन विभाग ने आज तक इस संबंध में कोई कदम उठाया है।

अभ पुन: मैं रेल मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से इन दोनों स्टेशनों और बन्देल-कटवा रेलवे लाइन को बचाने के लिए बिना और विलंब किए सभी कदम उठाने की निष्ठापूर्वक मांग करता हूं।

सभापति महोदया: अब सभा कल, 23 नवंबर 2007 तो पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.54 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 23 नवंबर, 2007/2 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री रामपाल सिंह श्री हंसराज गं. अहीर	101
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री रवि प्रकाश वर्मा	102
3.	डा. आर सेनथिल	103
4.	श्री राम कृपाल यादव श्री आलोक कुमार मेहता	104
5.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री एस.अजय कुमार	105
6.	श्री एस.के. खारवेनथन	106
7.	श्री निखिल कुमार श्री राकेश सिंह	107
8.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	108
9.	श्री किशनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	109
10.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिसिंह चावड़ा	110
11.	श्री रनेन बर्मन श्री सुब्रत बोस	111
12.	श्री रामदास आठवले श्री रघुवीर सिंह कौशल	112
13.	श्री सुमित्रा महाजन	113
14.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	114
15.	श्री विजय कृष्ण	115
16.	श्री सुरेश अंगड़ि	116
17.	श्री जोवाकिम बखला	117
18.	श्री हितेन बर्मन	118
19.	श्री हरिभाऊ राठौड़ श्री एन.एस.वी चित्तन	119
20.	श्री अधीर चौधरी श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	120

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	833
2.	आदित्यनाथ, योगी	814
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	830, 852, 901, 940, 958
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	873
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	782
6.	अजय कुमार, श्री एस.	941
7.	अंगड़ि, श्री सुरेश	860
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	805, 869, 918
9.	आठवले, श्री रामदास	799, 850, 906, 944
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	813, 877
11.	बर्मन, श्री हितेन	921
12.	भगोरा, श्री महावीर	795
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	823
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	785, 847
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	894
16.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	820
17.	चौरे, श्री बापू हरी	793, 871, 893
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	943
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	885, 929
20.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	854
21.	चौधरी, श्री पंकज	786, 866, 915, 949
22.	चौधरी, श्री अधीर	861, 903
23.	देवरा, श्री मिलिन्द	789, 849, 900, 939, 957

1	2	3
24.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	791, 886, 930, 954
25.	धोत्रे, श्री संजय	793
26.	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	788
27.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	827
28.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	831, 947
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	826, 889, 912, 933, 955
30.	गंगवार, श्री संतोष	803, 873, 909
31.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	793, 871
32.	घुरन राम, श्री	784, 890, 934
33.	गुढ़े, श्री अनंत	796
34.	जाधव, श्री प्रकाश बी.	817, 883
35.	जगन्नाथ, डा. एम.	808, 872, 921
36.	जटिया, डा. सत्यनारायन	824
37.	जेना, श्री मोहन	819, 950
38.	जिन्दल, श्री नवीन	776, 843, 909, 946
39.	करुणाकरन, श्री पी.	822
40.	खारवेनथन, श्री एस.के	841, 897, 937, 956
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	845, 899, 938
42.	कृष्ण, श्री विजय	859, 908
43.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	902, 941
44.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	777, 876, 884, 892, 926
45.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	865, 914
46.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	857
47.	महरिया, श्री सुभाष	780, 894, 935
48.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	837
49.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	803, 909
50.	मंडल, श्री सनत कुमार	775, 864, 913, 948
51.	माने, श्रीमती निवेदिता	790, 826, 889 933, 955
52.	मसूद, श्री रशीद	812, 876
53.	मोहले, श्री पुन्नुलाल	769, 840
54.	मुन्शी, राम श्री	772
55.	मुर्मु, श्री हेमलाल	792, 882, 925
56.	नायक, श्री अनंत	804, 868, 917,
57.	निखिल कुमार, श्री	903
58.	उरांव, डा. रामेश्वर	766
59.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	766, 818, 880, 923, 950
60.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	774
61.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	832
62.	पटेल श्री जीवाभाई ए.	855, 856, 905, 943
63.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	855, 904, 942
64.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	778, 874, 935
65.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	809, 873
66.	राजगोपाल, श्री एल.	770, 836
67.	राजेन्द्रन, श्री पी.	764
68.	रामदास प्रो. एम.	825, 887, 931
69.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	814, 878, 922, 948
70.	राणा, श्री काशीराम	920
71.	राव, श्री के.एस.	783, 846, 853, 927, 952

1	2	3
72.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	821, 884
73.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	851, 901, 910
74.	रविन्द्रन, श्री पन्नियन	820
75.	रावले, श्री मोहन	815, 879, 948
76.	रावत, प्रो. रासा सिंह	767, 839, 928, 953
77.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	779, 814, 844, 926
78.	रेड्डी श्री एम. राजा मोहन	801 •
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	858, 907, 945
80.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	801
81.	रिजीजू, श्री कीरेन	778, 874, 935
82.	साई प्रताप, श्री ए.	807
83.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	781, 805, 881, 924, 951
84.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	810
85.	सत्पथी, श्री तथागत	814, 956
86.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	828, 891
87.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	787
88.	शर्मा, श्री मदन लाल	811, 875
89.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	852, 901, 940, 958
90.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	825, 869, 887, 918, 931
91.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	768, 870, 919

1	2	3
92.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	816
93.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	848, 920
94.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	800
95.	सिंह, श्री चन्द्रभान	834
96.	सिंह, श्री राकेश	779
97.	सिंह, श्री रेवती रमन	802, 867, 916
98.	सिंह, श्री सुग्रीव	888, 904, 932, 942
99.	सिंह, श्री उदय	861, 863
100.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	773, 842, 898
101.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	797
102.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	765
103.	सुमन, श्री रामजीलाल	865, 914
104.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	764, 838, 896
105.	ठुम्मर, श्री वी. के.	809, 829, 855, 856, 905
106.	त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि	774
107.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	798, 806, 862, 911, 947
108.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	835, 861, 895, 936
109.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	794
110.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	852, 901, 940, 958
111.	यादव, श्री गिरिधारी	771
112.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	836

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	101, 112, 119
नागर विमानन	:	102, 106, 107
संस्कृति	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	111, 117, 120
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	103, 104, 105, 110
रेल	:	108, 109, 113, 114, 115, 116
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	118
इस्पात	:	
पर्यटन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	782, 794, 795, 804, 810, 814, 824, 835, 837, 874, 875, 884, 887, 911, 913, 938
नागर विमानन	:	766, 776, 779, 789, 811, 815, 823, 830, 843, 847, 849, 854, 856, 867, 876, 878, 879, 881, 891, 894, 895, 896, 903, 916, 917, 919, 931, 936, 937, 941, 945, 946, 948, 954, 957
संस्कृति	:	771, 788, 813, 829, 831, 834, 885, 922, 926
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	855, 921
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	790, 808, 844, 902, 912
अल्पसंख्यक मामले	:	767, 775, 778, 783, 832, 839, 841, 848, 853, 858
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	764, 770, 773, 800, 801, 802, 809, 818, 821, 825, 828, 836, 838, 842, 848, 861, 863, 865, 870, 871, 873, 886, 888, 890, 901, 905, 914, 920, 923, 928, 930, 943, 951, 952, 953, 955
रेल	:	768, 769, 772, 774, 777, 780, 781, 784, 785, 786, 787, 796, 798, 803, 806, 807, 812, 816, 817, 819, 820, 822, 826, 827, 833, 840, 845, 852, 857, 859, 862, 869, 880, 882, 883, 889, 893, 897, 899, 904, 906, 908, 909, 910, 915, 924, 925, 929, 934, 935, 939, 940, 942, 947, 949, 958
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	765, 792, 799, 850, 851, 864, 872, 877, 944, 950
इस्पात	:	868, 932, 933, 956
पर्यटन	:	791, 793, 797, 805, 860, 866, 892, 898, 900, 907, 918, 927.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/30/5/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स श्री एन्टरप्राइजेज प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।